ISSN 0974-1100

पूर्वदेवा

सामाजिक विज्ञान शोध पत्रिका

PŪRVADEVĀ - A Social Science Research Journal

Peer Reviewed Bilingual International Research Journal
The Journal indexed in the UGC-CARE list.

वर्ष 29 * अंक 114-115 (संयुक्तांक)
जुलाई-दिसम्बर, 2023

प्रधान सम्पादक
डॉ. हरिमोहन धवन

मध्यप्रदेश दलित साहित्य अकादमी प्रकाशन

पूर्वदेवा

सामाजिक विज्ञान शोध पत्रिका

PŪRVADEVĀ **A Research Journal of Social Sciences**

Peer Revied Bilingual International Research Journal
This Journal is included in the UGC-Consortium for Academic and Research Ethics

वर्ष 29, अंक 114-115 **जुलाई-दिसम्बर, 2023**

❒

प्रधान सम्पादक

डॉ. हरिमोहन धवन

❒

प्रकाशक

पी.सी. बैरवा

मध्यप्रदेश दलित साहित्य अकादमी

बाण भट्टमार्ग, सेन्ट्रल स्कूल के सामने, उज्जैन (म.प्र) 456010

दूरभाष (0734) 2518737

E-mail : mpdsaujn@gmail.com Website : www.mpdsa.org

पूर्वदेवा

सामाजिक विज्ञान शोध पत्रिका

परामर्श मण्डल

डॉ. प्रकाश बरतुनिया
कुलाधिपति– बाबा साहेब अम्बेडकर केन्द्रीय विश्वविद्यालय, लखनऊ

डॉ. अनिल दत्त मिश्रा
प्रतिष्ठित गांधीवादी विद्वान व वरिष्ठ उपाध्यक्ष, सुलभ अन्तर्राष्ट्रीय सामाजिक सेवा संगठन, नईदिल्ली

डॉ. रामगोपाल सिंह
पूर्व आचार्य, डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, महू (म.प्र.)

डॉ. जयप्रकाश कर्दम
वरिष्ठ साहित्यकार एवं सम्पादक, दलित साहित्य वार्षिकी, नईदिल्ली

डॉ. रमेशचन्द्र जाटवा
पूर्व अतिरिक्त संचालक, उज्जैन संभाग, उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश

डॉ. डी. डी. बेदिया
आचार्य एवं निदेशक, व्यवसाय प्रबंध संस्थान, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

सम्पादक मण्डल

डॉ. ज्ञानचन्द्र खिमेसरा
पूर्व आचार्य अर्थशास्त्र व प्राचार्य, शास.स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मन्दसौर

डॉ. प्रभा श्रीनिवासुलु
पूर्व आचार्य इतिहास व प्राचार्य, शास. माधव महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)

डॉ. शैलेन्द्र पाराशर
पूर्व आचार्य समाजशास्त्र व अध्यक्ष, डॉ. अम्बेडकर पीठ, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

डॉ. एच.एम. बरूआ
पूर्व आचार्य, समाजशास्त्र, शास. कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, उज्जैन

डॉ. अरूण कुमार
प्राध्यापक,राजनीति विज्ञान, शासकीय तिलक महाविद्यालय, कटनी (म.प्र.)

प्रधान सम्पादक

डॉ. हरिमोहन धवन
आचार्य, राजनीति विज्ञान व पूर्व प्राचार्य, उच्च शिक्षा विभाग, (म.प्र.)

सह सम्पादक

डॉ. प्रेमलता चुटैल
पूर्व आचार्य, हिन्दी अध्ययनशाला, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

प्रकाशक : पी. सी. बैरवा

© स्वात्वाधिकारी : मध्यप्रदेश दलित साहित्य अकादमी,
बाणभट्ट मार्ग, सेन्ट्रल स्कूल के सामने, उज्जैन (म.प्र.)

इस अंक का मूल्य रूपये 150/–

वित्तीय सहयोग

भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नईदिल्ली

सम्पादन व प्रकाशन सर्वथा अवैतनिक एवं अव्यवसायिक

वर्ष 29, **अंक** 114-115 **जुलाई–दिसम्बर, 2023**

पूर्वदेवा

सामाजिक विज्ञान शोध पत्रिका

वर्ष 29 अंक 114-155 जुलाई–दिसम्बर, 2023

❐ अनुक्रम ❐

1.	वैश्विक राजनीति में महिला भागीदारी और आरक्षण – डॉ. ज्योति सिंह गौतम, अरूण कुमार	1
2.	स्वतन्त्रता संग्राम में हिमाचल प्रदेश की महिलाएँ – डॉ. बनीता रानी	8
3.	सांसद आदर्श ग्राम योजना एवं ग्रामीण विकास : संरचनात्मक स्वरुप का विश्लेषणात्मक अध्ययन – डॉ. सुभाष कुमार, डॉ. प्रतिमा गोंड	15
4.	दलित उत्पीड़न : संस्कृति, परम्परा एवं वर्तमान – डॉ. पंकज सिंह, सुबोध कान्त	25
5.	डॉ. अंबेडकर का उच्च शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण : एक अध्ययन – डॉ. महेश चंद गोठवाल, डॉ. भरत लाल मीणा	33
6.	कोडरमा जनपद (झारखण्ड) के परिवहन तन्त्र का भौगोलिक अध्ययन – डॉ. अतुल कुमार दुबे	44
7.	लोक साहित्य में सांस्कृतिक विविधता के स्वर : उत्तराखण्ड के विशेष संदर्भ में – डॉ. गार्गी लोहनी	51
8.	डी–मार्ट के उपभोक्ताओं की संतुष्टि स्तर का अध्ययन – डॉ. धर्मेन्द्र सिंग, विकास कुमार देवांगन	57
9.	उत्तराखण्ड की बहुसांस्कृतिक विरासत और ग्रामीण समाज : एक ऐतिहासिक अध्ययन – डॉ. दीपा लोहनी	65
10.	प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में रानी अवन्ति बाई की भूमिका – डॉ.राकेश चंदेल	70
11	वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बाल सतसई की उपादेयता – डॉ. वीना छंगानी, राम दयाल बैरवा	84
12.	नगरीकरण का पर्यावरण परिवर्तन पर प्रभाव :एक भौगोलिक अध्ययन (सहारनपुर जनपद के संदर्भ में) – डॉ. सरला भारद्वाज	91

13. भारतीय ज्ञान परम्परा एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति– 2020 99
– डॉ. नेत्रा रावणकर

14. स्वाधीनता आंदोलन में हिंदी साहित्यकारों का योगदान 104
– डॉ. राजेश कुमार

15. भारतीय भाषाओं की सेतुलिपि देवनागरी – रवीन्द्र कुमार 110

16. भारत–चीन सम्बंध : सभ्यतागत एवं सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य के विशेष सन्दर्भ में 116
– करिश्मा

17. स्व–सहायता समूह के माध्यम से बालोदा जिले के डौण्डी लोहारा विकासखण्ड में ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक–सामाजिक सशक्तिकरण का अध्ययन 125
– डॉ.एच.एस.भाटिया, ऋषि सिंह भाटिया

18. भारतीय राजनीति में दलित चेतनाः एक विश्लेषणात्मक अध्ययन 136
– राजबीर सिंह

19- **Women Sanitary workers- A case Study of Mangaluru City of Karnataka** 147
– Alwyn Stephen Misquith, Dr Jayavantha Nayak

20- **An Exploration of Humanism in Khushwant Singh's Train to Pakistan** 157
– Dr. Pramod Kumar

21- **A Study on the Prospects and Challenges of Eco-tourism in Manipur** 164
– Dr. Sukanta Sarkar, Dr. Suman Kalyan Chaudhury & Dr.Saidur Rahman

22- **Elections in the Digital Age Challenges in the Indian Scenario** 172
– Dr. Sunil Devi Kharb, Ms. Mukesh

23- **Compensatory Jurisprudence under Criminal Justice System in India** 187
– Birendra Kumar Tiwari, Rishi Bhargava

पूर्वदेवा में प्रकाशित लेख एवं उनमें व्यक्त विचार लेखकों के निजी विचार है. सम्पादक व प्रकाशक का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है.

पूर्वदेवा– *सामाजिक विज्ञान शोध पत्रिका*
वर्ष 29, अंक, 114–115, जुलाई–दिसम्बर, 2023 पृ. 1–7

UGC Care Listed Journal
ISSN 0974 -1100

वैश्विक राजनीति में महिला भागीदारी और आरक्षण

डॉ. ज्योति सिंह गौतम
असि. प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान, राजकीय महिला महाविद्यालय, झाँसी (उ.प्र.)
Mob. 8840424011

अरूण कुमार
असि. प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान, राजकीय महिला महाविद्यालय, झाँसी (उ.प्र.)
E-mail : arunkumarprajapati9@gmail.com Mob. 70076 00472

सारांश

विश्व उत्पादिका और पोषिका शक्ति के रूप में महिलायें सभ्य समाज का सृजन करती है। महिलाओं को समाज में प्राप्त स्थिति के आधार पर ही प्रायः समाज के भविष्य का निर्धारण किया जाता है। प्राचीन सभ्यताओं के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वैश्विक जगत के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में महिलाओं की सहभागिता का स्तर उच्च था, लेकिन कालान्तर में महिलाओं के प्रति उपेक्षित जीवन मूल्यों के परिणामस्वरूप विश्व जगत में अनेक प्रकार की बुराईयों को पनपने का अवसर प्राप्त हुआ। आज सम्पूर्ण विश्व में लोकतान्त्रिक मूल्यों से सरोबार राजनीतिक व्यवस्थायें सुदृढ़ हो रही है और शासन प्रणाली का लोकतान्त्रिक स्वरूप श्रेष्ठतम रूप धारण कर महिला और पुरुष दोनों को उन्नति तथा उत्थान का समान अवसर प्रदान कर रहा है। लोकतान्त्रिक भावनाओं के अनुरुप सम्पूर्ण विश्व में महिलाओं के विकास एवं कल्याण के लिए आवश्यक स्वतन्त्रता, समानता एवं निर्णयकारी संस्थाओं में भागीदारी हेतु अनेक राजनीतिक अधिकार प्रदान किये गये है। यद्यपि लोकतन्त्र अपने अन्दर जनता की सहभागिता और नियन्त्रण का सार समाहित किये हुये है फिर भी वास्तविक अर्थों में यह तभी जनता का जनता के लिए शासन सिद्ध होगा, जब जनता का प्रत्येक अंग अर्थात् स्त्री और पुरुष दोनों ही लोकतान्त्रिक प्रक्रिया के औपचारिक चरणों का निर्धारण करें, क्योंकि आज भी राजनीतिक अवसरवादिता तथा अति पुरुषवादी राजनीति लोकतान्त्रिक व्यवस्थाओं तक दुनिया की आधी आबादी के प्रतिनिधित्व और सहभागिता के स्तर को बढ़ने नहीं दे रही है। प्रस्तुत शोध लेख ''वैश्विक राजनीति में महिला भागीदारी और आरक्षण' में महिलाओं की विश्व स्तर पर राजनीतिक सहभागिता के तथ्यों का पर्यवेक्षण किया गया है।

मुख्य शब्द– लोकतन्त्र, राजनीतिक सहभागिता, संसद, स्वतन्त्रता राजनीतिक चेतना, योजनायें, महिला।

प्रस्तावना

प्रसिद्ध नारीवादी चिन्तक एवं लेखक सिमोन द बोउवर का कथन है कि– ''नारी पैदा नही होती बल्कि उसे नारी बना दिया जाता है।''[1] विश्व प्रसिद्ध कथन मात्र न होकर एक वाक्य में सम्पूर्ण विश्व के समाजीकरण का यथार्थ है। यद्यपि लोकतन्त्र में राजनीतिक चेतना नई शोध को जन्म देती है और जनता को अधिकार तथा समानता प्राप्त करने के लिए साहस और शक्ति प्रदान करती है। लोकतन्त्र में ही व्यक्ति अपने व्यक्तित्व विकास के लिए आत्मविश्वास एवं महत्वाकांक्षाओं से युक्त होता है। जनता संसद एवं विधानमण्डल रूपी लोकतान्त्रिक साधनों के माध्यम से अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करती है। हाल के दशकों में विश्व भर में जहाँ लोकतान्त्रिक संस्थायें सुदृढ़ हुयी है जिसके कारण अनेकानेक राजनीतिक उन्नति हुई है फिर भी अभी तक लिंगभेद के कारण महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व और सहभागिता प्राप्त नहीं हो सकी है और अभी भी आधी आबादी राजनीतिक परिदृश्य में पुरुषों की तुलना में नगण्य है। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी से आशय निर्वाचन में मतदाता एवं प्रत्याशी के रूप में भागीदारी से लेकर सत्ता तक भागीदारी से है। अर्थात् महिलायें मतदान करें प्रतिनिधि के रुप में निर्वाचित हो, साथ ही राजनीतिक शक्ति सम्बन्धी सभी निर्णयों को प्रभावित भी करें और शासक वर्ग का सदस्य बनकर सक्रिय नेतृत्व का समर्थन या विरोध करें। नार्मन एच.वी.आई. तथा सिड़नी वर्बा के शब्दों में, ''राजनीतिक सहभागिता आमजन मानस की वे विधि सम्मत गतिविधियां है, जिनका उद्देश्य राजनीतिक पदाधिकारियों के चयन और उनके द्वारा लिये जाने वाले निर्णयों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करना होता है।''[2] राजनीति में महिलाओं की भागीदारी उनके जीवन जीने के तरीके में परिवर्तन लाती है। उन्हें पुरुषों के समान आदर–सम्मान प्रदान करते हुये उन्हें पुरुषों के समकक्ष खडा करती है और सशक्तिकरण को नई दिशा प्रदान करती है। राजनीतिक सहभागिता से महिलाओं को उनकी अपनी पहचान प्राप्त होती है जिससे उनका आत्मगौरव व आत्म सम्मान बढ़ता है।

वैश्विक परिदृश्य में यद्यपि वर्तमान समय में लोकतान्त्रिक संस्थाओं का महत्व व्यापक हुआ है और प्रत्येक देश किसी न किसी रुप में अपनी शासन व्यवस्थाओं को लोकतान्त्रिक मूल्यों से जोड़ने का प्रयास करते हुये अपने आपको लोकतान्त्रिक कहलाना पसन्द कर रहा है, लेकिन अधिकांश देशों में पुरुष सत्तात्मक शासन प्रणालियों के अभ्युदय एवं अस्तित्व के कारण सत्ता और शासन की बागडोर पुरुषों के हाथों में ही रही जिसके कारण आधी आबादी के बावजूद जनप्रतिनिधि के रुप में पुरुषों की अपेक्षा सरकार के अंगों विशेषकर संसदों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व नगण्य रहा। संसदों में पुरुष उच्च आकांक्षा और स्त्री उपेक्षा के भाव को नकारा नहीं जा सकता। जनप्रतिनिधियों के विश्व मानचित्र का विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि आज भी लोकतांत्रिक संस्थाओं में महिलाओं की निम्न राजनीतिक भागीदारी, उसकी आत्मनिर्भरता और स्वतन्त्र चिन्तन का अभाव है। यद्यपि पुरुषों द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कार्यों का कुशलतापूर्वक निर्वाहन करने की क्षमता महिलाओं में है, फिर भी परम्परागत संस्कार, रूढ़िवादिता तथा मानसिक पराधीनता जैसे अवगुणों ने उनके व्यवहार और कुशलता में बाधायें खड़ी की है। अनेक बाधाओं को पार करते हुये महिलाओं ने आज अपनी व्यापक सोच और संघर्ष के बल पर अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में अपने अस्तित्व को बनाये रखने में कामयाब हुयी है। अमरीकी राष्ट्रपति

चुनाव का नेतृत्व कर चुकी। हिलेरी क्लिंटन ने माना कि– ''जब तक महिलाओं की आवाज नही सुनी जायेगी तब तक लोकतन्त्र नहीं आ सकता। जब तक महिलाओं को अवसर नहीं दिया जाता तब तक सच्चा लोकतन्त्र नही स्थापित हो सकता।''[3] इण्टर पार्लियामेण्ट यूनियन के आँकड़ों के अनुसार वैश्विक जगत की संसदों (ऊपरी व निम्न सदन) में केवल 17.5 प्रतिशत महिलायें ही है। यद्यपि अधिकांश पुरुष सांसद निरन्तर महिला सशक्तिकरण पर भाषण देते हैं लेकिन जब महिलाओं को नेतृत्व प्रदान करने की बात आती है तो त्याग करने के लिए तैयार नहीं होते है। यह स्थिति स्पष्ट करती है कि राजनीतिक दलों की कथनी और करनी में बड़ा अन्तर है। कानूनी रूप से महिला आरक्षण में सहयोग तो दूर राजनीतिक नेतृत्व हमेशा महिलाओं को ज्यादा टिकट तक प्रदान नहीं करते। जब हम महिलाओं की समानता की बात करते हैं तो प्रायः यह भूल जाते है कि किसी भी वर्ग में समानता के लिए सर्वप्रथम अवसरों की समानता का होना अति आवश्यक है। वर्तमान में महिलाओं ने अपने व्यवहार और कुशलता से यह सिद्ध किया है कि महिलाओं को जब भी राजनीति के निचले पायदान से ऊपरी पायदान तक पहुँचने का अवसर प्राप्त हुआ है तो उन्होंने अपनी योग्यताओं एवं क्षमताओं का बेहतर प्रदर्शन किया है।

उपनिवेषवादी संस्कृति और बेड़ियों से जब अनेक देश मुक्त हुये तो उन्होंने लोकतन्त्रात्मक संरचनाओं को अपनाया और 1945 में वैश्विक जगत में सिर्फ 26 संसदे थी जिनमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व मात्र 3 प्रतिशत था। यद्यपि बाद के वर्षों में संसदों की संख्या में तो वृद्धि हुयी लेकिन महिला प्रतिनिधित्व व सहभागिता में कोई विशेष प्रगति नहीं हुयी। 1995 में एक ओर जहाँ सम्पूर्ण विश्व में 176 देशों में संसदों की स्थापना हुयी वहीं दूसरी ओर महिला सांसदों की संख्या 11.8 प्रतिशत के लगभग थी। विश्व के बड़े देशों में महिलाओं का राष्ट्रीय संसदों में महिलाओं की सहभागिता का स्तर एक जैसा नहीं था। प्रायः प्रत्येक देश की अपनी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, भौगोलिक, धार्मिक, भाषाई, लिंग आदि की स्थिति अलग–अलग होती है जिसका प्रभाव जनप्रतिनिधित्व पर पड़ता है। इसके साथ ही कुछ सामाजिक परिस्थितियां भी होती है जिन्होंने राष्ट्रों के समक्ष अनेक ज्वलन्त मुद्दे प्रस्तुत किये।[4] इन्हीं परिस्थितियों के आधार पर विश्व के महाद्वीपों के दोनों सदनों में महिलाओं की भागीदारी का आंकलन किया गया है–

क्र.सं.	महाद्वीप	निम्न सदन	उच्च सदन	संयुक्त सदन
1.	उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका	28.9%	29.7%	29.0%
2.	यूरोप	27.6%	27.0%	27.5%
3.	अफ्रीका महाद्वीप	23.7%	27.7%	27.6%
4.	एशिया	19.8%	17.7%	19.2%
5.	अरब राज्य	18.8%	12.6%	17.2%
6.	प्रशान्त महासागरीय देश	15.6%	37.1%	18.8%

स्रोत– अन्तर संसदीय संघ–2021

विश्व की कुछ संसदों पर यदि नजर डाले तो हम पाते हैं कि बुरूण्डी में 38.2 प्रतिशत, फ्रांस में 37.8 प्रतिशत, आस्ट्रिया में 40.4 प्रतिशत, गुयाना में 36.6 प्रतिशत ब्रिटेन में 34.5 प्रतिशत, वियतनाम में 30.3 प्रतिशत, अमेरिका में 29.4 प्रतिशत, बांग्लादेश में 20.9 प्रतिशत, पाकिस्तान में 20.5 प्रतिशत, भूटान में 17.4 प्रतिशत तथा भारत में 15.1 प्रतिशत महिलाओं का संसद के दोनों सदनों में संयुक्त रुप से भागीदारी है। वर्तमान समय में सम्पूर्ण विश्व में 193 ऐसे राष्ट्र है, जहाँ जनप्रतिनिधित्व को शासन संचालन का आधार बनाया गया है अर्थात् इन देशों में राजनीतिक व्यवस्था का संचालन जनता द्वारा चुने हुये प्रतिनिधियों के माध्यम से किया जाता है और इन देशों में कुछ को छोड़कर अधिकांश देशों में द्विसदनीय व्यवस्थाओं का सूत्रपात किया गया है। विश्व के दस प्रमुख देशों के संसदीय सोपानों का अध्ययन करने से पता चलता है कि महिला प्रतिनिधियों की संसदों में उत्तरोत्तर वृद्धि हुयी है।[5] परिणामस्वरूप उनकी नेतृत्व शक्ति तथा राजनीतिक चेतना में तीव्रता आयी हैः जिसका प्रभाव उनके व्यक्तित्व पर पड़ा है।

रैंक	देश	निम्न सदन			उच्च सदन		
		कुल स्थान	महिला	प्रतिशत	कुल स्थान	महिला	प्रतिशत
1.	स्वांडा	80	49	61.3	26	9	34.6
2.	क्यूबा	586	313	53.4	.	.	.
3.	निकारागुआ	91	47	51.7	.	.	.
4.	मैक्सिको	500	250	50.0	127	64	50.4
5.	न्यूजीलैण्ड	120	60	50.0	.	.	.
6.	संयुक्त अरब अमीरात	40	20	50.0	.	.	.
7.	आइसलैण्ड	63	30	47.6	.	.	.
8.	कोस्टारिका	57	27	47.4	.	.	.
9.	स्वीडन	349	162	46.4	.	.	.
10	दक्षिणअफ्रीका	400	185	46.3	54	24	44.4

स्रोत– अन्तर संसदीय संघ–2021

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि निम्न सदन में महिलाओं की भागीदारी में छः ऐसे देश है जिनमें प्रतिनिधित्व 50 प्रतिशत या उससे अधिक है, परन्तु उच्च सदन में मैक्सिकों के अतिरिक्त अन्य देशों में महिला भागीदारी का स्तर 50 प्रतिशत से कम है। वैश्विक जगत में यमन एक मात्र देश है जहाँ महिलाओं की संसदों में भागीदारी शून्य है जबकि वनुआतु, तुवालु, पलाऊ और माइक्रोनेशिया के निम्न सदनों में क्रमशः 1–1 महिला सांसदों की उपस्थिति है। विश्व में आस्ट्रेलिया (56.6:), बोलिविया (55.6:), और कनाड़ा (51.6:), ऐसे देश है जिनके उच्च सदन में महिला भागीदारी का प्रतिशत 50 से ऊपर है।

विश्व के 50 देशों में महिला सांसदों की कुल संख्या के 30 प्रतिशत से अधिक है। एशियाई देशों में महिला भागीदारी को निम्नतालिका के माध्यम से समझा जा सकता है–

क्र.सं.	देश	कुल स्थान	महिला	प्रतिशत
1.	नेपाल	275	91	33.1%
2.	चीन	2975	742	24.9%
3.	इण्डोनशिया	575	124	21.6%
4.	बांग्लादेश	350	73	20.9%
5.	पाकिस्तान	342	70	20.5%
6.	भूटान	46	08	17.4%
7.	भारत	543	82	15.1%
8.	मलेशिया	222	30	13.5%
9.	श्रीलंका	225	12	5.3%
10.	मालदीव	87	04	4.6%

स्रोत– अन्तर संसदीय संघ–2021

उपर्युक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि राजनीति में महिला भागीदारी के स्तर पर एशियाई देशों में नेपाल उच्च स्थिति में है। यद्यपि चीन में जितनी महिलायें संसद में प्रतिनिधित्व करती है, उतनी विश्व के किसी भी देश में नहीं है, लेकिन चीन में कुल स्थानों के सापेक्ष अभी भी महिला सहभागिता का स्तर संतोषजनक नहीं है। भारत संसद में महिला प्रतिनिधित्व के मामले में वैश्विक स्तर पर नीचे से 20वें स्थान पर है।[6]

भारतीय राजनीति और महिला भागीदारी– भारत की विश्व के सर्वाधिक व्यापक एवं सुदृढ़ लोकतन्त्र के रूप में प्रतिष्ठा है। जहाँ पश्चिमी देशों में महिलाओं को अपने राजनीतिक अधिकार के लिए लम्बे समय तक संघर्ष करना पड़ा, वही भारत में स्वतन्त्रता पश्चात् नव निर्मित संविधान द्वारा महिलाओं को समान अधिकार प्रदान कर राजनीति में उनकी समान सहभागिता को सुनिश्चित किया गया लेकिन यह बड़ा ही कष्टप्रद तथ्य है कि स्वतन्त्रता के सत्तर दशक उपरान्त भी आधी आबादी राजनीति परिदृश्य में पुरुषों की तुलना में नगण्य है। 1952 के प्रथम लोकसभा निर्वाचन में महिला सदस्य संख्या मात्र 22 थी, जो धीरे–धीरे 2019 में अपने सर्वाधिक संख्या के रूप में 82 तक पहुँच गयी है।[7] परन्तु यह संख्या महिलाओं को प्रतिनिधित्व में समानता के अधिकार को पूर्ण नहीं करती है। लोकसभा के विपरीत राज्य सभा में महिलाओं की भागीदारी निम्न स्तर पर है। 1952 से लेकर अब तक की स्थिति पर नजर डाले तो पाते है कि प्रथम चुनाव में 15 सदस्य (6.9:) महिलायें राज्य सभा में पहुँची तथा वर्तमान में 26 सदस्य अर्थात् 10.83 प्रतिशत महिलायें उच्च सदन की सदस्य है।

इस तरह स्पष्ट है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों में महिलाओं की भागीदारी लगभग 12 प्रतिशत है। भारत विश्व के उन देशों में शामिल है जहाँ महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी नगण्य है। एक ओर जहाँ भारतीय संसद में 12 प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व है वहीं दूसरी ओर मैक्सिकों में 60 प्रतिशत तथा जर्मनी व आस्ट्रेलिया जैसे देशों में 40 प्रतिशत है।[8] इससे स्पष्ट होता है कि भारत में महिलाओं के उत्थान एवं विकास के लिए उनको प्रोत्साहित करना आवश्यक है।

विश्व की संसदों में महिला आरक्षण– वैश्विक जगत में ऐसे अनेक देश है, जिन्होंने राजनीति में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि करने के उद्देश्य से संवैधानिक संशोधनों या कानूनों में परिवर्तन लाकर महिला आरक्षण का प्रावधान किया लेकिन भारतीय लोकतन्त्र में महिला प्रतिनिधित्व हेतु कोई आरक्षण नहीं है। स्वीडन की इन्टरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इलेक्ट्रोल एसिस्टेंस के अनुसार अनेक ऐसे राष्ट्र है जहाँ राजनीतिक दलों ने पहल करते हुये महिलाओं के लिए टिकट देते समय कोटे की व्यवस्था की है, परन्तु इसी संस्था ने स्पष्ट किया कि चीन, श्रीलंका, म्यांमार में महिलाओं को कोई आरक्षण नहीं दिया गया है। एशिया में इण्डोनेशिया, किर्गिस्तन और उजबेकिस्तान में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत सीटे आरक्षित है।[9]

यूरोप के स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस सहित 8 ऐसे देश है जिनमें महिलाओं की संसद में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गयी है। यूरोपीय देशों के समान अफ्रीकी देशों खांडा में 30 प्रतिशत, नाइजेर में 10 प्रतिशत, सूडान में 442 में से 60 सीटे महिलाओं के लिए आरक्षित की गयी है। अभी हाल ही में लैटिन अमरीका के 4 देशों के संविधान में संशोधन कर महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देना सुनिश्चित किया गया है।[10]

भारत के पड़ोसी देशों (पाकिस्तान, नेपाल व बांग्लादेश) में महिलाओं के लिए संसद में सीटे आरक्षित की गयी है। पाकिस्तान की नेशनल असेम्बली की 342 सीटों में 62 सीटें, बांग्लादेश की संसद में निर्धारित 345 सीटों में से 45 सीटे आरक्षित है जबकि नेपाल में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। भारत में महिला आरक्षण का मुद्दा सबसे गम्भीर है। सर्वप्रथम 1974 में संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को लेकर आरक्षण सम्बन्धी मांग महिलाओं के आंकलन सम्बन्धी समिति के समक्ष उठायी गयी थी। 1996 में महिला आरक्षण विधेयक को एच.डी. देवगौड़ा सरकार ने सर्वप्रथम 81वें संविधान विधेयक के रूप में संसद में पेश किया था लेकिन सरकार के अल्पमत में आने के कारण इसे भंग कर दिया गया। तत्पश्चात् इस विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति की निगरानी में रखा गया। समिति की अध्यक्ष गीता मुखर्जी ने इस सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट दिसम्बर 1996 में प्रस्तुत की। तत्पश्चात् राष्ट्रीय जनतान्त्रिक गठबन्धन सरकार द्वारा 1998, 1999 तथा 2002 में यह विधेयक प्रस्तुत किया गया। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा पुनः इस विधेयक को लाने की दो बार असफल कोशिश की गयी। 2005 में यू.पी.ए. सरकार द्वारा इस विधेयक के सम्बन्ध में सर्वसम्मति बनाने की कोशिश की गयी परन्तु इसमें कोई प्रगति नहीं हुयी। 2008 में मनमोहन सरकार द्वारा लोकसभा और विधान सभाओं में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण सम्बन्धी 108वां संविधान संशोधन विधेयक राज्यसभा में पेश किया गया और 2010 में अनेक विरोधों के पश्चात् यह बिल राज्यसभा में पारित किया गया, लेकिन यह बिल लोकसभा में मनमोहन सरकार की 262 सीटे होने के कारण पारित नहीं हो सका और आज भी वही स्थिति है। इस विधेयक के विरोध के पीछे तर्क यह है कि राजनीतिक दल पिछड़ी महिलाओं को महिला आरक्षण के अन्दर आरक्षण की मांग करते हैं।

निष्कर्ष– विश्व और भारत की राजनीतिक संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी के अवलोकन से हम पाते हैं कि विश्व की संसदों में ऐसी अनेक महिलायें थी जिनकी भागीदारी तथा जिनका व्यक्तित्व–कृतित्व इतना महत्वपूर्ण रहा कि न सिर्फ अपने देश में बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना तथा अपने देश का गौरव बढ़ाया है। श्रीमती सिरिमाओ भण्डार नायके (श्रीलंका) विश्व

की पहली महिल प्रधानमंत्री, गोल्डा मायर (इजराइल), मारग्रेट थैचर (ब्रिटेन) तथा श्रीमती इन्द्रिरा गांधी भी भारत की पहली प्रधानमंत्री बनी। इन महिला राजनीतिज्ञों ने अपने कुशल नेतृत्व में देश को नये मुकाम तक पहुंचाया। इस तरह अनेक महिलाओं ने राजनीति में अकेले ही संघर्षरत होकर अलग पहचान बनायी है। वे अपने पुरुष साथी को पीछे छोड़कर आगे बढ़ी और इतिहास का निर्माण किया। अतः यदि राजनीति में महिला सहभागिता का स्तर बढ़ता है तो देश की राजनीति में युगान्तकारी परिवर्तन देखने को मिलेगें।

❒

सन्दर्भ –

1. *तिवारी, कणिका (2015), 'महिला सशक्तिकरण का आत्मलोकन'; कुरूक्षेत्र अगस्त 2015, पृ.4.*
2. *जेटली, ममता एवं भार्मा, प्रकाश (2016), 'आधी आबादी का संघर्ष'; राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली।*
3. *जैन, पूर्णिमा (2018), 'जेण्डर जस्टिस एण्ड इंक्लुजन'; रावत पब्लिकेशन, जयपुर।*
4. *नामदेव, अरूण (2017), 'समावेशी लोकतंत्र : आदर्श और यथार्थ'; योजना अगस्त, पृ.53.*
5. *मीणा, मुन्नालाल (2013), 'सशक्तिकरण की मौन क्रान्ति'; योजना अगस्त, पृ.32.*
6. *शर्मा, कल्पना (2019), 'महिला आरक्षण करेगा असर धीरे–धीरे'; दैनिक हिन्दुस्तान सम्पादकीय जुलाई–22, पृ.8.*
7. *चतुर्वेदी, मीनाक्षी (2014), 'महिला नेतृत्व एवं राजनीतिक सहभागिता'; अविष्कार पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स, जयपुर।*
8. *लोकतन्त्र समीक्षा, चुनाव में महिलाओं की सहभागिता, संयुक्त अंक जनवरी– दिसम्बर, 2014.*
9. *पाटनी, सुशीला (2017), 'वीमैन पॉलिटिकल इलीट सर्च फॉर आइडेन्टिडी,; जयपुर प्रिन्टवेल, जयपुर।*
10. *डॉ. प्रसाद, आनन्दी (2020), 'संसद में महिलाओं की भागीदारी और आरक्षण'; चिन्तन सृजन शोध पत्रिका, जुलाई–दिसम्बर अंक।*

पूर्वदेवा– सामाजिक विज्ञान शोध पत्रिका
वर्ष 29, अंक, 114–115, जुलाई–दिसम्बर, 2023 पृ. 8–14

UGC Care Listed Journal
ISSN 0974 -1100

स्वतंत्रता संग्राम में हिमाचल प्रदेश की महिलाएँ

डॉ. बनीता रानी
प्रवक्ता इतिहास, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बलग, जिला शिमला, (हि.प्र.) 171226,
E-mail.id- ranibani91@gmail.com, Mob. 9816601124.

भूमिका

1857–1947 तक चले भारत की स्वतन्त्रता के संग्राम में जहाँ अनेकों पुरुषों ने अपना योगदान दिया, वहीं अनेक नवयुवकों ने भी इस दौरान अपनी सहभागिता निभाई। ध्यातव्य है कि इस स्वतन्त्रता संग्राम में अनेकों महिलाओं ने भी बढ़–चढ़ कर हिस्सा लिया है। जिनमें से कुछेक महिला स्वतन्त्रता सेनानियों का नाम तो इतिहास में दर्ज है। लेकिन इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं लगाया जाना चाहिए कि जिन महिलाओं का नाम इतिहास की पुस्तकों में दर्ज नहीं है, उनका देश की स्वतन्त्रता संग्राम में कोई योगदान ही नहीं है क्योंकि महिला परिवार की नींव होती है। इन्हीं का योगदान रहा है कि इनके परिवारों के पुरुष स्वाधीनता संग्राम में अपने परिवारों को छोड़ कर अपनी भूमिका निभा पाए। स्वतन्त्रता सेनानियों के माँ–बाप व बच्चों की जिम्मेदारी निभाने वाली महिलाएँ प्रत्यक्ष न सही परंतु अप्रत्यक्ष रूप से स्वतन्त्रता संग्राम में भागीदार अवश्य रही है। हालांकि इतिहास लेखन में इनको वह प्रशंसा नहीं मिली जिस प्रशंसा की वे सब महिलाएँ अधिकारी थी। इस शोध पत्र के माध्यम से हिमाचल की कुछेक महिला स्वतन्त्रता सेनानियों का वर्णन किया जा रहा है।

सन् 1857 की क्रांति का एक दृष्टांत

प्राप्त जानकारी के अनुसार शिमला में जहाँ एक दूध बेचने वाले एक व्यक्ति पर उसके द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध किए गए रोषपूर्ण व्यवहार प्रदर्शित करने के कारण जुर्माना लगाया गया था, वहीं एक घरेलू नौकरानी को भी अंग्रेजों के विरुद्ध व्यवहार प्रदर्शित करने के कारण नौकरी से निकाल दिया गया था।[1] इसी उदाहरण से जहाँ एक ओर जन–सामान्य का अपने ही स्तर पर किया जा रहा अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध दिखाई देता है वहीं दूसरी ओर महिला के दमदार साहस की भी झलक देखने को मिलती है।

1862 में जब सुकेत रियासत में भ्रष्ट तथा दमनकारी वजीरों के विरोध में भारी जन–आंदोलन हुआ तो उस आंदोलन में उस क्षेत्र के स्त्री–पुरुष, बुजुर्ग, छोटे–बड़े सभी लोगों

ने बिना किसी भेद–भाव के भाग लिया था। इस दौरान महिलाओं ने आंदोलनकारियों के लिए भोजन और वस्त्र आदि का प्रबंध किया था।[2] इस प्रकार की भागीदारी न जाने कितनी ही महिलाओं ने स्वतन्त्रता संग्राम में दी होगी। ध्यान से देखा व सोचा जाये तो रोटी, कपड़ा और मकान अर्थात शरणस्थल जैसी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करवाना अपने आप में एक बड़ा योगदान होता था ताकि स्वतन्त्रता सेनानी किसी भी कारण–वश अपने लक्ष्य से विचलित न हो पाए।

प्रत्यक्ष रूप से स्वतन्त्रता संग्राम में कूदने वाली हिमाचल की महिलाएँ

इस संदर्भ में सर्वप्रथम नाम लिया जा सकता है माता दुर्गाबाई आर्य का। जिन्होंने अपने पति लक्ष्मण दास आर्य के साथ ही 1905ई० में राष्ट्रीय स्वतन्त्रता संग्राम में प्रवेश किया था। इससे पूर्व लक्ष्मण दास आर्य धर्मशाला में पुलिस की नौकरी कर रहे थे। जिसे उन्होंने भगतसिंह के चाचा अजीत सिंह के प्रभाव तथा अपनी माता की प्रेरणा से छोड़ दिया और सम्पूर्ण भाव से स्वतन्त्रता संग्राम में कूद पड़े। इसी दौरान उनकी पत्नी दुर्गाबाई आर्य भी स्वतन्त्रता संग्राम में जुड़ गयी।[3]

सन् 1908 में माता दुर्गाबाई के पति को जब पुलिस ने गिरफ्तार किया तो वह और भी क्रांतिकारी बन कर उभरी। वह एक निर्भय एवं निडर स्वभाव की महिला थी। सन् 1912 में उन्होंने आर्य समाज में प्रवेश किया तथा ऊना में आर्य महिला मण्डल का गठन किया। इसके साथ ही उन्होंने ऊना तथा उसके आस–पास के क्षेत्रों में महिला कल्याण तथा समाज सुधार के कार्य प्रारम्भ किए।[4] सन् 1919 में महात्मा गांधी के आह्वान पर देशभर की सभी राष्ट्रवादी शक्तियों, संगठनों और संस्थाओं ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अपना प्रतिनिधि संगठन मान लिया। ध्यानाकर्षणीय है कि उस समय की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अर्थ भारत की एकता को प्रदर्शित करने वाले उस विशाल जन–समूह से है जो अपने देश को अंग्रेजों की दासता से स्वतंत्र कराने हेतु एक मंच पर आकर संघर्ष कर रहा था। अतः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्तमान स्वरूप और स्वतन्त्रता संग्राम के दौरान के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्वरूप में अंतर है।

सन् 1919 के दौरान बाबा लक्ष्मण दास आर्य और माता दुर्गाबाई आर्य ने महात्मा गांधी के कहने पर परिवार सहित खादी का व्रत लिया। उनके इस व्रत की दृढ़ता को उनके कनिष्ट सुपुत्र सत्यभूषण शास्त्री की इन बातों से समझा जा सकता है कि जब भी पुलिस उनके पुत्रों को गिरफ्तार करने आती थी तो उनकी माता अपने हाथों से खादी के धागों से मालाएँ बना कर उनके गले में डाल कर उन्हें विदा करती थी। इसके अतिरिक्त जब उनके पुत्रों का विवाह हुआ तब भी उन्होंने लड़की वालों के समक्ष यही एक बात रखी थी कि विवाह में पूर्णतः खादी वस्त्र ही उपयोग में लाये जाएंगे।[5] अतः स्पष्ट ज्ञात होता है कि उन्होंने खादी व स्वदेशी के संकल्प को पूरी तरह से अपने जीवन में अपना लिया था। सन् 1919 के दौरान उन दोनों पति–पत्नी ने ऊना शहर और उसके आस–पास के क्षेत्रों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनेक सदस्य बनाए अर्थात स्वतन्त्रता संग्राम में शामिल होने के लिए उन्होंने लोगों को प्रेरित किया। साथ ही नगर में भारी जलूस निकाले गए। इसके साथ ही दुर्गाबाई आर्य ने ऊना में महिला खादी संगठन की स्थापना की और उन्होंने महिलाओं को एकत्रित करके उन्हें सूत कातना, दरी बुनना, वस्त्र बनाना सिखाना आरंभ किया।[6]

असहयोग आंदोलन के दौरान माता दुर्गाबाई आर्य की भागीदारी

दुर्गाबाई आर्य ने असहयोग आंदोलन का नेतृत्व ऊना में अपने पति के साथ मिलकर संभाला। जहाँ अनेकों स्थानों पर जलसे और जलूस निकाले गए, वहीं इस समय विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करते हुए विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई और सारे ऊना क्षेत्र में खादी का प्रचार किया गया।[7] 13 मार्च 1922 में जब गांधी जी की गिरफ्तारी हुई तो उस पर आक्रोश व्यक्त करते हुए दुर्गाबाई ने आनंदपुर साहिब में वस्त्रों की होली जलाई और महिलाओं के भारी जलूस का नेतृत्व किया तथा साथ ही शराब के ठेके की बोतलें तोड़ी। इस दौरान कामागाटामारू जहाज के कप्तान दीवान पोहलों राम की पत्नी **जमना देवी** भी दुर्गाबाई के साथ थी। इस प्रकार के आक्रोश प्रदर्शन के फलस्वरूप उन दोनों महिलाओं को दो–दो महीने कारागार की सजा भी भुगतनी पड़ी।[8]

सन् 1930 में चले सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान माता दुर्गाबाई आर्य के पति और उनके सबसे बड़े पुत्र सत्यप्रकाश 'बागी' को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन दुर्गाबाई ने धैर्य एवं साहस के साथ इसी दौरान ऊना में महिला मण्डल की स्थापना की और घर–घर जाकर प्रत्येक माँ से यह आग्रह किया कि वह अपना एक–एक पुत्र देश की स्वतन्त्रता संग्राम की लड़ाई हेतु प्रदान करें।[9] अतः माता दुर्गाबाई आर्य ने स्वतन्त्रता संग्राम के लिए महिलाओं को जागरूक करने में अपनी प्रमुख भूमिका निभाई। जिसके लिए उन्होंने अपने परिवार का उदाहरण उनके समक्ष रखा जैसा कि माता दुर्गाबाई आर्य के सबसे छोटे पुत्र सत्यभूषण शास्त्री भी बताते है।

सन् 1935 के दौरान ऊना में माता दुर्गाबाई आर्य ने महिला कांग्रेस का एक सुदृढ़ संगठन बना कर गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम में भाग लिया।[10] तद्पश्चात भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी वह महिला कांग्रेस को अपना नेतृत्व प्रदान कर रही थी।[11] अतः इस प्रकार माता दुर्गाबाई आर्य स्वाधीनता संग्राम में विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से अपनी भूमिका निभाती रही। सत्यभूषण शास्त्री बताते है कि वह स्वयं सात वर्ष की आयु में स्वतन्त्रता संग्राम में अपना सहयोग देने लग पड़े थे। जिसके लिए प्रेरणा का स्रोत रही है उनकी माता की लोरिया। जोकि सदैव देशभक्ति के गीत तथा नारों के रूप में होती थी। उनके अनुसार इंकलाब जिंदाबाद का नारा, 'उठ जाग मुसाफिर, भौर भई', 'कदम–कदम बढ़ाए जा', 'मेरा रंग दे बसंती चोला', 'सरफरोशी की तमन्ना', जैसे गीत लोरियों के रूप में माँ सुनाती थी और याद रखने को कहती। तत्पश्चात इन गीतों को पूरे परिवार तथा अन्य लोगों के साथ मिलकर सुबह–सबेरे प्रभात फेरियों में गाया जाता और इन देश भक्ति के गीतों के माध्यम से लोगों को आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जाता था।[12] अतः सत्य भूषण शास्त्री का इतनी छोटी आयु में तथा इनसे बड़े भाइयों का भी देश भक्त बनना, देशभक्त माता–पिता के संस्कारों का ही परिणाम है।

ध्यातव्य है कि माता दुर्गाबाई आर्य संभवत वर्तमान हिमाचल प्रदेश की प्रथम महिला रही जिन्होंने स्वतन्त्रता संग्राम में जहां स्वयं प्रखर भूमिका निभाई, जेल गयी, यातनाएं सही, साथ ही स्वदेशी व वहिष्कार आंदोलनों में भागीदार बनी और रचनात्मक व समाज सुधारक कार्यों में जैसे छुआ–छूत तथा महिला कल्याण में संलग्न रही। वहीं उनका पूरा परिवार पति तथा तीनों पुत्र भी देश भक्ति की मिसाल प्रस्तुत करने वाले किरदार रहे है। अतः यदि इस पूरे परिवार को देशभक्त परिवार कहा जाए तो इसमें कोई आतिशयोक्ति नहीं है।

माता दुर्गाबाई आर्य के पश्चात स्वतन्त्रता संग्राम में कूदने वाली दूसरी महिला रानी ललिता कुमारी थी जो मूलतः मण्डी रियासत की रानी थी। इन्हें रानी खैरागढ़ी के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त थी। सन् 1912 में पति राजा भवानी सेन की मृत्यु के बाद विधवा रानी खैरागढ़ी ने राज्य वैभव को त्याग कर राष्ट्रीय स्वतन्त्रता संग्राम में सक्रिय रहने का मार्ग चुन लिया। उन्होंने लाला लाजपत राय से संबधित क्रांतिकारी संगठन को मण्डी में जहां अपना नेतृत्व प्रदान किया, वहीं संगठन को अपना आर्थिक सहयोग भी दिया। कहा जाता है कि दिसंबर 1914 ई. में मण्डी में क्रांतिकारी संगठन ने अपनी गतिविधियां तेज कर दी थी। उस दौरान मण्डी और सुकेत में गदर पार्टी के पैम्फलेट जैसे गदर की गूंज, गदर संदेश, ऐलान–ए–जंग, हिंदुस्तान हमारा, भारत माता की फरियाद इत्यादि क्रांतिकारी साहित्य स्थानीय क्रांतिकारियों में बांटा जाता था। जिससे क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा मिला। परिणामतः मण्डी में भी बम बनाए जाने लगे और पंजाब से भी मँगवाए जाने लगे। इस दौरान रानी खैरागढ़ी ने भी कई अन्य देशभक्तों के साथ–साथ आंदोलन को बहुत सी वित्तीय सहायता प्रदान की थी। ऐसी गतिविधियों के फलस्वरूप रानी को उनकी रियासत से अँग्रेजी सरकार द्वारा निष्कासित कर दिया गया।[13] लेकिन रानी खैरागढ़ी रुकी नहीं। बल्कि लखनऊ जाकर वहाँ से स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लेने लगी। इसके साथ ही उन्होने वहाँ कई समाज सुधार के कार्य भी किए।[14]

इसी दौरान हरदेव राम बम्बई से आकर मण्डी में प्रेरक क्रांतिकारी के रूप में मण्डी, सुकेत और कांगड़ा में क्रांति का संदेश फैलाते रहे। लेकिन जब उन पर अन्य क्रांतिकारियों सहित अँग्रेजी सरकार ने दमन चक्र चलाया और हरदेव राम के घर छापा मारा। तब उन्होंने गदर पार्टी का सारा साहित्य पड़ोस में ही अपनी भतीजी के घर छुपा दिया और स्वयं पुलिस के घेराव से बच निकले।[15] ध्यातव्य है कि हरदेव राम की भतीजी द्वारा दी गयी यह सहायता किसी भी प्रकार से कम नहीं थी क्योंकि यदि वह इस दौरान पकड़ी जाती तो अवश्य वह अँग्रेजी सरकार से सजा पाती। लेकिन स्वतन्त्रता संग्राम के प्रति समर्पण भाव ही ऐसी कई महिलाओं को साहस देता था। दूसरी ओर रानी खैरागढ़ी के समान ही, 1927ई. की शुरूआत में ठियोग रियासत में जब विद्रोह की अग्नि धधकी, तब ठियोग रियासत की राजमाता और युवराज कर्मचंद ने भी महल से बाहर आकर खुलकर जनता का समर्थन किया।[16]

चम्बा की कुछ महिला आंदोलनकारी–

सन् 1933 में गांधी के रचनात्मक कार्यक्रम में आर्य समाज ने अपना विशेष योगदान दिया। इस दौरान हिमाचल की आर्य समाजी संस्थाओं के विभिन्न अधिवेशन विभिन्न स्थानों पर हो रहे थे। इसी समय चम्बा रियासत की कुछ महिला आंदोलनकारियों ने गुरदासपुर में एक विशाल महिला सम्मेलन में भाग लिया और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करते हुए उनकी होली जलाई। इस प्रदर्शन में चम्बा के 14 वर्षीय युवा, जिनका नाम सौदागर मल था, भी अपनी माता के साथ गए थे। उस आंदोलन के दौरान उस पुत्र सहित माता को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके खुली जेल में रखा गया। उसी समय से सौदागर मल स्वाधीनता संग्राम में शामिल हो गए। जिन्होंने कई बार जेलों में जाकर ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गयी यातनाओं को सहा।[17] अतः यह अन्य एक प्रत्यक्ष व स्पष्ट उदाहरण है जहाँ माँ के द्वारा प्रेरित व उत्साहित पुत्र देश की स्वतन्त्रता प्रप्ति हेतु समर्पित हुआ। हालांकि ऐसी न जाने कितनी माताएँ व बहनें रही होंगी जिन्होंने स्वयं

अपने भाई, पति व पुत्रों को देश की स्वतन्त्रता के लिए लड़ने हेतु प्रेरित किया होगा। लेकिन दुर्भाग्यवश उनके नाम इतिहास में संकलित हुए बिना ही रह गए।

व्यक्तिगत सत्यागृह के दौरान महिला भागीदारी

जब व्यक्तिगत सत्याग्रह देश में चला तब हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा क्षेत्र में पुरुषों के साथ–साथ स्त्रियों ने भी उसमें सक्रिय रूप से भाग लिया। जिनमें से कुछेक के नाम हैय– **सरला शर्मा** (पंडित परस राम की पत्नी) जिन्हें कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कारावास की सजा भुगतानी पड़ी थी[18], **रामरखी** (पहाड़ी गांधी– बाबा कांशी राम की भतीजी), जिन्होंने कि 13 अक्तूबर 1943 को बाबा कांशी राम के देहांत के बाद उनकी स्वतन्त्रता संग्राम की बागडोर को संभाला और राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भाग लिया[19], **सुशीला दीदी** (बद्राण) ने कांगड़ा क्षेत्र में स्त्रियों में राजनीतिक जागृति पैदा करने के कार्य किया। शिमला में राजकुमारी अमृतकौर, ऊना के ओयल आश्रम में मीरा वेन और ठियोग में मियां खड़क सिंह की पुत्री देववती ने स्त्री समाज में जागृति लाने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया।[20] साथ ही देववती ने राणा कर्मचंद के शासन के विरुद्ध जोरदार आंदोलन भी चलाया था।[21] सन् 1941 के दौरान डाडा सिब्बा की रामरखी और बद्राण की सुशीला व्यक्तिग्रह सत्याग्रह के सत्याग्रही चुने गए थे। उन्होंने गांव–गांव जाकर लोगों को चरखा कातने और अन्य रचनात्मक कार्यों की शिक्षा दी थी।[22]

एक अन्य महिला स्वतन्त्रता सेनानी सरला शर्मा जिनका वर्णन पूर्वोक्त पंक्तियों में भी किया जा चुका है, को 1943ई. में बैजनाथ की जनसभा में भड़कीला भाषण देने के कारण देने के कारण गिरफ्तार करके पहले तो धर्मशाला जेल में रखा गया। तदुपरान्त लाहौर जेल में भेज दिया गया।[23] वह राष्ट्रीय नेता मृदुला साराबाई के नेतृत्व में पाकिस्तान से हिन्दू महिलाओं को निकाल कर भारत लाने के अभियान में भी अगस्त 1947 में शामिल हुई थी।[24]

जनवरी 1947 में पझौता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार हुए आंदोलनकारियों ने रिहा होने के पश्चात प्रजामण्डल आंदोलन को गांव–गांव तक पहुंचाया तथा जन–सामान्य को जागृत किया। इसी दौरान नाहन नगर की चरखा एवं खादी संघ की सदस्या जैसे कि चम्पा देवी, चन्द्रकला, शरण वर्मा, सुशीला बालिया, सत्या गुप्ता, सरला देवी, सावित्री शर्मा, पुष्पा देवी, रमा देवी, शंकरी देवी, अमरा भटनागर इत्यादि महिलाएँ स्थानीय महिला समाज में जागरूकता लाने के लिए प्रयासरत रही तथा उन महिलाओं ने राष्ट्रीय स्वतन्त्रता संग्राम की लड़ाई को अपने ढंग से लड़ा।[25]

मई 1947 में सुकेत रियासत में वीररत्न सिंह के नेतृत्व में विभिन्न सत्याग्रहियों ने जब पांगण क्षेत्र में सत्याग्रह का आयोजन किया। तब वहाँ सरकार ने घबराकर धारा 144 लागू कर दी। परिणाम यह हुआ कि सत्याग्राहियों के जत्थों पर लाठीचार्ज किया गया और उनका सामान छीन लिया गया। कई सत्याग्रहियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उस दौरान सन्तराम, हरी कृष्ण, केशवराम, गोपाल दत्त, नन्द लाल इत्यादि कई पुरुष सत्याग्रहियों के साथ ही जानकी देवी नामक महिला सत्याग्रही को भी बिलासपुर रियासत से निष्कासित कर दिया गया।[26]

सितंबर 1947 ई. में प्रजामण्डल सिरमौर के नेताओं ने रियासती दमन चक्र से मुक्ति पाने के लिए जोरदार आंदोलन चलाया। जिसके लिए बोगधर मेले के अवसर पर एक विशेष जलसे

का आयोजन किया गया। लेकिन धारा 144 लगने के कारण जब यह जलसा न हुआ। तब सभी आंदोलनकारियों ने स्थान–स्थान पर, दूर–पार के इलाकों में जाकर जलसे किए। ऐसे आंदोलनकारियों में एक नाम सकनों देवी (नोहरा के ठाकुर रूप सिंह की पत्नी) का भी शामिल है। जिन्होंने गांव–गांव जाकर प्रजामण्डल आंदोलनों को प्रचार किया और सरकारी दमन की परेशानियों को सहन किया।[27]

एक अन्य महिला स्वतन्त्रता सेनानी के रूप में गौरां देवी का नाम हिमाचल प्रदेश के स्वतन्त्रता सेनानी नामक पुस्तक में संकलित है। जोकि एल. सी. दत्त की पत्नी थी। उन्होंने 1921 से 1947 ई. तक स्वाधीनता आंदोलन में कार्य किया। बताया गया है कि इनके द्वारा स्वतन्त्रता प्रप्ति हेतु समाज में जन जागरण की भावना लाने के लिए गांव व शहर–शहर जाकर सभाओं का आयोजन व स्वतन्त्रता संग्राम का प्रचार किया गया। इन्होंने विदेशी वस्त्रों के बहि कार की शुरुआत अपने वस्त्रों की होली जलाकर की थी।[28]

इसी पुस्तक में एक अन्य स्वतन्त्रता सेनानी के रूप में श्रीमती चंद्रावती का नाम बताया गया जोकि सुन्नी, शिमला की रहने वाली थी, ने स्वतन्त्रता आंदोलन में भागीदारी के कारण कारावास की सजा तथा साथ ही विभिन्न सरकारी यातनाओं को सहा। इन महिलाओं के साथ ही कांगड़ा के अन्द्रेटा में बसी विदेशी महिला नौरा रिचर्ड (फिलिप अरनैस्ट रिचर्ड की पत्नी जोकि प्रसिद्ध लेखिका तथा कलाकार थी) ने भी ब्रिटिश सरकार का कड़ा विरोध किया था।[29] इसी प्रकार का एक अन्य प्रमुख नाम पटियाला की राजकुमारी अमृतकौर का भी है जिन्होंने धामी सत्याग्रह के संचालन और प्रबद्ध में सक्रिय रूप से भाग लिया था। इसके साथ ही इनके द्वारा स्वतन्त्रता संग्राम के दौरान स्त्री समाज को जागृत करने का कार्य भी किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शिमला के समरहिल में इनके निवास स्थान मंसूरविला में प्रायः आंदोलनकारियों की गुप्त बैठकें होती थी और आंदोलनकारी यहाँ प्रायः शरण भी लेते थे। अतः राजकुमारी अमृतकौर ने शिमला में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व संभाला।[30]

निष्कर्ष

अतः संक्षेप में कहा जा सकता है कि भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम में भागीदारी निभाने वाले लोगों में जहाँ पुरुष तथा युवा शामिल थे, वहीं घर की चार दीवारी से बाहर निकाल कर कई महिलाओं ने भी इस संग्राम में अपनी भूमिका निभाई। कई महिलाओं ने विभिन्न आंदोलनों में अपनी प्रत्यक्ष भूमिका निभाते हुए अँग्रेजी सरकार की यातनाओं को सहा, करावासों की सजा भुगती। वही दूसरी ओर कई अन्य महिलाओं ने समाज सुधार जैसे कार्यों के साथ–साथ स्वतन्त्रता संग्राम आंदोलनों के प्रचार–प्रसार स्थान–स्थान पर जाकर किया और स्वतन्त्रता संग्राम को मजबूती प्रदान करने का प्रयास अपने स्तर पर किया। इसके अतिरिक्त कई महिलाओं जिनका नाम हमें कहीं देखने व सुनने को भी नहीं मिलता, ने आंदोलनकारियों के लिए कपड़ा, भोजन व शरण देकर भी स्वतन्त्रता संग्राम में अपनी एक अलग भूमिका निभाई। पुस्तकों में दर्ज हो या न हो, उन महिलाओं का सहयोग किसी भी कारण से कम नहीं आँका जा सकता। कहने का अभिप्राय है कि महिलाओं का स्वतन्त्रता संग्राम में योगदान जिस स्तर पर उनसे हो पाया, उतना अधिकतर महिलाओं ने दिया है। जिन महिलाओं के पुत्र, पति और भाई स्वतन्त्रता संग्राम की लड़ाई लड़ रहे थे वह भी महिलाओं का अप्रत्यक्ष योगदान था जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। अतः इस ओर हर किसी का ध्यान आकर्षित होना आवश्यक है।

❐

सन्दर्भ –

1. हिमाचल प्रदेश में स्वतन्त्रता संग्राम का संक्षिप्त इतिहास, भाषा एवं संस्कृति विभाग हिमाचल प्रदेश, शिमला, 1996, पृ.29
2. वही, पृ.56
3. वही, पृ.68, जग मोहन बलोखरा, अलौकिक हिमाचल प्रदेश, एच. जी. पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2017, पृ.748
4. वही, पृ.71
5. हिमाचल प्रदेश के स्वतन्त्रता सेनानी, भाषा एवं संस्कृति विभाग, शिमला, 2010, पृ.16, सत्यभूषण शास्त्री और ऊषा बख्शी के साथ साक्षात्कार, ऊना, 11 सितंबर 2021
6. हिमाचल प्रदेश में स्वतन्त्रता संग्राम का संक्षिप्त इतिहास, पूर्वोक्त, पृ.74, जग मोहन बलोखरा, पूर्वोक्त, 2017, पृ.753, जगदीश सिंह बागी, ऊना की देशभक्त माता दुर्गाबाई आर्या, दैनिक पंजाब केसरी, 1995
7. वही, पृ.77, हिमाचल प्रदेश के स्वतन्त्रता सेनानी, भाषा एवं संस्कृति विभाग, शिमला, 2010, पृ.16
8. वही, पृ.80, जगदीश सिंह बागी, ऊना की देशभक्त माता दुर्गाबाई आर्या, दैनिक पंजाब केसरी, 1995
9. वही, पृ.102
10. वही, पृ.सं०112–113
11. वही, पृ.148
12. सत्य भूषण शास्त्री के साथ साक्षात्कार, ऊना, 11 सितंबर 2021
13. हिमाचल प्रदेश में स्वतन्त्रता संग्राम का संक्षिप्त इतिहास, पूर्वोक्त, पृ. 71–72, रूप शर्मा, हिमाचल प्रदेशः अंधकार से प्रकाश की ओर, करण प्रकाशन, मण्डी, 2006, पृ.459
14. वही, पृ.75, जग मोहन बलोखरा, पूर्वोक्त, 2017, पृ. जग मोहन बलोखरा, पूर्वोक्त, 2017, पृ. 777
15. वही, पृ.72
16. वही, पृ.86
17. वही, पृ.108–9
18. वही, पृ.149
19. वही, पृ.159
20. वही, पृ.138
21. वही, पृ.172
22. वही, पृ.142, रूप शर्मा, पूर्वोक्त, पृ.525
23. वही, पृ.158
24. वही, पृ.177
25. वही, पृ.173
26. वही, पृ.174–5
27. वही, पृ.178–9
28. हिमाचल प्रदेश के स्वतन्त्रता सेनानी, पूर्वोक्त, पृ.448
29. हिमाचल प्रदेश में स्वतन्त्रता संग्राम का संक्षिप्त इतिहास, पूर्वोक्त, पृ.81
30. वही, पृ.147

पूर्वदेवा– सामाजिक विज्ञान शोध पत्रिका
वर्ष 29, अंक, 114–115, जुलाई–दिसम्बर, 2023 पृ. 15–24

UGC Care Listed Journal
ISSN 0974 -1100

सांसद आदर्श ग्राम योजना एवं ग्रामीण विकासः संरचनात्मक स्वरूप का विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ. सुभाष कुमार
असिस्टेंट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग,
शासकीय कला एवं विज्ञानं महाविद्यालय,ताला, जिला–सतना, (म.प्र.)
E-mail : subhash9648@gmail.com M.No. 9415606778

डॉ. प्रतिमा गोंड
असिस्टेंट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग,
महिला महाविद्यालय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी (उ.प्र.)

भारत सरकार द्वारा महात्मा गांधी के सिद्धान्तों और मूल्यों से प्रेरित होकर, गांवों के विकास के लिए 'सांसद आदर्श ग्राम योजना' की शुरुआत की गई, जिसके तहत हर सांसद को वर्ष 2019 तक तीन गांवों में बुनियादी और संस्थागत ढांचा विकसित करने की जिम्मेदारी दी गयी है। इसके पश्चात पांच ऐसे आदर्श गांवों (हर साल एक गांव) का चयन किया जाएगा और उनके विकास के कार्य को वर्ष 2024 तक संपूर्ण किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य गांवों में रहने वाले लोगों को उन्नत बुनियादी सुविधाएं और बेहतर अवसर मुहैया कराना है। इस योजना की संकल्पना क्रांतिकारी है और ठीक से लागू करने पर चयनित गांवों को बेहतर बनाना है। इसके तहत चयनित गांवों में कृषि, स्वास्थ्य, साफ–सफाई, आजीविका, पर्यावरण एवं शिक्षा इत्यादि क्षेत्रों का एकीकृत विकास किया जाना है।

ग्रामीण विकास को ध्यान में रखते हुए यदि सांसद अपने पांच साल के कार्यकाल में तीन गांवों को गोद लेते हैं तो इस योजना के तहत वर्ष 2019 तक 2379 ग्राम पंचायतों का विकास हो सकता था। भारत में अभी कुल 2,65,000 ग्राम पंचायत हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इसी योजना के तहत पहले दो साल के लिए अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के जयापुर गांव को चुना था और आज इसकी तस्वीर बदल चुकी है। दुर्भाग्य से कई सांसदों ने इस योजना को गंभीरता से नहीं लिए यदि इसे गंभीरता से लिया गया होता तो दो साल बाद आज करीब 790 गांवों की तकदीर बदल चुकी होती।[1] केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना 'सांसद आदर्श ग्राम योजना' का, 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जातियों आबादी संकेद्रण वाले अनुसूचित जातियों, बाहुल्य गांवों के एकीकृत विकास हेतु कार्यान्वयन किया जा रहा है। प्रारंभ में यह योजना 5 राज्यों अर्थात असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान एवं तमिलनाडु के 1000 गांवों में प्रायोगिक आधार पर आरंभ की गई थी। इस योजना को बाद में 2015 को संशोधित करते हुए असम, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, उत्तराखण्ड, ओडिशा, झारखण्ड, छत्तिसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और हरियाणा के अनुसूचित जातियों बाहुल्य गांवों में विस्तारित किया गया।[2]

सांसद आदर्श ग्राम योजना का प्रारूप (2014) :–

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में मई, 2014 में केन्द्र सरकार द्वारा एन.डी.ए. सरकार का गठन हुआ। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने हेतु देश के समग्र विकास के लिए ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देने की जरूरतों को समझा। जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा 11 अक्टूबर 2014 को लोकनायक जय प्रकाश नारायण की जयन्ती के पूर्व संध्या पर सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरूआत की। इस योजना को उनकी जयंती के दिन इसलिए प्रारंभ किया गया क्योंकि लोकनायक जय प्रकाश नारायण की ग्रामीण विकास की गांधीवादी विचारधारा में गहरी प्रतिबद्धता थी। जिसके अनुसार भारत राजनीतिक रूप से स्वतंत्र और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर गांवों को एक राष्ट्र बनाने का सामर्थ्य रखता है। इस अवसर पर जयप्रकाश नारायण एवं नानाजी देशमुख जी ने भी गांवों के विकास को बढ़ावा देने की बात की।

निश्चित रूप से प्रधानमंत्री की यह सोच ग्रामीण भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। सांसद आदर्श ग्राम योजना का उद्देश्य गांवों और वहाँ के लोगों में उन मूल्यों को स्थापित करना है, जिसे वे स्वयं के जीवन में सुधार लाकर दूसरो के लिए एक आदर्श गांव बन सकें जिससे लोग उनका अनुसरण कर उन बदलावों को स्वयं पर भी लागू करें। यह योजना संसद के दोनों सदनों के सांसदों को प्रोत्साहित करती है कि वे निर्वाचन क्षेत्र के कम से कम एक गाँव की पहचान करें और 2016 तक एक आदर्श गांव का विकास करें। तथा 2016 तक दो और गांवों को शामिल करते हुए देश भर में विद्यमान 6 लाख गांवों में से 25 सौ से अधिक गांवों को इस योजना में शामिल करें। प्रस्तुत योजना में यह अनुबन्धित है, कि प्रत्येक सांसद को अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के एक गांव को गोद लेना होगा और उसे एक वर्ष के भीतर आदर्श गांव के रूप में विकसित करना होगा। लोक सभा का सदस्य मैदानी क्षेत्रों में 3–5 हजार और पर्वतीय क्षेत्र में 1–3 हजार आबादी वाले किसी भी गांव का चयन कर सकता है। राज्यसभा का सदस्य जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है के किसी भी गाँव का चयन कर सकता है। यद्यपि न तो लोकसभा न ही राज्यसभा का कोई भी सदस्य अपने गांव या अपने पति–पत्नी से सम्बन्धित गांव का चयन नहीं कर सकता हैं। बाद में इसी प्रयोजन के लिए 2 और गांवों का चयन करेंगे। इस योजना के उद्देश्य प्राप्ति के लिए सांसद स्थानीय क्षेत्रीय विकास योजना को केन्द्र और राज्य प्रयोजित योजनाओं को मिला कर भी कार्य कर सकते हैं।[3]

गांवों के चयन के आधार

राज्य सरकार से यह अपेक्षा की जाती है कि वह केवल एक जिले से, यथा संभव, पाइलट फेज में कवर की जाने वाली 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जातियों की जनसंख्या वाले गावों की अपेक्षित संख्या का पता लगाए ताकि उन पर ध्यान केन्द्रित किया जा सके। तथापि, यदि राज्य आवश्यक समझता है, तो दो या अधिकतम तीन समीपवर्ती जिलों से गांवों का भी चयन कर सकता है। प्रधानमंत्री ने 11 अक्टूबर को सांसद आदर्श ग्राम योजना का शुभारम्भ किया जिसके तहत सांसदों द्वारा एक गाँव को गोद लेने की योजना है। सांसद आदर्श ग्राम योजना के दोनों सदन के सांसदों के लिए है इसके अन्तर्गत सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्र

से एक गांव को चिन्हित करना है, मैदानी क्षेत्रों में 3000 से 5000 और पहाड़ी 1000 से 3000 को आबादी वाले इन गाँवों को 2019 तक आदर्श गाँव की तरह विकसित करना है और साथ ही 2019 तक दो और गाँवों को आदर्श गाँव के रूप में विकसित करना है।

सांसद आदर्श ग्राम योजना में केन्द्र/राज्य सरकार का विशेष सहायता

सांसद आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत विकास के सन्दर्भ में सर्वप्रथम केन्द्र एवं राज्य सरकार के प्रगतिपूरक योजनाओं के सम्मिलित क्रियान्वयन के माध्यम से चयनित गाँव का विकास करना है। इस सम्बन्ध में चयनित गाँव को केन्द्र सरकार की तरफ से 'अन्तराल पूर्ति' निधि के रूप में लगभग 20 लाख प्रति गाँव प्रदान किया जा सकता है। यदि राज्य भी अनुरूप अंशदान करता है तो इसमें 5 लाख रूपये की अतिरिक्त राशि प्रदान की जा सकती है। इस योजना के अन्तर्गत उन्हीं विकासीय कार्यक्रलापों पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है जो केन्द्र एवं राज्य सरकार के मौजूदा योजनाओं के तहत कवर नहीं होते हैं। इन बिन्दुओं को 'अन्तराल पूर्ति घटक' के रूप में लिया जाता है तथा आदर्श ग्राम योजना के कार्यक्रमों को अन्तराल पूर्ति घटक के रूप में प्रारम्भ किया जाता है।

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का लक्ष्य

इस योजना के अन्तर्गत सभी पात्र परिवारों के लिए आईएवाई आवासों का 100 आवंटन करना है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के पेयजल आपूर्ति विभाग में निर्मल ग्राम पुरस्कार मानकों को पूरा करें। सतत आधार पर सभी ग्रामवासियों के लिए सुरक्षित पेयजल सुविधा तक पहुंच सुनिश्चित करना है। गर्भवती महिलाओं के लिए 100 प्रतिशत संस्थागत प्रसव एवं बच्चों का पूर्ण टीकाकरण उपलब्ध कराना है। गांव को पक्की सड़क के साथ जोड़ना है जिससे ग्रामीण विकास में सरलता प्रदान हो सके। गांव में मृत्यु और जन्म का 100 प्रतिशत पंजीकरण सुनिश्चित करना है। कोई बाल विवाह और बाल श्रम न हो सके और शराब तथा अन्य नशीले पदार्थों के सार्वजनिक उपभोग पर प्रतिबंध करना शामिल है।[4]

सांसद आदर्श ग्राम योजना का उद्देश्य

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का उद्देश्य 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जातियों जनसंख्या वाले चुनिंदा गांवों का एकीकृत विकास सुनिश्चित करना है ताकि उन्हें ''आदर्श गांव'' बनाया जा सके और वहां निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध हों :–

- चिन्हित की गई ग्राम पंचायतों के समग्र विकास के लिए नेतृत्व की प्रक्रिया को गति प्रदान करना।
- जनसंख्या में सभी वर्गों के जीवन की गुणवत्ता के स्तर में सुधार निम्न माध्यम से सुनिश्चित करना– बुनियादी सुविधाओं में सुधार, उच्च उत्पादकता, मानव विकास में वृद्धि करना, आजीविका के बेहद अवसर, असमानता को कम करना, अधिकारों की हक की प्राप्ति करना। व्यापक सामाजिक गतिशिलता में समृद्धि, सामाजिक पूंजी इत्यादि।
- स्थानीय स्तर पर विकास और प्रभावी स्थानीय शासन के मॉडल को इस प्रकार बनाना जिससे आस–पड़ोस की पंचायतें प्रेरित और प्रोत्साहित होकर उन मॉडलों को सिखने और अपनाने के लिए प्रेरित हों।

- चिन्हित आदर्श ग्राम को स्थानीय विकास के ऐसे केन्द्रों के रूप में विकसित करना, जो अन्य ग्राम पंचायतों को प्रशिक्षित कर सकें।
- अनुसूचित जातियों और गैर–अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के बीच सामान्य सामाजिक–आर्थिक संदर्भ में (उदाहरणार्थ, साक्षरता दर, प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता दर, आईएमआर,एमएमआर, उत्पादक सम्पत्तियों का स्वामित्व, आदि के संदर्भ में) असमानता समाप्त हो और ये संकेतक कम से कम राष्ट्रीय औसत तक बढ़ाएँ जाएं।
- अनुसूचित जातियों के प्रति अस्पृश्यता, भेदभाव, पृथक्कीकरण और अत्याचार समाप्त हो और अन्य सामाजिक बुराइयाँ भी समाप्त हों जैसे लड़कियों/महिलाओं में भेदभाव, मद्यपान और नशीले पदार्थों का दुरुपयोग, आदि तथा समाज के सभी वर्ग स्वाभिमान से एवं समानता पूर्वक रहें।[5]

सांसद आदर्श ग्राम योजना योजना के मुख्य कारक

योजना का पहला संघटक टेरिटोरियल स्वरूप का है और अलग–अलग गांवों पर केन्द्रित हैं तथा उसके दो उप–संघटक हैं। चुनिंदा गांवों में केन्द्र और राज्य सरकारों की मौजूदा योजनाओं का कनवर्जेट कार्यान्वयन, और पीएमएजीवाई से अंतर–पाटन (गैप–फिलिंग) धनराशि, जिसमें केन्द्र सरकार का अंशदान 200000 लाख रुपए प्रति गांव की औसत दर से होगा। (जिसमें राज्य सरकार उचित, तौर पर बराबर का अंशदान करती है ताकि चुनिंदा गांवों की पहचानशुदा विकासात्मक आवश्यकताओं का विशेष रूप से पूर्ति की जा सके, गाँवों का विकास केन्द्र और राज्य सरकारों की मौजूदा योजनाओं के तहत नहीं की जा सकती है। कार्यात्मक क्षेत्र संबंधित संघटक का, अन्य बातों के साथ–साथ, आवश्यक है कि प्रशासनिक तंत्र–व्यवस्था को सुदृढ़ बना कर इस योजना के कार्यान्वयन को सुन्दर बनाया जाए और उसे कार्यान्वित किया जाए, मुख्य कर्मिकों की क्षमता का निर्माण किया जाए, समुचित प्रबंधन, सूचना प्रणाली का विकास किया जाए आदि। इस संघटक के लिए, राज्य सरकार टेरिटोरियल क्षेत्र संबंधित परिव्यय के लिए केन्द्रीय सहायता की पात्र है, जिसका राज्य सरकारों को तकनीकी संसाधन सहायता और बेसलाइन सर्वेक्षण के लिए पहले ही जारी कर दिया गया है। इस योजना का कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। योजना के समग्र मार्ग–निर्देशन और निगरानी के लिए ग्रामीण विकास और सामाजिक न्याय के प्रभारी मंत्रियों की सह–अध्यक्षता में राज्य स्तर पर एक सलाहकार समिति गठित की जाती है। इसके अलावा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय संचालन एवं निगरानी समिति गठित करने की आवश्यकता होगी तो समिति का गठन भी किया जा सकता है, ताकि योजना के कार्यान्वयन की अच्छे तरीके से निगरानी की जा सके। एसएसएमसी का सदस्य सचिव राज्य कार्यक्रम निदेशक, पीएमएजीवाई के रूप में काम करते हैं। इस प्रकार, राज्य सरकार को जिला और ब्लॉक स्तरों पर इस योजना के कार्यक्रम निदेशक को नामजद आवश्यकतानुसार किया जा सके। कार्यक्रम निदेशक अपने–अपने स्तरों पर पीएमएजीवाई के लिए मुख्य कार्यपालक के रूप में काम करेंगे। इस योजना के अन्तर्गत बेसलाइन सर्वेक्षण ग्रामीण विकास योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए, विभिन्न स्तरों पर प्रमुख कार्यकर्ताओं को आवश्यक ओरिएंटेशन तथा प्रशिक्षण दिया जाता है। राज्य स्तरीय कार्यकर्ताओं और राज्य स्तरीय तकनीकी संसाधन सहायता संस्थान के लिए

प्रशिक्षण का आयोजन केन्द्र सरकार द्वारा शीघ्र ही किया जाता है। इसके बाद, राज्य, जिला स्तरों के टीआरएस संस्थानों से, इस कार्य की अपेक्षा, निचले स्तरों पर किया जाता है।

इस योजना के शुभारम्भ के अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा, यह रूपया–पैसा योजना नहीं है, बल्कि मांग संचालित जन भागीदारी वाली योजना है। पूरे देश में लगभग दोनों सदनों को मिलाकर 795 सांसद है और तीन वर्षों के 2500 के लगभग गाँवों को इस योजना के अन्तर्गत लाया जा सकता है। अगर राज्य अपने विद्यायकों के साथ इस तरह की योजनाओं की शुरूआती पहल करते हैं, तो 6000–7000 और गाँवों को इसमें शामिल किया जा सकता है एक अच्छा गाँव आसपास के एक सम्पूर्ण क्षेत्र पर असर डाल सकता है। सांसद से उम्मीद की गयी है कि ग्रामीण विकास योजना के लिए पहल करेंगे, इस कार्य में ग्रामीणों को सक्रिय योगदान के लिए उन्हें प्रोत्साहित करेंगे एवं पांच करोड़ रूपये के सांसद विकास कोष का इस्तेमाल उन्हें एकजुट करने के आलावा फंड की कमी भरपायी में किया जायेगा। विशेष रूप से सीवेज और जल आपूर्ति योजनाओं के लिए निगमित सामाजिक दायित्व के अतिरिक्त संसाधन जुटाये जा सकते हैं। यह योजना चार बुनियादी मानकों की परिकल्पना करती है। ये मानक है। व्यक्तिगत, मानवगत, आर्थिक और सामाजिक। व्यक्तिगत मापदंड में साफ–सफाई, सांस्कृतिक, विरासत एवं व्यवहार परिवर्तन जैसे संकेतक शामिल होंगे। आर्थिक पक्ष पर विकास संकेतक होंगे– आजीविका, कौशल, वित्तिय समावेशन, बुनियादी सुविधाएं–सेवाएं और सामाजिक मापदंडों में स्वैच्छिक सेवा भाव, सामाजिक मूल्य–नैतिकता, सामाजिक न्याय, सुशासन शामिल होगा। पर्यावरण विकास, सामाजिक सुरक्षा, सुशासन एवं बुनियादी सुविधाएं–सेवाएं जैसे विकास के अन्य मानक भी इस योजना मे शामिल होंगे। मानव विकास का बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं तक सार्वभौतिक पहुंच जैसे कारकों को शामिल किया हैं : हेल्थ कार्ड एवं चिकित्सकीय जांच, पूर्ण प्रतिरक्षण, लिंग अनुपात का संतुलन, शत–प्रतिशत संस्थागत प्रसव, बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं पर विशेष ध्यान देने के साथ सभी के लिए पोषण की स्थिति में सुधार शामिल है। दसवीं कक्षा तक शिक्षा की सुविधा तक व्यापक पहुंच, स्कूलों का स्मार्ट स्कूलों में रूपांतरण जो सूचना तकनीक के प्रति सक्षम कक्षा बनाये, ई–लाइब्रेरी, गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए वेब आधारित शिक्षण, वयस्क साक्षरता, ई–साक्षरता एवं ई–लाइब्रेरी समेत ग्रामीण पुस्तकालय भी मानव विकास का मुख्य आधार है। सामाजिक विकास के मुद्दे के तौर पर गांव के बुजुर्गों, स्थानीय रोल मॉडल विशेष रूप से महिलाओं, स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को सम्मानित करने वाली गतिविधियों और अहिंसा की गतिविधियों को भी शामिल करेगा। अपराध मुक्त गांव के निर्माण के लिए नागरिक समितियों की स्थापना, विशेष रूप से युवाओं को संवेदनशील बनाना, ग्रामीण खेल–कूद एवं लोक कला उत्सव, लोगों में गर्व की भावना उभारने के लिए ग्रामीण गीतों एवं सृजन, ग्राम–दिवस मनाने जैसे सक्रिय कदम भी सामाजिक रूप से अलग–थलग पड़े हुए समूह खासकर अनुसूचित जातियों–जनजातियों के समावेशन और एकीकरण के लिए उठाये जा सकते हैं।[6]

आर्थिक विकास में विविध वृहषिगत एवं संबद्ध आजीविका, पशुधन और बागवानी सहित, जैविक खेती के माध्यम से, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, फसल गहनता जैसे एसआरआई, बीज बैंक की स्थापना, गैर इमारती लकड़ी उत्पादन के मूल्य संवर्धन तथा संग्रहण, गोबर बैंक, पशु

बाड़े जैसे पशुधन विकास, लघु सिंचाई एवं कृषि सेवा केन्द्र शामिल है। प्रौद्योगिकीय अनुप्रयोग, लघु उद्यमों, डेयरी विकास और प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण और पारंपरिक उद्योगों के माध्यम से ग्रामीण औद्योगिकरण को सुनिश्चित किया जाएगा। स्व–रोजगार और नियुक्ति के लिए सभी योग्य युवाओं का कौशल विकास एवं पर्यावरण पर्यटन समेत ग्रामीण पर्यटन पर भी ध्यान दिया जाएगा। यह योजना इस बात पर बल देती है कि ये सभी गतिविधियां परिवारों को गरीबी से बाहर निकालने पर केन्द्रित हों, जिसके लिए महिलाओं के स्वयं सहायता समूह के माध्यम से संगठित और एकजुट करना, सभी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। पर्यावरण विकास गांवों को साफ–सुथरा और हरा–भरा करने जैसे गतिविधियों को शामिल किया गया है। इन गतिविधियों में' सभी परिवारों और सभी सार्वजनिक संस्थाओं में शौचालय उपलब्ध कराना, शौचालयों के समुचित उपयोग को सुनिश्चित करना, उपर्युक्त ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन, सड़कों के किनारे पौधारोपण, घरों, स्कूलों और सार्वजनिक संस्थानों में स्थानीय वरीयताओं के अनुसार वृक्षारोपण, हरा–भरा उद्यानपथ, सामाजिक वनीकरण, जलाछाजन प्रबंधन खासकर पारंपरिक जल निकायों के नवीनीकरण और पुनरुद्धार अन्य जगहों पर वर्षा जल संचय, वायु, पानी एवं भूमि प्रदूषण में कमी शामिल है। सामाजिक सुरक्षा अनुमान सभी योग्य परिवारों, वृद्ध, विकलांग एवं विधवाओं की पेंशन, आम आदमी बीमा योजना, स्वास्थ्य बीमा–आरसीबीवाई तथा पीडिएस–सभी पात्र परिवारों तक व्यापक पहुंच के आधार है। बुनियादी सेवा और सुविधाएं जो उपलब्ध कराना है, कच्चे घर में रह रहें सभी बेघर गरीबों को पक्का घर उपलब्ध कराना, उन्हें पीने का पानी, पाइप के माध्यम से शोधित जल को घरों में पहुंचाना, ढकी हुई नलियों के साथ आंतरिक सभी सड़के, मुख्य सड़कों से सभी सड़कों का जुड़ाव, सभी परिवारों में बिजली कनेक्शन, खासकर और ऊर्जा जैसी वैकल्पिक ऊर्जा के जरिये स्ट्रीट लाइट, सार्वजनिक संस्थाएं जैसे आंगनबाड़ी, स्कूल, स्वास्थ्य संस्थाएं, ग्राम पंचायत कार्यालय एवं पुस्तकालय, हॉल, स्वयं सहायता समूह संगठन, खेल के मैदान, कब्रगाह–शवदाह स्थल, ग्रामीण बाजार, पीडीएस आधारभूत संरचना, माइक्रो मिनी बैंक, पोस्ट ऑफिस–एटीएम जैसी नागरिक आधारभूत संरचनाएं ब्रॉड बैंड कनेक्टिविटी एवं सामुदायिक सेवा केन्द्र, दूरसंचार कनेक्टिविटी एवं सार्वजनिक स्थल पर सीसीटीवी आदि सम्मिलित है।

सुशासन के मापदंडों में स्थानीय लोकतंत्र को मजबूत बनाना भी शामिल है। मजबूती देने वाले ये घटक हैं– मजबूत एवं जिम्मेदार ग्राम पंचायत तथा सक्रिय ग्राम सभा, सबके लिए यूआईडीएआई कार्ड का प्रावधान, विभागों के नागरिक चार्टर का समयबद्ध सेवा वितरण, प्रत्येक ग्राम सभा के सामने महिला ग्राम सभा की बैठक, वर्ष में कम से कम चार बार ग्राम सभा का आयोजन, प्रत्येक तिमाही में ग्राम सभाओं की बैठक, स्थानीय भाषा में दीवार लेखन, नोटिस बोर्ड के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र में आने वाले सभी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन संबंधित सभी सूचनाओं का सक्रिय प्रकाशन। यह आवश्यक रूप से लाभार्थियों की सूची में शामिल रहता है और इसमें मदवार बजट और व्यय सूचना सुविधा केन्द्र के रूप में ग्राम पंचायत के, लोगों द्वारा दायर शिकायतों का समय पर निवारण भी शामिल होगा। सभी तरह की ऐसी शिकायतें ग्राम पंचायत–प्रभारी अधिकारी के सामने प्रस्तुत किया जाना है और दिनांकित रसीद भी दी जानी हैं। तीन सप्ताह के भीतर लिखित जवाब समेत शिकायतों का निपटारा किया जाना है।[7]

सांसद आदर्श ग्राम योजना की मान्यताऐं :–

- लोगों की भागीदारी को स्वीकार करना जिससे समस्याओं का अपने आप में समाधान हो सकें।
- अन्त्योदय योजना का पालन करें। गांव के सबसे गरीब और सबसे कमजोर व्यक्ति को अच्छी तरह से जीवन जीने के लिए सामर्थ्यवान बनाना है।
- लैंगिक समानता और महिलाओं के लिए समानता सुनिश्चित करें, जिससे समाज में समानता आ सकें।
- सामाजिक न्याय की गारण्टी सुनिश्चित करना।
- श्रम की गरिमा और सामुदायिक सेवा तथा स्वैच्छिकता की भावना को स्थापित करना है।
- सफाई की संस्कृति को बढ़ावा देना है।
- प्राकृतिक सहचर के रूप में रहने के लिए विकास और पारिस्थितिकीय के बीच सन्तुलन सुनिश्चित करना है।
- स्थानीय सांस्कृतिक विरासत संरक्षण और प्रोत्साहन देना है।
- आपसी सहयोग, स्वयं सहायता और आत्मनिर्भरता के लिए निरन्तर प्रयास करना है।
- ग्रामीण समुदाय में शान्ति और सद्भाव को बढ़ावा देना।
- सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता, जबावदेही और ईमानदारी सुनिश्चित करना।
- स्थानीय स्वशासन की भावना को विकसित करना।
- भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों में प्रतिष्ठापित मूल्यों का पालन करना।[8]

सांसद आदर्श ग्राम योजना का दृष्टिकोण

1. मॉडल ग्राम पंचायतों को विकसित करने के लिए सांसद सदस्य के नेतृत्व क्षमता प्रतिबद्धता और ऊर्जा का इस्तेमाल करना।

2. स्थानीय स्तर के विकास के लिए समुदाय को जोड़ना और पहल के लिए प्रेरित करना।

3. लोगों की आंकाक्षाओं और स्थानीय क्षमता के अनुसार व्यापक विकास करने के लिए विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों निजी और स्वैच्छिक पहल का समन्वय करना।

4. स्वैच्छिक संगठनों, सहकारी समितियों और शैक्षणिक अनुसंधान संस्थाओं के साथ सहभागिता विकसित करना।

5. योजना के अन्तर्गत परिणामों और स्थिरता पर ध्यान केन्द्रित करना।

आदर्श गांव की गतिविधियाँ

एक आदर्श ग्राम में ग्राम पंचायत नागरिक समाज और सरकारी मशीनरी में लोगों के दृष्टिकोण को साझा करना, उनकी अपनी क्षमताओं और उपलब्ध संसाधनों का हर संभव सर्वोत्तम उपयोग करना, विधिवत तरीके से सांसद द्वारा समर्पित होना चाहिए, जिससे स्वभाविक रूप से एक आदर्श गांव के सन्दर्भ में विशिष्ट प्रदान होती है।

आदर्श गांवों का पैमाना

सांसद आदर्श गांवों में बुनियादी विकास कुछ ऐसे होती है कि वे दूसरें गाँवों के लिए आदर्श बनता है। एक आदर्श गांव के शिक्षक और ट्रेनर दूसरे आदर्श गांवों को विकसित करने में मदद करते हैं। गांवों में सामूहिक गतिविधियाँ एवं स्थानीय नेतृत्व को उभरने के उद्देश्य से शुरू हो रही, इस योजना का आदर्श महात्मा गांधी हैं। आदर्श गांवों को विकास के लिए व्यक्तिगत विकास, मानव विकास, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, पर्यावरण विकास, बुनियादी विकास, सामाजिक सुरक्षा और गुड गवर्नेस जैसे ऑठ भागों में विभक्त है जिसके साथ ही व्यक्तिगत विकास के तहत इन गाँवों में स्वच्छता की आदतों को बढ़ावा देना है। व्यायाम और खेल की अच्छी आदतों को बढ़ावा देने के लिए शराब, धुम्रपान आदि बुरी आदतों में कमी लाना इसका सार्थक प्रयास है।[9]

योजना कार्य के तीन चरण

आदर्श गांव बनने के लिए तीन चरण में कार्य किया जाता है। इसके तहत ऐसे कार्य को कम समय में पूरा किया जा सकता है। उन्हें पहले चरण में तीन माह के अन्दर पूरा किया जायेगा। इसके तहत गांव में सफाई और हरा–भरा बनाने के लिए स्कूल और आंगनबाड़ी में गांवों में 100 फीसदी बच्चों का नामांकन, सबको स्वास्थ्य सुविधाऐं देने की प्रक्रिया आदि को सम्मिलित किया गया है। इसके बाद मध्यम अवधि वाले कार्य को जिन्हें पूरा होने में एक साल का वक्त चाहिए। फिर दूसरे चरण में शुरू किया जाता है और लम्बी अवधि तक चलने वाले कार्यों को अन्तिम चरण में किया जाता है। आदर्श ग्राम योजना के तहत गांवों के सभी ग्रामीणों को हेल्थ और आधारकार्ड प्रदान किया जाता है। स्कूलों और स्मार्ट स्कूलों को बनाया जाता है। हर गांव अपना एक आर्थिक एजेण्टा तय करेगा और उस गांव में उत्पादित होने वाली चीजों का उत्पादन बढ़ाने की योजना बनाया जायेगा और उसी दिशा में कार्य करना है कि जिससे ग्रामीण क्षेत्र का विकास सुनिश्चित हो सकता।

गाँव समग्र विकास की ओर

आर्थिक विकास के लिए जैविक खेती पर जोर दिया गया है गांवो में बीज बैंक के अलावा गोबर बैंक, पशुओं के लिए अस्पताल समेत कृषि सेवा केन्द्रों की स्थापना की गई। जरूरी सुविधाओं के हिसाब से सभी घरों को पीने के लिए स्वच्छ पानी उपलब्ध कराया जाता है। सभी घरों और सार्वजनिक स्थलों पर टॉयलेट बनाये जाते हैं, सड़कों के किनारे ढ़के नालों की व्यवस्था की गयी है। सभी घरों में बिजली की व्यवस्था के साथ सौर ऊर्जा के प्लांट लगायें जाने की व्यवस्था है।

सामाजिक भागीदारी

योजना के माध्यम से सामाजिक भागीदारी बढ़ायें जाने का विशेष प्रयास किया जा रहा है। इसमें यह प्रावधान सुनिश्चित है कि ग्रामीणों अपने संसाधनों के आधार पर विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। इसके तहत गांव के बाहर रहने वाले किसी व्यक्ति को बुलाकर उसका सम्मान किया जाता है। गांव के बुजुर्ग का सम्मान हो यदि गांव को कोई स्वतंत्रता सेनानी या शहीद हो उसके बारे में बच्चों को जागरूक किया जाता है।[10]

विश्वस्तरीय स्वास्थ्य एवं शिक्षण सुविधाएँ

विश्वस्तरीय स्वास्थ्य केन्द्रों को सुविधा प्रदान की जाती है जिसमें हेल्थकार्ड से लेकर स्वास्थ्य जांच होने की पूरी व्यवस्था है। पूर्व टीकाकारण, लिंगानुपात की समानता 100 प्रतिशत सुरक्षित शिक्षा। दसवीं तक के शिक्षा के लिए विश्वस्तरीय साधन के रूप में विकसित किये किये जाते हैं। सांसद द्वारा लिये हुए गोंद के गांव में विकास कार्य को विभिन्न तरीके से कराए जाते हैं। लेकिन बुनियादी सुविधाओं का विशेष जोर दिया जाता है। इसके तहत गांव में स्कूल, हॉस्पिटल, पुस्तकालय, व्यायामशाला और खेल के लिए मैदानी सुविधाओं की व्यवस्था उपलब्ध करायी जाती है। गांव में हर घर व सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण की व्यवस्था उपलब्ध करायी जाती है।

सूचना तकनीकी से लैस स्कूल व बैंक, पोस्ट ऑफिस से लेकर एटीएम तक सुविधाओं की उपलब्धता

स्कूलों को स्मार्ट स्कूलों में बदला जाता है। इसके क्लास रूम पूरी तरह से सूचना तकनीकी से लैस होते हैं। वेब आधारित शिक्षा व्यवस्था के साथ ई–लाईब्रेरी, प्रौढ़ शिक्षा, ई–शिक्षा और प्रत्येक गाँव में लाईब्रेरी विकसित की जाती है। गांवों में बाजार जनवितरण दुकानें, बैंक, पोस्ट ऑफिस, एटीएम, ब्रांण्ड बैण्ड कनेक्टीविटी की सुविधा उपलब्ध होती है। यू.आई.डी. कार्ड के अलावा भी ग्राम सभाएँ ई–गवर्नेस वेब से जुड़ी है। सभी सेवायें निर्धारित समय में पूरी की जाती हैं। इन गाँवों में गुड गवर्नेस की झलक साफ तरीके से दिखाई देता है। उदाहरणस्वरूप वाराणसी के जयापुर गाँव का विकास दूसरे गाँवों के लिए प्रेरणास्रोत है

ग्रामीणों के लिए स्वास्थ्य बीमा और सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान

गांव के सभी वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन, आम आदमी बीमा योजना, हेल्थ इंश्योरेंस सहित विभिन्न सुविधाऐं प्रदान की जाती है। सड़कों के किनारे वृक्षारोपण कराये जाते हैं तथा साथ ही जल–संसाधन के साधन विकसित किये जाने का प्रावधान है। योजना के तहत सामाजिक सुरक्षा का भी प्रावधान होगा जिसमें ग्राम पंचायत के हर पात्र व्यक्ति को जैसे वृद्धावस्था, विकलांगता एवं विधवाओं को मिलने वाले पेंशन प्रदान होती है।[11]

योजना के अन्तर्गत निगरानी तंत्र का प्रावधान

सांसद आदर्श ग्राम योजना में निगरानी तंत्र का भी प्रावधान है। जहाँ इस योजना के तहत चलने वाले कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए मॉडल एजेन्सी के रूप में ग्रामीण विकास मंत्रालय कार्य करती है। वहीं पर राष्ट्रीय स्तर पर दो अतिरिक्त समीतियाँ कार्य करती है। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की अध्यक्षता में एक कमेटी होगी जिसका काम निर्णय लेना, योजना बनाना और अन्य प्रमुख मंत्रालयों के प्रभारी मंत्रियों के साथ विचार करके उन मंत्रालयों की भागीदारी सुनिश्चित करना है। ग्रामीण विकास मंत्रालय सचिव की अध्यक्षता में दूसरी समिति गठित करना है जिसमें अन्य मंत्रालयों के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी शामिल होते हैं। इससे कल्याण, मानव संसाधन विकास, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग, जल संसाधन, सामाजिक न्याय अधिकारिता, पर्यावरण खेल एवं युवा मामलों आदि मंत्रालयों को सम्मिलित किया जाता है।[12]

निष्कर्ष

सांसद आदर्श ग्राम योजना के चयन से ही गाँव को विशेष सुविधाओं के माध्यम से

विकसित किया जाता है तथा मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था प्रदान की जाती है। जिससे उस विशेष क्षेत्रों के साथ ही जुड़े गाँवों को विकास का अवसर उपलब्ध होता है। गाँवों की विकास की प्रक्रिया से सम्पूर्ण भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में आसानी हुई है। गाँवों के गोद लेने की प्रक्रिया में संसोधन करने से विधायक या निचले स्तर के नेता व कर्मचारीगण गोद लेने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं तो यह योजना अत्यन्त लाभकारी सिद्ध होगी साथ ही प्रदान किये जा रहे विकास योजनायें सुविधाओं के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों का विकास सुनिश्चित हुआ है जिसमें ग्रामीण लोगों को समस्त सुविधाओं का लाभ सुगमता से प्राप्त हो रहे हैं।

❒

सन्दर्भ –

1. *झाँ प्रभात कुमार दिसम्बर (2016), 'बुनियादी सुविधाओं से बदलेगी गाँवों की तस्वीर', कुरूक्षेत्र, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय नई दिल्ली, पृ.5*
2. *योजना (2014), 'सांसद आदर्श ग्राम योजना', 'सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली, पृ. 21*
3. *गणराज पद्म सिंह (2019), 'मनरेगा अनुसूचित जाति, जन जाति का विकास एवं सशक्तिकरण, अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली।*
4. *सिंह, सुधांशु (जून 2015), 'सांसद आदर्श ग्राम योजना से निखरेंगे गाँव, कुरूक्षेत्र, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, पृ. 18*
5. *सिंह, रणवीर (नवम्बर 2014), 'ग्रामीण आदर्श ग्राम योजना : बदलेगी गाँवों की तस्वीर', कुरूक्षेत्र, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्लीत, पृ. 23*
6. *भारत 2019, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली, पृ. 463–464*
7. *सिंह, सुधांशु (जून 2015), 'सांसद आदर्श ग्राम योजना से निखरेंगे गाँव, कुरूक्षेत्र, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, पृ. 17–20*
8. *सिंह कटार (2011), 'ग्रामीण विकास सिद्धान्त एवं नीतिया', रावत पब्लिकेशन जयपुर।*
9. *सांसद आदर्श ग्राम योजना, (जनवरी 2020), दृष्टि द विजन पत्रिका, नई दिल्ली।*
10. *सिंह यादव, सुबह यादव सत्यभान (1997), 'ग्रामीण विकास का आधुनिक दर्शन', सबलाइन पब्लिकेशन जयपुर*
11. *गणराज पद्म सिंह (2019), 'मनरेगा अनुसूचित जाति, जन जाति का विकास एवं सशक्तिकरण, अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्लीत, पृ. 163*
12. *सांसद आदर्श ग्राम योजना, (अगस्त 2021), दृष्टि द विजन पत्रिका, नई दिल्ली*

पूर्वदेवा– सामाजिक विज्ञान शोध पत्रिका
वर्ष 29, अंक, 114–115, जुलाई–दिसम्बर, 2023 पृ. 25–32

UGC Care Listed Journal
ISSN 0974 -1100

दलित उत्पीड़न : संस्कृति, परम्परा एवं वर्तमान

डॉ. पंकज सिंह

असिस्टेंट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी

Email: pankajsocio@bhu-ac-in Mob. 9696302222

सुबोध कान्त

शोध छात्र, समाजशास्त्र विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय,

Email: kantbhu@gmail-com

सारांश

दलित उत्पीड़न एक जटिल सामाजिक मुद्दा है, जो सांस्कृतिक, पारंपरिक और समकालीन कारकों के संयोजन से उत्पादित होता है। दलित, जिन्हें अनुसूचित जाति भी कहा जाता है, भारत और कुछ अन्य दक्षिण एशियाई देशों में ऐतिहासिक सामाजिक रूप से हाशिए पर और उत्पीड़ित समुदाय हैं। दलित महिलाओं को उनकी जाति और लिंग पहचान के कारण भेदभाव और हिंसा के विशेष और जटिल रूपों का सामना करना पड़ता है। दलितों पर कथित उच्च जातियों द्वारा मारपीट, घर जलाने, दलित महिलाओं का बलात्कार करने, छेड़खानी करने, उनके जमीन पर कब्जा करने, कम पारिश्रमिक में अत्यधिक काम लेने, कर्ज देकर दासता करवाने तथा अन्य शोषणकारी क्रियाकलापों द्वारा दलितों को अपने अधीन एक नौकर की भूमिका में ही रखने की मानसिकता जातिवादी लोगों में अभी भी कायम है, जिसके कारण दलित उत्पीड़न का दौर समाप्त नहीं हो रहा है और अपनी शिक्षा एवं गरीबी के कारण, जो की जाति व्यवस्था की ही देन है, वे लोग लगातार शोषण व उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं। प्रस्तुत शोध पत्र वर्तमान समय में भारत में विभिन्न प्रकार से हो रहे दलित उत्पीड़न एवं शोषण तथा उनके साथ दिन प्रतिदिन की जाने वाली निर्योग्यता पूर्ण क्रियाकलापों एवं दुर्व्यवहारों को व्याख्या एवं विश्लेषण के माध्यम से उजागर करता है।

मुख्य शब्दः दलित उत्पीड़न, जाति व्यवस्था, जातिगत मानसिकता, संस्कृति, परम्परा.

प्रस्तावना

भारतीय समाज की असमानताकारी और किसी वर्ग या समुदाय विशेष के शोषण, उत्पीड़न को बढ़ावा देने वाली सामाजिक व्यवस्थाओं में से एक प्रमुख सामाजिक व्यवस्था है जाति व्यवस्था। इस जाति व्यवस्था द्वारा समाज को विभिन्न जातियों में बांट कर कुछ जातियों

पर निर्योग्यता लादकर एवं उन पर शोषण, उत्पीड़नकारी प्रावधान लागू करके हमेशा के लिए एक ऐसी जंजीर में बांध दिया, जिसे तोड़कर निकलना आसान नहीं है।[1] दलित अर्थात अनुसूचित जाति भी एक ऐसी जाति है जिस पर निर्योग्यताए एवं कठोर नियंत्रण लादकर समाज के हाशिए पर धकेल दिया गया तथा हमेशा उच्च जातियों की सेवादारी एवं दरिद्रता का जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य किया गया।[2] उच्चता–निन्नता के इस कठोर बंधन में अनुसूचित जातियों का विकास पूर्णतः बाधित हो गया, जिसका उन्हें खामियाजा आज आजाद भारत में भी लंबे समय तक लगातार करना पड़ रहा है।

शोध का उद्देश्य

दलित उत्पीड़न एवं शोषण में संस्कृति व परम्पराओं की भूमिका को रेखांकित करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में इसके विस्तार का विवेचनात्मक अध्ययन करना।

शोध पद्धति– यह शोध शोधकर्ता द्वारा प्राप्त उत्तर प्रदेश में नृजातीय अनुभवों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। इसमें प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों आकड़ों का प्रयोग किया गया है, जिसमे शोधकर्ता द्वारा उत्तरदाताओं के कई महीने अवलोकन, उनके गहन साक्षात्कार तथा पूर्व में हुए अध्ययन शामिल हैं।

अवधारणात्मक पहलू

दलित शब्द का पर्याय जानने के लिए यदि हम शाब्दिक अर्थ पर दृष्टिपात करें तो इसका अर्थ होता है 'जिसका दलन या उत्पीड़न किया गया हो'। शाब्दिक रूप से दलित शब्द का किसी जाति विशेष से संबंध नहीं है। दलित कोई भी हो सकता है, जिसका शोषण हुआ हो। शाब्दिक अर्थ से स्पष्ट होता है कि शुद्र, स्त्री या कोई अन्य जाति भी दलित हो सकती है, परंतु कंवल भारती इसे अधिक स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि जिस पर अस्पृश्यता का नियम लागू किया गया वह कठोर, गंदे, घिनौने कार्य करने के लिए उन्हें बाध्य किया गया हो, जिसे स्वतंत्र व्यवसाय तथा शिक्षा ग्रहण करने की छूट ना हो सिर्फ वही दलित है।

वर्तमान परिप्रेक्ष में दलित शब्द अनुसूचित जाति के लोगों के लिए किया जाता है। यह कंवल भारती के परिभाषा को सही ठहराते हुए देखा जा सकता है कि अनुसूचित जाति के लोग मनुस्मृति कॉल से ही निर्योग्यताओं के शिकार रहे हैं तथा उन्हें खाने पीने, रहने, व्यवसाय सुनने, अपनी जिंदगी अपने तरीके से व्यतीत करने या किसी अन्य प्रकार की स्वतंत्रता नहीं रही है। उनके जीवन का हर एक पहलू उच्च जातियों का गुलाम रहा है। वर्तमान समय में जिसे हम दलित कहते हैं वह औपचारिक एवं कागजी रूप से अनुसूचित जाति कहलाता है, जो भारत सरकार के जाति संबंधी सूचियों में सूचीबद्ध है। वर्तमान समय में भी जातिगत समाजीकरण के प्रभाव के कारण नई पीढ़ी भी अनुसूचित जाति के लोगों को निम्न घृणित एवं अपना गुलाम समझती है।[4] उनकी इस विक्षिप्त मानसिकता एवं घोर असमानताकारी व्यवहार का शिकार अनुसूचित जाति के लोग सामान्यतः होते रहते हैं। उन पर विभिन्न प्रकार के नियंत्रण लगाने एवं निम्न दिखाने का प्रयास लगातार होता रहता है।

दलित उत्पीड़न की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

दलित उत्पीड़न का इतिहास काफी लंबा व पुराना रहा है। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व कोई औपचारिक संवैधानिक कानून व्यवस्था एवं समताकारी विधान नहीं था। धार्मिक विधि–विधानों के द्वारा सामाजिक व्यवस्था संचालित करने की पद्धति बनाई गई थी और उसी के माध्यम से समाज के समस्त क्रियाओं एवं व्यवहारों का नियंत्रण, नियमन एवं कार्यान्वयन होता था। यह धार्मिक विधि–विधान मुख्यतः मनुस्मृति नामक ग्रंथ में किए गए थे, जो कि एक हिंदू ग्रंथ है और इसके रचयिता ब्राह्मण समूह के लोग रहे हैं। ब्राह्मणों ने अपनी श्रेष्ठता एवं उच्च स्थिति कायम रखने के लिए ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाकर समाज में लागू करने का षड्यंत्र रचा, जिसके माध्यम से वह सदियों तक समाज पर शासन कर सके।[6]

जाति व्यवस्था का आधार व्यवस्था वर्ण व्यवस्था है, जिसमें यह व्यवस्था की गई थी कि कुल चार वर्ण होंगे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इन चारों वर्णों में व्यक्तियों को उनके व्यवसाय एवं विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा, परंतु यह समानतावादी व्यवस्था स्थापित करने का एक प्रथम षड्यंत्र व् प्रयास था। इस चतुर्वर्ण व्यवस्था में शूद्रों को अन्य तीन वर्णों की सेवा करने का कार्य दिया गया था। वह कोई संपत्ति संग्रहित नहीं कर सकता था। अपने जीवन का संचालन उच्च वर्णों के निर्देशानुसार करता था तथा अच्छे वस्त्र व भोजन ग्रहण नहीं कर सकता था। सर्वथा उच्च जातियों का गुलाम रह कर ही जीवन व्यतीत करने के लिए वह बाध्य था। औपचारिक रूप से चतुरवर्ण व्यवस्था में कोई भी वर्ण का व्यक्ति अपने व्यवसाय एवं व्यक्तिगत गुणों से किसी अन्य वर्ण में जा सकता था, परंतु व्यावहारिक रूप से यह मुमकिन नहीं था। क्योंकि व्यक्ति जिस वर्ण में जन्म लेता था, उसका सामाजीकरण एवं शिक्षा भी उसी के अनुरूप होती थी, अर्थात वह किसी अन्य वर्ण का गुण अर्जित नहीं कर सकता था। धीरे–धीरे कालांतर में उस चतुर्वर्ण व्यवस्था को जाति व्यवस्था में तब्दील कर दिया गया। अब जाति व्यवस्था में अपने गुणों के कारण भी कोई भी व्यक्ति अपनी जाति से दूसरी जाति में नहीं जा सकता था। किसी भी व्यक्ति की जाति जन्म से निर्धारित होती थी और जीवन भर किसी भी व्यक्ति को उसी जाति का सदस्य बन कर रहना होता था, जिसमें उसने जन्म लिया है।[7] वह अपने ही जाति से संबंधित व्यवसाय करने के लिए बाध्य था। वेदों, पुराणों सहित मनुस्मृति हिंदू सामाजिक व्यवस्था के लिए पूर्णतः उत्तरदायी थे, जिसमें दिन प्रतिदिन के जीवन संचालन हेतु विधि–विधान मुख्यतः मनुस्मृति में किए गए थे।

मनुस्मृति शोषण, उत्पीड़न एवं असमानताकारी विधि–विधानों का गुच्छा है जो शूद्र, गवार, पशु और नारी को एक समान समझते हुए उस से पीड़ित करके वश में करने के सिद्धांत पर आधारित होकर क्रियान्वित होता है। मनुस्मृति काल में दलितों को सबसे घृणित व्यवसाय जैसे मरे पशुओं को उठाना, उनके चमड़े छीलना, गंदे कपड़े धोना, नाली साफ करना एवं मैला ढोना आदि दिया गया था। शूद्र अर्थात दलितों का निवास स्थान बाकी समाज एवं जातियों से अलग दूर सामान्यतः दक्षिण दिशा में बसाया जाता था तथा वह पक्के एवं साफ–सुथरे मकान में नहीं रह सकते थे। घर से बाहर निकलने के लिए उन्हें गले में मटका एवं कमर में झाड़ू लटकाना पड़ता था, ताकि वह जमीन पर ना थूक सके और ना ही उनके पैरों के निशान जमीन पर रहे। ऐसी मान्यता थी कि यदि शूद्र जमीन पर थूकता है या उसके चलने के निशान जमीन

पर रहते हैं, तो वह बाकी उच्च जातियों को अशुद्ध कर सकता है और धार्मिक रूप से भ्रष्ट कर सकता है। अगर कोई शूद्र गलती से भी ऐसी गलती कर दे तो उसे बहुत पीड़ादायक सजा दी जाती थी। शूद्रों या दलितों को किसी भी प्रकार से शिक्षा का अधिकार नहीं था। अगर वह गलती से भी पढ़ाते हुए किसी को सुन ले तो सीसा पिघला कर उसके कान में डाल दिया जाता था।[8] इतनी घृणित एवं पाशविक प्रवृत्ति के लोग अपने आप को उच्च, श्रेष्ठ एवं सभ्य कहते थे और हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फूले, रमाबाईबाई फुले तथा कई अन्य दलित चिंतकों एवं समाज सुधारकों के प्रयासों के फलस्वरूप दलितों को अधिकार दिलाने के लिए अनेकानेक आंदोलन एवं प्रयास किए गए जिसके सकारात्मक परिणाम भी प्राप्त हुए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक दलित परिवार से होने के कारण दलितों की पीड़ा को भली भांति जानते व समझते थे और उन्होंने अपने जीवन में स्वयं भी जातिवादी मानसिकता के लोगों द्वारा जाति उत्पीड़न को सहा और झेला था। दलितों को जाति उत्पीड़न से मुक्ति दिलाने के लिए डॉ. अंबेडकर अनेक प्रयासों एवं आंदोलन के साथ ही जब उन्हें संविधान लिखने का अवसर प्राप्त हुआ तो उन्होंने दलितों के उत्पीड़न करने वाले नियमों को अपराध घोषित करके निषिद्ध कर दिया तथा उनके उत्थान एवं कल्याण के लिए अनेक उपबंध एवं प्रावधान किए।

दलित उत्पीड़न

यदि हम दैनिक समाचार पत्रों को भली भांति परीक्षित करें तो हमें प्रतिदिन कोई न कोई दलित उत्पीड़न का केस या प्रकरण अवश्य देखने को मिल जाएगा। दलितों को कम पारिश्रमिक देकर ज्यादा काम करवाने, उनकी पिटाई करने तथा घरों को जला देने तथा उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार और छेड़खानी करने आदि की घटनाएं वर्तमान समय में भी सामान्य है। यदि कोई दलित विवाह करते वक्त घोड़ी पर सवार होकर बारात लेकर जाए या किसी चार पहिया वाहन या भौतिकवादी सुख संपत्ति युक्त संसाधनों का उपयोग करें तो जातिवादी मानसिकता के लोगों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, वह उसे मारपीट कर हत्या तक भी कर देते हैं।[9]

चूँकि आजादी के पहले से ही समस्त संसाधनों, संपत्ति आदि के मालिक उच्च जातियों के लोग रहे हैं तथा शूद्र हमेशा से सेवा करने वाले रहे हैं, इसलिए आजादी के पश्चात भी शूद्रों या दलितों के पास जमीन संपत्ति तथा अन्य संसाधन आदि नहीं के बराबर है, जिसके कारण आज भी अधिकांश को उच्च जातियों के लोगों के घरों या खेतों में एक मजदूर के रूप में कार्य करना पड़ता है, जिनकी मजबूरी का फायदा उठाकर दमनकारी मानसिकता के लोग कम वेतन में अत्यधिक काम लेते हैं तथा साहूकारों द्वारा कर्ज बांटकर चक्रवृद्धि ब्याज लगाकर बहुत ज्यादा धन राशि ब्याज के रूप में वसूलने की कोशिश की जाती है और यदि वह धनराशि देने में अक्षम सिद्ध होता है तो उससे मनचाहे तरीके से कार्य करवाते हैं। कई बार पीढ़ी दर पीढ़ी इस जंजाल में फंसी रह जाती है।[10] चूँकि शासन एवं प्रशासन में कथित उच्च जातियों के लोग अत्यधिक है। इसलिए अधिकांश फैसले वह अपनी सत्ता को बचाए रखने तथा अपने ही लोगों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से जानबूझकर करते हैं। यहां तक की न्यायिक व्यवस्था में की भ्रष्टाचार करके उच्च जातियों एवं पूँजीपतियों को ही लाभ पहुंचाया जाता है। दलित, गरीब एवं शोषित वर्ग के लोग न्यायिक व्यवस्था में भी दिखाई नहीं देते।

दलित उत्पीड़न एवं सांस्कृतिक परम्परा

दलित शोषण का तात्पर्य भारत और अन्य दक्षिण एशियाई देशों में दलितों द्वारा झेले जाने वाले ऐतिहासिक और निरंतरता प्राप्त किये हुए भेदभाव और उत्पीड़न से है। दक्षिण एशियाई समाजों में, विशेषकर भारत में, जहाँ जाति व्यवस्था सदियों से प्रचलित है, दलित शोषण पारंपरिक जाति–आधारित प्रथाओं के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। पारंपरिक जाति व्यवस्था एक पदानुक्रमित सामाजिक संरचना है जो दलितों को सबसे निचले पायदान पर रखती है और उन्हें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रणालीगत भेदभाव और शोषण का शिकार बनाती है।

जाति व्यवस्था, जिसकी हिंदू समाज में गहरी जड़ें हैं, लोगों को कठोर पदानुक्रमित समूहों में वर्गीकृत करती है, जिसमें सबसे ऊपर ब्राह्मण (पुजारी) और सबसे नीचे दलित होते हैं। दलितों को अपवित्र माना जाता है और परंपरागत रूप से उन्हें मैला ढोने, मरे पशुओं को निबटाने, मरे पशुओ का चमड़ा निकालने और मानव अपशिष्ट की सफाई जैसे निम्न और अपमानजनक व्यवसाय सौंपे जाते हैं। उन्हें गंभीर सामाजिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा है, जिसमें मंदिरों, स्कूलों और सार्वजनिक स्थानों तक पहुंच से वंचित करना भी शामिल है। जाति–आधारित भेदभाव को संबोधित करने के विधायी उपायों के बावजूद, दलितों को संस्कृति और परम्परा के आधार पर विभिन्न प्रकार के शोषण और हिंसा का सामना करना पड़ रहा है।[11] शिक्षा, नौकरी के अवसर और भूमि स्वामित्व तक सीमित पहुंच के कारण दलित सामान्यतः आर्थिक शोषण का अनुभव करते हैं। उन्हें अक्सर उनके काम के लिए कम वेतन दिया जाता है और बंधुआ मजदूरी कराई जाती है।

भारत के कई हिस्सों में दलितों को सामाजिक भेदभाव और अलगाव का सामना करना पड़ता है। उन्हें कुछ विशेष मंदिरों व पूजा स्थलों में प्रवेश से वंचित कर दिया जाता है, सार्वजनिक समारोहों में अलग रखा जाता है, और अपमानजनक प्रथाओं और भाषा का सामना किया जाता है।

हिंसा और अत्याचारों के विभिन्न स्वरूपों द्वारा दलित उत्पीड़न उन्हें असुरक्षित बनाता है, जिनमें शारीरिक और यौन उत्पीड़न, अमानवीय व्यवहार और जाति–आधारित भेदभाव शामिल हैं।

दलितों को उनकी जातिगत पहचान के कारण वोट देने के अधिकार या सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच जैसे बुनियादी अधिकारों से वंचित किया जाता रहा है, जो अलग स्वरूपों में अभी भी विद्मान है।

परंपरागत रूप से, जाति व्यवस्था प्रत्येक जाति समूह को विशिष्ट व्यवसाय सौंपती थी। दलितों को अक्सर मैला ढोने, चमड़े का काम करने और मृत जानवरों को संभालने जैसे अपमानजनक और तुच्छ कार्यों में धकेल दिया जाता था। इन वंशानुगत व्यवसायों ने आर्थिक शोषण को कायम रखा है और दलितों को गरीबी के चक्र में फंसा रखा है।

अस्पृश्यता की अवधारणा पारंपरिक जाति मानदंडों में गहराई से समायी हुई है। उच्च जाति के समुदायों द्वारा दलितों को ''अपवित्र'' और ''अछूत'' माना जाता था। परिणामस्वरूप, दलितों को गंभीर सामाजिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा, उन्हें मंदिरों और उच्च–जाति के

क्षेत्रों में प्रवेश करने से प्रतिबंधित कर दिया गया, और उन्हें अलग दिशा व क्षेत्रों में रहने के लिए मजबूर किया गया।

परंपरागत रूप से, दलितों को शिक्षा तक पहुंच से वंचित रखा गया था। शिक्षा के अवसरों की कमी ने उनके सामाजिक–आर्थिक पिछड़ेपन में योगदान दिया है, जिससे वे गरीबी और मुख्यधारा समाज से बहिष्कार के कुचक्र में फसते रहते हैं।

पारंपरिक जाति व्यवस्था वंशानुगत है, जिसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति की जाति जन्म से निर्धारित होती है। परिणामस्वरूप, दलित शोषण और भेदभाव की व्यवस्था में पैदा होते हैं, और उनकी जाति की पहचान से बचना मुश्किल है, भले ही वे ऊपर की ओर सामाजिक गतिशीलता हासिल कर लें।

दलित संस्कृति समृद्ध और विविध है, जिसमें विभिन्न भाषाएँ, रीति–रिवाज और परंपराएँ शामिल हैं। अपनी हाशिये की स्थिति के बावजूद, दलितों ने अपनी अनूठी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित किया है और कला, साहित्य, संगीत और सामाजिक आंदोलनों में योगदान दिया है। यह महत्वपूर्ण है कि जहां भारतीय संविधान और विभिन्न कानूनों ने दलित शोषण और भेदभाव को प्रतिबंधित करने की मांग की है, वहीं गहरी जड़ें जमा चुकी पारंपरिक मान्यताओं और प्रथाओं ने इनको पूरी तरह से खत्म करना चुनौतीपूर्ण बना दिया है। सकारात्मक कार्रवाई नीतियों, शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण और जाति–आधारित हिंसा के खिलाफ कानूनी सुरक्षा के माध्यम से प्रगति हुई है। हालाँकि, सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव और शोषणकारी प्रथाओं का उन्मूलन दलितों के लिए सामाजिक न्याय और समानता की राह में निरंतर चुनौतियाँ बनी हुई हैं।

दलित उत्पीड़न एवं वर्तमान परिदृश्य

भारत और अन्य दक्षिण एशियाई देशों में जहां जाति व्यवस्था प्रचलित है, दलित शोषण एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है। हालाँकि इस मुद्दे के समाधान में कुछ प्रगति हुई है, लेकिन वर्तमान परिदृश्य के संबंध में अभी भी कई चुनौतियाँ और चिंताएँ हैं :

दलितों को उनकी जातिगत पहचान के आधार पर हिंसा और अत्याचार का सामना करना पड़ता है। शारीरिक और यौन उत्पीड़न, भेदभाव और धमकी की घटनाएं नियमित रूप से रिपोर्ट की जाती हैं। ऐसे अपराधों के अपराधियों को अक्सर सजा नहीं मिल पाती है, जिससे दलित समुदायों के लिए भय और असुरक्षा का माहौल बन जाता है।[12]

सकारात्मक कार्रवाई और आरक्षण जैसे उपायों के बावजूद, दलित छात्रों को अक्सर शैक्षणिक संस्थानों में भेदभाव और पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच और उच्च अध्ययन के अवसर असमान बने हुए हैं।

भूमिहीनता कई दलित समुदायों के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। ऐतिहासिक रूप से, उन्हें भूमि स्वामित्व अधिकारों से वंचित कर दिया गया था, और आज भी, उन्हें अपने भूमि अधिकारों का दावा करने या भूमि से संबंधित सरकारी कल्याण योजनाओं तक पहुंचने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

हाथ से मैला ढोने की प्रथा, मानव अपशिष्ट की सफाई से जुड़ी एक अपमानजनक प्रथा, जोकि कानूनी रूप से प्रतिबंधित है, अभी भी देश के कुछ हिस्सों में मौजूद है। कई दलित सामाजिक और आर्थिक बाधाओं के कारण इस पेशे में फंसे हुए हैं।

राजनीतिक निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में दलितों को कम प्रतिनिधित्व दिया जाता है। हालाँकि कुछ दलित राजनीतिक नेता हैं, लेकिन उनकी जनसंख्या के अनुपात में उनका प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है। दलितों के खिलाफ सामाजिक कलंक कायम है, जिससे जीवन के विभिन्न पहलुओं, जैसे सार्वजनिक स्थानों, धार्मिक स्थानों और सामाजिक समारोहों तक पहुंच में भेदभाव होता है।[13]

दलितों को अक्सर न्याय पाने में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। जाति–आधारित हिंसा और भेदभाव के मामलों को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं किया जा सका है, और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए कानूनी प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण और लंबी हो जाती है।

शिक्षा, कौशल विकास और आर्थिक अवसरों के माध्यम से दलित समुदायों को सशक्त बनाने के प्रयास जारी हैं। हालाँकि, सार्थक परिवर्तन लाने के लिए इन प्रयासों को निरंतर समर्थन और सभी जातियों के प्रयासात्मक निवेश की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

जातिवादी मानसिकता एवं प्रवृत्ति पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों में समाजीकरण द्वारा पहुंचाई जाती रही है और यह निरंतर अबाध रूप से अभी भी हो रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के इतने साल बाद भी उच्च एवं सवर्ण जातियां यह मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है कि दलित एवं अन्य शोषित, पिछड़ी जातियां उनके बराबर अधिकार रखें। सवर्ण एवं उच्च जातियों के परिवार एवं जातिगत समुदाय में बचपन से ही जातिवादी मानसिकता युक्त सामाजीकरण किया जाता है, जिससे कि वह जाति पर आधारित सामाजिक व्यवस्था को उचित समझते हैं तथा दलित एवं वंचित वर्गों को अपना दास तथा नौकर कल्पित करते हैं। कानूनी रूप से वे ऐसा करने के लिए स्वतंत्र नहीं है, इसलिए वह अपने जातिवादी मानसिकता का प्रदर्शन दलित जातियों के लोगों को मारपीट कर, उनके घरों को जलाकर या उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार आदि करके उनको निम्न एवं अशक्त दिखाकर उनकी औकात दिखाने की दृष्टिकोण से लगातार बारंबार रूप से अपराध करते रहते हैं। जातिगत उत्पीड़न को बनाये रखने के लिए संस्कृति व सामाजिक परम्पराओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए सामाजिक परम्पराओं व प्रथाओं में सुधार कर समाज को समतामूलक मूल्यों की तरफ दिशा दिया जा सकता है। यह पहचानना आवश्यक है कि सामाजिक कार्यकर्ताओं, नागरिक समाज संगठनों और सरकारी पहलों के प्रयासों की बदौलत कुछ क्षेत्रों में प्रगति हो रही है। हालाँकि, जाति–आधारित भेदभाव और शोषण की गहरी जड़ वाली प्रकृति के कारण दलितों के लिए सच्चा सामाजिक न्याय और समानता प्राप्त करने के लिए सभी हितधारकों की निरंतर प्रतिबद्धता की आवश्यकता है।

❒

सन्दर्भ –

1. *जंगम, चिन्नईया (2017), दलित एंड द मेकिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया, न्यू दिल्लीः ओ यू पी इंडिया प्रकाशन, पृ.132.*

2. *येगड़े, सूरज (2019), कास्ट मैटर्स, न्यू दिल्लीः पेंगुइन वीकिंग प्रकाशन, पृ. 42.*

3. बंडेय (9 जुलाई 2020). दलित शब्द का अर्थ, परिभाषा एवं दलितों का इतिहास, https%//www-scotbuzz-org/2020/07/dalit&shabd-html
4. पवार, जी वी (2018), दलित पैंथर अथॉरिटेटिव हिस्ट्री, न्यू दिल्लीः फारवर्ड प्रेस बुक्स, पृ. 23.
5. शर्मा, गीतेश (2013). धर्म के नाम पर. दिल्ली : राजकमल पेपरबैक, पृ.132–33.
6. उपरोक्त, पृ.164.
7. वाल्मीकि, ओम प्रकाश (2018), जूठन, नई दिल्ली : राधाकृष्णन प्रकाशन, पृ. 46
8. राम, डॉ तुलसी (2016), मुर्दहिया, नई दिल्लीः राजकमल प्रकाशन, पृ.16
9. प्रसाद, चंद्रभूषण (2006), दलित फोबिया, नई दिल्लीः वितस्त पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड.
10. त्रिपाठी, प्रोफेसर मधुसूदन (2016), भारत में अनुसूचित जाति जनजाति (सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य), नई दिल्लीः ओमेगा प्रकाशन.
11. दुबे , अभय कुमार (2014), आधुनिकता के आईने में दलित , वाणी प्रकाशन , नयी दिल्ली .
12. सुमन, डॉ. मंजू , रावत, ज्ञानेन्द्र (2004), दलित नारी : एक विमर्श, सम्यक प्रकाशन, नयी दिल्ली .
13. सिन्हा, सच्चिदानन्द, अनुवादक मोहन, अरविन्द (2010) जाति व्यवस्था : मिथक, वास्तविकता एवं चुनौतियाँ, राजकमल प्रकाशन, नयी दिल्ली .

पूर्वदेवा– सामाजिक विज्ञान शोध पत्रिका
वर्ष 29, अंक, 114–115, जुलाई–दिसम्बर, 2023 पृ. 33–43

UGC Care Listed Journal
ISSN 0974 -1100

डॉ. अम्बेडकर का उच्च शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण एक अध्ययन

डॉ. महेश चंद गोठवाल
सहायक प्राध्यापक, लोक प्रशासन, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय, अलवर
डॉ. भरतलाल मीणा
सहायक प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय, अलवर
E-mail : arvindsambal@ymail.com Mob. +91 ******* 943

सारांशः

डॉ. अंबेडकर की पहचान संविधान निर्माता के रूप में है लेकिन वास्तविकता में उनकी पहचान राष्ट्र निर्माता के रूप में होने चाहिए। एक राष्ट्र निर्माण के जितने भी क्षेत्र है उन सभी में डॉ. अंबेडकर का योगदान रहा है। जल, विद्युत, परिवहन, उद्योग, सेवा क्षेत्र, विज्ञान, वाणिज्य, अर्थव्यवस्था, किसान, मजदूर, महिलाओं, पिछड़ों, दलितों आदि के उत्थान के साथ–साथ विभिन्न धर्मों की न्यूनताओ को रेखांकित करते हुए तथा सभी के उत्थान और विकास के लिए चिंतन करते हुए वे राष्ट्र निर्माण हेतु निरंतर कार्यरत रहे। डॉ. अंबेडकर शिक्षा को समाज के और राष्ट्र के विकास का आधार मानते थे। वे मूलतः एक शिक्षक थे, एक विद्यार्थी थे और जीवन पर्यंत शिक्षक और विद्यार्थी बना रहना चाहते थे। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में उनका अभूतपूर्व योगदान है। उच्च शिक्षा में सुधार तो उनकी रुचि का विषय था। शिक्षा, शिक्षण, शिक्षण व्यवस्था व शिक्षको पर उनके स्पष्ट विचार थे।

मुख्य शब्दः–राष्ट्रनिर्माण, शिक्षा, समाज, शिक्षक, उच्च शिक्षा, शिक्षण, शिक्षण व्यवस्था

परिचयः– डॉ. अंबेडकर की शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूचि थी। उनके पास उच्च शिक्षा में शिक्षण का पर्याप्त अनुभव था। शिक्षण के साथ–साथ उच्च शिक्षा के विभिन्न कार्य जैसे परीक्षाओं का आयोजन, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन आदि कार्यों में भी वे सलंग्न रहे थे। उनका यह विशिष्ट अनुभव, उनका विशद अध्ययन तथा देश के निर्धनतम व्यक्ति से भी न्यून व्यक्ति के हित के लिए उनका मनन उनके चिंतन को उच्च आयाम पर पहुंचाता है।

उद्देश्यः– उच्च शिक्षा तथा उच्च शिक्षा के शिक्षकों के लिए डॉ अंबेडकर के चिंतन का अध्ययन करना, विशेषकर अंबेडकर उच्च शिक्षा के शिक्षकों से क्या उम्मीदें रखते थे, इसकी पहचान करना इस शोध का उद्देश्य है ।

शोध विधिः– यह शोध ऐतिहासिक व विश्लेषणात्मक अध्ययन पद्धति पर आधारित है। ऐतिहासिक पद्धतिके अंतर्गत द्वितीयक श्रोतों, विशेषकर डॉ अंबेडकर की विभिन्न जीवनी तथा भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के डॉ. अंबेडकर प्रतिष्ठान द्वारा प्रकाशित ''डॉ. अंबेडकर संपूर्ण वांग्मय'' में प्रकाशित ग्रंन्थों का सहयोग लिया गया है। ''विषय वस्तु विश्लेषण'' के माध्यम से डॉ. अंबेडकर के साहित्य का विश्लेषण करते हुए शोध पत्र को तैयार किया गया है।

प्रस्तावना

डॉ. अंबेडकर की विचारधारा का वर्तमान में बहुत ही तेजी से प्रचार–प्रसार हो रहा है। जय भीम का नारा संपूर्ण भारत देश में गूंज रहा है। अंबेडकरवादियों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। जितनी तेजी से अंबेडकर की मूर्तियां लगाई जा रही हैं उतनी ही तेजी से अंबेडकर पर शोध, अंबेडकर पर पुस्तकों का लेखन भी हो रहा है क्योंकि यह सवाल सबके सामने है कि एक अछूत परिवार से आया व्यक्ति कैसे राष्ट्र निर्माता के रूप में देश को प्रभावित कर रहा है।

डॉ. अंबेडकर और शिक्षा का महत्व

डॉ. अंबेडकर ने जो मुकाम हासिल किया उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि उन्होंने शिक्षा को बहुत महत्व दिया। 15 जनवरी, 1949 को मनमाड में डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने कहा था कि 'समाज की प्रगति हमेशा इस बात पर निर्भर करती है कि वे शिक्षा के क्षेत्र में कितना आगे बढ़े हैं।'[1] अपने विद्यार्थी जीवन से ही वे शिक्षा हासिल करने के लक्ष्य में तल्लीन हो गए और जीवन पर्यंत अध्ययनरत रहे, उच्च शिक्षा में सुधार उनकी रुचि का विषय था। शिक्षा, शिक्षण, शिक्षण व्यवस्था व शिक्षको पर उनके स्पष्ट विचार थे। ऐसा शायद इसलिए संभव था क्योंकि डॉ. अंबेडकर का एक शिक्षक के रूप में विशिष्ट अनुभव था। उन्होंने मुंबई के सिडनहम कॉलेज में पॉलीटिकल इकोनामी विषय के प्रोफेसर के पद पर कार्य किया था।[2] साथ ही बाटली बाय अकाउंटेंसी ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट नामक संस्था में वर्ष 1924–1925 में एक शिक्षक के रूप में काम किया था।[3] डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने 2 जनवरी, 1945 स्टूडेंट्स हाल, कलकत्ता में आयोजित एक सभा को संबोधित करते हुए स्वीकार किया कि "राजनीति उनका सामान्य क्षेत्र नहीं है। उसे इसमें घसीटा गया है। जिस क्षेत्र में उन्हें आनंद आता है, जिस क्षेत्र में वह अपना कार्यकाल समाप्त होने के बाद लौटना चाहते हैं, वह है शिक्षा का क्षेत्र। वह अर्थशास्त्र और कानून के प्रोफेसर रहे हैं।"[4] अर्थशास्त्र में शोध का भी उन्हें गहन अनुभव था उनकी इस शिक्षण और शोध के अनुभव ने उन्हें सदा उच्च शिक्षा के प्रसार और गुणवत्ता के लिए प्रेरित किया।

डॉ. अंबेडकर और शिक्षा का अधिकार

डॉ. अंबेडकर शिक्षा के लिए शिक्षा के अधिकार के लिए सदैव संघर्षरत रहे। शिक्षा के अधिकार के साथ साथ उच्च शिक्षा को सर्वव्यापक बनाने और उसे उच्चतम गुणवत्ता पूर्ण बनाने के लिए भी सदैव चिंतित रहते थे। उन्होंने अपनी लेखनी से, अपने भाषणों से, लेजिसलेटिव असेंबली में अपने तर्कों से, संविधान सभा में, जहां भी उन्हें अवसर मिला, उन्होंने शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए और इस में आने वाली बाधाओं के निराकरण के लिए संघर्ष किया। मुंबई लेजिस्टीव काउंसिल के डिबेट में उन्होंने शिक्षा के लिए अनुदान को बढ़ाए जाने की मांग की।

उन्होंने साफ–साफ कहा कि जितना हम लोगों से अनुदान शुल्क के रूप में कर लेते हैं, उतना ही खर्चा लोगों की शिक्षा पर किया जाना चाहिए। इस डिबेट में उन्होंने शिक्षा को सर्व व्यापक बनाने के लिए भी अपने सुझाव प्रस्तुत किए।[5] मुंबई लेजिसलेटिव असेंबली डिबेट्स में मुंबई विश्वविद्यालय अधिनियम संशोधन विधेयक के संदर्भ में अपने विचार व्यक्त करते हुए डॉ. अंबेडकर ने विश्वविद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए अपने सुझाव प्रस्तुत किए थे।[6]

डॉ. अंबेडकर और उच्च शिक्षा

डॉ. अंबेडकर विश्वविद्यालय शिक्षा का उद्देश्य व कार्य पर विचार करते हुये कहते हैं कि "विश्वविद्यालय शिक्षा का उद्देश्य व कार्य ऐसे होने चाहिए जिनसे पता चले कि वहां दी जाने वाली शिक्षा वयस्कों के लिए उपयुक्त है कि नहीं, यह अपने चरित्र में वैज्ञानिक निष्काम और पक्षपात रहित हो, इसका उद्देश्य विद्यार्थी के मस्तिष्क में केवल तथ्य और सिद्धांतों को भरना नहीं होना चाहिए, अपितु उसके व्यक्तित्व और मानसिक स्थिति को सुदृढ़ करने वाला होना चाहिए। यह विद्यार्थी को प्रधान सत्ताधारी के समीक्षात्मक अध्ययन का आदी बनाती है तथा उसके मस्तिष्क में एक संपूर्णता का स्तर बनाती है और उसे कठिनाई की दिशा से जूझते हुए सत्य तक पहुंचने का अर्थ देती है। इस प्रकार प्रशिक्षित विद्यार्थी यह अंतर करना सीख जाता है कि सही ढंग से तथ्यपूर्ण मामला क्या है और मात्र विचारपूर्ण मामला क्या है? उसे मूल प्रश्नों के विभेद की जानकारी आनी चाहिए और बिना किसी पूर्व प्रचलित सिद्धांत के प्रत्येक प्रश्न को गुणों के अनुसार जानना चाहिए जिनके बारे में व्यावहारिक निष्कर्षो को वह तीव्रतापूर्वक विरोध करता रहा है, उसमें किसी सुझाई गई बात के परीक्षण की योग्यता होनी चाहिए और उसे त्यागने और स्वीकार करने से पहले उसके प्रतिफल को जानना चाहिए। अनिवार्यतः एक मौलिक अनुसंधान किया जा रहा है। उसे तथ्यों को पहचानना आना चाहिए। उनका अनुगमन करना और तर्क वितर्क के आधार पर विवेचना करना तथा अपनी नैतिकता स्थापित करना आना चाहिए।"[7] डॉ अंबेडकर का मानना था कि उपरोक्त प्रकार कि चेतना जागृत करना विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों का कार्य है।

डॉ अंबेडकर विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के आपसी संबंधो पर विचार करते हुये कहते हैं कि "विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के मध्य प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा हो गई और मैं तो कहूंगा कि एक प्रकार की दुश्मनी हो गई है। हालांकि इस क्षेत्र में मेरा अनुभव सीमित है फिर भी मैं एक कालिज में कुछ समय तक प्रोफेसर रहा था और यद्यपि अब मैं प्रोफेसर नहीं हूं परंतु अपने पुराने सहयोगियों के साथ अब भी मिलता जुलता हूँ, जो मुझे बताते हैं कि विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों और कालिजों के प्रोफेसरों के बीच इतने मैत्री पूर्ण संबंध नहीं हैं, जितने कि होने चाहिएं। महोदय ऐसा होना अवश्यंभावी है। जब विश्वविद्यालय और कालिज अपने अपने ढंग से समान शिक्षा प्रदान करने का काम करते हैं, परंतु विश्वविद्यालय अन्य कालिजों की तुलना में अपने आपको अधिक ऊंचा और श्रेष्ठ समझते हैं तो एक दूसरे के प्रति ईर्ष्याभाव अवश्य होगा। जब कालिजों और विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों के बीच आपसी संबंध ही अच्छे नहीं हैं तो अनुसंधान करने और ज्ञान प्राप्ति के लिए कैसे प्रोत्साहन मिलेगा और इससे कालिजों, विश्वविद्यालयों या अंततः जनता को कैसे लाभ मिलेगा। जब तक विश्वविद्यालय पूर्व स्नातक शिक्षा का काम अपने हाथ में नहीं लेता तब तक स्नातकोत्तर शिक्षण का कितना ही भार उन पर डालने से कोई लाभ नहीं होगा।"[8]

डॉ अंबेडकर महाविद्यालयों के स्वामित्व पर निजी क्षेत्र के प्रभुत्व की स्थिति पर पर विचार करते हुये कहते हैं कि विभिन्न कालिजों की स्थिति पर विचार करते है तो पता चलता हैं कि सरकारी कालिजों को छोड़कर अधिकांश कालिजों की स्थापना निजी प्रयत्नों से की गई है। मैं उन लोगों का निरादर नहीं कर रहा हूं जो इनमें काम कर रहे हैं जब में यह कहने की ध भटता करता हूं कि वे कालिज पूर्व स्नातक स्तर की शिक्षा संतोषजनक ढंग से नहीं दे पा रहे हैं। पहली बात तो यह है कि उनमें पर्याप्त स्टाफ नहीं है। उदाहरण के लिए दो विषय लें– इतिहास, राजनीतिक अर्थव्यवस्था जो मेरे विशेष विषय थे। मैं जानता हूं कि एक कालिज में इन विषयों को पढ़ाने के लिए आमतौर पर दो प्रोफेसर होते हैं। यह मानना हास्यास्पद होगा कि एक कालिज में केवल दो प्रोफेसर होते हैं। इतिहास और राजनीतिक अर्थव्यवस्था जैसे इतने विशाल विषयों को ठीक से पढ़ा सकते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि प्रत्येक प्रोफेसर को एक सप्ताह में लगभग 15 घंटे व्याख्यान देना पड़ता है। मेरा कहना है कि जिस प्रोफेसर को गुलाम जैसा काम करना पड़ता है वह कभी भी सच्चे अर्थों में अध्यापक नहीं बन सकता। वह एक साधारण कर्मचारी ही बन सकता है और तैयार कुंजी की मदद से ही अपना काम करेगा। हम उससे मौलिकता की कोई उम्मीद नहीं रख सकते और वह उन विद्यार्थियों को जिनको दुर्भाग्यवश उससे पढ़ना पड़ रहा है कोई प्रेरणा नहीं दे सकता। सारा शिक्षणमात्र एक यांत्रिक प्रक्रिया बनकर रह जाता है। यही नहीं कि कालिजों में प्रोफेसरों की कमी है जो वहां हैं भी उनकी नियुक्ति इसलिए नहीं की गई कि कालिजों को कुछ दे पाएंगे। बल्कि इसलिए कि वह कम वेतन पर काम करने को तैयार हैं। पूर्व स्नातकों की बड़ी संख्या की सहायता से कोई भी साहसी व्यक्ति कालिज खोल सकता है और पूर्व स्नातक शिक्षा का नियंत्रण अपने हाथ में ले सकता है। महोदय मेरा कहना है कि अगर आपकी पूर्व स्नातक शिक्षा प्रणाली इतनी ही खराब है जितनी मैंने बयान की है तो विश्वविद्यालय केवल स्नातकोत्तर शिक्षण के कार्य को अपने पर लादकर सच्चे ज्ञान को या अनुसंधान को प्रोत्साहन देने में सफल नहीं हो सकता हैं"[9]

डॉ. अंबेडकर उच्च शिक्षा में गुणवत्ता के लिए प्रतिबद्ध हैं। वे अनुसंधान को उच्च शिक्षा का एक अंग मानते हैं और उनका मानना है कि स्नातकोत्तर शिक्षण व स्नातक पूर्व शिक्षण दोनों का साथ साथ एक ही शिक्षण संस्थान अथवा विश्वविद्यालय के द्वारा कराए जाने से उच्च शिक्षा में गुणवत्ता की अभिवृद्धि होगी और अनुसंधान की गुणवत्ता भी बढ़ेगी इस संदर्भ में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं– शिक्षण निस्संदेह प्रारंभिक कार्य में प्रमुख रहेगा और अनुसंधान उच्च स्तरीय कार्य के संदर्भ में प्रमुख रहेगा। किन्तु यह विश्वविद्यालय के सर्वोपरि हित की बात होगी। कि वहां के विशिष्ट आचार्य स्नातक पूर्व के ही शिक्षण में भाग लेना प्रारम्भ कर दें। अपने विश्वविद्यालय जीवन के प्रारंभ से ही कनिष्ठ विद्यार्थियों के संपर्क में आने से ही शिक्षक विषय के संकल्प को उन्हें समझा सकता है और अपनी विधियों के अनुसार उन्हें प्रशिक्षित कर सकता है। इससे उसे दो लाभ होंगे एक तो वह अनुसंधान के लिए सर्वोत्तम विद्यार्थियों का चयन कर सकेगा और दूसरे उनसे सर्वोत्तम कार्य ले सकेगा। इसके अतिरिक्त यह शिक्षक का व्यक्तिगत प्रभाव होगा कि कोई व्यक्ति अपने विषयों में मौलिक कार्य करे तो वह उसे प्रेरणा दे उसे उत्साहित करे और उसमें शिष्यत्व की भावना जगाए । उसका व्यक्तित्व ऐसी चयनात्मक शक्ति होती है जिससे जो उस विशेष कार्य के लिए योग्य है वे स्वैच्छिक रूप में नाम लिखा

देते हैं और उनका व्यक्तिगत प्रभाव उस मनोवृत्ति से पुनर्प्रस्तुत और विस्तृत होता है जो अपने स्टाफ को प्रेरित करती है। यह कुछ ऐसे विद्यार्थियों की ही बात नहीं जो अकेले लाभ उठाते हों सभी ईमानदार विद्यार्थी अपने उन शिक्षकों के सहयोग से अपार लाभ प्राप्त करते हैं जो उन्हें स्वतंत्र और मौलिक सोच के कार्य का कुछ मार्ग दिखाते हैं। भाषणों का उपयोग अभी समाप्त नहीं हुआ है और पुस्तकें कभी भी पूरी तरह से जीवंत मौखिक शब्द का स्थान नहीं ले सकती हैं। वे उस प्रयोगशाला और संगोष्ठी में अधिक आभ्यंतर शिक्षण का थोड़ा स्थान ले सकती हैं जो विश्वविद्यालय शिक्षा के सामान्य पाठ्यक्रम की सीमा से बाहर नहीं हो और जिसमें एक विद्यार्थी न केवल अपने कार्य की पुष्टि में पुस्तकों से प्राप्त निष्कर्षो और कारणों का ज्ञान प्राप्त करता है अपितु विकासशील चिंतन की वास्तविक प्रक्रिया तथा अत्यंत प्रशिक्षित और मौलिक मस्तिष्क की कार्यप्रणाली भी सीखता है। यदि यह माना जाए कि विश्वविद्यालय के उच्चस्तरीय शिक्षक स्नातक पूर्व कार्य में भी हिस्सा लें और वहां उनकी चेतना उन्हें प्रभावित करे तो उन्हीं आधारों पर यह स्वीकार करना होगा कि उन्हें स्नातकोत्तर कार्य के स्तर पर पहुंचने पर अपने विद्यार्थियों की अच्छाई से वंचित नहीं रखना चाहिए। इस कार्य को विश्वविद्यालय के शेष कार्यों से अलग नहीं किया जाना चाहिए। जहां तक शिक्षक का संबंध है यह आवश्यक है कि उसके अधीन स्नातकोत्तर विद्यार्थी होने चाहिए। वह स्वयं भी मौलिक कार्य करता है और प्रायः उच्च स्तरीय विद्यार्थियों के सहयोग से शोध संबंधी सामग्री प्राप्त करता है। उनकी कठिनाइयां परामशों से युक्त होती हैं और उनका विश्वास और उत्साह ताजगी (ऊर्जा) और शक्ति का मुख्य स्रोत (साधन) होता है। वह उस कल्पनालोक और प्रमाद से भी बचा रहता है जो एकाकी कार्यकर्त्ता पर भी अधिकार जमा लेते हैं।[10]

डॉ. अंबेडकर का उच्च शिक्षा के लिए समर्पण

डॉ. अंबेडकर का उच्च शिक्षा के लिए समर्पण इससे पता चलता है कि उन्होंने पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना कर 1946 में मुंबई में सिद्धार्थ कॉलेज और 1950 में औरंगाबाद में मिलिंद महाविद्यालय की स्थापना की ।[11] शिक्षा के प्रसार के काम के लिए कुछ करना बचपन से उनका सपना रहा था। इस सपने के सच होने पर अपनी खुशी उन्होंने पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित औरंगाबाद के मिलिंद महाविद्यालय की इमारत की बुनियाद रखते समय इस प्रकार व्यक्त की थी ''हिंदू समाज के बिल्कुल निम्न स्तर से आने के कारण मै जानता हूं कि शिक्षा का कितना महत्व है। निम्न जाति के समाज की उन्नति का प्रश्न आर्थिक है, ऐसा माना जाता है। लेकिन यह बहुत बड़ी गलती है। भारत के दलित समाज की उन्नति करना यानी उनके अन्न, वस्त्र और छत का प्रबंध कर पहले की तरह ही उन्हें उच्च वर्ग की सेवा में लगाना नहीं है बल्कि जिस कारण से निम्न वर्ग के विकास की राह अवरुद्ध होकर औरों का गुलाम होने पर विवश करने वाली उनकी कुंठा को नष्ट करना है। वर्तमान समाज एवं व्यवस्था में जिन्हें निर्दयता से लूटा गया है उसका खुद उनके और राष्ट्र के नजरिया से क्या महत्व है इसका उन्हें अहसास कराना है। यही उनकी असली समस्या है। उच्च शिक्षा के प्रसार के अलावा किसी और तरीके से इसे हासिल करना संभव नहीं है। हमारी सभी सामाजिक बीमारियों का मेरी राय में यही एकमात्र इलाज है। शिक्षा के प्रसार के काम के लिए कुछ करना बचपन से मेरा सपना रहा है। मैं अपने सपनों को साकार कर सका इसकी मुझे खुशी है।''[12]

डॉ. अंबेडकर के सपने और विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों के शिक्षक

डॉ. अंबेडकर के इस सपने को साकार करने कि जिम्मेदारी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों तथा उनमे कार्यरत शिक्षको पर है। वे किस प्रकार इन जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सकते है, इस विषय में उनके एक भाषण जो उन्होने मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज के पुरातत्व अनुसंधान और पुराण–इतिहास इस विषय के विद्वान प्रोफेसर "रेव्हरंड फादर हेरास" का सिद्धार्थ कॉलेज में "महें–जो–दारो (मोहन जोदड़ो) के लेवो का पठन" विषय पर दिया था,[13] से जानकारी प्राप्त होती है। उस दिन डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर ने प्रोफेसरों के शिक्षण और अनुसंधान की विवेचना की। इस विवेचना को करते हुए अपने भाषण में उन्होंने सवाल खड़ा किया कि भारत में विश्वविद्यालय, महाविद्यालय के शिक्षक गंभीर प्रकृति के शोध कार्य क्यों नहीं करते है। उन्होंने रेव्हरंड फादर हेरास के शोध कार्य की प्रशंसा करते हुए कहा की "फादर हेरास ने अपार मेहनत से महें–जो–दारों में मिले सिक्कों और ईंटों पर की गयी लिखावट कैसे पढ़ी जाए, इस विषय पर अध्ययन किया। हर किसी को इस बारे में आनंद, गर्व और आश्चर्य की अनुभूति होगी इसमें दो राय नहीं। मेरे मन में कई सवाल आए कि जिस प्रकार फादर हेरास ने अपना पूरा ध्यान इस विषय पर केंद्रित किया और बेहद महत्त्वपूर्ण अनुसंधान किया, उसी प्रकार का अनुसंधान हमारे हिंदी विषय के प्रोफेसरों ने क्यों नहीं किया? क्या ऐसे विषयों में उनकी रुचि ही नहीं है? या फिर उनके पास इस काम के लिए जरूरी विद्वत्ता नहीं? या कि, साधन सामग्री की कमी है?" ।[14]

उच्च गुणवत्तापूर्ण शोध कार्य नहीं कर पाने के कारण

डॉ. अंबेडकर ने ऐसे अनेक कारणों को खोजने का प्रयास किया, जिनकी वजह से हमारे विश्वविद्यालय के प्रोफेसर उच्च गुणवत्तापूर्ण शोध कार्य नहीं कर पाते हैं। इसमे एक कारण उन्होने महत्वाकांक्षाहीन जीवन बताया। उन्होंने महाविद्यालय, विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों की जीवन शैली की आलोचना करते हुए कठोर शब्दों में कहा कि हमारे प्रोफेसरों में किसी भी प्रकार की महत्वाकांक्षा नहीं है वे अपना जीवन ऐशो आराम में गुजारना चाहते हैं, उनके उच्च स्तरीय लक्ष्य नहीं है, उनके जीवन में महत्वाकांक्षा के अभाव को चिन्हित करते हुये उन्होने कहा कि "मुझे लगता है कि थोड़े रुपए कमाएं और सुख से जिएं के अलावा हमारे प्रोफेसर्स के मन में और कोई महत्वाकांक्षा ही नहीं है। महत्वाकांक्षा के अभाव में ही उनके हाथों कोई महत्वपूर्ण काम शायद नहीं हो पाता। कभी–कभार वे पाठ्यपुस्तकों पर नोटस् लिखते हैं। नोटस् लिखने के अलावा और कोई महत्वपूर्ण काम हो सकता है, इस बारे में पता नहीं वे जानते भी हैं या नहीं!"[15] हमारे विश्वविद्यालयों की शिक्षा पद्धति को भी उन्होने श्रेष्ठ प्रोफेसरों के सृजन में बाधक बताया है। विश्वविद्यालय के अव्यवस्थित पाठ्यक्रम को भी एक कारण उन्होने चिन्हित किया। उनका मानना था कि विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम ठीक से तैयार नहीं किए है। उनमे विश्लेषण और मनन करने कि संभावना की कमी है। उन्हें लगता था इस तरह के पाठ्यक्रम से हमारी युवा पीढ़ी को व हमारे देश को किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं हो रहा है। अंबेडकर उस समय कॉलेज में दी जाने वाली शिक्षा को एकदम साधारण स्तर की शिक्षा मानते थे। डॉ. अंबेडकर अध्यापन प्रविधि को भी दोष पूर्ण मानते थे। वह पढ़ाने के तरीके को उच्च शिक्षा स्तर के अनुरूप नहीं मानते थे। उनका मानना था कि महाविद्यालय में भी स्नातक स्तरीय अध्यापन स्कूल स्तरीय अध्यापन की पद्धति पर आधारित था। वह इसमें सुधार की गुंजाइश समझते थे।[16]

सुधार के उपाय

सुधार के उपायों के रूप मे डॉ. अंबेडकर विषय आधारित महाविद्यालयों की स्थापना का सुझाव प्रस्तुत किया। उनका मानना था कि प्रत्येक महाविद्यालय में जब एक ही विषय अलग–अलग प्रोफेसरों द्वारा बार–बार पढ़ाया जाता है तो इससे निरर्थक पुनरावृत्ति होती है। इसलिए वे विषय आधारित महाविद्यालयों की स्थापना करने का सुझाव देते हैं और कहते हैं कि प्रत्येक महाविद्यालय में केवल दो या तीन विषय ही पढ़ाये जावे और उन विषयों से संबंधित बहुत सारे प्रोफेसर उस महाविद्यालय में कार्य करें, अपने विषय पर भाषण दें। उनका मानना था कि इससे हर प्रोफेसर को अपने विषय का पूरा ध्यान करने की फुर्सत मिलेगी। उनके शब्दो मे "मुंबई शहर में ही आर्टस् और साइंस विषय पढाने वाले छह बड़े–बड़े कॉलेज हैं। आजकल के चलन के अनुसार हर कॉलेज, विश्वविद्यालय से जुडा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद उनका अस्तित्व अलग महाविद्यालय की तरह ही है। इससे होता यही है कि इन छहों महाविद्यालयों में अलग–अलग प्रोफेसरों के द्वारा एक ही विषय बार–बार पढ़ाया जाता है। इससे एक ही काम की निरर्थक पुनरावृत्ति होती है। लेकिन, मान लीजिए कि इन विषयों के बजाय अगर हम ऐसा करें कि, एलफिन्स्टन महाविद्यालय में केवल इतिहास और अर्थशास्त्र यही विषय पढ़ाए जाने की व्यवस्था करें और जो प्रोफेसर इन विषयों को पढ़ाना चाहें उन्हें केवल एलफिन्स्टन कॉलेज में ही भेजा जाए तो एक ही विषय के 7–8 प्रोफेसर्स एक जगह मिलेंगे। फिर उनके काम को हम सहज ही विभाजित कर पाएंगे। एक प्रोफेसर 'प्राचीन भारत' पर भाषण देंगे। एक अन्य प्रोफेसर– 'बुद्ध का समय और ईसामसीह युग' का प्रारंभ विषय पर भाषण देंगे। तीसरे प्रोफेसर 'मुस्लिम युग' विषय पर भाषण देंगे। चौथे 'मराठों का युग' विषय पर और पांचवें प्रोफेसर 'अंग्रेजों का युग' विषय पर भाषण देंगे। इससे विषयों का अच्छा बंटवारा होगा और हर प्रोफेसर को अपने विषय का पूरा अध्ययन करने की फुरसत मिलेगी। इससे हर प्रोफेसर को अपने विषयों पर अनुसंधान करने की तैयारी के लिए ज्यादा समय मिलेगा। मुंबई विश्वविद्यालय में अन्य सुधार होने के इंतजार में बैठे रहने की बजाय पहले हम इस एकदम सादे से सुधार को तुरंत लागू करें। हर कालेज एक–दो विषयों के लिए ही अपने को समर्पित रखे। इससे उस कॉलेज में उस विषय से संबंधित सभी ग्रंथ इकट्ठा हो पाएंगे। आवश्यक वस्तुओं का संग्रहालय भी पास ही रखने की व्यवस्था भी की जा सकेगी।"[17]

सुधार के अन्य उपाय के रूप मे उन्होने उच्चशिक्षा के समस्त शिक्षकों को समान वेतन देने का सुझाव रखा। डॉ अंबेडकर उच्च शिक्षा के शिक्षको के वेतन के बारे मे किसी भी तरह के अंतर अथवा भेदभाव के खिलाफ थे। उनका मानना था कि विश्वविद्यालय यह निश्चित करे कि सभी कॉलेजों के प्रोफेसरों की तनख्वाह एक जैसी हों। वे सरकारी कॉलेज और निजी कॉलेज के प्रोफेसरों की तनख्वाह मे अंतर अथवा भेदभाव के खिलाफ थे। उनके शब्दो मे "सभी कॉलेजों के प्रोफेसरों को अलग–अलग तनख्वाह न देते हुए विश्वविद्यालय की ओर से ही सबकी एक–सी तनख्वाह तय की जाए। इससे आज की तरह अलग–अलग न होकर सरकारी कॉलेज और निजी कॉलेज के प्रोफेसरों की तनख्वाह एक–सी होगी।"[18]

अंबेडकर का मानना था कि जब वेतन की समस्या दूर हो जाएगी, शिक्षकों को पर्याप्त वेतन मिलने लगेगा, पाठ्यक्रम में सुधार हो जाएगा, उनके पाठ्यक्रम का उचित विभाजन हो

जाएगा, विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के मध्य मैत्री पूर्ण संबंध स्थापित हो जावेगे, अनुसंधान को पर्याप्त प्रोत्साहन मिलने लगेगा, तब उच्च शिक्षा में गुणवत्ता पूर्ण कार्य होने लगेगा। डॉ. अंबेडकर कहते हैं ऐसा होने के बाद ही शिक्षा और अनुसंधान का कार्य तेजी से शुरू हो पाएगा।

डॉ अंबेडकर की उच्च शिक्षा के प्रोफेसरों से उम्मीद

डॉ अंबेडकर उच्च शिक्षा के प्रोफेसरों से भी उम्मीद रखते है। यह उम्मीद उनके अनुभव से विकसित हुई थी। डॉ आंबेडकर पर अपने कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सेलिगमैन, प्रोफेसर सीगर आदि प्रोफेसरों के व्यक्तित्व का गहरा प्रभाव था। उन्होंने स्वयं भी प्रोफेसर के रूप में कार्य किया था। अपने पढाने के तरीके से वे विद्यार्थियों में बहुत ही लोकप्रिय थे। डॉ. अंबेडकर अस्प श्य है यह पता चलते ही विद्यार्थी पहले उनके कक्षा में रुचि नहीं लेते थे किंतु जैसे–जैसे उनकी पढाने की शैली प्रशंसा पाने लगी वैसे–वैसे उनकी कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति बढ़ने लगी। अंबेडकर का गहन अध्ययन, सर्वांगीण विवेचन और विचारों का स्पष्टीकरण विद्यार्थियों को कक्षा में बांधे रखता था। यहां तक की अन्य कॉलेज के विद्यार्थी भी अंबेडकर की अनुमति प्राप्त कर उनके कक्षा में उनका व्याख्यान सुनने उपस्थित रहते थे।[19] जो भी सामग्री डॉ. अंबेडकर छात्रों को पढ़ने के लिए तैयार करके पढ़ाते थे वह इतनी प्रभावी और प्रबल होती थी कि उससे ही अर्थशास्त्र पर कई पुस्तक लिखी जा सकती थी।[20]

डॉ. अंबेडकर विश्वविद्यालय शिक्षा को आधुनिक विश्व की आवश्यकताओं को पूरा करने का जरिया बनाना चाहते थे, उनका मानना था कि विश्वविद्यालय को क्लर्कों के प्रशिक्षण की जगह की बजाय ज्ञान प्राप्ति का केंद्र बनाया जाना चाहिए। वे विद्यार्थियों का भी आह्वान करते हैं कि वे विश्वविद्यालय शिक्षा को आधुनिक विश्व की आवश्यकताओं को पूरा करने का जरिया समझे।[21]

शिक्षा के मामले में बाबा साहेब शिक्षक की भूमिका और चयन को लेकर अत्यन्त सतर्क रहते थे। वे मानते थे कि, "शिक्षक राष्ट्र का सारथी होता है। इसलिए शिक्षक बुद्धि से होशियार, वृत्ति से निरीक्षक व मर्मज्ञ होना चाहिए क्योंकि शिक्षा के द्वारा मनुष्य का आत्मिक उन्नयन होता है और वह तभी हो सकता है जब शिक्षक योग्य होगा।"[22]

उन्होंने 1949 में अपने एक मित्र को लिखा, "महाविद्यालय का प्राचार्य किसे नियुक्त किया जाये, इसको लेकर चिन्ता में हूँ। वेतनमात्र के लिये काम करने वाला प्राचार्य, संस्था को अपना मानकर त्याग व आस्थापूर्वक कार्य नहीं करता। वह केवल स्वयं का विचार करता है। लेकिन मुझे तो योग्य प्राचार्य चाहिये।" शिक्षा और शिक्षक के मामले में बाबा साहेब जाति भेद से कहीं दूर थे।[23]

24 दिसंबर, 1952 को डॉ. अम्बेडकर ने राजाराम कालेज के कोल्हापुर वार्षिकोत्सव पर एक सभा मे कहा कि ''ज्ञान मनुष्य के जीवन की बुनियाद है तथा विद्यार्थी की बौद्धिक क्षमता को बनाये रखने और उसकी मेधा को जगाने के लिए हर प्रयास किया जाना चाहिए।''[24]

डॉ. अम्बेडकर ने 2 जनवरी, 1945 को स्टूडेंट्स हाल, कलकत्ता में एक सभा को संबोधित करते हुए मत व्यक्त किया कि सभी छात्रों के साथ, चाहे गरीब हों या अमीर, राजा

हो या रंक, एक–सा बर्ताव किया जाए।[25]

12 फरवरी, 1938 को जीआईपी रेलवे दलित वर्ग कामगार सम्मेलन मे डॉ. अम्बेडकर ने कहा कि शिक्षा एक तलवार है और एक दोहरी धार वाला हथियार होने के कारण इसे चलाना खतरनाक है। चरित्रहीन और विनम्रताहीन शिक्षित व्यक्ति एक जानवर से अधिक खतरनाक होता है। उन्होंने कहा कि यदि उसकी शिक्षा गरीब आदमी के कल्याण के प्रतिकूल है तो ऐसा शिक्षित व्यक्ति समाज के लिए अभिशाप है।[26]

प्रोफेसर कैसा होना चाहिए? इस सवाल का जवाब देते हुये डॉ अंबेडकर ने कहा था। "प्रोफेसर कैसा होना चाहिए? वह केवल विद्वान ही नहीं बल्कि सर्वश्रुत भी होना चाहिए। उसकी वाणी शुद्ध और प्रभावी होनी चाहिए। वह बहुत उत्साही होना चाहिए तथा अपना विषय मनोरंजक रूप में प्रस्तुत करे, ऐसी उसमें शक्ति होनी चाहिए। इससे विद्यार्थियों का भी उत्साह बढ़ेगा।[27] ये गुण कुछ मात्रा में जन्मतः होते हैं और कुछ अनुभव और अध्ययन से सीखने पड़ते हैं। मेरा स्वयं का उदाहरण आपके सामने है। मैं बी.ए. तक बहुत ही सामान्य श्रेणी का विद्यार्थी था। मैं तथा अन्य भी कभी सोच नहीं सकते थे कि मेरे द्वारा कुछ शोधकार्य संपन्न होगा। इसका अर्थ यह नहीं है कि मेरी बुद्धि मंद थी, या मुझे पढ़ने में रुचि नहीं थी। किंतु शोध करने के लिए जो विशिष्ट दृष्टिकोण चाहिए, या प्राध्यापकों द्वारा मार्गदर्शन मिलना चाहिए, यह मेरे बारे में नहीं हुआ था। अतः मेरी सुप्त शक्ति को बढ़ावा नहीं मिल सका। अपने अंदर जो सुप्त गुण होते हैं, उनका विकास होना भी उतना ही आवश्यक है।[28] "अमेरिका जाने के पूर्व तक मेरे अनेक गुण सुप्तावस्था में थे। उनका विकास करने का कार्य प्रो. सेलिग्मन और अन्य विद्वान प्रोफेसरों ने किया, यह बात मुझे माननी पड़ती हैं। इन विद्वान प्रोफेसरों के सान्निध्य में आने पर मुझे अनुभव हुआ कि मैं भी स्वतंत्र रूप से विचार कर सकता हूं।"[29] प्रोफेसर को अपने ज्ञान से अपने व्यवहार से अपने व्यक्तित्व को इतना शुद्ध और प्रभावशाली बना लेना चाहिए कि वह अपनी वाणी से अपने विद्यार्थियों को प्रभावित करने में सक्षम हो सके। विद्यार्थियों को उत्साहित कर सके, विद्यार्थियों के व्यक्तित्व को निखार सके, विद्यार्थियों को पर्याप्त मार्गदर्शन दे सके और विद्यार्थी के अंदर के ऐसे गुणों को पहचान सके जो विद्यार्थी के व्यक्तित्व में सुप्त रूप में समाहित है। प्रोफेसर विद्यार्थी के उन सोए हुए गुणों को जगाए और विद्यार्थी को समर्थवान बनाने के लिए कार्य करें। प्रोफेसर विद्यार्थी की बौद्धिक क्षमता जगाने और उसे बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करें ।

अंबेडकर का मानना है कि प्रोफेसरों को अध्ययन और अध्यापन के काम में अपने को पूर्ण तरह से डुबो लेना चाहिए, पूर्णतया समर्पित हो जाना चाहिए। यह समर्पण इस स्तर का होना चाहिए कि उन्हें इस संसार की, अपने घर परिवार की भी कोई फुर्सत न हो। अपने घर परिवार की जिम्मेदारी उन्हें अपनी पत्नी के सुपुर्द कर लेनी चाहिए। डॉ अंबेडकर साफ–साफ कहते हैं कि अध्ययन अध्यापन और अनुसंधान के कार्यों के अलावा प्रोफेसर अगर बेकार के कामों में अपनी जिम्मेदारी बनाते हैं तो यह उन्हें कतई स्वीकार्य नहीं है।[30]

निष्कर्ष

उच्च शिक्षा शिक्षकों यानी कॉलेज और विश्वविद्यालय में कार्यरत प्रोफेसरों के लिए डॉ. अंबेडकर का स्प ट संदेश है कि उनके कार्य में यानि अध्ययन–अध्यापन में अनुसंधान भी

शामिल है। इन तीन बातों के अलावा प्रोफेसरों को कोई अन्य काम नहीं करना चाहिए। प्रोफेसर केवल अध्ययन, अध्यापन और अनुसंधान कामों के लिए ही समर्पित रहें। इसके साथ साथ वे सभी छात्रों के साथ, चाहे गरीब हों या अमीर, राजा हो या रंक, एक–सा बर्ताव करते हुये विद्यार्थी की बौद्धिक क्षमता को बनाये रखने और उसकी मेधा को जगाने के लिए हर सम्भव प्रयास करे। प्रोफेसर ऐसे विद्यार्थी तैयार करे जो गरीब आदमी के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य करे।

❐

सन्दर्भ –

1. *अंबेडकर, डॉ भीमराव, (अगस्त 2020) "किसी समुदाय की प्रगति हमेशा उसकी शिक्षा पर निर्भर है" बाबा साहेब डॉ. अंबेडकर सम्पूर्ण वाड्ग्मय खंड 37, डॉ. अंबेडकर प्रतिष्ठान, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित, पृ. 374*
2. *मून,वसंत,(1991), "डॉ बाबासाहब अंबेडकर", अनुवादक प्रशांत पांडे, नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया, पृ. 18*
3. *पूर्वोक्त, पृ. 31*
4. *अंबेडकर, डॉ भीमराव, (अगस्त 2020) "उपाधि से सकारात्मक ज्ञान भी मिले" बाबा साहेब डॉ.अंबेडकर सम्पूर्ण वाड्ग्मय, खंड 37, डॉ. अंबेडकर प्रतिष्ठान, सामाजिक न्याय और अध्किारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित, पृ. 327*
5. *भीमराव कुरील, "डॉ. अंबेडकर का शिक्षा मे योगदान" सम्यक प्रकाशन, नई दिल्ली, 2010, पृ. 155–156*
6. *पूर्वोक्त, पृ. 138–152*
7. *अंबेडकर, डॉ भीमराव, (अक्टूबर 2013), "विश्वविद्यालय सुधार समिति " बाबा साहेब डॉ. अंबेडकर सम्पूर्ण वाड्ग्मय खंड 3," डॉ. अंबेडकर बंबई विधानमंडल में" डॉ. अंबेडकर प्रतिष्ठान, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित, पृ. 330*
8. *अंबेडकर, डॉ भीमराव, (अक्टूबर 2013), "बंबई विश्वविद्यालय अधिनियम–संशोधन विधेयक " बाबा साहेब डॉ० अंबेडकर सम्पूर्ण वाड्ग्मय खंड 3," डॉ. अंबेडकर बंबई विधानमंडल में " डॉ. अंबेडकर प्रतिष्ठान, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित, पृ. 63–64*
9. *पूर्वोक्त, पृ. 64*
10. *अंबेडकर, डॉ भीमराव, (अक्टूबर 2013), "विश्वविद्यालय सुधार समिति " पूर्वोक्त, पृ. 333*
11. *अंबेडकर, डॉ सविता भीमराव, (2014), "डॉ भीमराव अंबेडकर के संपर्क मे" सम्पादन एंव लेखन सहयोग विजय सुरवाड़े, अनुवाद डॉ. अनिल गजभिये, सम्यक प्रकाशन, पृ. 222*
12. *अंबेडकर, डॉ भीमराव, (अगस्त 2020) "उच्च शिक्षा ही हमारी सभी सामाजिक बीमारियो का इलाज है" बाबा साहेब डॉ० अंबेडकर सम्पूर्ण वाड्ग्मय खंड 40, डॉ. अंबेडकर प्रतिष्ठान, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित, पृ. 210*
13. *अंबेडकर, डॉ भीमराव, (अगस्त 2020) "प्रोफेसर अध्ययन, अध्यापन और अनुसंधान कामों के लिए ही समर्पित रहें" बाबा साहेब डॉ० अंबेडकर सम्पूर्ण वाड्ग्मय खंड 40, डॉ. अंबेडकर प्रतिष्ठान, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित, पृ. 53*
14. *पूर्वोक्त, पृ. 53*
15. *पूर्वोक्त, पृ. 53*
16. *पूर्वोक्त, पृ. 54*
17. *पूर्वोक्त, पृ. 54*
18. *पूर्वोक्त, पृ. 54*
19. *मून,वसंत,(1991), "डॉ बाबासाहब अंबेडकर", पूर्वोक्त पृ. 18*
20. *गजभिए संजय, (2018), "संवैधानिक भारत निर्माता बाबा साहेब डॉ अंबेडकर और महाप्राण जोगेंद्रनाथ मंडल" सम्यक प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 72*

21. अंबेडकर, डॉ भीमराव, (अगस्त 2020) "''विश्वविद्यालय शिक्षा को आधुनिक विश्व की आवश्यकताओं को पूरा करने का जरिया समझे छात्र'' बाबा साहेब डॉ० अंबेडकर सम्पूर्ण वाड्ग्मय खंड 37, डॉ. अंबेडकर प्रतिष्ठान, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित, पृ. 460
22. अग्निहोत्री, कुलदीप चन्द, (2018), डॉ भीमराव रामजी अंबेडकर यात्रा के पदचिन्ह, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत, पृ. 140
23. पूर्वोक्त, पृ. 140
24. अंबेडकर, डॉ भीमराव, (अगस्त 2020) "ज्ञान मनुष्य के जीवन की बुनियाद है " बाबा साहेब डॉ० अंबेडकर सम्पूर्ण वाड्ग्मय खंड 37, डॉ. अंबेडकर प्रतिष्ठान, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित, पृ. 460
25. अंबेडकर, डॉ भीमराव, (अगस्त 2020) "उपाधि से सकारात्मक ज्ञान भी मिले" बाबा साहेब डॉ.अंबेडकर सम्पूर्ण वाड्ग्मय खंड 37, डॉ. अंबेडकर प्रतिष्ठान, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित, पृ. 328
26. अंबेडकर, डॉ भीमराव, (अगस्त 2020), "चरित्रहीन और विनम्रताहीन शिक्षित व्यक्ति एक जानवर से अधिक खतरनाक होता है" बाबा साहेब डॉ० अंबेडकर सम्पूर्ण वाड्ग्मय खंड 37, डॉ. अंबेडकर प्रतिष्ठान, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित, पृ. 184
27. बौद्ध, शांति स्वरूप, ऐसे थे हमारे बाबासाहेब, सम्यक प्रकाशन, नई दिल्ली, 2014, पृ. 94
28. पूर्वोक्त, पृ. 94
29. पूर्वोक्त, पृ. 95
30. अंबेडकर, डॉ भीमराव, (अगस्त 2020) "प्रोफेसर अध्ययन, अध्यापन और अनुसंधान कामों के लिए ही समर्पित रहें " पूर्वोक्त, पृ. 55

पूर्वदेवा– *सामाजिक विज्ञान शोध पत्रिका*
वर्ष 29, अंक, 114–115, जुलाई–दिसम्बर, 2023 पृ. 44–50

UGC Care Listed Journal
ISSN 0974 -1100

कोडरमा जनपद (झारखण्ड) के परिवहन तन्त्र का भौगोलिक अध्ययन

डॉ. अतुल कुमार दुबे
सहायक प्राध्यापक/विभागाध्यक्ष (भूगोल विभाग), हर्ष विद्या मंदिर (पी.जी.) कालेज
रायसी, हरिद्वार (उत्तराखण्ड)

सारांश

प्रस्तुत शोध पत्र में अध्ययन क्षेत्र भारत की अभ्रक राजधानी कोडरमा जिला (झारखण्ड) के धरातलीय विषमता, प्राचीन भूगर्भिक संरचना मौसमी परिवर्तन एवं अपवाह तन्त्र का समेकित प्रभाव परिवहन तन्त्र पर दृष्टिगत होता है। अतः इस विषय वस्तु का समुचित अध्ययन और विश्लेषण किया गया है। इस जनपद का सृजन 10 अप्रैल 1994 को हजारीबाग जनपद से पृथक कर बनाया गया है कोडरमा जनपद छोटानागपुर के पठार पर अवस्थित है। जो अत्यन्त प्राचीन भूखण्ड गोडवाना लैण्ड का महत्वपूर्ण भाग है। यहां की धरातलीय संरचना अत्यन्त जटिल है। यहाँ आद्यकल्प से लेकर नूतनजीवी महाकल्प की चट्टानें विद्यमान है। यहां का अधिकांश भाग कठोर रवेदार चट्टानों से बनी हुई इनकी चट्टानों में ग्रेनाइट, नीस तथा शिष्ट की बहुलता पायी जाती है। कोडरमा जनपद की सम्पूर्ण धरातलीय संरचना का विश्लेषण आर्कियन क्रम, धारवाड क्रम एवं निम्न गोडवाना क्रम के रूप में दिया गया है। सभी भौगोलिक तथ्यों का समन्वित प्रभाव परिवहन तन्त्र पर दृष्टव्य है।

मूल शब्द– परिवहन, तृतीयक आर्थिक क्रिया, अर्थव्यवस्था, परिवहन तन्त्र।

उद्देश्य–

1. ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र वासियों के जीवन शैली को बदलने में परिवहन तन्त्र की भूमिका को बता सकें।
2. परिवहन की आधारभूत आवश्यकताओं एवं प्रकार के बीच सम्बन्ध स्थापित कर सकें।
3. अध्ययन क्षेत्र के सड़क, रेल, जल तथा वायु मार्गों की प्रणाली तथा व्यवस्था तन्त्र की पहचान कर सकें ।

4. अध्ययन क्षेत्र के बदलते व्यापर एवं परिवहन को दर्शाने वाले प्रतिरूप ग्राफ , चित्र एवं आकडों की अच्छी तरह प्रस्तुति कर सकेगें ।

5. परिवहनीय साधनों तथा मार्गों की आधारभूत संरचनाओं पर पड़ने वाले प्रभाव पर जानकारी प्राप्त कर सकेगें ।

अध्ययन क्षेत्र– झारखण्ड का प्रवेश द्वार, भारत की अभ्रक राजधानी के रूप में विश्व विख्यात कोडरमा जिला (झारखण्ड) छोटानागपुर के उत्तरी भाग में अवस्थित है। इसका अक्षांशीय विस्तार– 24^0 15′46′′ उत्तरी अक्षांश से लेकर 24^0 40′18″ उत्तरी अक्षांश तथा देशान्तरीय विस्तार– 85^0 26′01′′ पूर्वी देशान्तर से लेकर 85^0 54′16′′ पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित हैं। यह जनपद 1500 वर्ग कि.मी. क्षेत्र पर फैला हुआ है। इस जनपद के उत्तर में बिहार का नवादा जिला, दक्षिण में झारखण्ड का हजारीबाग जिला, पूर्व में गिरिडीह जिला और पश्चिम में बिहार के गया जिले से घिरा हुआ है।

परिवहन प्रतिरूप–

आधुनिक युग में परिवहन तंत्र आर्थिक विकास का अभिन्न अंग बन गया। इससे कृषि, उद्योग, अर्थव्यवस्था तथा व्यापार आदि का विकास करने में सहायता मिलती है। साथ ही साथ क्षेत्रों एवं क्षेत्र के लोगों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने तथा जीवन यापन के स्तर में प्रादेशिक असमानता को दूर करने में भी परिवहन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ''एक सुव्यवस्थित परिवहन तन्त्र का विकास क्षेत्र के विकास का द्योतक होता है परिवहन आर्थिक विकास की रीड़ हैं।''[1]

परिवहन के साधन (Means of Transport)

परिवहन के साधन किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए आवश्यक साधन होता हैं।[2] कोडरमा जनपद अत्याधिक धरातलीय विषमता, छोटी–छोटी मौसमी नदियाँ तथा पहाड़ियों से भरा होने के कारण परिवहन के साधनों के विकास को अत्यंत प्रभावित करता है। यहाँ मुख्य रूप से सड़क एवं रेल परिवहन का उपयुक्त विकास हुआ है, जबकि जल परिवहन एवं वायु परिवहन का कम विकास हुआ है।

कोडरमा जनपद में कुल 700 कि.मी. सड़क तथा 108 कि.मी. रेलवे लाइन का विस्तार पाया जाता है तथा सम्पूर्ण जनपद में केवल तिलैया डैम क्षेत्र में ही जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध है।[3] वही केवल कोडरमा जिला मुख्यालय में एक हैलीपैड का निर्माण किया गया है। स्मरणीय है कि आजादी के 70 साल बाद भी इस जनपद के मात्र 70 प्रतिशत गाँव ही सड़क मार्ग से जुड़े हुए हैं। परिवहन विभिन्न प्रदेशों के आर्थिक सम्बन्धों को व्यक्त करता है।[4]

उपर्युक्त तथ्यों के अध्ययन से स्पष्ट है कि कोडरमा जनपद परिवहन व्यवस्था की दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है जहाँ 30 प्रतिशत गाँव में वर्षा के दिनों में पैदल चलना मुश्किल होता है। यहाँ विद्यमान परिवहन के साधनों को निम्न शीर्षकों के अन्तर्गत रखकर अध्ययन किया जा रहा है –

ऽ सड़क परिवहन

ऽ रेल परिवहन

ऽ जल परिवहन

ऽ वायु परिवहन

सड़क परिवहन (Road Transport)

'भारत में सडक जन साधारण के परिवहन का प्रमुख साधन है।'[5] जनपद में परिवहन के साधनों में सबसे महत्वपूर्ण साधन सड़क परिवहन है। यहाँ कुल सड़क मार्गों की लम्बाई 700 कि.मी. है, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग 45 कि.मी., राजकीय राजमार्ग 18 कि.मी., जिला सड़क 210 कि.मी. तथा ग्रामीण सड़कों की कुल लम्बाई 427 कि.मी. है।[6] जनपद में वर्तमान में लगभग 70 प्रतिशत गाँव ही सड़क मार्ग द्वारा जुड़े है, किन्तु वर्तमान में प्रधानमंत्री सड़क योजना से यहाँ सड़क निर्माण कार्य में तेजी आयी है। नागपुर सड़क योजना (Nagpur road plan) 1943 के अनुसार जनपद के सड़कों को निम्न प्रकारों में रखा गया है –

कोडरमा जनपद : सड़क परिवहन प्रमुख मार्ग

चित्र संख्या– 1

ऽ राष्ट्रीय राजमार्ग

ऽ राजकीय राजमार्ग

ऽ जिला सड़कें

ऽ ग्रामीण सड़कें व अन्य सड़कें

राष्ट्रीय राजमार्ग (National Highway)

जनपद में विस्तृत एक मात्र राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या– 31 (N- H-31) है जो बिहार के पटना से झारखंड के रांची शहर को जोड़ता है। यह जनपद का मुख्य सड़क मार्ग है। जिसका रख–रखाव केन्द्र सरकार करती है।

जनपद में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या की लम्बाई 45 कि.मी. है जो बिहार–झारखंड सीमा पर स्थित दिबौर घाटी से लेकर दक्षिण में बराकर नदी तक विस्तृत है। जनपद में इस राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या– 31 की लम्बाई जनपद की कुल सड़क की लम्बाई का मात्र 8.6 प्रतिशत है लेकिन इनके जरिये सड़क परिवहन का 40 प्रतिशत यातायात होता है। यह जनपद के कोडरमा वन्यजीव अभयारण्य, अभ्रक खनन क्षेत्र, लौह–इस्पात उद्योग, मेघातरी, ताराघाटी कोडरमा जिला मुख्यालय, झुमरी तिलैया जैसे आर्थिक एवं घनी आबादी वाले क्षेत्रों को स्पर्श करते हुए गुजरती है। अतः इसे जनपद में आर्थिक विकास की रीढ़ माना जाता है।

राजकीय राजमार्ग (State Highway)

राजकीय राजमार्ग संख्या–28 जनपद की दूसरी महत्वपूर्ण सड़क है। जो कोडरमा से डोमचांच (कीमती पत्थर उद्योग क्षेत्रों) होती हुई गिरीडीह तक जाती है। नवलशाली, पूरनडीह, डोमचांच जैसे काला ग्रेनाइट पत्थर उद्योग इसी मार्ग पर स्थित है। जहाँ सैकड़ों टन गिट्टी प्रतिदिन बाहरी जनपदों को भेजा जाता है। स्थानीय लोग इस मार्ग को गिट्टी मार्ग कहते हैं। स्मरणीय है कि इस मार्ग पर जनपद का सम्पर्क गिरीडीह, धनबाद आदि कोयला एवं अन्य खनिज प्रधान जनपदों से होता है। अतः जनपद के आर्थिक विकास में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है।

जिला सड़कें (District Roads)

ये सड़कें जिला मुख्यालय को जिले के अन्य स्थानों से मिलाती है। जनपद में ग्रामीण सड़कों के बाद लम्बाई की दृष्टि से जिला सड़क का दूसरा स्थान है। इन सड़कों की कुल लम्बाई 210 कि.मी. है।[7] जो जनपद की कुल सड़क का लगभग 30 प्रतिशत है। जनपद में प्रमुख जिला सड़क निम्नलिखित है–

कोडरमा–सतगांवां सड़क मार्ग

कोडरमा–मरकच्चो सड़क मार्ग

ग्रामीण एवं अन्य सड़क मार्ग (Villages & Other Roads)

इसमें ग्रामीण सड़क, प्राइवेट सड़क, दामोदर वैली निगम की सड़क, नगरीय सड़क, विभागीय सड़क आदि शामिल हैं। इन सड़कों की लम्बाई जनपद में 427 कि.मी. है, जिसमें डी.वी.सी. द्वारा निर्मित 8 कि.मी. (कोडरमा मोड़ से तिलैया डैम तक) सड़क शामिल है किन्तु वर्तमान में ग्रामीण सड़कों के निर्माण में तेजी आई है। अब धीरे–धीरे अधिकांश गाँव प्रधानमंत्री सड़क योजना से जुड़ने लगे हैं ।

रेलमार्ग (Railway)

'रेलवे देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका रखती है।'[8] जनपद में रेलमार्ग या रेल परिवहन सड़क के बाद दूसरा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जनपद से दिल्ली–

हाबड़ा एवं राजगीर–हजारीबाग महत्वपूर्ण रेलवे लाइन गुजरती है। जिनसे इस जनपद का सम्पर्क कलकत्ता– दिल्ली से आसानी से हो जाता है । दिल्ली–हाबड़ा रेलवे लाइन को ग्रैंड कार्ड रेलवे लाइन भी कहते हैं। वर्तमान में यहाँ कुल रेलवे लाइन का विस्तार 118 कि.मी. है जिसमें डिलवा से परसावाद तक लगभग 57 कि.मी. ग्रैंड कार्ड सेक्शन शामिल है। शेष 51 कि.मी. राजगीर–हजारीबाग रेलवे लाइन के रूप में विस्तृत है। यहाँ हजारीबाग–कोडरमा, गिरीडीह–कोडरमा एवं अन्य स्थानों पर रेलवे पथ बिछाने का कार्य प्रगति पर है, जो जल्द ही जनता को समर्पित की जाएगी। 'रेलव सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बडा उपक्रम है।'[9] 'भारतीय रेल प्रणाली विश्व की सबसे बडी रेल प्रणाली है।'[10]

उपर्युक्त रेलवे लाइनों का अध्ययन निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत किया जा रहा है–

कोडरमा जनपद : रेलमार्गों का विस्तार

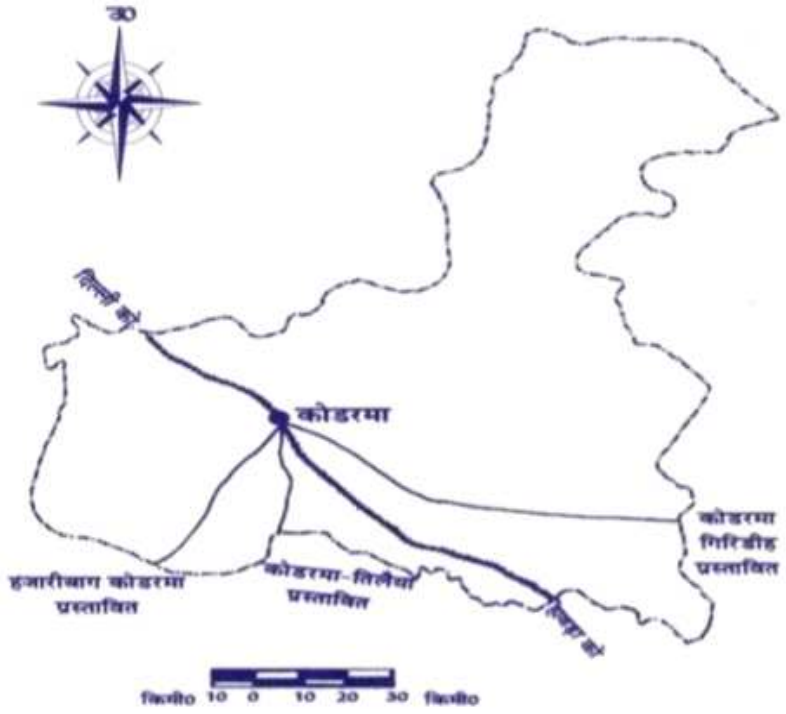

चित्र संख्या – 2

दिल्ली हाबड़ा रेलमार्ग

दिल्ली–हाबड़ा रेलमार्ग जनपद में निर्मित प्रथम रेलमार्ग है। जिसका निर्माण 20वीं शताब्दी के प्रारम्भ में अंग्रेजों द्वारा छोटानागपुर पठार से खनिज पदार्थों के दोहन के लिए किया गया था। यह रेलमार्ग न केवल कोडरमा जनपद की बल्कि देश की महत्वपूर्ण रेलवे लाइन है,

जो जनपद में पश्चिम में डिलवा स्टेशन से पूरब में परसाबाद स्टेशन तक लगभग 57 कि.मी. की लम्बाई में विस्तृत है। इस मार्ग पर डिलवा, गंझंडी, कोडरमा, हीरोडीह, परसावाद आदि महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है। वर्तमान में इस पर राजधानी, इन डिलक्स, पूर्वा छिप्रा, जम्मूतवी, सियालदह जैसे द्रुतगति वाले एक्सप्रेस चलते हैं, तथा दिन में मालगाड़ी की अधिकता रहती है। जो जनपद के लोगों को व्यापार, स्वास्थ्य तथा आवागमन में सहयोग देते हुए विकास का मार्ग प्रशस्त करते हैं। जनपद का यह एकमात्र रेलमार्ग है जो डबल लेन तथा विद्युतीकरण जैसे सुविधाओं से लैस है। इससे जनपदवासियों को देश के किसी भी कोने में जाने हेतु रेलगाड़ियाँ उपलब्ध हो जाती है।

कोडरमा–तिलैया रेलमार्ग

इस रेलमार्ग का निर्माण कार्य दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया जो अब बनकर पूर्ण हो चुका है तथा आवागमन शुरू हो गया है। इस रेलमार्ग के बन जाने से जनपदवासियों का पटना, राजगीर तथा इस्लामपुर से सम्पर्क बन गया है। फलस्वरूप इनके अभ्रक के लिए पास में ही पटना तथा राजगीर जैसा बाजार उपलब्ध हो जाता है। साथ ही यहाँ के लोगों को व्यापार तथा स्वास्थ्य सुविधाओं का भी लाभ मिल रहा है। जनपद में इस रेलमार्ग की लम्बाई मात्र 12 कि.मी. है जो तिलैया रेलवे स्टेशन (बिहार) से कोडरमा का जोड़ती है।

हजारीबाग–कोडरमा रेलमार्ग

इस मार्ग की रूपरेखा भी 10वीं पंचवर्षीय योजना में बनी थी जो अब बनकर तैयार हो गया है। कोडरमा रेलवे स्टेशन से दक्षिण की ओर जाने वाले इस रेलमार्ग के बन जाने से जनपदवासियों का संबंध हजारीबाग, राँची जैसे शहरों एवं राजधानी से हो गया है।

जनपद में इस मार्ग की लम्बाई ग्रैंड कार्ड सेक्शन से बराकर नदी तक 14 कि.मी. है ।

गिरीडीह–कोडरमा रेलमार्ग

यह रेलमार्ग गिरीडीह से कोडरमा को जोड़ता है जो जयनगर होते जाता है। इसकी लम्बाई 35 कि.मी. है।[11]

उपर्युक्त अध्ययन से स्पष्ट होता है कि वर्तमान में कोडरमा जनपद रेलमार्ग की दृष्टि से एक धनी जनपद है। क्योंकि यहाँ के जिला मुख्यालय से चारों ओर रेलमार्गों का जाल फैल चुका है। जैसे– दिल्ली–हाबड़ा रेलमार्ग (पूर्व–पश्चिम दिशा में), तिलैया–कोडरमा रेलमार्ग (उत्तर से दक्षिण), कोडरमा–हजारीबाग रेलमार्ग (मुख्यालय से दक्षिण की ओर) तथा कोडरमा–गिरीडीह रेलमार्ग मिलकर त्रिज्याकार जाल बनाते हैं । इस प्रकार परिवहन वस्तु तथा यात्राओ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की प्रक्रिया को कहते है।'

जल परिवहन

जनपद में जल परिवहन कभी भी विकसित अवस्था में नहीं रहा है। यहाँ की तीव्र बरसाती एवं उथली नदियाँ, उबड़–खाबड़ धरातल, जलप्रपात आदि जल परिवहन के लिए प्रतिकूल है। केवल तिलैया बाँध से उत्पन्न जलाशय के चारों ओर स्थित ग्रामवासी इस जलाशय का उपयोग जल परिवहन हेतु करते हैं। जैसे– उरमा तथा तिलैया पंचायत के लोग जलाशय के उस पार के गाँवों में जाने हेतु नौका का उपयोग करते हैं। इसके अलावा जनपद में कहीं

भी जल परिवहन का उपयोग देखने को नहीं मिलता है। जिसका मुख्य कारण उथली एवं बरसाती नदियाँ, पहाड़ी एवं पठारी धरातलीय स्वरूप आदि को माना जाता है।

वायु परिवहन

'विकास तथा विस्तार का अर्थव्यवस्था और समाज पर बडा असर डालता है' वायु परिवहन परिवहन का सबसे द्रूत साधन है।[12] जनपद में वायु परिवहन का अल्प विकास हुआ है । यहाँ कोई भी राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डे नहीं हैं। केवल जिला मुख्यालय पर एक हैलीपैड का निर्माण किया गया है। जनपद में अभ्रक, ब्लूस्टोन, काली ग्रेनाइट जैसे बहुमूल्य खनिज एवं इन पर आधारित उद्योगों के विकास की प्रबल सम्भावना है। साथ ही पेट्रो जलप्रपात, तिलैया डैम, कोडरमा घाटी जैसे मनोरम एवं आकर्षक स्थल पर्यटकों को लुभाता है जिनके विकास हेतु वायु परिवहन को विकसित किया जाना आवश्यक है।

इस प्रकार हम कह सकते है कि परिवहन एक महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया है। के तृस्तरीय वर्गीकरण में परिवहन को तृतीय क्रिया के अन्तर्गत सम्मित करते है।[13] जो किसी भी क्षेत्र के विकास की धूरि है। तृतीयक उत्पादन कार्यो में परिवहन का प्रमुख स्थान है।[14]

❒

सन्दर्भ –

1. *तिवारी, रामकुमार (2011) झारखण्ड का भूगोल, राजेश पब्लिकेशन नई दिल्ली, पृ.146*
2. *गौतम, अल्का (2022) भारत का भूगोल, शारदा पुस्तक भवन इलाहाबाद, पृ.526*
3. *koderma.nic.in*
4. *उपरोक्त, पृ. 526*
5. *तिवारी आर.सी. (2019) भारत का भूगोल, प्रवांतिका पब्लिकेशन इलाहाबाद, पृ. 487*
6. *koderma.nic.in*
7. *koderma.nic.in*
8. *उपरोक्त, पृ. 500*
9. *वैष्णव अखिलेश (2011) परिवहन भूगोल, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी शिक्षा मंत्रालय (भारत सरकार), प   श्ठ 367*
10. *वंशल सुरेशचन्द्र (2008) भारत का बृहत् भूगोल, मीनाक्षी प्रकाशन मेरठ, (उ. प्र.), पृ. 667*
11. *सुल्लर डी आर (2017), भारत, Mc Grow, Hill. Eduction Private Limited Chennai (Page 7.147)*
12. *हूसैन माजिद (2020), भारत का भूगोल, Mc Grow, Hill. Eduction Private Limited Chennai (Page –12.11, 12.23)*
13. *मौर्य एस. डी. (2015), आर्थिक भूगोल, प्रवांतिका पब्लिकेशन इलाहाबाद, पृ. 484*
14. *सिंह जगदीश (2014), आर्थिक भूगोल के मूल तत्व, ज्ञानोदय प्रकाशन गोरखपुर, पृ. 435*

पूर्वदेवा– *सामाजिक विज्ञान शोध पत्रिका*
वर्ष 29, अंक, 114–115, जुलाई–दिसम्बर, 2023 पृ. 51–56

UGC Care Listed Journal
ISSN 0974 -1100

लोक साहित्य में सांस्कृतिक विविधता के स्वर (उत्तराखण्ड के विशेष संदर्भ में)

डॉ. गार्गी लोहनी
असिस्टेंट प्रोफेसर, हिन्दी विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मानिला (अल्मोड़ा)
E-mail >drgargilohani@gmail.com> Mob. 7480967604

सारांश

उत्तराखण्ड एक पर्वतीय प्रदेश है। यहां की भौगोलिक विविधता मानव समाज के दैनिक जीवन को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष दोनो ही रूपों में प्रभावित करती है। यही कारण है कि यहां की सांस्कृतिक धरोहर में भी विविधता के गुण विद्यमान होना स्वाभाविक है। यहां की सांस्कृतिक विविधता न केवल समाज को एक अलग पहचान दिलाती है बल्कि यह विविध सामाजिक समस्याओं के जन्म एवं उसके पालन–पोषण का आधार भी साबित हुई है। प्रदेश की धार्मिक, जातिगत एवं प्रजातीय भिन्नता, भाषाई एवं व्यावसायिक भिन्नता, खान–पान, पहनावा आदि सांस्कृतिक विविधता के ही परिचायक हैं।

लोक साहित्य साहित्य की एक विधा है। इस विधा के अंतर्गत समाज में परंपरा से चली आ रही उन सांस्कृतिक धरोहरों को सम्मिलित किया गया है, जिनका आधार मौखिक या श्रुति परंपरा रही है। इसके अंतर्गत सामाजिक रीति–रिवाजों, लोक कथाओं, लोक गीतों, लोक नाट्यों, लोक गाथाओं आदि को सम्मिलित किया जाता है। इन धरोहरों को संरक्षित एवं संवर्द्धित करने के उद्देश्य से आज इसे मुद्रित रूप में संकलित करने का कार्य किया जा रहा है। डॉ. केशवदत्त रूवाली लोक साहित्य को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं– ''लोक साहित्य, जनमानस की वह मौखिक और सहज अभिव्यक्ति है, जो व्यक्ति विशेष की रचना होते हुए भी सम्पूर्ण क्षेत्र या अंचल के निवासियों की सामूहिक निधि हो, जिसकी भाव राशि एवं कथन भंगिमा में विशिष्ट निजता हो और जिसमें लोक की युग–युगीन वाणी साधना प्रतिबिम्बित हुई हो।'' इससे यह स्पष्ट होता है कि लोक–साहित्य आमजनों की भावनाओं की अभिव्यक्ति है। क्योंकि उत्तराखण्ड में वर्तमान में अनेक संस्कृतियां एक साथ पल–बढ़ रही हैं ऐसे में यहां के लोक साहित्य में इन समस्त संस्कृतियों का समावेश होना स्वाभाविक है। यही कारण है कि यहां के लोक साहित्य में विविध संस्कृतियों के स्वर

गूंजते हैं लेकिल बदलते समय के साथ इस प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियां अपना अस्तित्व खोती जा रही है, जिसे बचाने के लिए आज इसे मुद्रित रूप में संरक्षित करने की आवश्यकता पड़ी है। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत शोधपत्र हेतु शीर्षक के रूप में ''लोक साहित्य में सांस्कृतिक विविधता के स्वर : उत्तराखण्ड के विशेष संदर्भ में'' विषय का चयन किया गया है।

प्रस्तावना

फ्रांस के एक लोक गीत में कहा गया है कि ''न कोई ऐसा गांव है, जिसका कोई गीत न हो, न कोई ऐसी घाटी है, जहाँ कोई निलोफर न खिलते हों.....।''**1** इस लोक गीत से यह स्पष्ट है कि विश्व का प्रत्येक समाज स्वयं में कुछ खास विशिष्टता को समाहित रखता है। यही विशिष्टता उसे अन्य समाज से एक अलग पहचान दिलाती है। इस विशिष्टता का आधार स्थानीय पर्यावरण में निहित होता है। स्थानीय स्तर पर मनाये जाने वाले त्योहार, खान–पान, पहनावा आदि इसके उदाहरण मात्र हैं। इन विशिष्ट कारकों में स्थानीय साहित्य का अपना विशेष महत्व रहा है। यह न केवल स्थानीय जन मानस के मन में स्वाभिमान एवं सामुदायिक भावना को जागृत करती है बल्कि समाज में उत्पन्न समस्याओं के समाधान हेतु सामूहिक प्रयास के लिए अभिप्रेरित करने का कार्य भी करती है। वर्तमान समाज सूचना क्रांति के दौर से गुजर रहा है। यह वह दौर है, जिसने मानव–मानव के मध्य विद्यमान भौगोलिक दूरी को लगभग समाप्त करने का कार्य किया है। इस कारण समाज में सांस्कृतिक संक्रमण की दर में अप्रत्याशित वृद्धि देखने को मिलती है।

उत्तराखण्ड जो भारत का पर्वतीय प्रदेश है, भी आज सांस्कृतिक संक्रमण की पीड़ा से ग्रसित है। लेकिन इसका इतिहास ठीक इसके विपरीत रहा है। परंपरा से यह प्रदेश प्राकृतिक सुंदरता, भौगोलिक विविधता तथा पारंपरिक सौहार्द के लिए जाना जाता रहा है। क्षेत्र की इन्हीं विशेषताओं के कारण समय–समय पर अनेक ऋषि मुनियों का आगमन इस धरा पर होता रहा है। इतना ही नहीं अनेक प्रजाति एवं जाति के लोग भी यहां अलग–अलग क्षेत्रों से आकर बसते रहे हैं। इसी कारण प्रदेश की संस्कृति में व्यापक विविधता के गुण स्वाभाविक रूप से देखने को मिलते हैं, जो प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को न केवल समृद्धशाली एवं गौरवशाली बनाते हैं बल्कि यह इसे राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग पहचान भी दिलाते हैं। इसकी झलक यहां के प्रचलित स्थानीय गीत, नाट्य, कथा आदि में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इन कलाओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए आज इसे स्थानीय स्तर पर श्रुति परंपरा में चलायमान रखने की पहल की जा रही है साथ ही मुद्रित रूप में संकलित करने की पहल भी की जा रही है, जिसे लोक साहित्य के नाम से संबोधित किया जाता है।

लोक साहित्य साहित्य सृजन की एक विधा है। यह विधा समाज में परंपरा से चले आ रहे सांस्कृतिक विधानों एवं परंपराओं को संरक्षित करने का एक सशक्त माध्यम है। उत्तराखण्ड की सांस्कृतिक विरासत का इतिहास अत्यन्त समृद्धशाली है। यहां की भौगोलिक विविधता एवं लोक साहित्य मानव समाज की नैसर्गिक आवश्यकताओं को सहेजने की एक नवीन विधा है। इसका प्रत्यक्ष संबंध लोक जीवन से होने के कारण यह आमजनों में अधिक लोकप्रिय होता है। इस साहित्य का आरंभिक स्वरूप श्रुतियों एवं स्मृतियों पर आधारित रहा है। लोक गीत, लोक गाथा, लोक नाट्य आदि लोक संस्कृति के वाहक रहे हैं। इसी माध्यम से सामाजिक परंपराओं

तथा सामाजिक–सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण एवं प्रसार वर्षों से समाज करता आया है। इन सांस्कृतिक विरासत को लिपिवद्ध करने की साहित्यिक प्रक्रिया ही लोक साहित्य के नाम से जानी जाती है।

लोक साहित्य लोक और साहित्य नामक दो शब्दों के मेल से बना है। लोक का अर्थ है जनसामान्य जबकि साहित्य व्यक्ति के मनोभावों की अभिव्यक्ति का वाचिक या लिखित स्वरूप है। इसे व्यक्ति के अंतःमन का दर्पण भी कहा जा सकता है। इस प्रकार लोक साहित्य वह विधा है जिसके अंतर्गत जनसामान्य के मनोंभावों की झलकियां समाहित हैं। 'लोक' शब्द को स्पष्ट करते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है– ''लोक शब्द का अर्थ 'जनपद' या 'ग्राम्य' नहीं है बल्कि नगरों और ग्रामों में फैली हुई वह समूची जनता है जिनके ज्ञान का व्यावहारिक आधार पोथियाँ नहीं हैं। नगर में परिष्कृत, रूचि सम्पन्न तथा सुसंस्कृत समझे जाने वाले लोगों की अपेक्षा अधिक सरल और अकृत्रिम जीवन के अभ्यासी होते हैं तथा परिष्कृत रूचि सम्पन्न व्यक्तियों की विलासिता तथा सुकुमारता को जीवित रखने वाली आवश्यक वस्तुएँ उत्पन्न करते हैं। जबकि साहित्य का तात्पर्य उस विधा से है जिसमें व्यक्ति अपने मनोभावों या विचारों की अभिव्यक्ति भाषा के माध्यम से करता है।''[2]

डॉ. कृष्णदेव उपाध्याय ने लोक शब्द को परिभाषित करते हुए लिखा है कि ''आधुनिक सभ्यता से दूर, अपने प्राकृतिक परिवेश में निवास करने वाली तथा कथित अशिक्षित और असंस्कृत जनता को लोक कहते हैं। जिनका आचार विचार और जीवन परंपरा युक्त नियमों से नियंत्रित होता है तथा इन्हीं लोगों के साहित्य को लोक साहित्य कहते हैं।''[3] अनेक दृष्टियों से लोक साहित्य वैयक्तिक और सामुदायिक जीवन के विविध स्वरूपों के एक छायाचित्र का काम करता है। यह वर्तमान समाज के बहुत करीब होता है। आम जनों की अभिव्यक्ति होने के कारण लोगों के उपर इनकी पकड़ अधिक होती है। यह तात्कालिक समाज के लिए दर्पण का कार्य करता है तथा उसे समझने में अत्यधिक मददगार होता है। बड़े से बड़ा लेखक जिन विषयों को केन्द्रित कर अपने लेख का आलेखन करता है वह अक्सर दैनिक जीवन के इतर का होता है। परंतु लोक साहित्य आजीवन जन्म से लेकर लेकर मृत्यु तक की घटनाओं के चित्र खींचता है। वर्तमान समय में जबकि सामुदायिक भावना की जगह व्यक्तिवादी भावना प्रबल होती जा रही है, ने उत्तराखण्ड की लोक संस्कृति को भी प्रभावित करने का कार्य किया है। लोक साहित्य मुद्रित स्वरूप में इसी लोक संस्कृति को संरक्षित एवं संवर्द्धित करने की एक पहल है। ऐसे में उत्तराखण्ड के लोक साहित्य में विभिन्न संस्कृतियों यथा पहनावा, खान–पान, रहन–सहन, लोक गीत, लोक कथाएं आदि का भिन्न स्वरूपों में समावेश होना स्वाभाविक है। ऐसे में लोक साहित्य में सांस्कृतिक विविधता के स्वर पर चर्चा करने से पूर्व यह जानना अत्यन्त महत्वपूर्ण हो जाता है कि लोक संस्कृति क्या है?

लोक संस्कृति

लोक संस्कृति का सामान्य तात्पर्य क्षेत्रीय या आम जनों की संस्कृति से है। टायलर ने संस्कृति शब्द के बारे में लिखा है कि ''संस्कृति में समस्त सीखा हुआ ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, विधि, प्रथा तथा अन्य क्षमताएँ एवं आदतेंजो व्यक्ति किसी समाज के सदस्य होने के नाते अर्जित करता है, सम्मिलित हैं।''[4] संस्कृति संबंधित इस परिभाषा से यह स्पष्ट प्रतीत होता

है कि संस्कृति किसी समाज या समुदाय में रहन–सहन के तौर तरीके, आजीविका से जुड़े साधन एवं तरीके, क्रियाकलाप, मानवीय व्यवहार के तरीके, परंपराएं, मान्यताएं, संस्कार, खान–पान, पोशाक से संबंधित है। यह किसी भी समाज में निवास करने वाले मानव समुदाय का आईना होता है, जो उसके जीवन शैली एवं मनोवृति को स्पष्ट रूप से दिखाता है। परंपरा से यह न केवल मानवीय व्यवहार को नियंत्रित करने का एक महत्वपूर्ण साधन है बल्कि उनके सुख–दुख को अभिव्यक्त करने तथा मनोरंजन के लिए प्रयुक्त होने वाला एक महत्वपूर्ण साधन भी है। स्थानीय स्तर पर प्रचलित लोक गीत, लोक नाटक तथा लोक कथाएं इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है।

लोक साहित्य में सांस्कृतिक विविधता

उत्तराखण्ड मूल रूप से पर्वतीय प्रदेश है। इस प्रदेश की भौगोलिक विविधता यहां की सांस्कृतिक विविधता से प्रत्यक्ष एवं परोक्ष दोनो ही रूपों में जुड़ा हुआ है। प्राचीन धर्मग्रंथों में इस धरा का उल्लेख केदारखण्ड, मानसखण्ड एवं हिमवंत के रूप में मिलता है। एक प्रचलित लोककथा के अनुसार पाण्डव अपने अज्ञातवास के दौरान यहां आये थे। जौनसार शावर क्षेत्र में निवासरत जौनसारी जनजातियों में प्रचलित सांस्कृतिक परंपरा भी इसी बात की पुष्टि करती है। यह प्रदेश की संस्कृति के इतिहास को रेखांकित करता है।

लोक साहित्य में समाहित तथ्यों के आधार पर इसे संस्कृति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें स्थानीय संस्कृति के समस्त पहलुओं की झलक अनायास ही दिखाई दे जाती है। किसी समाज की मान्यताएं, अंधविश्वास, पूजा पद्धति, त्योहार, रीति–रिवाज, गीत, किस्से कहानियां, कहावतें, मुहावरे आदि का परिचय हमें लोक साहित्य में मिलता है। यदि हम उत्तराखण्ड के लोक साहित्य की बात करें तो यह मुख्य रूप से दो भागों में वर्गीकृत है– कुमाऊँनी लोक साहित्य और गढ़वाली लोक साहित्य।

उत्तराखण्ड में लोक साहित्य की परम्परा प्राचीन समय से चली आ रही है जो यहाँ के लोक गीत, लोक कथा, लोकोक्ति–मुहावरों एवं लोकनाट्य के रूप में प्रतिबिम्बित होता है। कुमाऊँ के अधिकांश भाग में कुमाऊँनी बोली जाती है, जबकि गढ़वाल के अधिकांश क्षेत्र में गढ़वाली। प्राप्त साहित्यिक स्रोतों और अध्ययनों से ज्ञात होता है कि कुमाऊँनी बोली में लिखित साहित्य की परम्परा का अभाव है। हालांकि इस क्षेत्र ने अनेक प्रसिद्ध साहित्यकारों को जन्म दिया है लेकिन उनकी साहित्यिक रचनाएँ हिन्दी भाषा में होने के कारण कुमाऊँनी साहित्य की अल्पता दृष्टिगत होती है। ''कुमाऊँनी में लिखित शिष्ट साहित्य की परम्परा अधिक प्राचीन नहीं है। यद्यपि लिखित रूप में कुमाऊँनी भाषा का प्रयोग ग्यारहवीं सदी के उपलब्ध ताम्रपत्रों एवं सरकारी अभिलेखों में देखने को मिलता है परन्तु साहित्यिक अभिव्यक्ति के रूप में उसका लिखित रूप गुमानी (1790–1846) से प्रारम्भ होता है।[5] कुमाऊँनी लोक साहित्य कविता, नाटक, लोकोक्ति, मुहावरों, हास्य–व्यंग्य सभी विधाओं से परिपूर्ण है। लोक साहित्य चाहे लोकगीत के रूप में हो या लोकगाथाओं के रूप में, सभी में क्षेत्र विशेष तथा उसमें निवासरत जीवन का प्रत्येक पहलू दृष्टिगत होता है।

कुमाऊँ के लोक साहित्य में जन–भावनाओं की अभिव्यक्ति के साथ ही जनजागृति के स्वर स्वतः ही सम्मिलित हैं। कुमाऊँनी जनमानस के जीवन के प्रत्येक सुख–दुख, हर्ष–शोक,

उल्लास–विलास एवं आन्दोलित मनःस्थिति और जागरूक संघर्ष का सरल परन्तु यथार्थ चित्रण यहाँ के लोक साहित्य में उपलब्ध है। डॉ. डी.के.पनेरू की कृति कुमाऊँनी लोक साहित्य भी इसी दिशा में किये जाने वाले प्रयास का एक प्रतिफल है। इस कृति में आपने लिखा है कि विगत दशकों में कुमाऊँ के लोक साहित्य के क्षेत्र में बहुत कुछ लिखा गया है लेकिन आज भी कुछ क्षेत्र अपनी अलग सांस्कृतिक पहचान रखने के बावजूद उपेक्षा की शिकार हैं। आपने अपनी इस कृति में न केवल एक ही मंडल के दो जनपदों के मध्य की लोक साहित्यिक रचनाओं में अंतर स्पष्ट करने का प्रयास किया है अपितु संस्कार गीत, लोक गीत, जागर, मुहावरे एवं लोकोक्तियां आदि का संकलन कर उसे एक मुद्रित स्वरूप प्रदान किया है।[6]

लोक साहित्य की एक बड़ी बिडम्बना यह है कि यह आमतौर पर गुमनाम लेखकों के द्वारा लिपिबद्ध किया गया है। लोक साहित्य जनसमाज एवं नागरिकों के गौरवशाली इतिहास एवं समृद्ध परम्परा के साथ ही प्रकृति संरक्षण एवं मानवीय संवेदनशीलता का भी सहज प्रतिनिधि है तो दूसरी ओर वह सामाजिक कुप्रथाओं, रूढ़िवादी प्रवृत्तियों तथा अन्धविश्वासों के विरूद्ध सजग एवं सचेत प्रहरी के रूप में कार्य करती है। गौरीदत्त पाण्डे ने सामाजिक बुराईयों, अंधविश्वासों पर प्रहार करते हुए तत्कालीन स्थानीय समाज के उपेक्षित वर्गो का चित्रण अपनी लेखनी के माध्यम से किया। बेमेल विवाह, पर्दा प्रथा, विधवाओं की दुर्दशा आदि कुरीतियों के विरुद्ध भी उन्होंने अपनी कलम चलाई और जनता को जागृत करने का कार्य किया। उन्होंने सामाजिक भेद–भाव से परे सामाजिक समानता पर बल दिया। समाज में समानता की परिकल्पना की को स्वर देते हुए वे कहते हैं।

''समता धरणी चैंछ सबन कैं। राजा–परजा, ग्वार कालन कैं।।
दाड़ी चूली और मिश कैं। वी पछिला द्विजन–हरिजन कैं।।
भंगी चमार और मोछिन कैं। हुड़किया बादि और ढोलिन कैं।।
ल्वारा, टमटा और ओड़न कैं। बाड़े, बांचड़, बारूड़ि लोगन कैं।।
सौन कुथलिया सब बौरन कैं। पैली चाणो आपुण सुखन कैं।।
टटौली ल्हीणो भितरा मन कैं। तैं पछिला फिरिमांगण हकन कैं।।''[7]

उपरोक्त पंक्तियों में गौर्दा ने उत्तराखण्ड में निवासरत भिन्न–भिन्न जातियों के नाम गिनाकर आपसी भेदभाव छोड़ने स्थानीय समाज व जनता को सामाजिक समता हेतु प्रेरित व जागृत करने का प्रयास किया है। इस प्रकार रचनाएं न केवल स्थानीय संस्कृति के संरक्षण एवं प्रचार–प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, बल्कि विविध संस्कृतियों को एक मंच उपलब्ध कराने का कार्य करती है।

निष्कर्ष

लोक साहित्य स्थानीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग है। ज्ञात स्रोतों से यह स्पष्ट है कि लोक साहित्य का प्रसार श्रुति परंपरा पर निर्भर रहा है। इस साहित्य का बीजारोपण स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप होने के कारण इसमें विविध संस्कृतियों का समावेश होना स्वाभाविक है। आजादी के पूर्व एवं पश्चात के समाज में विविध लोक साहित्यकारों ने लोक साहित्य का प्रयोग सामाजिक–सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण तथा समाज में व्याप्त कुरीतियों के उन्मूलन हेतु किया है। लोक साहित्य का संबंध लोक जीवन से होने के कारण यह क्षेत्रीय भाषाओं एवं क्षेत्रीय

जन समस्याओं पर केन्द्रित होता है। इसमें निहित लोक गीत, लोक कथा, लोक नाट्य आदि में जीवन एवं समाज के विविध पहलूओं को रेखांकित किया गया है। यदि हम उत्तराखण्ड के लोक साहित्यकारों की बात करें तो इनमें श्री शिवदत्त सती, गौरीदत्त पाण्डे 'गौर्दा', चारूचन्द्र पाण्डे, नन्द कुमार उप्रेती, शेर सिंह बिष्ट 'अनपढ़', रमेश चन्द्र साह, हीरासिंह राणा, गिरीश तिवाड़ी 'गिर्दा', दुर्गेश पंत, जुगल किशोर पेटशाली, बालम सिंह जनौटी, डॉ. शेरसिंह बिष्ट, डॉ. देवसिंह पोखरिया आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। इनकी रचनाएं न केवल समाज में कुरीतियों का घोर विरोध करती है बल्कि समाज में सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण एवं प्रचार–प्रसार तथा सामाजिक समता एवं राष्ट्र निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस आधार पर यह कहना अतिशयोक्ति प्रतीत नहीं होता है कि लोक साहित्य ने आमजनों की पहचान लोक संस्कृति को संरक्षण प्रदान करने के साथ–साथ उन्हें स्वर प्रदान करने का कार्य भी किया है।

❒

सन्दर्भ –

1. *बाबुलकर, मोहनलाल, गढ़वाली लोक साहित्य का विवेचनात्मक अध्ययन, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, 1964, पृ. भूमिका से*
2. *द्विवेदी, हजारी प्रसाद, उद्धृत रावत, (प्रो.) चंद्रकला, लोक साहित्य, देवभूमि प्रकाशन, हल्द्वानी, 2018, पृ. 10*
3. *उपाध्याय, डॉ. कृष्णदेव, उद्धृत रावत, (प्रो.) चंद्रकला, लोक साहित्य, देवभूमि प्रकाशन, हल्द्वानी, 2018, पृ.13*
4. *कुमार, धर्मेन्द्र, समाजशास्त्र, टी.एम.एच. एजुकेशन प्राइवेट लि., नई दिल्ली, 2011, पृ. 20*
5. *भट्ट (डॉ.) दिवा, पछ्याण कुमाऊँनी कविता संकलन, पृ. 8*
6. *पनेरू, (डॉ.) डी. के., कुमाउँनी लोक साहित्य, देवभूमि प्रकाशन, हल्द्वानी, 2013, पृ.104*
7. *लोहनी, दीपा एवं रूवाली, (डॉ.) नीरज, नवजागरण आन्दोलन में कुमाऊँनी लोक साहित्य की भूमिका, आई.जे.एच.एस. एस.आर., वॉल्यूम 8, इश्यू 04, 2022 पृ.157*

पूर्वदेवा– सामाजिक विज्ञान शोध पत्रिका
वर्ष 29, अंक, 114–115, जुलाई–दिसम्बर, 2023 पृ. 57–64

UGC Care Listed Journal
ISSN 0974 -1100

डी–मार्ट के उपभोक्ताओं की संतुष्टि स्तर का अध्ययन

डॉ. धर्मेन्द्र सिंग
सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) शासकीय एन.सी.जे. महाविद्यालय, दल्लीराजहरा, जिला–बालोद (छ.ग.)

विकास कुमार देवांगन
शोधार्थी, वाणिज्य, शासकीय दिग्विजय स्वाशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजनांदगाँव (छ.ग.)
E-mail : vikasdewagan16@gmail-com Mob. 9302419531

सारांश

इस शोध पत्र में डी–मार्ट खुदरा विक्रेताओं द्वारा उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सेवाओं की संतुष्टि स्तर का अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। ग्राहक संतुष्टि स्तर का अंतिम उपभोक्ता है। डी–मार्ट स्टोर ने उपलब्ध सामग्रियों के मूल्य, गुणवत्ता एवं उपलब्ध सुविधा के माध्यम से उपभोक्ताओं को अपनी ओर आकर्षित किया है। शोध साहित्य की समीक्षा कर उपभोक्ता की संतुष्टि स्तर का अध्ययन किया गया है। डी–मार्ट का मुख्य उद्देश्य स्टोर में उपलब्ध सामग्रियों से उपभोक्ताओं को संतुष्ट करना है। ग्राहकों की संतुष्टि स्तर को मापने के लिए राजनांदगाँव शहर में संचालित डी–मार्ट खुदरा स्टोर के उपभोक्ताओं से संरचित प्रश्नावली के माध्यम से 145 उत्तरदाताओं का चयन सुविधानुसार निदर्शन पद्धति से समंकों का संकलन किया गया है। इस अध्ययन में उत्तरदाताओं से प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राहकों की संतुष्टि स्तर को मूल्य स्तर, उत्पाद श्रृंखला, उत्पाद गुणवत्ता, कर्मचारियों द्वारा व्यवहार व उपलब्ध सुविधा के अनुसार मानक विचलन एवं कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक विधि का प्रयोग किया गया है। इनकी व्याख्या कर परिकल्पना परीक्षण से निष्कर्ष निकाला गया एवं सुझाव दिया गया है कि डी–मार्ट खुदरा स्टोर को मूल्य स्तर, उत्पाद श्रृंखला व उत्पाद गुणवत्ता में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। स्टोर के कर्मचारियों द्वारा व्यवहार व उपलब्ध सुविधा को और बेहतर बनाना चाहिए।

मुख्य शब्द : ग्राहक संतुष्टि, खुदरा विक्रेता, डी–मार्ट, मूल्य स्तर, उत्पाद श्रृंखला, उत्पाद गुणवत्ता, कर्मचारियों द्वारा व्यवहार, उपलब्ध सुविधा।

परिचय

प्राचीन काल में खुदरा व्यापार का उदय हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लगने वाले मेलों में देखा जा सकता था। खुदरा बाजार के पारम्परिक स्वरूप में स्थानीय किराना दुकानें, मालिकों द्वारा चलाए जा रहे जनरल स्टोर, सुविधा स्टोर, साप्ताहिक हाट बाजार और अन्य बाजार भी

सम्मिलित है। भारत में खुदरा उद्योग में निजी स्वामित्व द्वारा चलाए जा रहे खुदरा व्यापार की श्रृंखलाएं और हाइपरमार्केट सम्मिलित है। 1990 में आर्थिक सुधारों तथा उदारीकरण से भारतीय बाजारों में विदेशी ब्रांडों को प्रवेश हुआ। इससे आधुनिक खुदरा बाजार के लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार हुआ, जिसमें विशिष्ट ब्रांडों के बिक्री केन्द्र सुपरमार्केट, डिपार्टमेन्टल स्टोर और शॉपिंग माल आदि सम्मिलित है। देश में लगभग सभी प्रमुख भारतीय निजी निगमित समूह (टाटा, रिलांयस, बिरला आदि) खुदरा क्षेत्र में प्रवेश कर चुके है, ताकि वे भी इस क्षेत्र का लाभ उठा सके। वर्तमान में यह खुदरा बाजार बड़े–बड़े शहरों एवं कस्बों में संचालित है। यह व्यापार हमारे देश का सेवा उद्योग है जो देश के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देश में उत्पादित माल का वितरण निर्माता से शुरू होता है और अंतिम उपभोक्ता पर समाप्त होता है तथा उन दोनों के बीच की कड़ी है–रिटेलर।

खुदरा बिक्री

खुदरा वस्तुओं और सेवाओं को सीधे अंतिम उपयोगकर्ताओं को बेचने में की गई गतिविधियों का एक समूह है। उपभोक्ताओं को बेचे जाने वाले सामान और सेवाएं उनके निजी उपयोग के लिए है न कि पुनर्विक्रय या व्यावसायिक गतिविधियों के लिए। खुदरा बिक्री उत्पाद वितरण की श्रृंखला में आयोजित अंतिम गतिविधि है।

कुंडिक और स्टिल के अनुसार, "खुदरा बिक्री में उन गतिविधियों का समावेश होता है, जो सीधे अंतिम उपभोक्ता को बेचने में शामिल है।"[1]

ग्राहक संतुष्टि

ग्राहक संतुष्टि एक ऐसा शब्द है, जिसका अक्सर विपणन में उपयोग किया जाता है। यह एक उपाय है कि किसी कंपनी द्वारा उत्पादों और सेवाओं की आपूर्ति कैसे की जाती है या ग्राहकों की अपेक्षा को कैसे पूरा करती है। ग्राहकों की संतुष्टि उस पूर्ति को इंगित करती है, जो ग्राहक एक फर्म के साथ व्यापार करने से प्राप्त करते है। दूसरे शब्दों में, ग्राहक कंपनी के साथ उनके लेनदेन और समग्र अनुभव से कितना खुश है। ग्राहक किसी उत्पाद या सेवा से संतुष्टि प्राप्त करते है, जो इस बात पर आधारित है कि उनकी जरूरत आसानी से पूरी होती है, सुविधाजनक तरीके से जो उन्हें फर्म के प्रति वफादार बनाती है इसलिए ग्राहकों की वफादारी हासिल करने के लिए ग्राहक संतुष्टि एक महत्वपूर्ण कदम है।

"संतुष्टि ग्राहक की पूर्ति प्रतिक्रिया है। यह एक निर्णय है कि एक उत्पाद या सेवा सुविधा या उत्पाद या सेवा ही उपभोग से संबंधित पूर्ति का एक सुखद स्तर प्रदान करती है।"[2]

डी–मार्ट का परिचय

डी–मार्ट खुदरा क्षेत्र में भारत की सबसे बड़ी रिटेल चैन बन गया है। इसके संस्थापक राधाकिशन दमानी ने डी–मार्ट की शुरूआत सन् 1999 में की थी। सर्व प्रथम डी–मार्ट स्टोर की स्थापना सन् 2002 में नवी मुम्बई में की गई। इसके पश्चात् यह भारत में कई राज्यों एवं जगहों पर फैला। राधाकृष्णन दमानी ने डी–मार्ट को आगे बढ़ाने के लिए उनके द्वारा अपनाई जाने वाली नीति से उत्पादों पर छूट देकर ग्राहकों को कई ब्रांडों के उत्पादों से आकर्षित करने की नीति अपनाई। इससे लोग डी–मार्ट के उत्पादों को अधिक पसंद करने लगे क्योंकि उन्हें अपनी आवश्यकताओं की सभी सामग्री एक ही स्थान पर मिलने लगी। इससे लोगों को बेवजह

भटकना नहीं पड़ता। डी–मार्ट कंपनी का लक्ष्य मध्यम वर्ग के परिवार को आकर्षित कर बिक्री को और अधिक बढ़ाना है।

शोध साहित्य की समीक्षा

1. **B.NARENDRA RAHUL(August 2012)** ने अपने लघु शोध अध्ययन में यह निष्कर्ष निकाला है कि "बिग बाजार के प्रति रायपुरम् के ग्राहकों की संतुष्टि के आधार पर 76 प्रतिशत लोग यहाँ के उत्पाद को पसंद करते है, जो यहाँ ज्यादातर ई.एम.आर छोटे पैमाने के उद्योग सेवा प्रदान करते है। रायपुरम् के 80 प्रतिशत ग्राहकों ने यहाँ के उत्पाद को स्वीकार किया है, जो यहाँ ज्यादातर 62 प्रतिशत उद्योग सेवा प्रदान करने वाले है "[1]।

2. Dignesh S.Panchasara and Umesh R.Dangarwala(2015) ने अपने शोध पत्र में यह निष्कर्ष निकाला है कि "बिग बाजार स्टोर के प्रति ग्राहकों की अपेक्षा और संतुष्टि के बीच अंतर की पहचान की है। इनकी सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करके इसके बीच के अंतर को आसानी से दूर किया जा सकता है। इन्होंने बताया है कि बड़ौदा में ग्राहकों की संतुष्टि के लिए व्यवसाय को सफल बनाने का एक गुप्त रास्ता है, जो ग्राहक की प्रतिधारण एवं वफादारी सुनिश्चित करने में सहायक है"[2]।

3. **Dignesh S.Panchasara and Umesh R.Dangarwala(2016)** ने अपने शोध पत्र में यह बताया है कि "बड़ौदा शहर में संगठित खुदरा दुकानों के प्रति ग्राहकों की संतुष्टि की पहचान की गई है। इससे यह पता चलता है कि खुदरा विक्रेताओं को सेवा की गुणवत्ता में सुधार करना चाहिए। निष्कर्ष निकाला है कि ग्राहकों की संतुष्टि बहुत महत्वपूर्ण है हालांकि ग्राहकों की संतुष्टि की ओर से पुनः खरीद की गारंटी नहीं होती लेकिन फिर भी यहाँ के ग्राहकों की वफादारी और प्रतिधारण सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है"[3]।

4. Vinaydeep Brar and Atul Kumar(July 2017) ने अपने शोध पत्र में यह निष्कर्ष निकाला है कि "खुदरा सुपरस्टोर्स में पुरूषों की तुलना में महिला ग्राहक अधिक मिलते है। इसमें अधिकांश उपभोक्ताओं की आयु 31 से 50 वर्ष के बीच होते है। सुपर स्टोर अपने उपभोक्ताओं को विविध प्रकार की सेवाएं प्रदान करती है। जैसे– शिकायतें और रिटर्न हैंडलिंग, पैकेजिंग/गिफ्ट रैपिंग, स्टोर से जानकारी, व्यक्तिगत चीजों की सुरक्षा, जलपान सुविधा एवं शॉपिंग कार्ड आदि इन सेवाओं के मूल्य निर्धारण से भी संतुष्ट है। कुछ सेवाएं ऐसी होती है जिसमें ग्राहकों की संतुष्टि अपेक्षाओं से कम हो जाती है। जैसे– पार्किंग, बेबी स्ट्रॉलर, ट्रायलरूम, व्यापारिक वस्तुओं के चयन में व्यक्तिगत सहायता, वॉशरूम एवं पीने का पानी, बिलिंग सुविधाएं, स्टोर का माहौल एवं वारंटी आदि इसके अलावा सुपरस्टोर्स में ग्राहकों की अपेक्षाओं के अनुसार सेवाओं की गुणवत्ता बनाए रखने में कमी है और ग्राहक संतुष्ट नहीं है। इसलिए सुपरस्टोर्स को किफायती मूल्य निर्धारण कर उपभोक्ताओं को अपेक्षाकृत गुणवत्ता वाली सेवाएं प्रदान करनी चाहिए"[4]।

5. Harsha S.Parecha and Mahesh C.Dabre(June 2019) ने अपने शोध पत्र में यह निष्कर्ष निकाला है कि "डी–मार्ट शॉपिंग सेंटर के प्रति ग्राहक का सकारात्मक रूझान यहाँ के अधिकारी एवं कर्मचारी के सहायक होने के कारण दिखाई दे रहा है। इस मार्ट ने अपनी स्थिरता एक विशाल श्रृंखला की तरह दिखाई है। अमरावती शहर के उपभोक्ता डी–मार्ट में अनेक प्रकार के सामानों को खरीदने के लिये सप्ताह में एक या दो बार आते हैं और भारी मात्रा में खरीदारी

करते हैं। यहाँ के उपभोक्ताओं को डी–मार्ट की कार्य शैली, उत्पाद श्रृंखला तथा प्रदान की गई सुविधाओं के प्रति सकारात्मक धारणा दिखाई देती है। इस प्रकार डी–मार्ट की सफलता के लिये यहाँ के उपभोक्ता अहम भूमिका निभा रहे है"[5]।

6. Yash Shirish Shrotri(March 2020) ने अपने शोध पत्र में यह निष्कर्ष निकाला है कि "डी–मार्ट एवं बिग बाजार रिटेल स्टोर के प्रति ग्राहक की संतुष्टि स्तर उत्पादों की कीमत एवं गुणवत्ता से अत्यधिक प्रभावित हो रहे है। उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला, स्थान एवं वाहन सुविधा आदि खुदरा आउटलेट पर जाने के लिए ग्राहकों को अधिक आकर्षित करते है। जिससे कि ग्राहक वापी शहर के दोनों आउटलेट्स से संतुष्ट है, लेकिन डी–मार्ट एवं बिग बाजार की तुलना में डी–मार्ट को अधिक बेहतर बताया है"[6]।

7. Shobika. S and R.Guna Sundari(April 2021) ने अपने शोध पत्र में बताया है कि "डी–मार्ट हाइपरमार्केट संगठन का प्राथमिक उद्देश्य उचित मूल्य पर वस्तुओं की गुणवत्ता एवं पूर्ण उत्पाद उपलब्ध कराकर अपने ग्राहकों को संतुष्टि प्रदान करना है। डी–मार्ट हाइपरमार्केट एक विस्तृत श्रृंखला होने के कारण ग्राहकों को वस्तु एवं सेवाएँ एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराकर उन्हें पार्किंग सुविधा दी जाती है। इसलिए अधिकांश ग्राहक यहाँ की वस्तुएं एवं सेवाओं से संतुष्ट है। डी–मार्ट विशेष रूप से मध्यम वर्गीय परिवार की खरीदारी के लिये एक केन्द्र के रूप में निकल कर सामने आया है। कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिन पर प्रबंधक को ध्यान देना चाहिए और ग्राहकों के सामने होने वाले कठिनाइयों का समाधान करना चाहिए"[7]।

8. Sharda Vijay Nikhare and Rutika Dilip Nipane(january 2022) ने अपने शोध पत्र में बताया है कि वर्तमान समय में "डी–मार्ट उपभोक्ताओं के लिए एक प्रमुख शॉपिंग मॉल बन गया है। जब भी ग्राहक सस्ती कीमतों में अच्छे उत्पादों को खरीदने के बारे में सोचते है तो सबसे पहले ग्राहक के दिमाग में डी–मार्ट आता है। यह ग्राहकों के मनोविज्ञान को समझता है। इन्होंने अपने संपूर्ण शोध अध्ययन में यह निष्कर्ष निकाला है कि डी–मार्ट खुदरा स्टोर अपने उपभोक्ताओं को एक ही छत के नीचे सभी आवश्यक सुविधाएं देती है जो उनके खरीदारी व्यवहार में परिवर्तन होता रहता है"[8]।

6. अध्ययन के उद्देश्य

1. डी–मार्ट के उपभोक्ताओं की संतुष्टि स्तर का अध्ययन।
2. स्टोर द्वारा उपभोक्ताओं को दिये जाने वाले वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता का अध्ययन।
3. खुदरा विक्रेता द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में सुधार के लिए सुझाव।

परिकल्पना

1. **शून्य परिकल्पना(H0)**– डी–मार्ट के मूल्य स्तर से संतुष्टि और समस्त संतुष्टि स्तर में कोई सार्थक सहसंबंध नहीं है।

वैकल्पिक परिकल्पना(H1)– डी–मार्ट के मूल्य स्तर से संतुष्टि और समस्त संतुष्टि स्तर में सार्थक सहसंबंध है।

2. **शून्य परिकल्पना(H0)**– डी–मार्ट के उत्पाद श्रृंखला से संतुष्टि और समस्त संतुष्टि स्तर में कोई सार्थक सहसंबंध नहीं है।

वैकल्पिक परिकल्पना(H1)– डी–मार्ट के उत्पाद श्रृंखला से संतुष्टि और समस्त संतुष्टि स्तर में सार्थक सहसंबंध है।

3. **शून्य परिकल्पना(H0)**– डी–मार्ट के उत्पाद गुणवत्ता से संतुष्टि और समस्त संतुष्टि स्तर में कोई सार्थक सहसंबंध नहीं है।

वैकल्पिक परिकल्पना(H1)– डी–मार्ट के उत्पाद गुणवत्ता से संतुष्टि और समस्त संतुष्टि स्तर में सार्थक सहसंबंध है।

4. **शून्य परिकल्पना(H0)** – डी–मार्ट के कर्मचारियों द्वारा व्यवहार से संतुष्टि और समस्त संतुष्टि स्तर में कोई सार्थक सहसंबंध नहीं है।

वैकल्पिक परिकल्पना(H1)– डी–मार्ट के कर्मचारियों द्वारा व्यवहार से संतुष्टि और समस्त संतुष्टि स्तर में सार्थक सहसंबंध है।

5. **शून्य परिकल्पना(H1)**– डी–मार्ट के उपलब्ध सुविधा से संतुष्टि और समस्त संतुष्टि स्तर में कोई सार्थक सहसंबंध नहीं है।

वैकल्पिक परिकल्पना(H0)– डी–मार्ट के उपलब्ध सुविधा से संतुष्टि और समस्त संतुष्टि स्तर में सार्थक सहसंबंध है।

7. शोध प्रविधि

7.1 शोध अध्ययन का क्षेत्र– राजनांदगाँव शहर में संचालित डी–मार्ट।

7.2 समंकों का संकलन– शोध कार्य हेतु दो प्रकार के समंक संकलित किये गये है–

1. प्राथमिक समंक– प्रस्तुत शोध कार्य में प्राथमिक समंक के रूप में राजनांदगाँव शहर में संचालित डी–मार्ट के उपभोक्ताओं की संतुष्टि स्तर का अध्ययन किया गया है। इसमें उपभोक्ताओं से प्रश्नावली, साक्षात्कार व अवलोकन के द्वारा प्राथमिक समंकों का संकलन किया गया है।

2. द्वितीयक समंक– प्रस्तुत शोध कार्य में द्वितीयक समंक में संस्था द्वारा प्रकाशित पत्रिका, इंटरनेट में उपलब्ध जानकारी एवं विषय से संबंधित राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय शोध पत्रिका, पुस्तकों और इंटरनेट आदि के माध्यम से संकलित किया गया है।

7.3 शोध उपकरण– संरचित प्रश्नावली।

7.4 न्यादर्श आकार और अनुसंधान डिजाइन– समंकों का संग्रहण उपभोक्ताओं के सर्वेक्षण द्वारा किया गया है। सर्वे राजनांदगाँव शहर में संचालित डी–मार्ट स्टोर में किया गया है और इस अध्ययन में जनसंख्या के आधार पर 145 उत्तरदाताओं का चयन सुविधानुसार निदर्शन पद्धति से किया गया है।

7.5 न्यादर्श विधि– सुविधानुसार निदर्शन पद्धति।

7.6 सांख्यिकीय उपकरण– मानक विचलन विधि एवं सहसंबंध गुणांक विधि का प्रयोग किया गया है।

7.7 अध्ययन की सीमाएं– शोध अध्ययन की सीमाएं निम्नवत् है–

1. यह अध्ययन राजनांदगाँव शहर में संचालित डी–मार्ट ग्राहकों तक ही सीमित है।
2. उत्तरदाता की निष्क्रियता एवं समय के अभाव के कारण उनके द्वारा उत्तर देने में रूचि नहीं दिखाई जाती।

8 समंको का विश्लेषण एवं व्याख्या

8.1 मानक विचलन विधि

डी–मार्ट के प्रति उपभोक्ताओं की संतुष्टि स्तर

तालिका–1

विवरण	उपभोक्ताओं की संख्या	न्यूनतम	अधिकत	माध्य	मानक विचलन
मूल्य स्तर	145	2.40	4.80	3.9255	.44594
उत्पाद श्रृखंला	145	2.75	5.00	4.0190	.50439
उत्पाद गुणवत्ता	145	3.00	5.00	4.0690	.44426
कर्मचारियों द्वारा व्यवहार	145	2.00	5.00	3.9586	.55747
उपलब्ध सुविधा	145	2.00	5.00	4.0586	.47417

व्याख्या : उपरोक्त तालिका से हमें यह पता चलता है कि डी–मार्ट के प्रति उपभोक्ताओं की संतुष्टि स्तर में सबसे न्यूनतम मान कर्मचरियों द्वारा व्यवहार(2.00) व उपलब्ध सुविधा(2.00) का है और सबसे अधिकतम मान उत्पाद श्रृंखला(5.00), उत्पाद गुणवत्ता(5.00), कर्मचारियों द्वारा व्यवहार(5.00) व उपलब्ध सुविधा(5.00) का है। डी–मार्ट के प्रति उपभोक्ताओं की संतुष्टि स्तर में उत्पाद गुणवत्ता(4.0690) के प्रति उपभोक्ताओं का संतुष्टि स्तर उच्च है जबकि मूल्य स्तर(3. 9255) के प्रति उपभोक्ताओं का संतुष्टि स्तर निम्न है। समस्त संतुष्टि स्तर का औसतन अंतराल देखा जाए तो इसमें से सबसे उच्चतम मान कर्मचारियों द्वारा व्यवहार (.55747) है जबकि सबसे न्यूनतम मान उत्पाद गुणवत्ता(.44426) है।

8.2 सहसंबंध गुणांक विधि

तालिका–2

विवरण	विधि	OS	मूल्य स्तर	उत्पाद श्रृखंला	उत्पाद गुणवत्ता	कर्मचारियों का व्यवहार	उपलब्ध सुविधा
OS	पियर्सन सहसंबंध	1	.416	.284	.471	.155	.163
	Sig. (2-tailed)	-	.000	.001	.000	.063	.049
	N	145	145	145	145	145	145
मूल्य स्तर	पियर्सन सहसंबंध	.416	1	.139	.234	.222	.118
	Sig. (2-tailed)	.000	-	.095	.005	.007	.159
	N	145	145	145	145	145	145
उत्पाद श्रृखंला	पियर्सन सहसंबंध	.284	.139	1	.028	.052	.034
	Sig. (2-tailed)	.001	.095	-	.741	.533	.687
	N	145	145	145	145	145	145
उत्पाद गुणवत्ता	पियर्सन सहसंबंध	.471	.234	.028	1	.128	.088
	Sig. (2-tailed)	.000	.005	.741	-	.124	.294
	N	145	145	145	145	145	145
कर्मचारियों व्यवहार	पियर्सन सहसंबंध	.155	.222	.052	.128	1	.269
	Sig. (2-tailed)	.063	.007	.533	.124	-	.269
	N	145	145	145	145	145	145
उपलब्ध सुविधा	पियर्सन सहसंबंध	.163	.118	.034	.088	.269	1
	Sig. (2-tailed)	.049	.159	.687	.294	.001	–
	N	145	145	145	145	145	145

सहसंबंध का सारणी मान 0.01 है।
सहसंबंध का सारणी मान 0.05 है।

परिकल्पना परीक्षण :

उपरोक्त तालिका से हमें यह पता चलता है कि डी–मार्ट के प्रति उपभोक्ताओं की संतुष्टि स्तर के मूल्य स्तर, उत्पाद श्रृंखला, उत्पाद गुणवत्ता, कर्मचारियों द्वारा व्यवहार व उपलब्ध सुविधा का सहसंबंध गुणांक निकाला गया है, जो इस प्रकार है–

1. P का परिकलित मान(0.000) <P के सारणी मान(0.01) से कम है। अतः हमारी शून्य परिकल्पना की डी–मार्ट के मूल्य स्तर के संतुष्टि स्तर और समस्त संतुष्टि स्तर में सहसंबंध नहीं है तो इसे अस्वीकार किया जाता है तथा वैकल्पनिक परिकल्पना को स्वीकार किया जाता है अर्थात् डी–मार्ट के मूल्य स्तर के संतुष्टि स्तर और समस्त संतुष्टि स्तर में सार्थक सहसंबंध है। चूँकि डी–मार्ट के मूल्य स्तर से संतुष्टि स्तर और समस्त संतुष्टि स्तर में कार्ल पियर्सन r का मान 0.416 है अर्थात् दोनों के बीच में मध्य स्तर का सहसंबंध गुणांक है।
2. P का परिकलित मान(0.001) <P के सारणी मान(0.01) से कम है। अतः हमारी शून्य परिकल्पना की डी–मार्ट के उत्पाद श्रृंखला के संतुष्टि स्तर और समस्त संतुष्टि स्तर में सहसंबंध नहीं है तो इसे अस्वीकार किया जाता है तथा वैकल्पनिक परिकल्पना को स्वीकार किया जाता है अर्थात् डी–मार्ट के उत्पाद श्रृंखला के संतुष्टि स्तर और समस्त संतुष्टि स्तर में सार्थक सहसंबंध है। चूँकि डी–मार्ट के उत्पाद श्रृंखला से संतुष्टि स्तर और समस्त संतुष्टि स्तर में कार्ल पियर्सन r का मान 0.284 है अर्थात् दोनों के बीच में मध्य स्तर का सहसंबंध गुणांक है।
3. P का परिकलित मान(0.000) <P के सारणी मान(0.01) से कम है। अतः हमारी शून्य परिकल्पना की डी–मार्ट के उत्पाद गुणवत्ता के संतुष्टि स्तर और समस्त संतुष्टि स्तर में सहसंबंध नहीं है तो इसे अस्वीकार किया जाता है तथा वैकल्पनिक परिकल्पना को स्वीकार किया जाता है अर्थात् डी–मार्ट के उत्पाद गुणवत्ता के संतुष्टि स्तर और समस्त संतुष्टि स्तर में सार्थक सहसंबंध है। चूँकि डी–मार्ट के उत्पाद गुणवत्ता से संतुष्टि स्तर और समस्त संतुष्टि स्तर में कार्ल पियर्सन r का मान 0.471 है अर्थात् दोनों के बीच में मध्य स्तर का सहसंबंध गुणांक है।
4. P का परिकलित मान(0.063) > P के सारणी मान(0.01) से अधिक है। अतः हमारी शून्य परिकल्पना की डी–मार्ट के कर्मचारियों द्वारा व्यवहार के संतुष्टि स्तर और समस्त संतुष्टि स्तर में सार्थक सहसंबंध है तो इसे स्वीकार किया जाता है तथा वैकल्पनिक परिकल्पना को अस्वीकार किया जाता है अर्थात् डी–मार्ट के कर्मचारियों द्वारा व्यवहार के संतुष्टि स्तर और समस्त संतुष्टि स्तर में सहसंबंध नहीं है। चूँकि डी–मार्ट के कर्मचारियों द्वारा व्यवहार से संतुष्टि स्तर और समस्त संतुष्टि स्तर में कार्ल पियर्सन r का मान 0.155 है अर्थात् दोनों के बीच में निम्न स्तर का सहसंबंध गुणांक है।
5. P का परिकलित मान(0.049) > P के सारणी मान(0.01) से अधिक हैद्य अतः हमारी शून्य परिकल्पना की डी–मार्ट के उपलब्ध सुविधा के संतुष्टि स्तर और समस्त संतुष्टि स्तर में सार्थक सहसंबंध है तो इसे स्वीकार किया जाता है तथा वैकल्पनिक परिकल्पना को अस्वीकार किया जाता है अर्थात् डी–मार्ट के उपलब्ध सुविधा के संतुष्टि स्तर और समस्त संतुष्टि स्तर में सहसंबंध नहीं है। चूँकि डी–मार्ट के उपलब्ध सुविधा से संतुष्टि स्तर और समस्त संतुष्टि स्तर में कार्ल पियर्सन r का मान 0.163 है अर्थात् दोनों के बीच में निम्न स्तर का सहसंबंध गुणांक है।

निष्कर्ष

अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि डी–मार्ट के प्रति उपभोक्ताओं की संतुष्टि स्तर में मूल्य स्तर, उत्पाद श्रृंखला व उत्पाद गुणवत्ता P के का परिकलित मान $<$ P के सारणी मान 0.01 से कम है। अतः शून्य परिकल्पना की डी–मार्ट के मूल्य स्तर, उत्पाद श्रृंखला व उत्पाद गुणवत्ता के संतुष्टि स्तर और समस्त संतुष्टि स्तर में सहसंबंध नहीं है तो इसे अस्वीकार किया जाता है तथा वैकल्पिक परिकल्पना को स्वीकार किया जाता है अर्थात् डी–मार्ट के मूल्य स्तर, उत्पाद श्रृंखला व उत्पाद गुणवत्ता के संतुष्टि स्तर और समस्त संतुष्टि स्तर में सार्थक सहसंबंध है। जबकि डी–मार्ट के प्रति उपभोक्ताओं की संतुष्टि स्तर में कर्मचारियों द्वारा व्यवहार व उपलब्ध सुविधा P का परिकलित मान $>$ P के सारणी मान 0.01 से अधिक है। अतः शून्य परिकल्पना की डी–मार्ट के कर्मचारियों द्वारा व्यवहार व उपलब्ध सुविधा के संतुष्टि स्तर और समस्त संतुष्टि स्तर में सार्थक सहसंबंध है तो इसे स्वीकार किया जाता है तथा वैकल्पिक परिकल्पना को अस्वीकार किया जाता है अर्थात् डी–मार्ट के कर्मचारियों द्वारा व्यवहार व उपलब्ध सुविधा के संतुष्टि स्तर और समस्त संतुष्टि स्तर में सहसंबंध नहीं है।

सुझाव

डी–मार्ट खुदरा स्टोर को कुशल प्रबंधन प्रणाली नीति अपनाना चाहिए ताकि उपभोक्ता अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को समय पर ढूंढ सके। खुदरा स्टोर को अपने मूल्य स्तर, उत्पाद श्रृंखला व उत्पाद गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि उपभोक्ताओं को कम मूल्य में अच्छी गुणवत्ता की वस्तुएं मिल सके और उच्च वर्ग एवं मध्यम वर्ग के अलावा निम्न वर्ग के उपभोक्ता भी खरीदारी कर सके। डी–मार्ट के कर्मचारियों द्वारा व्यवहार व उपलब्ध सुविधा से उपभोक्ता काफी संतुष्ट है तथा इसे और बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए।

❐

सन्दर्भ –

1. *Rahul, b. n. (2012). a study on customer satisfaction in big bazaar, royapuram [phd thesis]. anna university.*
2. *Dignesh S. Panchasara and Umesh R. Dangarwala.(2015). Customer Expectation and Satisfaction: A Case Study of Big Bazaar Retail Store in Baroda. International Research Journal of Management Sociology & Humanity, 6 (11), 162-172.*
3. *Panchasara, D., & Dangarwala, D. (2016). An Empirical Study on Customer Satisfaction towards Corporate Retail Stores in Baroda City. 94, 40392–40396.*
4. *Brar, V., & Kumar, A. (2017). customer satisfaction towards the services rendered by superstore retailers. International Journal of Science Technology and Management, 6 (7), 111-117.(SSRN Scholarly Paper 3163516).https://papers.ssrn.com/abstract=3163516*
5. *Parecha, H. S., & Dabre, D. M. C. (n.d.). A Study on the Consumer Buying Behaviour of D-Mart Shopping Center with Special Reference to Amravati City. International Journal of Social SciencesSciences & Humanities, 9(5), 36-40.*
6. *Yash Shirish Shrotri (2020). A Study on Customer Satisfaction with Special Reference to 'D-Mart' and 'Big-Bazaar' Retail Outlets at Vapi City. Journal of Management Development and Research, 23-31.*
7. *Shobika. S and R. Guna Sundari. (2021). a study on customer satisfaction towards hypermarket with special reference to dmart. epra International Journal of Research and development, 6 (4), 207-210.*
8. *Sharda Vijay Nikhare and Rutika Dilip Nipane (2022). Consumers Buying Behavior towards DMart. International Journal of Research Publication and Reviews, 3 (1), 640-646.*
9. *https://in.ilearnlot.com/2019/10/customer-satisfaction-hindi.html*
10. *https://www.businessmanagementideas.com/india/retailing/retailing-in-india-definition-nature-types-importance-examples-and-opportunities/18318*
11. *https://ssin24.com/dmart-success-story-radhakishan-damani-founder-history-strategies/*
12. *https://www.economicsdiscussion.net/distribution-channels/retailing/32357*

पूर्वदेवा– *सामाजिक विज्ञान शोध पत्रिका*
वर्ष 29, अंक, 114–115, जुलाई–दिसम्बर, 2023 पृ. 65–69

UGC Care Listed Journal
ISSN 0974 -1100

उत्तराखण्ड की बहुसांस्कृतिक विरासत और ग्रामीण समाज एक ऐतिहासिक अध्ययन

डॉ. दीपा लोहनी
सहायक प्राध्यापक, इतिहास, राजकीय महाविद्यालय, भिकियासैंण, अल्मोड़ा
E-mail <deepalohani465@gmail.com> Mob. 943055408

सारांश

ग्रामीण समाज प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत का केन्द्र बिन्दु है। यहाँ की बहुविध भौगोलिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियां इसे विशिष्ट स्वरूप प्रदान करती हैं। इस क्षेत्र में निवासरत समस्त समुदायों और खासकर जनजातीय समुदायों का प्रत्येक पक्ष क्षेत्रीय विशिष्टताओं को प्रदर्शित करता है। यहाँ के विविध सांस्कृतिक समूह अपनी विशिष्टता को बनाये रखते हुए समकालीन परिवर्तन के दौर में अनुकूलन स्थापित करने में संघर्शरत प्रतीत होते हैं।

वर्तमान स्वरूप में उत्तराखण्ड राज्य दो मंडलों में विभक्त है– कुमाऊँ और गढ़वाल। यदि हम इस क्षेत्र की ऐतिहासिक स्थिति की बात करें तो यह प्रदेश प्राचीन समय में मानसखण्ड और केदारखण्ड के नाम से जाना जाता रहा है। यही कारण है कि इस मंडल में सांस्कृतिक भिन्नता के गुण इतिहास के पन्नों में छिपे दिखाई देते हैं। वर्तमान समय में इन दोनो मंडलों के ग्रामीण समाज अपनी–अपनी पारंपरिक सांस्कृतिक धरोहरों को संजोने एवं उसे संवर्द्धित करने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। इन दोनों प्रदेश की संस्कृतियों में पाये जाने वाले सांस्कृतिक विविधता के गुण ही उत्तराखण्ड की सांस्कृतिक विरासत को बहुसांस्कृतिक स्वरूप प्रदान करते हैं। इस बहुसांस्कृतिक स्वरूप में जनजातीय संस्कृति का अपना विशेष स्थान रहा है।

उत्तराखण्ड में मूल रूप से 05 जनजातियां निवास करती हैं। इनका निवास स्थल घने जंगलों के बीच या पर्वतीय एवं जंगली क्षेत्रों के निकटस्थ प्रदेशों में रहा है। प्रदेश में जनजातीय क्षेत्रों का विस्तार दोनों ही मंडलों में देखने को मिलता है। जिसके कारण इनकी सांस्कृतिक विविधता प्रदेश को एक अलग स्वरूप प्रदान करती है। प्रदेश की बहुविध संस्कृति की झलक उनके रहन–सहन, खान–पान, पूजा पद्धति, पहनावा, लोक कलाएं, लोक गीत, पूजा पद्धति, लोक कथा आदि में देखने को मिलती है, जो स्वयं में व्यापक भिन्नता के गुण को समाहित किये हुए हैं। विगत कुछ दशकों

और खासकर सूचना सम्प्रेषण के क्षेत्र में आये अप्रत्याशित परिवर्तन ने इस सांस्कृतिक विरासत को प्रभावित किया है, इसके कारण आज यह सांस्कृतिक विरासत नित्य नयी चुनौतियों का सामना करने को मजबूर है। ग्रामीण संस्कृति के समक्ष उत्पन्न संक्रमण की चुनौतियां, ग्रामीण समाज में निवासरत लोगों के दैनिक जीवन में उसकी प्रासंगिकता एवं उसके ऐतिहासिक महत्व के कारण प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत से अवगत होना समय की मांग बन चुकी है। विषय के इन्हीं महत्व के आधार पर प्रस्तुत शोध पत्र हेतु ''उत्तराखण्ड की बहुसांस्कृतिक विरासत और ग्रामीण समाज : एक ऐतिहासिक अध्ययन'' शीर्षक विषय का चयन किया गया है।

प्रस्तावना

उत्तराखण्ड विविधताओं से भरा एवं प्रकृति की गोद में बसा रमणीय प्रदेश है। यहां की अधिकांश जनता प्रकृति के निकट तथा प्रकृति पर आश्रित जीवन यापन करती आयी है। यही कारण है कि ग्रामीण समाज को प्रदेश की रीढ़ कहा जाता है। इस क्षेत्र की अपनी विशिष्ट सामाजिक संरचना होती है। इस संरचना की अभिव्यक्ति विभिन्न सामाजिक–सांस्कृतिक प्रतिमानों एवं प्रतीकों के माध्यम से की जाती रही है। ग्रामीण समाज अलग–अलग भौगोलिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में निवासरत होने के कारण इसकी अपनी कुछ खास विशेषताएं होती हैं, जो इन्हें विशिष्ट स्वरूप एवं पहचान प्रदान करती है।[1] साथ ही इनकी कुछ ऐसी सामान्य विशेषताएं भी होती हैं, जिनके आधार पर ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों का रेखांकन किया जाता है। संयुक्त परिवार प्रथा, जाति व्यवस्था, पारंपरिक सभ्यता एवं संस्कृति की प्रधानता, कृषि पर जीविकोपार्जन, रूढ़िवादी मनोवृत्ति, अंधविश्वास, ग्राम पंचायत एवं जाति पंचायत, सामाजिक नियंत्रण में अनौपचारिक साधनों की प्रधानता, जीवन के विविध क्षेत्रों में आत्म निर्भरता आदि ग्रामीण समाज की विशेषताओं के उदाहरण मात्र हैं। यही विशेषताएं इन्हें नगरीय क्षेत्रों से पृथक करती है।

सूचना समाज के अभ्युदय तथा प्रसार के साथ ही ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों के बीच की विभाजक रेखा धूमिल हुई है। बावजूद इसके ग्रामीण समाज परंपरावादी एवं धार्मिक मूल्यों के अनुयायी होने के कारण ये अपनी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखने में सफल रही हैं। ये और बात है कि समाज में हो रहे तीव्र परिवर्तन की जद में ग्रामीण संस्कृति भी है, लेकिन इन परिवर्तनों के बाद भी वे अपनी पारंपरिक छवि को सहेजने में सफल रही है। ये परिस्थितियां ग्रामीण क्षेत्रों में विविध संस्कृतियों के एक साथ पलने बढ़ने के लिए अनुकूल अवसर प्रदान करती है। सूचना समाज के विकास ने एक ओर जहां ग्रामीण समाज को विविध संस्कृतियों के सम्पर्क में आने का अवसर प्रदान किया है, वहीं अपनी संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए अवसर उपलब्ध कराने का कार्य भी किया है। इसके परिणामस्वरूप ग्रामीण समाज धीरे–धीरे विभिन्न संस्कृतियों का अजायबघर बन गया है।

वर्तमान समय में संचार तंत्र के अभूतपूर्व विकास ने सूचना सम्प्रेषण को द्रुत गति प्रदान की है। इसके कारण समाज में सांस्कृतिक संक्रमण की गति में तेजी आयी है। इतना ही नहीं प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य क्षेत्रों की संस्कृतियां अपना स्थान बनाने में सफल भी रही हैं। लेकिन ऐसा कहना कि यह आधुनिक समय में और खासकर सूचना के क्षेत्र में आयी अप्रत्यशित

परिवर्तन के बाद की घटना है, अधूरा सत्य प्रतीत होता है। ऐतिहासिक साक्ष्यों के प्रकाश में देखने से ज्ञात होता है कि उत्तराखण्ड की संस्कृति पर अलग–अलग समय के शासकों, आक्रांताओं, औपनिवेशिक शासकों, नवजागरण काल के दौरान चलाए गये सामाजिक–धार्मिक सुधार आन्दोलनों आदि ने भी समय–समय पर यहां की सांस्कृतिक विरासत को प्रभावित करने का कार्य किया है। बावजूद इसके यहां की सांस्कृतिक विरासत अपनी पहचान कायम रखने में सफल रही है, जो इनकी विशिष्टता को प्रदर्शित करती है।[2] ये और बात है कि बदलते समय एवं परिस्थिति के साथ इनके स्वरूप में परिवर्तन आया है लेकिन यह आज भी अपनी पारंपरिक पृष्ठभूमि के साथ संरक्षित है और अपने अस्तित्व को कायम रखने के लिए संघर्षरत है। ग्रामीण समाज एवं संस्कृति की यही विशेषताएं इन्हें बहुसंस्कृति के संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए अनुकूल बनाती हैं।

बहुसंस्कृति शब्द का सामान्य तात्पर्य समाज की उस अवस्था से है, जिसमें विविध संस्कृतियों को आगे बढ़ने का समान अवसर प्राप्त होता है। दूसरे शब्दों में जब सभी संस्कृतियों को समान रूप से सम्मान दिया जाता है तथा उसके संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए बिना किसी भेदभाव के समान अवसर उपलब्ध कराये जाते हैं तो इस समाज को ही बहुसांस्कृतिक समाज कहा जाता है। इस संदर्भ में कुछ विचारक इसे राजनीतिक दृष्टिकोण से देखते हैं जबकि कुछ मानवीय या सामाजिक। भीखू पारेख जो शिक्षा एवं साहित्य के क्षेत्र में अपने अप्रतिम योगदान के लिए 2007 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किये गये, 'बहुसंस्कृति' को मानव जीवन को देखने का एक तरीका या नजरिया मानते हैं।[3]

उत्तराखण्ड की बहुसांस्कृतिक विरासत और ग्रामीण समाज

उत्तराखण्ड एक पर्वतीय प्रदेश है। यहां की भौगोलिक विविधता सांस्कृतिक धरोहर को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष दोनों ही रूपों में प्रभावित करती है। भौगोलिक भिन्नता जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेवार कारक होते हैं तथा इसके कारण लोगों के पहनावे तथा खान–पान प्रभावित होते हैं। प्रदेश की सांस्कृतिक विविधता के पीछे इसे एक महत्वपूर्ण जिम्मेवार कारक के रूप में स्वीकार किया जाता है। इतना ही नहीं यहां की अप्रतिम सुन्दरता, शांत एवं सौम्य वातावरण तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता ने समय–समय पर अनेक आक्रांताओं, शासकों तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के यात्रियों के आगमन, नवजागरण काल के दौरान हुए सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आन्दोलनों आदि ने भी यहां की सांस्कृतिक विविधता को बल प्रदान किया है। औपनिवेशिक काल के दौरान इसाई धर्म के प्रचार–प्रसार तथा सनातन धर्म में व्याप्त कुरीतियों के विरूद्ध जंग ने प्रदेश की सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। वर्तमान समय में प्रदेश की सांस्कृतिक विविधता की बात करें तो यह न केवल धार्मिक आधार पर बल्कि रहन–सहन, खान–पान, जाति एवं प्रजाति, जनजाति, लोक कला एवं गीत, लोक नाट्य, लोक कथा आदि के रूपों में परिलक्षित है।[4]

उत्तराखण्ड को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। प्रदेश के इस नामकरण के पीछे का कारण यहां की समृद्धशाली एवं गौरवशाली संस्कृति के अतीत में छिपा है। प्रदेश के शांत एवं सौम्य वातावरण धार्मिक कार्यों के लिए इस क्षेत्र को अनुकूल बनाती है। प्रदेश की इसी विशिष्टता के कारण समय–समय पर अनेक ऋषि–मुनि इस धरा पर आये तथा धार्मिक स्थलों

एवं तपस्थलों का निर्माण किया। यही तपस्थली आज सनातन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल माना जाता है।[5] वर्तमान समय में प्रदेश में सनातन धर्म के ही प्रमुख तीर्थ स्थल नहीं हैं बल्कि इस्लाम, ईसाई, सिक्ख एवं बौद्ध आदि धर्मावलम्बियों के प्रमुख तीर्थ स्थल भी यहां मौजूद हैं, जो प्रदेश के धार्मिक सौहार्द एवं सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करता है। प्रदेश के सर्वाधिक प्राचीन धर्म में सनातन एवं बौद्ध धर्म को माना जाता है। अन्य धर्मों का अस्तित्व बाद के वर्षों में शासक बदलने के साथ अस्तित्व में आते एवं पलते–बढ़ते रहे हैं। हालांकि प्राचीन धर्म के रूप में यहां सनातन धर्म का ही प्रभाव था लेकिन इनमें भी दो तरह के धर्मावलम्बी देखने को मिलते हैं – पहला वैदिक या पौराणिक देवी देवताओं से संबंधित तथा दूसरा अवैदिक अर्थात स्थानीय देवी देवताओं से संबंधित। जिन लोगों की आस्था वैदिक देवी देवताओं में रही है वे लक्ष्मी, गणेश, शिव, राम, विष्णु, कृष्ण, भैरव, बाराही, कालिका, चामुण्डा आदि का पूजन करते हैं जबकि जिन लोगों की अवैदिक देवी देवताओं में श्रद्धा एवं आस्था रही है वे स्थानीय देवताओं का पूजन करते हैं। इनकी पहुंच प्रदेश के समस्त ग्रामों में देखी जा सकती है। इन देवी देवताओं में ग्वल्ल, हरज्यू, गंगनाथ, सैम, ऐड़ी, भनरिया, भूमिया, चौमू, कलबिष्ट, नंदा, जियारानी, स्याही देवी, कोटगाड़ी आदि प्रमुख हैं। इनकी पूजा आज भी की जाती है, जो इस संस्क ति की प्राचीनता एवं जनमानस के बीच प्रसिद्धि का परिचायक है। प्रदेश में धार्मिक क्रियाओं के रूप में अनेक तीज–त्योहारों को मनाने की परंपरा रही है। इन त्योहारों में फूल देई, संवत्सर प्रतिपदा, बिखौती, हरेला, घृत संक्रांति, खतड़वा, श्राद्ध, नंदाष्टमी, घुघुतिया आदि प्रमुख हैं।[6]

उत्तराखण्ड में जातीय संस्कृति का भी अपना विशेष महत्व रहा है। ऐतिहासिक साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि आरंभिक समय में यहां ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र ये तीन जातियां निवासरत थी, जिनके बीच आपसी वैमनस्य एवं भेदभाव नही पाया जाता था।[7] बाद के वर्षों में जब मैदानी क्षेत्रों से लोगों का आगमन इस पवित्र धरा पर हुआ तब मैदानी क्षेत्रों के समान ही धीरे–धीरे जातिवाद का जहर यहां के वातावरण में भी घुलने लगा। वैश्य वर्तमान समय में यहां पाये जाते हैं जो बाद के वर्षों में आये थे। प्रदेश में पांच जनजातियां भी निवास करती हैं, जिनकी अपनी विशिष्ट संस्कृति है तथा यह संस्कृति प्रदेश को एक अलग पहचान दिलाती है।

लोक नृत्य एवं लोक कथा सांस्कृतिक विरासत का एक अभिन्न अंग है। लोक नृत्य लोक जीवन में मनोरंजन का एक महत्वपूर्ण साधन रही है। विविध उत्सवों, धार्मिक क्रियाओं, देव यात्रा, विवाह आदि अवसरों पर इसका आयोजन किया जाता है। जागर के दौरान डगरिया अलग–अलग मुद्राओं में देव नृत्य करते हैं। छोलिया, झोड़ा–चाँचरी, हिलजात्रा, छपेली, हिरन–चित्तल आदि प्रमुख है। लोक कथा पारंपरिक काल से ग्रामीण समाज में जीने की एक कला के रूप में प्रस्तुत की जाती रही है। यह रोजमर्रा की जिन्दगी से जुड़े होने के कारण यह प्रदे ा की पहचान के रूप में उभरकर सामने आया। इसके अंतर्गत न केवल काश्ठकारी, शिल्पकारी एवं मूर्ति कला को शामिल किया जाता है बल्कि लोक भावनाओं और सुन्दरता को अभिव्यक्त करने वाली चित्रकला एवं शरीर गोदने की कला से लेकर घर–आंगन की सजावट, पर्व–त्योहार आदि के अवसर पर बनाये जाने वाले ऐपन तक को इसमें सम्मिलित किया है।[8] ये सभी परिस्थितियां आपस में मिलकर उत्तराखण्ड की सांस्कृतिक विरासत को एक अलग पहचान दिलाती है क्योंकि सभी संस्कृतियां आपस में एक साथ एकसमान रूप में पल बढ़ रही

है तथा प्रदेश की पहचान के रूप में जानी जाती है, इसलिए यहां की सांस्कृतिक विरासत को बहुसांस्कृतिक विरासत के नाम से संबोधित किया जाना समयोचित एवं विशय के अनुकूल प्रतीत होता है।

निष्कर्ष

वर्तमान स्वरूप में उत्तराखण्ड भले ही एक नवीन राज्य है लेकिन इस प्रदेश की सामाजिक–सांस्कृतिक पहचान प्राचीन धर्म ग्रंथों में भी मिलती है, जो इसके समृद्धशाली इतिहास का प्रमाण है। प्राचीन समय में केदारखण्ड एवं मानसखण्ड के नाम से प्रचलित हिमालय का यह भूभाग वर्तमान में विभिन्न जातियों एवं जनजातियों की भारणस्थली बनी हुई है। देवभूमि के रूप में प्रसिद्ध इस धरा पर सनातन धर्म के साथ–साथ अन्य धर्मों की उपस्थिति के प्रमाण विभिन्न ऐतिहासिक ग्रंथों से प्राप्त होते हैं। यहां की संस्कृति भौगोलिक परिस्थिति पर निर्भर है। यही कारण है कि यहां के भौगोलिक परिस्थिति बदलते ही व्यवसाय, रहन–सहन के स्तर तथा लोक गीत एवं लोक कला आदि में भी परिवर्तन के गुण दिखाई देते हैं। गढ़वाल एवं कुमाऊँ की बोली, खान–पान एवं पहनावे, लोक देवता आदि प्रदेश की सांस्कृतिक विविधता के परिचायक हैं। बावजूद इसके इनका आपसी सौहार्द, एक दूसरे को समान रूप से आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होना यहां की बहुसांस्कृतिक विशिष्टता को प्रदर्शित करता है। यह विशिष्टता न केवल इस समाज की विशिष्टता को प्रदर्शित करता है बल्कि समाज की दिशा की ओर भी संकेत करता है, जो समय की मांग है।

❐

सन्दर्भ –

1. *बिष्ट, (डॉ.) बी. एस., उत्तराँचल : ग्रामीण समुदाय, पिछड़ी जाति एवं जनजातीय परिदृश्य, अल्मोड़ा बुक डिपो, अल्मोड़ा, 1997, पृ.13*
2. *बिष्ट, (प्रो.) शेर सिंह, कुमाऊँ हिमालय : समाज एवं संस्कृति, अंकित प्रकाशन हल्द्वानी, 2010, पृ.12*
3. *धामी, भगवान सिंह, यूकेपीडिया, समय साक्ष्य देहरादून, 2021*
4. *जोशी, घनश्याम, उत्तराखण्ड का राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास, प्रकाश बुक डिपो बरेली, 2011, पृ. 174–175*
5. *कठोच (डॉ.) यशवंत सिंह, उत्तराखण्ड का नवीन इतिहास, विनसर पब्लिशिंग कम्पनी देहरादून, 2010, पृ. 2*
6. *बिष्ट, (प्रो.) शेर सिंह, कुमाऊँ हिमालय : समाज एवं संस्कृति, अंकित प्रकाशन हल्द्वानी, 2010, 54–58*
7. *जोशी, घनश्याम, उत्तराखण्ड का राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास, प्रकाश बुक डिपो बरेली, 2011, पृ. 174–175*
8. *कुमार, डॉ. रजनीकान्त, लोहनी डॉ. गार्गी, उत्तराखण्ड की लोक संस्कृति : विविध आयाम, के.के. पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, फरवरी, 2023, पृ. 48–51*

पूर्वदेवा– *सामाजिक विज्ञान शोध पत्रिका*
वर्ष 29, अंक, 114–115, जुलाई–दिसम्बर, 2023 पृ. 70–83

UGC Care Listed Journal
ISSN 0974 -1100

प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में रानी अवन्तिबाई की भूमिका

डॉ.राकेश चंदेल
सहायक प्राध्यापक, इतिहास, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा (छ.ग.)

सारांश

29 मार्च अट्ठारह सौ सत्तावन यह वह दिन था जब सैकड़ों सालों की गुलामी सहने वाला भारत का अभिमान फिर एक बार जाग उठा था,ब्रिटिश हुकूमत की नीतियों से लड़ने की प्रेरणा देने वाली क्रांति की शुरुआत इसी दिन हुई थी जिसमें सभी वर्गों,रियासतों के राजाओं,जमीदारों,सैनिको, किसानों,मौलवियों,ब्राह्मणों ,व्यापारियों, किसानों तथा महिलाओं ने अपना योगदान दिया !

अट्ठारह सौ सत्तावन की क्रांति के अनेक कारण थे जिसमें आर्थिक,सामाजिक, राजनीतिक, सैनिक व धार्मिक कारण जिसके परिणाम स्वरूप धीरे–धीरे 1857 का विकराल रूप उभरकर ब्रिटिश हुकूमत की जड़े हिला दी ! इस संग्राम में पुरुषों के साथ ही साथ स्त्रियों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है!

अंग्रेजी शासन के दौरान कई वीरांगनाओं ने अपना उल्लेखनीय योगदान प्रदर्शित किया ! इतिहास साक्षी है प्रत्येक युग में ऐसी अनेक नारियां अवतरित हुए हैं, जिन्होंने अपनी मेघा एवं शोर्य का परिचय दिया है जिस प्रकार आजादी की जंग में स्त्री और पुरुष की योगदान में समानता रही,उसी प्रकार यह, संग्राम किसी धर्म जाति या वर्ग में सीमित नहीं था ! महिलाओं का जहां तक सवाल है उसमें रानियों, बेगमो, वीरांगनाए आदि से लेकर बांदीया, तवायफे सभी सम्मिलित थी, जो कि शिक्षित–अशिक्षित, अमीरी–गरीबी एवं समान–दलित सभी श्रेणियों में व्याप्त थी !

इतिहास के पन्नों पर एक नाम उभरकर आता है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की,उसकी सेविका झलकारी बाई दलित समाज की थी,उदा देवी पासी महिला थी। महावीरी देवी भंगी जाति की थी,आशा देवी गुर्जर,बेगम हजरत महल,जीनत महल,अट्ठारह सौ सत्तावन की दास्तान दलित वीरांगनाओं के बिना अधूरी है जिन्होंने अंग्रेजों को लोहे के चने चबवा दिए ! इस स्वतंत्रता संग्राम में एक ऐसा नाम भी था जिसने अंग्रेजी

सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी ! इस साहसी वीरता का प्रतीक वीरांगना का नाम अवंती बाई लोधी था !

अमर शहीद वीरांगना अवंती बाई लोधी एक ऐसे ही राष्ट्र नायिका है जिन्हें इतिहास में उचित स्थान प्राप्त नहीं हो सका है परंतु वे जन अनुश्रुतियों एवं लोक काव्यों की नायिका के रूप में आज भी हमें राष्ट्र निर्माण व देशभक्ति की प्रेरणा प्रदान कर रही है ! प्रस्तुत शोध पत्र में उनकी स्वतंत्रता संघर्ष की गाथा को इतिहास के पन्नों पर उकेरना है !

मूलशब्द– स्वतंत्रता–संग्राम,नायिका,वीरांगनाये,बलिदान,लोधी,

रामगढ़ रियासत की पृष्ठभूमि– रामगढ़ रियासत मध्यप्रदेश के डिंडोरी जिला मुख्यालय से 23 किलोमीटर की दूरी पर एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है था जो खमनेर नदी के किनारे बसा हुआ था। जो वर्तमान में अमरपुर विकासखंड के अंतर्गत आता है रामगढ़ पूर्व में मंडला जिले का हिस्सा था जो 1998 में जिले के विभाजन पश्चात डिंडोरी जिले के अंतर्गत आने लगा,यह क्षेत्र रामगढ़ के नाम से जाना जाता था ।

''रामगढ़ अपने चरमोत्कर्ष के समय लगभग 4000 वर्ग मील में फैला था जिसमें शाहपुर, मेहंदीवानी, चौबीसा, रामपुर, शाहपुरा, मुकुटपुर, प्रतापगढ़, करोटिया, रामगढ़ कुल 10 परगने और 681 गांव थे जिसकी सीमाएं मंडला, डिंडोरी, सुहागपुर और अमरकंटक तक फैली थी ।''[1]

रानी अवन्ति बाई परिचय – "देश की रक्षा करने के लिए या तो कमर कस लो या फिर चूड़ियां पहन कर घर में बैठ जाओ। तुम्हें धर्म और ईमान की सौगंध है जो इस कागज की पुड़िया का पता बैरी को दो।" यह शब्द है सन 1857 की क्रांतिकारी वीरबाला रामगढ़ की रानी अवंती बाई की जो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख सुत्रधारों में से एक थी, रानी अवंती बाई का जन्म 16 अगस्त सन 1831 को ग्राम मनखेड़ी, जिला सिवनी मध्य प्रदेश के जमीदार श्री जुझार सिंह के परिवार में हुआ था माता का नाम रानी सुमित्रा देवी था, बचपन में रानी अवंति का नाम मोहिनी था, मनकेडी ग्राम नर्मदा घाटी में एक छोटा सा सुंदर गांव था रानी अवंती का लालन–पालन एवं शिक्षा मनकेडी ग्राम में ही हुई थी, तलवार चलाना और घुड़सवारी भी सीख ली थी।[2]

विवाह– ससुराल में मोहिनी को रानी अवंती का नाम मिला । राजकुमारी अवंती का विवाह सजातीय लोधी राजपूत की रामगढ़ रियासत जिला मंडला के राजकुमार विक्रम जीत सिंह से करने का निश्चय जुझार सिंह ने किया,रामगढ़ के राजा लक्ष्मणसिंह ने जुझार सिंह की साहसी कन्या का रिश्ता अपने पुत्र राजकुमार विक्रमजीत सिंह के लिए स्वीकार कर लिया 1849 में महाशिवरात्रि के दिन अवन्ति बाई का विवाह राजकुमार विक्रमजीत सिंह के साथ हो गया और अब रानी, रामगढ़ रियासत की वधू बनी,विवाह के बाद बिना पर्दा किये पति के साथ राज्य भ्रमण करती और राज्य कार्य में हाथ बटाती थी। कुछ समय पश्चात उन्होने दो पुत्र अमान सिह और शेर सिह को जन्म दिया । कुछ समय पश्चात लक्ष्मण सिंह की भी मृत्यु हो गई अब विक्रमजीत सिंह रामगढ़ रियासत के राजा बने, किंतु कुछ दिनों के पश्चात अर्ध विक्षिप्त तथा उनकी तबीयत खराब रहने लगी और 15 मई 1857 को विक्रमजीत सिंह का निधन हो गया।[3]

उनके आकस्मिक निधन पर उनके नाबालिक पुत्रों अमान सिंह और शेरसिंह में से अमान सिंह को गद्दी पर बैठाया गया और रानी अवंति ने शासन प्रबंध का संचालन स्वयं करना शुरू कर दिया।

भारत में ब्रिटिश शासन और उनकी नीतियां– इस समय भारत में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी का शासन चल रहा था उसकी साम्राज्यवादी नीतियों विशेषकर हड़प नीति की वजह से देशी रियासतों में हाहाकार मचा हुआ था इस नीति के अंतर्गत कंपनी सरकार अपने अधीन, हर उस साम्राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में विलीन कर लेती थी! जिसका कोई प्राकृतिक बालिक उत्तराधिकारी नहीं होता था। इस नीति के तहत डलहौजी ने कानपुर,झांसी, सतारा, नागपुर, जैतपुर, संबलपुर इत्यादि रियासतों को हड़प चुका था। रामगढ़ की राजनीतिक स्थिति का पता जब कंपनी सरकार को लगा तो उन्होंने रामगढ़ रियासत को 13 सितंबर 1854 को कोल्ट ऑफ वार्ड्स के अधीन हस्तगत कर लिया। और शासन प्रबंध के लिए शेख मोहम्मद नामक एक तहसीलदार को रामगढ़ रियासत में नियुक्त कर दिया। राज परिवार को पेंशन दे दी गई ! रानी अवन्तिबाई ने कई बार विरोध में आवाज उठाई परंतु ठोस फल ना निकला।[4]

सन 1857 की क्रांति का बिगुल बजने पर उन्हें बदला देने का अवसर मिल गया ! अपने स्वाभिमान तथा राज्य की स्वाधीनता की रक्षार्थ रानी अवंती बाई भी अपने देश प्रेमी साथियों के साथ स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़ी । रानी लक्ष्मी बाई और अन्य वीरांगनाओं के साथ ही अवंती बाई लोधी ने मोर्चा संभाल रखा था, उनके रामगढ़ क्षेत्र में क्षेत्रीय किसान उनके प्रभाव में थे और उनकी तरफ नेत त्व करने कि पहल को देख रहे थे, जबलपुर क्षेत्र में क्रांति की गुप्त योजना बनाई गई, जिसमें देसी राजा जमीदार और जबलपुर एवं पाटन में तैनात 52वी रेजिमेंट के सैनिक शामिल थे। इस योजना में गढ़ मंडला के पूर्व शासक शंकर शाह उनके पुत्र रघुनाथ शाह, विजय राघवगढ़ के राजा सरयू प्रसाद, शाहपुर के कमाल ठाकुर जगत सिंह, सुकरी– बरगी के ठाकुर बहादुर सिंह लोधी एवं हीरापुर के मेहरबान सिंह लोधी व देवी सिंह शामिल थे इनके अतिरिक्त सोहागपुर के जागीरदार, निगवानी के तालुकदार बलभद्र सिंह, शाहपुरा का लोधी जागीरदार विजय सिंह,। विद्रोहियों के साथ सहानुभूति रखता था ! राजा शंकर शाह को मध्य प्रांत में क्रांति का नेता चुना गया ! रानी अवंती बाई ने भी इस क्रांतिकारी संगठन को तैयार करने में बहुत उत्साह का प्रदर्शन किया ! क्रांति का संदेश गांव को पहुंचाने के लिए अवंती बाई ने अपने हाथ से लिखा पत्र किसानों देसी सैनिकों जमीदारों एवं माल गुजारो को भिजवाया ! सितंबर 1857 मे ब्रिटिश शासन के पास इस बात के प्रमाण उपलब्ध थे कि कुछ सैनिकों और ठाकुरों ने कार्यवाही करने की योजना बनाई थीकि योजना के अनुसार से मोहर्रम के पहले छावनी पर आक्रमण किया जाए । किंतु यह योजना क्रियान्वित नहीं हो सकी। ब्रिटिश सरकार ने शंकर शाह के दरबार में गुप्तचर भेजा तथा उनके सरल स्वभाव का लाभ उठाकर उनकी योजनाओं का पता लगा लिया ! तथा शंकरशाह और उनके पुत्र रघुनाथशाह तथा परिवार के अन्य 13 सदस्यों को बिना किसी कठिनाई के 14 सितंबर1857को उनके पूर्वा जबलपुर स्थित हवेली से गिरफ्तार कर लिया, उनके घर आपत्तिजनक प्राप्त हुए एक कागज पाया गया, जिसमें ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए आराध्य देवता से प्रार्थना की गई थी। पिता–पुत्र पर सैनिक न्यायालय ने सार्वजनिक रूप से राजद्रोह का मुकदमा चलाया और उन्हें दोषी मांनते हुए मौत

की सजा सुनाई गई ! 18 सितंबर को उन्हें तोप के मुंह से बांधकर उड़ा दिया गया । राजा शंकर शाह के बलिदान से पूरे मध्य भारत में उत्तेजना फैल गई और जनता में विद्रोह की भावना पहले से भी तीव्र हो गई। देसी सिपाहियों की 52 वी रेजीमेंट ने उसी रात जबलपुर में विद्रोह कर दिया, शीघ्र ही यह विद्रोह पाटन, सलीमाबाद छावनी में भी फैल गया । मध्य भारत के किसान और सैनिक एक कुशल और चमत्कारिक नेतृत्व की तलाश में थे। क्षेत्र के सामान्य जमीदार, सामंत एवं मालगुजार भी असमंजस में थे ऐसे में रानी अवंती बाई लोधी मध्य भारत की क्रांति के नेता के रूप में उभरी।

सर्वसाधारण जनता और समाज के अगुवा जमीदार और संभ्रांतलोग,रानी के साहस और युद्धकला से परिचित थे विशेष रुप से रामगढ़ क्षेत्र के किसानों से रानी बहुत ही करीब से जुड़ी थी, और आम जनता उनसे प्रेम करती थी। क्षेत्र में क्रांति के प्रचार–प्रसार के लिए पूर्व में किए गए प्रयासों ने रानी अवंती बाई को क्रांतिकारियों का वैकल्पिक नेता बना दिया। इस स्थिति में रानी ने अपने महत्व को समझते हुए स्वयं आगे बढ़ कर क्रांति का नेतृत्व ग्रहण कर लिया। विजय राघवगढ़ के राजा सरयूप्रसाद, शाहपुर के मालगुजार ठाकुर जगतसिंह, सुकरी–बरगी के ठाकुर बहादुरसिंह लोधी एवं हीरापुर के मेहरबानसिंह लोधी ने भी रानी अवंती बाई का साथ दिया। सर्वप्रथम रानी रामगढ़ से ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त तहसीलदार को खदेड़ दिया जिसका नाम शेख मोहम्मद था और वहां की शासन व्यवस्था को अपने हाथों में ले लिया।

रानी के विद्रोह की खबर जबलपुर के कमिश्नर को दी गई तो वह आग बबूला हो गया, उसने रानी को आदेश दिया की वह मंडला के डिप्टी कमिश्नर से भेंट कर ले, किंतु रानी अवन्ति ने अंग्रेज पदाधिकारियों से मिलने की बजाए युद्ध की तैयारी शुरू कर दी,उसने रामगढ़ के किले की मरम्मत कराकर उसे और मजबूत और सुदृढ़ बनवाया।

मध्य भारत में हुए विद्रोह जो रानी के नेतृत्व में हुए थे उनसे जबलपुर डिवीजन के तत्कालीन कमिश्नर चिंतित हो उठे– उन्होंने अपने अधिकारियों को इन घटनाओं को भेजे गए ब्योरे में लिखा है– "राजा शंकरशाह की मृत्यु से क्रुद्ध एवं अपमानित लगभग 4000 विद्रोही रामगढ़ की विधवा रानी अवंतीबाई के नेतृत्व में नर्मदा नदी के उत्तरी क्षेत्र में सशस्त्र विद्रोह के लिए एकत्रित हो गये हैं!"[5]

पाटन छावनी पर विजय– 52 वी रेजीमेंट के सैनिक टुकड़ी के सूबेदार बलदेव तिवारी के नेत त्व में सिपाही पाटन की ओर बढ़ रहे थे जो भी सामने आया उसे कुचल दिया गया ! बंगलो में फर्नीचर तोड़ा गया, मखमली काली, गलिचो में आग लगा दी गई,किसी ने विरोध ना किया, गोरी मेम, बच्चे पंक्तिबद्ध खड़े थे। मुख्य द्वार पाटन के धराशाई हो गए, सिपाहियों का निशाना सरकारी दफ्तर है दफ्तरों पर फहराते हुए यूनियन जैक गिरा दिए गए उन्हें पांव तले रौंदा गया ! जो गुलामी का निशान था और उनकी जगह लहरा उठा हरे रंग का सम्राट बहादुर शाह का झंडा ! सरकारी कार्यालय में कागजों को आग के हवाले किया जा रहा था,अपूर्व उत्साह यहां की हिंदुस्तानी फौजों मे थी, भारतीय सैनिक पाटन को अपने कब्जे में रखकर उस दिन पाटन में ही रहे, भारतीय सेना में विद्रोह और पाटन मे उसके अधिकार की सूचना रानी को मिल गई थी ! और अब वे शाहपुर को अपने अधिकार मे लेना चाह रही थी,उन्होंने यहा के लिए अपने विश्वाशपात्र साथी देवी सिंह को नेतृत्व के लिए चुना ![6]

शाहपुर थाने पर कब्जा–– रानी अवंती बाई रामगढ़ क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए शाहपुर को अपने कब्जे में रखना चाहती थी उन्होंने अपने विश्वासपात्र देवी सिंह को शाहपुर थाने पर मोर्चा संभालने के लिए जिम्मेदारी सौंपी वे अंग्रेजों की कार्यवाही करने से पूर्व शाहपुर थाने पर अपना अधिकार चाहती थी, रानी चाहती थी क्षेत्र के थानों पर जवानों का कब्जा हो, देवी सिंह ने 50 लाठी धारी जवानों को लेकर शाहपुरा थाने पर पहुंचे तो पुलिस ने आने से रोका, थाने की ओर बढ़ने से पहले देवी सिंह चाहता था कि सिपाही बिना खून खराबे के आत्मसमर्पण कर दे इसके लिए उन्हें चेतावनी दी, किंतु उसके विरोध में फायरिंग प्रारंभ हो गई जवान लाठिया चला रहे थे, उनके पास हथियारों का अभाव था, किंतु उनका साहस और उत्साह देखते ही बनता था। एक घंटा से अधिक लाठी धारी बंदूक की गोलियों का सामना करते रहे किंतु थानेदार और थाना को अपने कब्जे में नहीं ले सके, तभी एक ओर से वर्दी धारी भारतीय जवानों ने थाने को घेर लिया, दोनों ओर से गोलियां चल रही थी किंतु अधिक देर न् लगी, और आसानी से समर्पण हो गया, पुलिस के जवानों से हथियार जमा करा लिए गए, थाने पर चढ़ा यूनियन जैक उतारकर वहां पर हरा परचम लहरा उठा,थाने को लाठी धारी जवानों की देखरेख में दे दिया गया ! इस तरह से शाहपुरा ब्रिटिश हुकूमत से स्वतंत्र हो चुका था !

शोहगपुर पर कब्जा– सुहागपुर थाना पर विजय आसान नहीं था,वहां का थाना और वहां बने भवन चारों ओर से मजबूत दीवारों से घिरा हुआ था ! सिपाहियों की संख्या भी अधिक थी,थाने का दरोगा कठोर स्वभाव होने के कारण सिपाही भी अंग्रेजों का भक्त था ! यहा के लिए दीनदयाल को जवाबदारी सौंपी गई थी ,दीनदयाल ने अपने गुप्तचर भेज कर पता लगवाया,उस समय अधिक सिपाही नहीं थे,तथा दरोगा भी अनुपस्थित था इसी का फायदा उठाते हुए लाठी धारी जवानों को लेकर दीनदयाल ने हमला बोल दिया थाने का फाटक अंदर से बंद था,अंदर से प्रतिरोध हुआ,फायरिंग के साथ बंदूकों की गड़गड़ाहट से, दीनदयाल ने चेतावनी दी आत्मसमर्पण कर दो नहीं, तो हमारे जवान फाटक तोड़कर अंदर घुस जाएंगे,किन्तु चेतावनी का कोई प्रभाव ना हुआ, बल्कि और उल्टा असर पड़ा,बंदूक की फायरिंग और अधिक तेज हो गई दीनदयाल रक्तपात नहीं चाहता था उसने चेतावनी दी किंतु दरोगा हठी स्वभाव का था उस पर कोई असर ना हुआ,गोलियों का चलना जारी था दीनदयाल अपने साथियों से कहा तोड़ दो फाटक और पकड़ लो बदमाशों को दीनदयाल के कहते ही, सैकड़ों लाठी धारी टूट पड़े ,फाटक टूट गया था हर हर महादेव के उद्घोष के साथ थाने में प्रवेश कर गए,थानेदार से बंदूक और अन्य सामग्रियां छीन ली गई, इस तरह सिपाहियों ने हथियार डाल दिए और आत्मसमर्पण हो गया थानों के अधिकार में आ आने के पश्चात सरकारी दफ्तरों को अधिकार में लेना आसान हो गया रानी अवंती बाई ने सभी कार्यालय में अपने विश्वासपात्र लोग बैठा दिए थे,पाटन छावनी पर बलदेव तिवारी का अधिकार हो गया था![7]

घूघरी की स्वतंत्रता –घूघरी का इलाका बड़ा ना, था यहां का जमीदार, तालुकेदार कहलाता था, उपजाऊ होने के साथ ही सामरिक महत्व का स्थान था, अंग्रेज कंपनी ने कूटनीतिक दावों से इसे हथिया लिया था,और यहां एक थाना स्थापित करके अपनी पकड़ मजबूत बना ली थी, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण इस पर अधिकार करना आवश्यक था !

पांच सौ लाठी धारी और 200 से अधिक सशस्त्र घुड़सवार लेकर उमराव सिंह जो रानी का सेनापति था तीव्र गति से घुघरी की ओर बढ़ रहा था ! और कदमताल और घोड़ों की टापों से गूंजता वातावरण,उड़ती धूल आसपास के गांव के लोगों ने स्वागत किया ! सैकड़ों युवा, सेना के काफिले के साथ जुड़ गए !

रानी और राजा शंकरशाय की जय घोष करता जवानों का काफिला तेजी से आगे की ओर बढ़ रहे थे ! गेट पर तैनात बंदूकधारियों ने दौड़कर दरोगा को सूचना दी ! दरोगा तमाशबीन खड़े थे कुछ लोगों के हाथ में बंदूक थी, किंतु कोई प्रतिक्रिया ना हुई, सेनापति ने आवाहन किया कि,हमने थाने को चारों ओर से घेर रखा है अगर कुशलता चाहते हो तो आत्मसमर्पण कर दो, थानेदार कमजोर दिल का था, भारी संख्या में जवानों को देखकर भय से काप उठा, बंदूकें और कारतूशो के साथ समर्पण कर दिया ! सेनापति ने कहा आप लोगों ने समझदारी से काम लिया है,इसलिए तुम्हारी नौकरी बहाल होगी ![8]

इस तरह से घूघरी पर अधिकार करने में समय ना लगा, मुखिया और पटवारी हटाकर रानी के विश्वासपात्र को नियुक्त कर दिया गया, थाने का सहज समर्पण– घूघरी पर अधिकार की सूचना रानी को दे दी गई !

आज रात्रि सेनापति ने यही विश्राम का आदेश दिया ! और रानी साहिबा का यहा रात्रि मे दरबार लगेगा ! सेनापति ने घोषणा भी किया! उपस्थित हजारों की भीड़ में रानी का संबोधन हुआ !

"यह लड़ाई हमारे देश की आजादी के लिए हैं, अंग्रेज कंपनी को देश से बाहर खदेड़ने और उनके अत्याचारों से मुक्ति पाने के लिए है, हम चाहते हैं हमारे गांव पर हमारा अधिकार हो, सर्वत्र शांति और सुरक्षा का वातावरण बने, और गांव के लोग खुशहाल हों! इसके लिए हम सबको संगठित होना है !" चारों ओर रानी की जय जयकार के साथ भारत माता का जय घोष गूंज उठा !

रामनगर की स्वतंत्रता – अब रानी का अगला लक्ष्य रामनगर था– पुण्य सलिला नर्मदा के तट पर स्थित रामनगर,गोंड राजाओं की राजधानी रहा था ! यहां इस वंश के राजाओं द्वारा बनवाया गया किला था ! अतीत में रामनगर फला–फूला संपन्न नगर था ! यहां का राजाप्रसाद शिल्प सौन्दर्य की दृष्टि से सुंदर होने के साथ–साथ सामरिक दृष्टि से भी विशेष महत्व रखता था,अंग्रेज कंपनी ने उस पर अपना कब्जा कर रखा था ! अब रानी का लक्ष्य रामनगर था ! रामनगर मे सेना का नेतृत्व स्वयं रानी करने के लिए तैयार थी, उन्होंने कहा– आज सेना का नेतृत्व मै करूंगी ! जगत सिंह ने प्रश्न किया जो बरखेड़ा के राजा थे, क्या आपको हम पर भरोसा नहीं है ! पास मे ही बहादुर सिंह थे जो सुकरी के राजा थे,ने कहा– हमारा हौसला बुलंद होगा हमें आपसे प्रेरणा मिलेगी,किंतु किस उद्देश्य से आपने यह इच्छा जाहिर की !

"नहीं– नहीं ऐसा कुछ नहीं मुझे आप लोगों पर पूरा भरोसा है, किंतु मोर्चा मुश्किल है हमारे किले पर अंग्रेजों का अधिकार है। यहां का थाना भी बड़ा है पुलिस बल भी अपेक्षाकृत अधिक है" रानी कह रही थी कि, जगत सिंह ने रानी से कहा लेकिन यहां की जनता तो हमारे साथ होगी–रानी ने उत्तर दिया! "पता नहीं कुछ मास पूर्व यहां आई थी तो, कोई विशेष उत्साह दिखाई नहीं दिया, यहां की अधिकांश आबादी व्यवसायी, सेठ–साहूकारों की है, वास्तव में व्यापारी अवसर देखता है, उन्हें सरकार से कुछ भी लेना देना नहीं होता, जिसमें उनका हित हो, वह उसी की मूरीद बन जाते हैं।"[9]

अतः रानी ने रामनगर अभियान का नेतृत्व शुरू किया सेना के जवान और क्षेत्र के लाठी धारी युवकों के साथ भारी संख्या में तूफान की तरह आगे बढ़ रहे थे, नगर में प्रवेश हो गया कोई भी अवरोध नहीं था, रानी की ओर से चेतावनी दे दी गई थी हमारा उद्देश्य थाने पर अधिकार करना है। वहां पर पुलिस की वर्दी में जवान पहरा दे रहे थे, थाने के बाहर शस्त्रों से लैस जवानों ने सावधान किया–आगे बढ़ना मना है जगत सिंह ने उन्हें समझाते हुए कहा,पीछे हटो देखते नहीं इतनी बड़ी फौज है, किंतु सिपाही तैयार न थे, तभी दरोगा भी आ गया उन्होंने कहा, थाने पर कब्जा करोगे, ऐसा कह कर उन्होंने बंदूक तान दी ! दरोगा साहब बुद्धि से काम लो आखिर हम भी तुम्हारे भाई हैं अपने देश के लिए लड़ रहे हैं बहादुर सिंह ने समझाया, वह शांतिपूर्वक समर्पण चाहता था किंतु दरोगा ने अपनी हठ न छोड़ी। होश में आओ जगतसिंह ने जवानों की ओर देखा, संकेत पाते ही जवानों का झुंड फाटक की ओर झपट पड़ा, दरोगा ने हवाई फायर किए, दूसरी तरफ से भी जवाब दिया गया, ऊंची पुख्ता दीवारें लोहे का भारी फाटक छत पर सिपाही बंदूक ताने खड़े थे, उन्होंने डराने के लिए हवाई फायर किए, किंतु कोई असर ना हुआ। जवानों ने थाना चारों ओर से घेर रखा था, सैकड़ों लाठी धारी पाठक के सामने थे ! रानी का घोड़ा भीड़ चीरता हुआ आगे की ओर बढ़ा और उन्होंने आदेश दिया !

"तोड़ दो फाटक, कुचल दो इन दरिंदों को, तोड़ दो हाथ पैर!"

रानी का आदेश पाकर सिपाही टूट पड़े लाठियां बज रही थी, फाटक पर सैकड़ों जवान आगे बढ़े, फाटक टूटकर टुकड़े–टुकड़े हो गया, थाने में प्रवेश हो गया, सैकड़ों ग्रामीण लाठी धारी टिड्डी दल की तरह फैल गए परिसर मे, छत पर फायर कर रहे पुलिस के जवानों को दबोच लिया गया !दरोगा अभी भी सुरक्षा लिए बंदूक चला रहा था ! रानी ने निशाना साधा, गोली दरोगा के सीने में लगी, उसका निर्जीव शरीर भूमि पर पड़ा था,उसे गिरता देख बाकी पुलिसवालों का साहस टूट गया– और वहां अफरा–तफरी मच गई,तत्पश्चात समर्पण में देर न लगी ,थाने पर लहराता यूनियन जैक उतारकर वहां हरा परचम फहराया गया ![10]

पुलिस के जवानों से हथियार रखवा लिए गए ! उन्होंने रानी के प्रति आस्था व्यक्त की, थाने पर रानी के जवानों का अधिकार था,रानी के आदेश पर राज प्रसाद पर अधिकार कर लिया गया,पुलिसकर्मीयो को बंदी बनाकर भारतीय जवानों का पहरा बैठा दिया ! सरकारी दफ्तरों पर अधिकार करने मे कठीनाई न आई ! आज रात रामनगर में ही पड़ाव था सारी व्यवस्थाएं जूटा ली गई !

सेठ साहूकार एवं ग्रामीणों ने रानी अवंती बाई के सामने मत्था टेका ! रात्री को आम दरबार की व्यवस्था थी ! रानी ने कहा– "आज रामनगर स्वतंत्र है अंग्रेज कंपनी के खूनी पंजे में कराहते नगर को राहत मिली है। मैं यहां के नागरिकों को इसके लिए बधाई देती हूं । रानी ने रामनगर के अतीत को बताते हुए कहा– एक समय था जब यह क्षेत्र बीहड़ घने जंगलों से घिरा था, डाकुओं का आतंक था हमारे वंश के राजा मोहन सिंह ने विशाल सेना लेकर यहां के दस्यु को मुक्त कराएं जंगल कटवा कर साफ कराए, यहां विशाल किला बनवाना !अब यह किला जनता के लिए खोला जाता है इसका उपयोग जनता के हित के कार्यों में होगा,रामनगर की स्वतंत्रता के बाद हमारे जवान यहां की देखरेख करेंगे!"[11]

रानी की जय जय कार के साथ दरबार रात्रि तक चला ! इधर भारतीय फौज के बगावत करने के उपरांत जबलपुर के सर्वोच्च अधिकारी वाडीनगटोन तथा मिस्टर क्लार्क, अर्षकीन और एक अन्य अधिकारी वॉर्टन स्थिति का जायजा लेते हुए हालत पर नजर रखे हुए थे और मध्य भारत में हुए इस विद्रोह पर समय की प्रतीक्षा करते हुए योजना बना रहे थे।

सलीमाबाद तथा बिछिया पर कब्जा– सूबेदार तिवारी ने सलीमाबाद पर अपनी नजर बनाए रखा और उसे भी अपने कब्जे में लेकर रानी को सौंप दिया बिछिया भी एक महत्वपूर्ण नगर था जिसकी नाकाबंदी करना आवश्यक था उन्होंने कहा की सेनापति उमराव सिंह ने कहा सेनापति उमराव सिंह ने रानी से कहा की बिछिया में कब्जा करना रानी से कहा करने के लिए नर्मदा नदी को पार करना होगा रानी ने कहा तो क्या हुआ हमें माता नर्मदा का आशीर्वाद मिलेगा, इस तरह से रानी ने वहां पर आदिवासी ग्रामीण लोगों के साथ मिलकर बिछिया पर कब्जा कर लिया बिछिया,यहां अंग्रेज कंपनी ने आदिवासियों की गतिविधियों पर नियंत्रण रखने के लिए बिछिया में एक थाना बना दिया था !सैकड़ों आदिवासी रानी के दर्शन के लिए घूम रहे थे उनका स्थानीय जनता के साथ बहुत लगाव था वहां के लोगों ने बताया 2 माह पूर्व ही उन्हें रानी के द्वारा लिखी हुई पुड़िया प्राप्त हो चुकी थी, इस तरह से लगभग रामगढ़ के आसपास रानी ने अपने खोए हुए साम्राज्य को प्राप्त कर लिया था किंतु अब राजा शंकरशाय के किले गढ़ा मंडला की ओर रानी का ध्यान था ,गढ़ा मंडला का किला पुराना तथा सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण था रानी की दृष्टि मंडला में ही अपने अधीन करने का था, दूसरी तरफ अंग्रेज कंपनी को भी मंडला की चिंता सता रहा था । जबलपुर मध्य भारत का प्रमुख केंद्र था वहां का मंडला का किला सबसे अधिक सुरक्षित माना जाता था वाडीगटन यहां का सर्वोच्च अधिकारी था ,उसने कई युद्ध लड़े थे और हिंदुस्तान के सिपाहियों की छापामारी कला से भी भली प्रकार परिचित था! किंतु उसका चिंतन धरातल पर था वाडीगटन ने अपने साथियों से कहा बिछिया के बाद, रानी का निशाना गढ़ा मंडला होगा ,

गढ़ा मंडला गोंड राजाओं की राजधानी रहा था इतिहासकारों के अनुसार 300 वर्ष पूर्व राजा निजाम शाह ने वीर शिरोमणि मोहन सिंह की वीरता से प्रसन्न होकर यहां का क्षेत्र उन्हें पुरस्कार में दिया था। विंध्याचल पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित मंडला का अधिकांश क्षेत्र पर्वत मालाओं से गिरा हुआ एक सुरंग स्थल है यहां,राजाओं का एक सुदृढ़ किला है था विस्तृत भू–भाग पर निर्मित किला सुरक्षा की दृष्टि से विशेष विशेष महत्व रखता है मध्य भारत में मंडला किला के महत्व को समझ कर अंग्रेज कंपनी ने उस पर अधिकार कर लिया वहां के राजा शंकरशाय और राजकुमार की हत्या कर दी, इसका उपयोग कंपनी को पलटन रखने में किया जा रहा था!

अतः रानी, राजा शंकरशाह और उनके पूर्वजों के इस किले को अपने कब्जे में लेना चाहती थी,उन्होंने अपना ध्यान इस और लगाया![12]

दूसरी तरफ जबलपुर छावनी में अंग्रेज अधिकारियों की बैठके चल रही थी उन्हें सलीमाबाद और बिछिया के पतन की सूचना मिल चुकी थी और मंडला की तरफ हिंदुस्तानी फौज तेजी से बढ़ने की सूचना वाडीगटन को मिला अंग्रेजी सेना भी अपनी तैयारी के साथ मंडला की ओर निकल पड़ा ।

पदमी गांव की लड़ाई –अंग्रेजी सेना के सेनापति वाडीनगटन कुशल सेनापति था उसने बिछिया मार्ग को रोकने के लिए नाकेबंदी कर दी,वह स्वयं नेतृत्व करने का निश्चय किया रानी अवंती के सेनापति उमराव सिंह ने देखा की दुश्मन अधिक दूर नहीं है, आगे भारतीय सैनिक हैं और पीछे बंदूक ताने अंग्रेज सिपाही, रानी के जवानों ने घेराबंदी कर ली और आदिवासियों की कमाने तन गई, पदमी नामक गांव के पास एक पहाड़ी की ऊंचाई पर अंग्रेजी सेना अधिकार करके मोर्चा संभालना चाहती थी। किंतु हुआ कुछ उल्टा जैसे ही अंग्रेजी सेना ने पद्मी गांव में प्रवेश किया वैसे ही रानी की सेना के जवानों ने उन्हें घेर लिया,आदिवासियों तीर–कमान से शत्रु सेना पर प्रहार कर रहे थे अंग्रेजों की टोप भी गरजने लगे भारतीय सिपाही पेड़ों की आड़ लेकर युद्ध कर रहे थे अंग्रेजों की काफिलों में हाहाकार मच गया आदिवासी पक्के निशानेबाज थे, उनके प्रहार अचूक थे अंग्रेजी सेना में आगे भारतीय सैनिकों की टुकड़ी थी "रानी ने उन्हें ललकारा भारतीय होकर भी शत्रुता निभा रहे हो "वे फिर शांत हो गये थे, सैकड़ों भारतीय हताहत पड़े थे, रानी अवंती ने अपने हाथों से उन भारतीय सैनिकों को पानी पिलाया और उन्हें सांत्वना दिया भारतीय सिपाहियों ने अपने हथियार रानी के चरणों में रख दिए, महारानी साहिबा आप देवी हैं, एक घायल ने रानी के चरण थाम लिए मुझे अपनी सेना का सिपाही मान लीजिए हम आपके लिए लड़ेंगे रानी ने कहा मेरे लिए नहीं, मुल्क के लिए, अपने प्यारे देश के लिए रानी मुस्कुराइ हमारी सेना में कोई नौकर नहीं है और ना दास है यह तो अपनी इच्छा पर है अंग्रेज फौजी पीछे हट गई थी उन्हें मंडला का किला बचाने की चिंता थी रानी के हाथ भारी मात्रा में गोला बारूद और हथियार युद्ध सामग्री लगी। सब बंदी बनाए गए, रानी का जयकार करती रानी के जवान तूफान की तरह आगे बढ़ रहे थे, रानी दूरबीन से आगे के मोर्चे पर ध्यान लगाए थी उसने दाएं और सामने से देखा बड़ी फौज तेजी से बढ़ी आ रही थी रानी ने कहा लगता है हमारे साथ धोखा हुआ है। दुश्मन धोखा देकर हमें दिग्भ्रमित करना चाहता है रानी ने दूरबीन अपने सेनापति को उमराव सिंह को दे दी, जवानों का भारी समूह अस्त्र–शस्त्र से लैस अब तक वे और अधिक निकट आ गए थे, सेनापति उमराव सिंह ने उन्हें चेतावनी दी हथियार डालकर समर्पण करो नहीं तो हमारी तोपे तुम्हारा विनाश कर देगी, दाई ओर से बढ़ती फौज रुक गई तनी हुई बंनदुके झुक गई नेतृत्व कर रहे सेनापति ने जयघोष किया महारानी अवंतीबाई की जय, रानी चौक पड़ी बलदेव तिवारी उसके मुख से निकला आप यहां कैसे आप तो दिल्ली की तरफ जा रहे थे, तिवारी ने अभिवादन किया हमने तो आपको अपना नेता स्वीकार किया है! सूबेदार तिवारी के आगमन से रानी की शक्ति दो गुनी हो गई, हम मंडला के निकट हैं, पदमी गांव के मोर्चे को छोड़कर भागे अंग्रेज कल किले की सुरक्षा करने जरूर आएंगे, रानी ने कहा वाडीगटन कुशल सेनानायक है। संध्या निकट थी सेना ने आज यही रात्रि विश्राम करने का निश्चय किया रात्रि विश्राम के पश्चात उनका लक्ष्य मंडला था।[13]

खैरी गांव की निर्णायक लड़ाई– सेनापति उमराव सिंह के नेतृत्व में सेना आगे बढ़ी, उत्तर पूर्व में खैरी गांव ऊंची पहाड़ियां और कहीं–कहीं दूर दूर तक फैले विस्तृत मैदान, समतल हरे–भरे सुरम्य खेत, स्वच्छ जलाशय, विशाल झील ! रानी ने कहा– कि हम मोर्चा यही लगाएंगे और तोपों के साथ आगे बढ़ कर स्थिति का जायजा लेंगे। दूसरी तरफ जबलपुर से कप्तान वाडीगटन के निकल जाने की सूचना मिली ! उन्होंने गौर नदी के किनारे अपना काफिला रोक लिया और

पहाड़ियों के मध्य उनके सैनिकों ने गौर नदी को पार करने की कोशिश की, तो दूसरी ओर पड़ाव डाले रानी के सैनिकों ने उसे अपना निशाना बनाया, कप्तान को जब इसकी सूचना लगी तो वे हड़बड़ा गए, रानी को वाडीनगटन की सेना का पता चल गया और आगे बढ़कर नदी पार करते हुए, वाडीनगटन की सेना को दोनों तरफ से घेर लिया, पीछे की ओर उमरावसिंह अपनी सेना लेकर आ चुके थे, तथा अब वाडीगटन के सामने गौर नदी का तटबंध था और बाकी तीनों और रानी अवंतीबाई और उसके मुक्ति सेना थी, बीच में वाडीगटन बुरी तरह से घिरा हुआ था, सवेरा हो चुका था तथा रानी के सैनिक तैयार थे, रानी के आदेश पर बंदूक से एक गोली दागकर वाडिंगटन को तैयार हो जाने की सूचना दी गई, वाडीगटन की सेना और रानी के सैनिकों के बीच युद्ध शुरू हो जाता है अंग्रेजी सैनिकों ने तोप के गोले दागने शुरू किए, जवाब में उमराव सिंह ने भी एक साथ चार गोले दाग दिए, रानी घोड़े पर सवार थी तथा घूम–घूम कर अपनी सेना को नेतृत्व प्रदान कर रही थी, और कहती जा रही थी कि "आज इनको भागने नहीं देना है इन्होंने भारतवासियों का खून पिया है ! उमरावसिंह आज एक भी अंग्रेज सैनिक निकलने न पाए" मै कप्तान को देखती हूं, जिसके अत्याचारों से सारी जनता त्राहि–त्राहि कर रही है, इस बीच रानी को कप्तान वाडीगटन घोड़े पर सवार तलवार लिए दिखाई पड़ते हैं, रानी उसे ललकारते हुए कहती है, कप्तान तुम्हारी भागने की तरकीब आज कारगर नहीं होगी, तुम्हारे काले कारनामों की दुर्गंध क्षेत्र में फैली हुई है, आज उसका खात्मा करना मेरा परम कर्तव्य है। कप्तान समझ गया था उन्होंने कहा मैं भाग कहा रहा हूं रानी साहिबा, मैं तो आपसे मुलाकात करने आया हूँ ! "आओ मुलाकात करो– बहादूरों की मुलाकात तलवार से होती है !"[14]

युद्ध के बीच वाडीगटन का घोडा, रानी की तलवार से घायल हो जाता है, अब वाडीगटन जमीन पर खड़े होकर लड़ते हैं, रानी भी घोड़े से उतर कर, उस पर वार करती है, इस बीच वाडीगटन चालाकी से पास मे पड़े तमंचे को हाथ में लेकर गोली चलाना चाहता है, किन्तु वह खाली था, अब रानी ने अपनी तलवार को उसकी गर्दन पर टिका दिया ! वाडीगटन अपना अंत समय देखकर गिड़गिड़ाने लगता है– ''रानी साहिबा आपके सामने हाथ जोड़ता हूं'' प्लीज मेरे ऊपर दया कीजिए, रानी उसे डांटते हुए कहती है ''तुम एक नंबर के मक्कार हो'' राजा शंकरशाह और राजकुमार रघुनाथ शाह के साथ तुम्हारे व्यवहार पर दुनिया थूक रही है वाडीगटन पुनः गिड़गिड़ाता है, अंत में रानी को उस पर दया आ जाती है और उसे छोड़ देती है कहती है–तुम्हें नाटक करना खूब आता है "आज तुम्हें भारत की क्षमताशीलता का पता चल गया होगा ! जो तुम्हारे जैसे दोगलों को भी क्षमा कर सकती है" अब उठ और बैठ जा अपने घोड़े पर और तुरंत जबलपुर भाग जाओ! रानी ने युद्ध बंद का बिगुल बजाने को आदेश करती है ![15]

इस तरह से सैनिकों ने मंडला के दुर्ग पर अपना कब्जा कर लिया ! रानी अवंती बाई घायलों के उपचार की व्यवस्था कर तथा मृतकों को उनके परिवारजनों तक पहुंचाने की व्यवस्था कर देर रात मंडला आ जाती है !

रानी अवंति का राज तिलक –दिसंबर 1857 की एक भोर चेदी मंडल के लिए एक नया संदेश लेकर आई। महिष्मति का अति प्राचीन दुर्ग जिसका स्वरूप समय–समय पर बदलता रहा था, आज मंडला फोर्ट के नाम से जाना जाता है, यह दुर्ग बहुत अच्छी तरह से सजाया गया था आज पहला अवसर था जब महाराजा चेदी की एक वंशजा किसी बड़े राज्य के सिंहासन पर

पदासीन होने जा रही थी ! दुर्ग के दरबार का हाल सैनिकों और जनता से खचाखच भरा हुआ था मंच पर रत्न जड़ित सिंहासन स्थित था, उसके सामने मेज पर एक ओर राजमुकुट रखा हुआ था। रानी अवंतीबाई का प्रवेश होते ही उन्हें सात तोपों की सलामी दी जाती है, दरबार हॉल रानी अवन्तिबाई की जय के नारों से गूंज उठा, रानी ने सबका हाथ जोड़कर अभिवादन किया और सिंहासन पर बैठ जाती है। पंडितों के बीच में रानी का अभिषेक किया जाता है महारानी के सेनापति उमराव सिंह उन्हें राजमुकुट पहनाते हैं इसी बीच किसी ने युद्ध में हताहत हुए कप्तान वाडीगटन के बच्चे जो हड़बड़ी में छूट गया था को दरबार में पेश किया गया महारानी ने उसे अपने पास बैठाया और उसके सिर पर हाथ फेरा, उसके पश्चात उन्हें वाडीगटन के पास पहुंचाने की पूरी व्यवस्था की ![16]

कुछ दिनों के पश्चात रानी ने रामगढ़ जाने के लिए विचार किया बहुत दिनों से वह अपने पुत्रों अमानसिंह और शेरसिंह से मिल नहीं पाई थी पूरे रामगढ़ को दुल्हन की तरह सजाया गया ! स्थान–स्थान पर तोरण द्वार बनाए गए ! किंतु सब कुछ बढ़िया चल रहा था इसी बीच समय ने अपनी करवट बदली और उत्तर भारत की स्थिति में परिवर्तन आया जिसका प्रभाव मध्य भारत में भी दिखाई पड़ा ! उमरावसिंह ने रानी को रामगढ़ में खबर दी की उत्तर भारत में क्रांति को दबा दिया गया है तथा दिल्ली के सम्राट बहादुरशाह के बेटों को कत्ल करके उसे बंदी बना लिया गया है ! यह तो बुरी खबर है रानी के चेहरे पर चिंता की लकीरें थी ! अवध और झांसी का भी यही समाचार है ! जबलपुर हाउस में बैठे अंग्रेज अधिकारी उत्तर भारत में क्रांति को कंपनी के द्वारा दबा दिए जाने पर विचार विमर्श कर रहे थे कि अब हमे सहायता के लिए अतिरिक्त टुकड़ी मिल जाएगी, जिससे रानी के ऊपर युद्ध करने में मदद मिलेगी, साथ ही पास मे रीवा के राजा और उसके सैनिकों का सहयोग का भी उन्हें पूरा भरोसा था ! अपनी पूरी तैयारी के साथ अंग्रेज कंपनी की विशाल वाहिनी मंडला की ओर आगे बढ़ने लगी ! मंडला नगर के आसपास घरों को आग लगा रहे थे, खेत खलिहानों को नुकसान पहुचाते हुए तेजी से दुर्ग की ओर बढ़ने लगी ! आदिवासी छापामार युद्ध करते हुए, तलवार भाला और तीर कमान से उन्हे बाधा डाल रहे थे किंतु तोप और बंदूकों के सामने टिक न सके, शत्रुओं ने मजबूती के साथ घेराबंदी कर ली, किले के अंदर से भारतीय फौज पर भी हमला किया ! वार्टन ने अपने सिपाहियों को ललकारा– किले के फाटक को तोड़ दो दूसरी ओर भारतीय जवानों ने युद्ध तेज कर दिया, वह किले के बाहर शत्रु को रोकने में लगे थे, किले की एक दीवार टूट चुकी थी, सेनापति उमराव सिंह ने बलदेव तिवारी से कहा कहा– अंग्रेजी सेना का किले में प्रवेश निश्चित है अब किला सुरक्षित नहीं है उमराव सिंह ने कहा, हम बन्दी बनकर कायरता का परिचय नहीं देना चाहते, हमारी विजय युद्ध करते हुए बलिदान देने मे है !

तिवारी ने सेनापति से कहा हमे आदेश दीजिए ! हमे रण की दिशा बदलनी होगी, हमें किले के अंदर नहीं किले के बाहर से युद्ध करना होगा, अंदर के सिपाही सब बाहर आ गए, फिर युद्ध छिड़ गया वार्टन ने देखा हिंदुस्तानी फौज इतनी बड़ी तादाद में है ! भारतीय जवान शत्रुओं पर ऐसे टूट पड़े जैसे चील मरघट में शव पर, दोनों ओर से जवान कट–कट कर गिर रहे थे, वाडीगटन के नेतृत्व में तोपे आग उगल रही थी, किंतु अंग्रेजों के तोप और बंदूकों के सामने भारतीय सिपाहियों के हौसले पस्त हो चुके थे अंततः किले पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया और अंग्रेजी सेना ने फिर से यूनियनजैक किले मे फहरा दिया ![17]

इस तरह से मंडला पर कब्जा करते हुए अब अंग्रेज सैनिक रामगढ़ की ओर बढ़ने लगे! किसी ने खबर दी की शत्रु की सेनाएं रामगढ़ और बिछिया की ओर बढ़ रही है ! अपनी सारी शक्ति रामगढ़ पर केंद्रित करनी है तिवारी, जगत सिंह और उमराव सिंह ने आकर मंत्रणा की, रानी कह रही थी जिस वेग से अंग्रेजी अभियान चला है उसे देखते हुए वे शीघ्र रामगढ़ पहुंच जाएंगे, हमें रामगढ़ से आधा कोस दूर नाले के पास अपनी मोर्चाबंदी करनी होगी, ठीक है मैं आगे रहूंगी और सेनापति जी आप मेरे साथ ! रानी ने उमराव सिंह की ओर देखा किले की घेराबंदी तो गोला बारूद की सारी व्यवस्था रानी ने अपनी सहेलियों को सौंप दी थी मनकी उसकी सहेली थी, रानी ने अपनी सहेली से कहा "अंग्रेज दरिंदों से रामगढ़ को बचाने का आखिरी मौका है "प्राण गए तो स्वर्ग मिलेगा और विजय मिली तो यश और सम्मान !' हम सब तैयार है मंनकी ने आश्वासन दिया ''शरीर में रक्त का एक बूंद शेष रहते शत्रुओं से युद्ध करेंगे''

सुहागपुर की सीमा रीवा राज्य से मिलती थी अंग्रेजी सेना का तूफानी कारवां तीव्रगति से सुहागपुर की ओर बढ़ रहा था आसपास के क्षेत्र में आग लगाते, खेतों को उजाड़ते, आगे बढ़ रहे थे उनका मुख्य लक्ष्य रामगढ़ था, अंग्रेजी सेना से भयभीत होकर रीवा के राजा ने आत्मसमर्पण कर दिया रीवा नरेश की फौज भी अंग्रेजों से मिल गई उसके साथ वार्टन भी था, रामगढ़ अधिक दूर ना, था संध्या हो गई रामगढ़ से दो कोस उत्तर पूर्व में अंग्रेजी सेना ने पड़ाव डाला उन्हें आज की रात यही काटनी थी।[18]

रानी ने उमराव सिंह से कहा, युद्ध किले के अंदर से नहीं लड़ेंगे हम हमेशा आक्रामक युद्ध लड़े है ! युद्ध आमने–सामने खुले मैदान में होगा! रानी साहिबा अंग्रेजों के पास विशाल तोपखाना मुझे तो अपने विजय पर... बात पूरी ना हुई थी रानी ने टोका फिर क्या चाहते हैं आप– अब तो रीवा की फौज भी उनके साथ हैं सेनापति के मुख पर भय की रेखाएं उभर आई ! युद्ध से डरते हो–समर भूमि में कायरतापूर्ण प्रलाप रानी ने साहस बँधाया, आगे बढ़कर मोर्चा लेना होगा ! आगे मैं रहूंगी! पहली गोली मेरे सीने पर लगेगी, लेकिन हमें अपनी रणनीति बनानी होगी! सेनापति ने रानी से कहा– रानी हंस पड़ी– रणनीति शत्रु सामने खड़ा है और हम रणनीति बनाने की बात कर रहे हैं, उसने उमराव सिंह को देखा ''हमारी रणनीति स्पष्ट है'' मारो और बचाव करो ''किन्तु हमे अधिक सावधानी की जरूरत है ।[19]

सेनापति जी युद्ध आंख बंद करके नहीं लड़ा जाता, सावधान होकर लड़ो, अवसर के अनुरूप पीछे दाएं बाएं हटकर फिर शत्रु पर आक्रमण सिंह की तरह टूट पड़ो, घमासान युद्ध रानी को क्षेत्र के चप्पे–चप्पे की जानकारी थी, वह युद्ध कौशल में निपुण थी खमनेर नदी पार करके उसने पीछे की ओर से अंग्रेज सेना पर आक्रमण कर दिया ! रानी के छापामार अप्रत्यक्ष और असंभावित आक्रमण से अंग्रेजी सेना में हड़कंप मच गई, घुड़सवार और पैदल सैनिक कट–कट कर गिरने लगे, रानी सेना को प्रोत्साहन दे रही थी, मारो दुश्मनों को कुचल दो, खून की प्यासी हो गई थी ! आदिवासी तीर कमान से मार रहे थे ! अंग्रेज भी कम न थे, तोप के मुंह की दिशा बदल दी गई और वार्टन ने कमान संभाल ली ! रानी की सेना आगे बढ़ी और उसकेसैनिक कटे वृक्ष की तरह धरासायी होने लगी ! रानी अभी भी रामगढ़ को बचाना चाहती थी आठ दिन बीत गए, रात्रि को युद्ध रुक जाता था और सूरज निकलने के साथ प्रारंभ ! अंग्रेज सेनापति परेशान थे उसने भारतीय सैनिकों को लालच दिया–हम रानी को पकड़ना चाहते हैं

जिंदा या मुर्दा नामुमकिन असंभव सूरज को पकड़ने की कोशिश मत करो रानी को तो क्या आप उसकी छाया को भी नहीं छू सकते इस तरह कैलेंडर की तारीखें बदलने लगा पंद्रह, सोलह और सत्रह दिन बीत गये किन्तु युद्ध समाप्त होने का नाम नहीं लेता था ! रानी ने ऊंची पहाड़ी पर अपना मोर्चा लगाया था उसके जवान शत्रु पर लगातार चोट कर रहे थे तभी पीछे पश्चिम दिशा से रीवा की सेना ने रानी को घेर लिया ! युद्ध का अट्ठारहवा दिवस था अब रानी के जवानों का ध्यान अंग्रेजों से हटकर रीवा की सेना पर था, और भारतीय आपस में जूझ रहे थे दूसरी और अंग्रेजों की तोप आग उगल रही थी, रानी की सेना के जवान कट कर गिर रहे थे पराजय के क्षण निकट थे रानी घिर चुकी थी, फिर भी उसने साहस ना छोड़ा वह घोड़े से कूदी उसकी नंगी तलवार शत्रुओं का विध्वंस कर रही थी मारो– मारो इन गद्दारों को देशद्रोहियों को कुचल दो ! रानी की सेना के जवानों मे फिर जोश आ गया वे रीवा की फौज से जूझ रहे थे, पराजय निश्चित थी रानी घिर गिर गई थी ! सरेंडर कर दो नहीं तो हम गोली मार देगा अंग्रेज अधिकारी ने चेतावनी दी आत्मसमर्पण कर दो नहीं तो हम गोली मार देगा, आत्मसमर्पण जीते जी रानी की आंखों में खून बरस रहा था, उसने झपट कर उसको वह वहीं ढेर कर दिया ![20]

सिपाहियों ने उसे घेर लिया था उसे बचाव की कोई आशा न थी– उसने अपनी तलवार आकाश में उछाली ''मुझे स्पर्श करने की कोशिश मत करना !"[21] सिपाही दूर खड़े थे भय से जैसे आतंकित, रानी की तलवार एक झटके के साथ उठी और उसके छाती को पार कर गई !, उसकी सेना के जवानों ने चारों ओर से रानी को घेर लिया बलदेव तिवारी और रघुनाथ सिंह आ गए थे कोई रानी को स्पर्श ना करें ! दूर खड़ा अंग्रेज वाडीगटन आंसू बहा रहा था और अन्य अधिकारी भी शोक मग्न थे ! उन्होंने देखी एक बहादुर की मौत ! आसपास के लोगों को रानी का पार्थिव शरीर सौंप दिया जाता है उसके बड़े पुत्र अमानसिंह रानी को मुखाग्नि देते हैं और वैदिक मंत्रों के पाठ के साथ राष्ट्रीय सम्मान के साथ रानी का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है! आज भी रामगढ़ के पूर्व की ओर वन में नदी के तट पर रानी की समाधि बनी हुई है।

❒

सन्दर्भ –

1. *सक्सेना, नरेशचंद्र सैनिक–2006–रामगढ़ की रानी अवंतीबाई, साहित्य संगम इलाहाबाद, प्रथम संस्करण पृ. 3*
2. *जायसवाल,नील –2008,रानी अवंती बाई, साईं पुस्तक केंद्र दिल्लीप्रथम संस्करण पृ. 7*
3. *चंद्रा उषा, 1986, सन 57 के भूले बिसरे शहीद, नई दिल्ली प्रकाशन विभाग सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार पृ. 22*
4. *डनकर, डी.सी., 2007 स्वतंत्रता संग्राम मे अछूतो का योगदान,गौतम बुक सेंटर दिल्ली पृ. 34*
5. *जायसवाल नील, 2008,रानी अवंती बाई, साईं पुस्तक केंद्र दिल्लीप्रथम संस्करण पृ. 8*
6. *चौबे देवेन्द्र, 2008,1857 भारत का पहला मुक्ति संघर्ष,नई दिल्ली प्रकाशन संस्थान, पृ. 10*
7. *बाला उषा, 2006 भारत की वीरांगनाए, प्रकाशन विभाग सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली पृ. 22*
8. *सरस थम्मन सिह, 1995 अवंती बाई लोधी साहित्य केंद्र प्रकाशन दिल्ली संस्करण पृ. 46*
9. *खेम सिंह वर्मा, 1994 लोधी क्षत्रियों का वृहद इतिहास बुलंदशहर पृ. 96*
10. *मिश्र, सुरेश, 2004 रामगढ़ की रानी अवंती बाई भोपाल पृ.10*
11. *नरेश चंद्र सक्सेना, सैनिक, वही पृ. 5*
12. *नरेश चंद्र सक्सेना, सैनिक, वही पृ. 6*

13. नरेश चंद्र सक्सेना, सैनिक, वही पृ. 7
14. नील जायसवाल, वही पृ. 8
15. नील जायसवाल,वही पृ. 9
16. नील जायसवाल, वही पृ. 10
17. अमन सिंह सरस, वही पृ. 47
18. अमन सिंह सरस, वही पृ. 48
19. खेम सिंह वर्मा, वही पृ. 97
20. खेम सिंह वर्मा, वही पृ. 98
21. खेम सिंह वर्मा, वही पृ. 99

पूर्वदेवा– *सामाजिक विज्ञान शोध पत्रिका*
वर्ष 29, अंक, 114–115, जुलाई–दिसम्बर, 2023 पृ. 84–90

UGC Care Listed Journal
ISSN 0974 -1100

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बाल सतसई की उपादेयता

डॉ.वीना छंगानी
विभागाध्यक्ष, मानवीकी एवं कला, अपेक्स विश्वविद्यालय, जयपुर (राज.)
राम दयाल बैरवा,
शोधार्थी, अपेक्स विश्वद्यालय, जयपुर, 303002
Email- rd.bairwa.kn@gmail.com Mob. 6350639343

सारांश

वर्तमान समय में यदि हम आशा करते हैं कि आने वाली पीढ़ी संस्कारित हो तो बाल साहित्य के सृजन पर जोर देना होगा तथा साहित्यकारों को उचित दायित्व का निर्वाह करना होगा जिससे बच्चों को सही दिशा मिले, क्योंकि आज का बालक ही कल का भविष्य है। अतः उन्हें संस्कार देना हमारा कर्तव्य है और बच्चों में संस्कार का सृजन साहित्य के माध्यम से कर सकते हैं। बच्चों के लिए परिवार अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, परिवार ही बालकों की प्रथम पाठशाला मानी जाती है। बच्चों की प्रथम गुरु माता होती है जिससे बच्चे में संस्कारों का प्रस्फुटन होता है। बच्चों में सदाचार, संस्कार, शालीनता, रहन–सहन का ढंग और चरित्र, उपदेश देने से नहीं बल्कि परिवार में माता–पिता के आचरण, व्यवहार आदि से आते हैं। बच्चों के विकास में द्वितीय स्थान साहित्य का होता है। बच्चों पर परिवार के संस्कार के साथ ही साहित्य का भी गहरा प्रभाव पड़ता है। बालकों के विकास में बाल साहित्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बाल मनोवृति के समुचित विकास के लिए बाल साहित्यिक विधा आवश्यक है। जिससे कठिन से कठिन समस्या को भी साधारण कहानी से हल कर सके और मन में उठने वाली जिज्ञासाओं की पूर्ति कर सकें। वर्तमान समय में बाल साहित्य में नंदन, चंपक, चंदामामा आदि पत्रिकाओं के माध्यम से पशु–पक्षियों की कथाओं द्वारा बच्चों में समझ व ज्ञान विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। डॉ. हरिकृष्ण देवसरे लिखते हैं– "आज बाल साहित्य का अर्थ केवल बच्चों का मनोरंजन करना और उनकी ज्ञान पिपासा को शांत करना ही नहीं बल्कि उन्हें आधुनिक जीवन और समाज के मूल्यों से जोड़ना भी है। बच्चे जिस परिवेश में रहते हैं उसे सुगमता से समझे और अपने आसपास की समस्याओं के समाधान खोज सके।"[1]

बाल साहित्य में ऐसे विषयों का प्रतिपादन होना चाहिए जो सामाजिक मूल्यों की रक्षा कर सकें और बालकों में आध्यात्मिक, बौद्धिक और शारीरिक क्षमताओं को अभिव्यक्त और प्रोत्साहित कर सके। बाल साहित्य में अन्य विधाओं की भांति बाल सतसई का भी महत्वपूर्ण स्थान है। डॉ. परशुराम शुक्ल ने बाल सतसई के केंद्र में बच्चों को रखा। उन्होंने बच्चों के महत्व को लगभग संपूर्ण काव्य में दिखाया। अक्सर हम बच्चों को ईश्वर का रूप मानते हैं, और उन्हीं ईश्वर प्रदत्त बच्चों के साथ पशुवत व्यवहार भी करते हैं। बाल सतसई के उपयोग से माता–पिता, अभिभावक तथा शिक्षक बच्चों के महत्व को समझेंगे, साथ ही बच्चों के साथ उनके व्यवहार में परिवर्तन आएगा। साहित्यिक दृष्टि से उत्कृष्ट कृति बाल सतसई बालकों के व्यक्तित्व का संतुलित विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास और नैतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है।

बीज शब्द– बालक, बाल साहित्य, सतसई, व्यक्तिगत विकास, उपादेयता, परिवार, परंपरा।

उपयोग में आने वाली अवस्था या भाव के उपयोगी तथा लाभप्रद होने की स्थिति को उपादेयता कहते हैं। जब कोई रचनाकार किसी रचना का सृजन करता है तब उसके मस्तिष्क में यह भाव पैदा होता है कि समाज में उस रचना की क्या उपादेयता होगी? सामान्यतः उपादेयता का अर्थ उपयोगिता से होता है। बाल साहित्य दो शब्दों बाल और साहित्य से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है बालकों के मनोविज्ञान को ध्यान में रखकर रचा गया साहित्य, जो कि बच्चों के मनोरंजन के साथ रूचिपूर्ण अध्ययन करने के लिए लिखा जाता है। बाल साहित्य में पंचतंत्र जैसी रचना हुई जो मनोरंजन के साथ ज्ञान भी प्रदान करती हैं। किसी भी साहित्यिक विधा की रचनाओं में लेखकीय चिंतन और समसामयिक विचारधारा का अपना महत्व होता है। बाल साहित्य में अनेक रचनाकार बच्चों की रुचियों, उनके मनोविज्ञान और आधुनिक जीवन से जुड़ने के बाद उनकी समस्याओं से दूर हटकर रचनाएं लिखते हैं।

आज हमें ऐसे साहित्य की आवश्यकता है जिसके माध्यम से बालकों में प्रेम, सहिष्णुता और आपसी सहयोग के महत्व को विकसित किया जा सके तथा बच्चों में उदात्त भावना का विकास संभव हो सके। यदि इस दृष्टिकोण से विचार किया जाए तो डॉ. परशुराम शुक्ल कृत बाल सतसई इसका अपवाद नहीं है। बाल सतसई साहित्यिक कलात्मकता के साथ ज्ञान उपयोगी तथ्यों और संवेदनाओ को बहुत ही सुंदर और सरल रूप में प्रस्तुति करती है। बाल सतसई का एक एक दोहा बालोपयोगी है, बालक ही नहीं बल्कि बच्चे कहीं अधिक उनके अभिभावकों, शिक्षकों, माता–पिता, प्रशासन, इत्यादि के लिए भी उपयोगी है।

माता–पिता, अभिभावकों के लिए उपादेयता–

वर्तमान परिपेक्ष्य में माता पिता के सम्मुख बच्चों के उचित लालन–पालन की समस्या आ खड़ी हुई है। दुर्व्यवहार से बच्चों में असामाजिकता उत्पन्न होती है। अभिभावकों के दुर्व्यवहार से आक्रामकता एवं हिंसक प्रवृत्ति तथा नकारात्मक प्रतिक्रिया से नकारात्मकता आ जाती है। बाल सतसई के द्वारा डॉ. शुक्ल माता–पिता अभिभावकों से बच्चों के साथ किस तरह व्यवहार करना चाहिए? इसका मार्गदर्शन करते हैं। अभिभावकों का बच्चों के साथ किया गया

व्यवहार बच्चों के व्यवहार को प्रभावित करता है। माता–पिता जो कुछ भी करते हैं, बच्चे उसे देखकर सहज ही खुद को उसी रूप में डालते हुए उसका अनुकरण करने लगते हैं।

"बच्चों को क्या चाहिए, उनसे पूछिए आप।
बिन इच्छा मत डालिए, उन पर अपनी छाप।"[2]

डॉ. परशुराम शुक्ल अभिभावकों एवं माता पिता से कहना चाहते हैं कि उन्हें बच्चों की इच्छाओं को जानने का प्रयास करना चाहिए। नकारात्मक प्रतिक्रिया बच्चों पर गलत प्रभाव डाल सकती है। अतः महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए–

"छोटे बच्चे सीखते, देख–देख व्यवहार।
यह अपने व्यवहार, पर करते नहीं विचार।।'[3]

बच्चे दूसरों के व्यवहार को देखकर ही सीखते हैं, वे अपने बड़ों, माता–पिता की नकल करते हैं, जैसा व्यवहार वे अपने आसपास देखते हैं, बच्चे ठीक वैसा ही करने लगते हैं। वे उचित अनुचित का भेद नहीं करते और ना सोचते। माता–पिता को बच्चों के साथ अलग से समय बिताना चाहिए। प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, तभी बच्चे अपने व्यवहार को परिवर्तित कर सकेंगे।

परिवार के लिए उपादेयता–

वर्तमान परिपेक्ष में संयुक्त परिवार का युग धीरे–धीरे पीछे छूटता जा रहा है। आधुनिकता की दौड़ में परिवारों का महत्व समाप्त हो रहा है। डॉ. परशुराम शुक्ल बच्चों के लिए परिवार को आवश्यक मानते हैं, तथा बाल सतसई में परिवार का महत्व स्पष्ट करते हैं–

"माता–पिता भाई–बहन, छोटा सा परिवार।
सभी सुखी रहते हैं, मिलती खुशियां अपार।।' [4]

वर्तमान समय में परिवार की परिभाषा बदल गई है, संयुक्त परिवार के स्थान पर सीमित परिवार को लोग पसंद करते हैं। माता–पिता के अतिरिक्त अगर कोई एक भाई या बहन हो या फिर वो भी नहीं। छोटे परिवार में सभी सदस्य सुख पूर्वक निवास करते हैं, प्रसन्नतापूर्वक और हंसी खुशी के साथ रहते हैं। परिवार में सदस्य कम होने से बच्चों के पालन पोषण, देखरेख, शिक्षा, आदि की व्यवस्था सुविधाजनक ढंग से हो जाती है।

वर्तमान में पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव के कारण आधुनिक पीढ़ी का अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों के प्रति आदर भाव खत्म होता जा रहा है। परिवार में बड़े बुजुर्ग माता–पिता बच्चों को बोझ के समान प्रतीत होते हैं। वे अपने संस्कार और मूल्य से हटकर एकाकी जीवन व्यतीत करना पसंद करते हैं। आज संयुक्त परिवार को बचाने के लिए हमारे समाज को स्वस्थ होकर संयुक्त परिवार के महत्व को समझना होगा।

"दादा दादी का मिले, यदि बच्चों को प्यार।
ईश्वर की हो कृपा सब, सुखी रहे परिवार।।
नानी को परिवार में, बच्चे करते याद।
कहती रोज कहानियां, दिन ढलने के बाद।।"[5]

परिवार में बच्चों और दादा–दादी का संबंध सबसे गहरा होता है। बच्चे भी दादा दादी को सर्वाधिक प्यार करते हैं, और दादा–दादी का भरपूर प्यार भी मिलता है। इनसे ही बच्चों की सबसे ज्यादा निकटता होती है। इसी तरह नाना–नानी भी प्रिय होते हैं, बच्चे नाना नानी को भी बहुत याद करते हैं। नानी उन्हें शाम होते ही कैसे किस्से कहानी सुनाने बैठ जाती है, बच्चे भी नानी से कहानी सुनने की जिद करने लगते हैं, जिससे बच्चों का मनोरंजन और ज्ञानवर्धन होता है।

"होती है परिवार में, एक अनोखी बात।
नहीं दिख रहा दूर तक, दिन हो चाहे रात।।
दुनिया सुख में साथ है, दुख में ले मुंह मोड़।
पर अपने परिवार को, देत न कोई छोड़।।"[6]

डॉ. परशुराम शुक्ल बाल सतसई के माध्यम से परिवार की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि भारतीय परिवारों में दिखावे की नीति नहीं होती है। इनमें सहज और स्वभाविक प्रेम, स्नेह, अपनापन की स्थिति देखने को मिलती है। परिवार के सदस्य सुख दुख दोनों स्थितियों में साथ रहते हैं, तथा किसी भी विपत्ति या संकट का सामना करने के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं। परिवार में सभी को मिलजुलकर साथ रहना चाहिए। इसके लिए सबसे बड़ी औषधि आपसे प्रेम और विश्वास है।

शिक्षक के लिए उपादेयता

डॉ. शुक्ल बाल सतसई में 'बच्चे और शिक्षक' नामक अध्याय में शिक्षकों का बच्चों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। उनकी सीमाओं, मर्यादाओं आदि पर प्रकाश डालते हुए शिक्षकों की क्या उपादेयता है, यह बताने का प्रयास किया गया–

"बच्चा पढ़ता ध्यान से, खेलकूद के साथ।
भूल करे समझाइए, बिना लगाए हाथ।।
मारपीट से टूटता, बच्चे का विश्वास।
नफरत उनमें जागती, ले बदले की आस।।"[7]

बच्चों को विद्यालय में पढ़ने के लिए साथ–साथ खेलकूद की आवश्यकता होती है, इससे शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास होता है। बच्चों को दंड देने से स्थान पर प्रेम पूर्वक समझाने से गलतियां कम करते हैं। मारपीट से दुष्प्रभाव पड़ता है, मनोबल टूट जाता है। बच्चे के मन में हीन भावना से कुंठित हो जाते हैं। बच्चों के साथ प्यार और सहानुभूति का व्यवहार करना चाहिए, तभी वे आपको भी प्यार और सम्मान देंगे।

'एक भरा है ज्ञान से, दूजा शक्ति प्रदान।
दोनों यदि मिल जाए, तो भारत बने महान।।'[8]

बाल साहित्यकार डॉ. परशुराम शुक्ल शिक्षक को ज्ञान का भंडार मानते हैं। युवा विद्यार्थी शक्ति का स्वरूप है। शिक्षक और छात्र दोनों की अपनी–अपनी विशेषताएं हैं, यदि दोनों मिल जाए अर्थात ज्ञान और शक्ति आपस में मिल जाए तो किसी भी देश, किसी भी राष्ट्र को महान बनने से कोई नहीं रोक सकता है, वह अवश्य ही महान बनेगा। अतः विद्यार्थी और शिक्षक में

किसी प्रकार का मतभेद नहीं होना चाहिए। दोनों के बीच परस्पर प्रेम, सद्भावना, सहभागिता की स्थिति होनी चाहिए। तभी किसी देश का उत्थान संभव है।

"सच्चे शिक्षक की सदा, यही एक पहचान।
समदर्शी वह सभी को, माने पुत्र समान।।[9]

एक सच्चा शिक्षक वही है जिसमें समदर्शी की भावना हो, किसी के साथ भेदभाव की भावना नहीं रखते हो, तथा विद्यार्थियों को पुत्र पुत्रियों के समान समझता है। उनका भविष्य सुधारने में अपना सर्वस्व लगा देता है। शिक्षक विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम के साथ ही विनम्रता, व्यवहार कुशलता, योग्यता का ज्ञान प्रदान करते हैं।

वर्तमान समय में शिक्षक की भूमिका को महत्वपूर्ण माना गया है। वह केवल किताबी ज्ञान ही नहीं बल्कि समाज में जीने का तरीका भी सिखाते हैं। अतः हमें गुरु अथवा शिक्षक के प्रति आदर की भावना रखनी चाहिए। शिक्षक को भी छात्रों का हर समय मनोबल बढ़ाना चाहिए। उनमें प्रेरणा का निर्माण करना चाहिए, जिससे वे सफलता के शिखर पर पहुंच कर गौरवान्वित हो सके।

प्रशासन व राजनेताओं के लिए उपादेयता

डॉ. परशुराम शुक्ल ने अपनी रचना बाल सतसई में बच्चों के लिए प्रशासन एवं राजनेताओं की क्या भूमिका है? यह बताने का प्रयास किया है। इसके लिए बाल सतसई के विभिन्न अध्यायों 'बच्चों और राष्ट्र', 'बच्चे और राजधर्म', 'बच्चे और प्रजातंत्र', 'बच्चे और सरकार', आदि के माध्यम से प्रशासन एवं राजनेताओं के लिए बाल सतसई की उपादेयता बताई है। यह समाज एवं देश के लिए डॉ. परशुराम शुक्ल का एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

प्रशासन, राजनेताओं एवं सरकार का दायित्व है कि जनता को बिना किसी भेदभाव के स्वशासन प्रदान करें। स्वास्थ्य एवं शिक्षा की व्यवस्था करना उसका प्रथम कर्तव्य है। लोक कल्याण के लिए चिकित्सालय, विद्यालयों का निर्माण करे। सरकार उनकी व्यवस्था करनी चाहिए।

"बच्चों का संभव तभी, समुचित स्वस्थ विकास।
सरकारें पैदा करें, कुछ करने की आस।।
तन चिथड़े रोगी बदन, बड़े बुरे बेहाल।
राम भरोसे पल रहे, यह गुदड़ी के लाल।।"[10]

देश का भविष्य बच्चों पर निर्भर करता है, अतः बालकों का समुचित और स्वस्थ विकास तभी हो सकता है जब सरकारें व राजनेता विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए प्रयत्नशील रहे और जनमानस में अपने कार्य के द्वारा आशा का संचार कर सके। भारत का निम्न वर्ग संघर्ष कर रहा है, उसके शरीर पर फटे पुराने चिथड़े, टूटी–फूटी झोपड़ियां एवं बच्चे भी आधा पेट भोजन में ही गुजारा करते हैं। कभी–कभी उन्हें भूखे ही सो जाना पड़ता है। इन सब में प्रतिभावान बच्चे होने पर भी उनकी प्रतिभा का कोई मूल्य नहीं होता। प्रतिभा उनकी गरीबी में दबकर रह जाती है। वे कुपोषण के शिकार हैं, प्रदूषित वातावरण में रहने के लिए मजबूर है, रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। देश की सरकार और राजनेताओं को उनके लिए उचित कदम उठाने की आवश्यकता है।

"प्रतिभा सिसकारी भरे, मूरख बनते शूर।
बच्चों के सम्मान से, राजनीति हो दूर।।
पालक के अज्ञान का, बच्चे बने शिकार।
करके विधि निर्माण कुछ, शासन करें सुधार।।"[11]

हमारे यहां निम्न वर्ग का बच्चा प्रतिभावान होते हुए भी उसकी प्रतिभा को कोई महत्व नहीं मिलता, दूसरी ओर जो मूर्ख होते हैं जिनमें प्रतिभा नहीं होती है, वे राजनीतिक लाभ उठाकर उच्च शिखर पर पहुंच जाते हैं। डॉ. परशुराम शुक्ल का कहना है कि बच्चे राजनीति का हिस्सा नहीं होते, अतः उनके साथ पक्षपात नहीं करना चाहिए। अशिक्षा के कारण सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं। सरकार के द्वारा ऐसे कानून का निर्माण होना चाहिए जिससे गरीब, अशिक्षित निम्न वर्ग के बच्चों और परिवारों को उपलब्ध अवसरों का लाभ मिल सके।

"प्रजातंत्र के नायकों, दूर करो यह खेद।
बच्चे बच्चे में दिखे, कहीं न कोई भेद।।"[12]

प्रजातंत्र प्रणाली के कर्णधार राजनेताओं को स्वार्थ में न आकर देश के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। भेदभाव की धारणा को समाप्त कर एकरूपता लाने का प्रयास होना चाहिए।

गिरिराज शरण लिखते हैं कि– "अच्छा ही है कि लोग अपने देश के हालात पर नजर रखने लगे हैं, भिन्न भिन्न विचारधाराओं वाले राजनेताओं और उनकी राजनीति को समझने का प्रयास करने लगे हैं। अब स्वतंत्र राष्ट्रों में राजनीति का उबाल, एक आवेश की तरह होता है। इस आवेश को शांत होने में भी कुछ दिन और लगेंगे।"[13]

अतः हमारे देश की और राजनेताओं एवं प्रशासन की परिस्थिति इतनी जल्दी एवं आसानी से परिवर्तित होने वाली नहीं है इसे सही दिशा देने के लिए सभी को मिलकर प्रयास करना होगा एवं डॉ. शुक्ल ने अपना कदम बढ़ाते हुए छोटा सा प्रयास किया है।

वर्तमान समय में प्रदेश सरकारें विद्यालयों में प्रवेश उत्सव का आयोजन करने लगी है, संभवतः डॉ. परशुराम शुक्ल जैसे बाल साहित्यकारों के साहित्य की प्रेरणा का ही यह फल है। विद्यालय में आने के लिए बच्चों को आकर्षित करने के लिए शिक्षकों को बच्चों के साथ नम्रता और ममतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। डॉ. शुक्ल ने समकालीन परिवेश में छोटे बच्चों के स्कूल के शिक्षकों को प्रेरणा देते हुए लिखा है–

रोता बच्चा देखकर, टीचर यह समझाय ।
अब हम तेरे पिता हैं, हम ही तेरी माय।।"[14]

उपर्युक्त प्रकार से व्यवहारिक परिस्थितियां बच्चों को विद्यालय के प्रति अनुराग की प्रेरणा प्रदान करेगी। इस प्रकार के चिंतन प्रस्तुत कर शुक्ल जी ने बाल सतसई को समकालीन परिवेश के लिए उपयोगी बना दिया।

बाल सतसई में डॉ. परशुराम शुक्ल ने बच्चों के विकास में सहायक आधुनिक विज्ञान के उपयोगी आविष्कारों के विषय में भी दोहे प्रस्तुत किए हैं। विज्ञान के द्वारा परिवर्तित नई तकनीक भौतिक प्रगति के क्षेत्र में अनिवार्य स्थान रखती है। बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण के लिए

विज्ञान की नई नई खोजों तथा वैज्ञानिक उपकरणों की जानकारी बहुत उपयोगी है। डॉ. शुक्ल ने 'बच्चे और विज्ञान' शीर्षक से समकालीन प्रगति के लिए उपयोगी दोहे दिए हैं।

सारांश

वर्तमान काल में बच्चे भी इस बात को भलीभांति जानने लगे हैं कि तन और मन के स्वस्थ विकास के लिए योग और विज्ञान दोनों ही अति आवश्यक है। डॉ. परशुराम शुक्ल ने बाल सतसई में योग की चर्चा करके इसे समकालीन जीवन के लिए उपयोगी स्वरूप प्रदान किया है। भारतीय समाज अंधविश्वासों और देवीय चमत्कारों का अनुगामी रहा है, किंतु विज्ञान ने अंधविश्वासों को दूर कर सच से अवगत कराया है। डॉ. शुक्ल ने बालकों के लिए वैज्ञानिक आविष्कारों और विभिन्न जानकारियों के माध्यम से अंधविश्वासों से मुक्त होने का मार्ग प्रशस्त किया है। शुक्ल ने इस संबंध में बाल सतसई में दोहे देकर इसे समसामयिक परिस्थितियों में उपयोगी बना दिया है। अतः निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि डॉ. परशुराम शुक्ल बाल व्यक्तित्व के विकास के लिए बाल साहित्य लिखने वाले एक समर्पित बाल साहित्यकार है।

डॉ परशुराम शुक्ल ने बाल सही में बाल विकास के लिए महत्वपूर्ण पृष्ठभूमियां दर्शाई है इन सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक पृष्ठभूमियो का वर्णन दोहों के माध्यम से किया है। कथ्य और शिल्प की दृष्टि से बाल सतसई एक बेजोड़ कृति है। कवि ने युगीन परिवेश के अनुरूप वैज्ञानिक एवं तकनीकी उपलब्धियों की ओर संकेत किया है। बच्चों की शिक्षा में सूचनात्मक तथ्यों पर शुक्ल जी ने बल दिया है। बाल सतसई में 'बेटी बचाओ', 'बेटी पढ़ाओ' की राष्ट्रीय नीति पर भी दोहों के माध्यम से प्रकाश डाला है। बाल सतसई विषय, भाषा, काव्य उपादानों, आदि सभी दृष्टियों से श्रेष्ठ कृति हैं।

❒

सन्दर्भ –

1. डॉ. हरिकृष्ण देवसरे, वर्ष–1979, बाल साहित्यः रचना और समीक्षा, भाकुन प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 6
2. डॉ. परशुराम शुक्ल, वर्ष– 2013, बाल समसई, नमन प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 21
3. पूर्वोक्त, पृ. 36
4. पूर्वोक्त, पृ.104
5. पूर्वोक्त, पृ.105
6. पूर्वोक्त, पृ.105
7. पूर्वोक्त, पृ. 32
8. पूर्वोक्त, पृ. 34
9. पूर्वोक्त, पृ. 34
10. पूर्वोक्त पृ. 98
11. पूर्वोक्त, पृ.100
12. पूर्वोक्त, पृ. 97
13. सं. गिरिराज भारण, वर्ष– 1996, राजनैतिक परिवेश पर व्यंग्य, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली, पृ. 7
14. डॉ. परशुराम शुक्ल, वर्ष– 2013, बाल समसई, नमन प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 29

पूर्वदेवा– सामाजिक विज्ञान शोध पत्रिका
वर्ष 29, अंक, 114–115, जुलाई–दिसम्बर, 2023 पृ. 91–98

UGC Care Listed Journal
ISSN 0974 -1100

नगरीकरण का पर्यावरण परिवर्तन पर प्रभाव एक भौगोलिक अध्ययन- सहारनपुर जनपद के संदर्भ में

डॉ.सरला भारद्वाज
असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल विभाग, हर्ष विद्या मंदिर पी.जी कॉलेज रायसी, हरिद्वार
E-mail sarlabhardwaj23@gmail.com Mob.+91 8938922602

सारांश

शहर बढ रहे हैं गांव घट रहे हैं यह कठोर सच्चाई है कि वर्तमान में दुनिया की आधी आबादी शहरों में रह रही है सन 2050 तक यह आंकड़ा बढ़ कर दो तिहाई हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र ने बढ़ते नगरीकरण की प्रवृत्ति पर टिप्पणी की है कि 21वीं सदी में शहरी पर्यावरण का संकट लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या होगी। गांव से शहरों की ओर आबादी का बढ़ना तथा इस आबादी को खपाने में शहरों का विस्तार जनसंख्या घनत्व का बढ़ना तथा आबादी के दबाव में प्रतिदिन नई समस्याओं का उपजना ही नगरीकरण कहलाता है।बर्जल नें नगरीकरण को परिभाषित करते हुए लिखा है कि –"ग्रामीण क्षेत्रों को नगरीय क्षेत्रों में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को ही हमें नगरीकरण कहना चाहिए। इस प्रक्रिया का गांव की जनसंख्या की आर्थिक संरचना पर गहरा प्रभाव पड़ता हैं।

2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लगभग 377106125 व्यक्ति नगरों में रहते हैं। यह देश की कुल जनसंख्या का 31.16 प्रतिशत भाग है ,जबकि 1921 में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 10.85 प्रतिशत था। जो सन 1941 में 13.38 प्रतिशत हो गया तथा 1957 में नगरीय जनसंख्या में तीव्र वृद्धि दर्ज की गई जो कि 17.29 प्रतिशत थी। इसका कारण 1947 में देश के विभाजन से जुड़ा है। पाकिस्तान से भारत आने वाली अधिकतर जनसंख्या को नगरों में बसाया गया। 1901 से 2011 के बीच भारत की नगरीय जनसंख्या में साढ़े 14 गुना वृद्धि हुई है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 44495063 है, जो प्रदेश की कुल जनसंख्या का 22.3 प्रतिशत है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जनपद में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या निवास करती है जिसका प्रतिशत 67.6 है तथा सबसे कम नगरीकरण श्री बस्ती जनपद में मात्र 3.5 प्रतिशत मिलता है

तालिका . 1

भारत तथा उत्तर प्रदेश में नगरीय जनसंख्या (प्रतिशत में)

वर्ष	भारत	उत्तर प्रदेश
1971	19.91	14.02
1981	23.34	17.95
1991	25.72	19.89
2001	27.78	20.78
2011	31.16	22.30

स्रोत भारत जनगणना – 2011

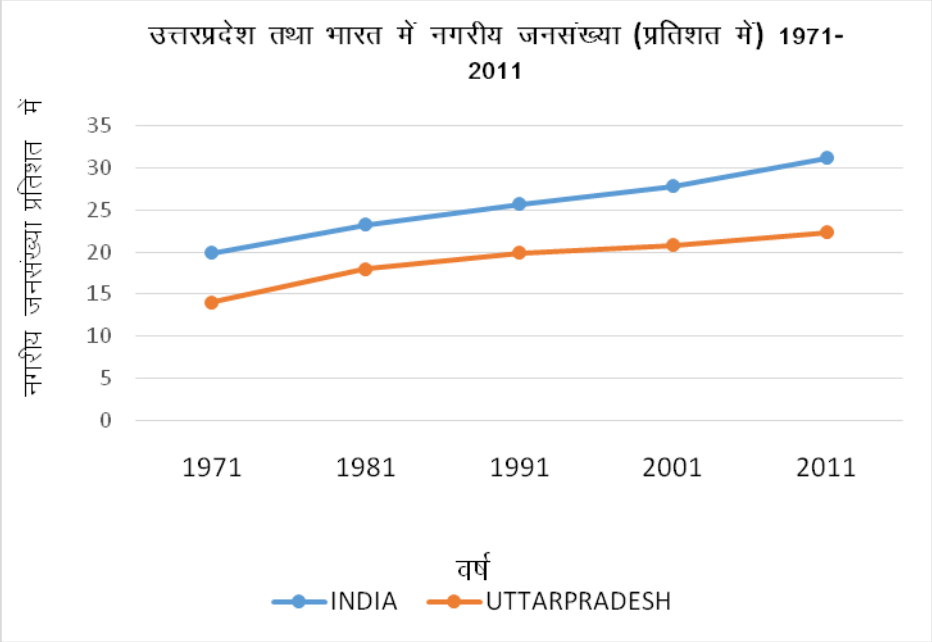

चित्र –1

अध्ययन क्षेत्र

जनपद सहारनपुर विभिन्न संस्कृतियों का केंद्र रहा है।इसका नाम अपने मुख्यालय पर है ,जिसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में हुई थी उसने ही प्रसिद्ध संत शाह हारून चिश्ती के नाम पर इसका नामकरण शाह हारूनपुर रखा जो बाद में सहारनपुर कहा जाने लगा। सहारनपुर जनपद उत्तर प्रदेश राज्य के उत्तरी पश्चिमी किनारे पर स्थित है। यह गंगा यमुना दोआब का सुदूर उत्तरी पूर्वी जनपद है व शामली, मुजफ्फरनगर एवं सहारनपुर जनपद

का कमिश्नर मुख्यालय है। यह जनपद 29 डिग्री 34 मिनट से 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 77 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य फैला है। इस जनपद को प्रकृति ने दो ओर से सीमाबद्व किया हुआ है। पश्चिम में यमुना नदी तथा उत्तर में शिवालिक पहाड़ियों की जल विभाजक रेखा इसे सीमाबद्व करती है। पूर्वी व पश्चिमी सीमाएं प्रशासकीय है जो इसे दक्षिण के शामली व मुजफ्फरनगर से पृथक करती है। पश्चिम में हरियाणा राज्य के करनाल, कुरुक्षेत्र व यमुनानगर जिलों की सीमाएं इसे स्पर्श करती हैं। सुदूर उत्तरी पश्चिमी कोना हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले की सीमा द्वारा बनता है। उत्तरी व पूर्वी सीमाएं उत्तराखंड के देहरादून व हरिद्वार जिलों को स्पर्श करती है। इस जनपद की आकृति आयताकार है।

जनपद सहारनपुर का क्षेत्रफल 3689 वर्ग किलोमीटर है। जनपद में पांच तहसील व 11 विकासखंड है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनपद की जनसंख्या 3466382 व्यक्ति है। साक्षरता दर 70.49 प्रतिशत है जिसमें पुरुष साक्षरता 78.28 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता का प्रतिशत 61.74 तक मिलता है। लिंगानुपात 890 तथा जनघनत्व 940 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनपद में 1572 गांव है। जिसमें 1243 आबाद व 329 गैर आबाद है। जनपद की प्रमुख नदियों में यमुना, हिंडन पांव धोई नदी, नागदेव प्रमुख है। जनपद की सभी नदियां यमुना नदी प्रवाह का भाग है उत्तरी पूर्वी कोने पर सोलानी,गंगा नदी के प्रवाह का भाग है।

शोध पत्र का उद्देश्य

शोध पत्र का अध्ययन क्षेत्र संपूर्ण सहारनपुर जनपद है। यहां के बढ़ते नगरीकरण की दशाओं को ध्यान में रखते हुए ही इसका चुनाव किया गया है। प्रस्तुत शोध में नगरीकरण का पर्यावरण परिवर्तन पर पड़ने वाले प्रभावों को सामने लाना है साथ ही नगरीकरण को जन्म देने वाली परिस्थितियों, नगरीकरण के परिणाम, नगरीकरण से उत्पन्न समस्याओं एवं पर्यावरण की समस्याओं को उजागर करना है तथा इस समस्या के निदान के उपाय से भी अवगत कराना ही इस शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य है

शोध पत्र का विधि तंत्र एवं आंकड़ों के स्रोत

शोध अध्ययन में प्राथमिक ऑकडो का प्रयोग किया गया है। अध्ययन मे जनपद की नगरीय जनसंख्या एवं नगर क्षेत्रो को ध्यान मे रखा गया है। नगरीय जनसंख्या का विश्लेषण दशकीय अंतर एंव नगर स्तर पर किया गया हैं। आवश्यक विविध आँकड़ों का संकलन साँखियकीय पत्रिका, भारत जनगणना 2011, जिला समाज आर्थिक समीक्षा 2015 विकासखंड एवं तत्संबंधी कार्यालय अभिलेखों से लिये गये है। शोधपत्र मे उपयुक्त आरेखो एवं मानचित्रो का भी प्रयोग किया गया है।

जनपद मे वर्तमान नगरीकरण की संरचना एव भौतिक स्थिति

सहारनपुर जनपद एक अत्यंत प्राचीन एवं कृषि जिला है जिसमें 11 विकासखंड है जिले की भौगोलिक स्थिती मैदानी है। इसकी उपस्थिति दो हजार ईसा पूर्व के आस पास आंकी जाती है। शाकुम्भरी देवी मंदिर जनपद का प्राचीन एवं सबसे बडा तीर्थस्थान है। जिले की भौगोलिक स्थिती मैदानी है। वर्ष 2009 मे जनपद को नगर निगम का पद प्राप्त हुआ। जनपद में नगर एवं नगर समूहों की संख्या 16 है।

तालिका–2 से स्पष्ट है कि सहारनपुर जनपद में वर्ष 1901 में 201634 (19.28) प्रतिशत व्यक्ति नगरों में निवास करते थे। वर्ष 2011 में बढ़कर 1066526 (30.77) प्रतिशत व्यक्ति नगरों के निवासी हो गए।

सहारनपुर जनपद में नगरीय जनसंख्या प्रतिशत एवं प्रतिशत अंतर 1901– 2011

वर्ष	कुल जनसँख्या	नगरीय जनसँख्या	कुल जनसँख्या में नगरीय जनसँख्या का प्रतिशत	प्रति दशक में नगरीय जनसँख्या में प्रतिशत अंतर
1901	1046043	201634	1927	.....
1911	987207	182109	1845	968
1921	938164	179767	1916	129
1931	1044794	208504	1996	1599
1941	1180466	267306	2264	2820
1951	1353636	337551	2494	2628
1961	1615478	372091	2303	1023
1971	2054834	482207	2347	2959
1981	2673561	459843	1720	.....
1991	2309029	589652	2554	2823
2001	2896863	747572	2581	2678
2011	3466382	1066526	3077	4267

स्रोत– सांख्यिकी पत्रिका 2015 पृ. 29

उपरोक्त तालिका से विदित होता है कि जनपद में वर्ष 1911 में (–9.68) तथा 1921 में (–1.29) प्रतिशत नगरीय जनसंख्या में कमी आयी है तथा सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वर्ष 2011 में (42.67) प्रतिशत हुई।

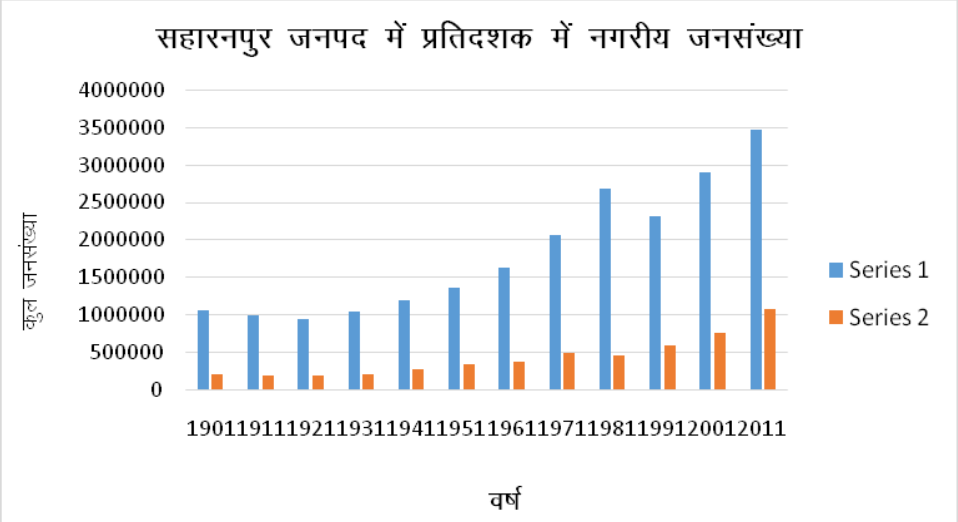

तालिका –3

सहारनपुर जनपद में विकासखंडवार जनसँख्या 2011

क्र.सं	विकासखंड का नाम	जनसंख्या		
		कुल जनसंख्या	पुरुष जनसंख्या	महिला जनसंख्या
1	सढोली कदीम	20474	10886	9588
2	मुजफ्फराबाद	14274	7462	6812
3	सरसावा	38457	20471	17986
4	नकुड	38451	20011	18440
5	गंगोह	70177	37000	33177
6	रामपुर मनिहारन	27979	14789	13190
7	नानौता	25551	11847	10704
8	नागल	5730	2968	2762
9	देवबंद	97037	53538	3499
10	पुवांरका	19198	10047	9151
11	बलियाखेडी	6720	3544	3176
12	सहारनपुर	744478	371740	372738

सांख्यिकी पत्रिका स्त्रोत 2015 पृ.110

नगरीकरण को जन्म देने वाली परिस्थितियाँ

औधोगिक विकास और क्रांति नगरीकरण के लिए उचित परिस्थिति उत्पन्न करती है।

भौगोलिक परिस्थितियाँ जिसमें व्यक्तियो की सरलता से आवश्यकताओ की पूर्ति होती है। नगरीकरण इस मार्ग को प्रशस्त करता है।

वैज्ञानिक प्रगति नये नये अविष्कार, नये साधनो में विकास, आवागमन के साधनों में प्रगति आदि ऐसे तथ्य जो नगरीकरण के लिए एक विशिष्ट परिस्थिति का निर्माण करते हैं ।

नगर व्यापारिक केन्द्र होते हैं। असंखय छोटे बड़े उधोगधंधे, मिल, फैक्टरी कारखाने नगरो में ही स्थापित होते हैं। ऐसे स्थान व्यापार का केन्द्र बन जाते हैं जहाँ नगरीकरण की प्रक्रिया को गति मिलती हैं।

भौतिक सभ्यता–संस्कृति के प्रति मानव का आकर्षण नगर की ही देन है । भौतिक सुखवादी सभ्यता संस्कृति नगरीकरण प्रक्रिया में सहायक है ।

नगरों में रोजगार के अधिक अवसर, मजदूरी की उचित दरें ,शहरों का चकाचौंध जीवन, शिक्षा प्राप्ति के अधिक अवसर इत्यादि ग्रामीण जनता को अपनी ओंर आकर्षित करते हैं।

जनसंख्या वृद्धि से व्यक्ति नये नये कार्यों को करके अपनी आवश्यकताओ और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना चाहता है। जिसके लिए वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर काम की की खोज

में जाता है। इस तरह व्यक्ति की गतिशीलता में वृद्धि होती है यह गतिशीलता नगरीकरण के लिए परिस्थिति तैयार करती है।

नगरीकरण के परिणाम

नगरीकरण द्वारा निम्नलिखित परिणामो का जन्म होता है ।

1. मलिन बस्तियों का जन्म तथा आवास समस्या
2. बेरोजगारी की समस्या
3. दुर्घटनोओ में वृद्धि
4. नयी बीमारियों का जन्म
5. भ्रष्टाचार को बढ़ावा
6. अनैतिकता का बढ़ना
7. वेशयावृतिमें वृद्धि
8. मधपान
9. श्रमिक आन्दोलन
10. बाल अपराध और श्वेत अपराध में वृद्धि

बढते नगरीकरण का पर्यावरण पर प्रभाव

नगरीय केन्द्रों में जनसंख्या के लगातार बढ़ते रहने एवं औधौगिकरण के परिणामस्वरूप पर्यावरणीय समस्याएं एवं अवनयन की समस्याएँ उत्पन्न हो गई है ।

नगरों में बढते प्रदूषण का मुख्य कारण वाहनो व औधौगिक संस्थानो द्वारा निकलने वाले विस्तृत विषैले रासायनिक पदार्थ है जिनमें सल्फर डाई आक्साइड ,कार्बन मोनो आक्साइड , नाट्रोजन डाई आकसाईड, सीसा, नाईट्रस आकसाइड ,फ्लोराइड मुख्य है

सहारनपुर जनपद में स्टार पेपर मिल तथा चीनी मिलें होने के कारण वातावरण में बादलों जैसी धुंध छाई रहती हैं क्योंकि भट्टियों में 24 घंटे आग जलती रहती हैं जिससे आसपास के क्षेत्र में अम्लीय वर्षा का प्रभाव बना रहता है तथा क्षेत्र का तापमान उच्च बना रहता है ।

जिस अनुपात में नगरीय जनसंख्या बढ़ी है उस अनुपात में रोजगार में वृध्दि न होने से लोगों को कम मजदूरी पर कार्यरत रहना पड़ रहा है जिससे सामाजिक अर्थव्यवस्था बढ़ती जा रही है ।

औधौगिक क्रांति से शहरो में जउपभोक्तावादी संस्कृति का जो प्रचार प्रसार हुआ है उसने पर्यावरण पर दोहरा प्रहार किया है मानव द्वारा अपनी आवश्यकता पूर्ति हेतु प्राकृतिक संसाधनो का अधां धुंध शोषण तथा उपयोग के बाद भारी मात्रा में कूड़ा कचरा को उचित स्थान पर एकत्रित करने के लिए शहरी निकायों के पास न तो पर्याप्त धन है और न ही कर्मचारी ।

बढते नगरीकरण के कारण गांवों से पलायन करके आने वाले लोगों द्वारा खाली पड़ी उपजाऊ शहरी भूमि पर नाजायज डेरा डालने की प्रवृत्ति जोर पकड़ती जा रही है।

सीमित शहरी ढांचे पर आबादी के असीमित और असहनीय बोझ की आर्थिक क्षति इतनी अधिक होती है कि शहरीकरण और ट्रैफिक जाम के कारण मानवीय श्रम और अतिरिक्त पेट्रोल खपत के कारण प्रतिवर्ष अरबों–खरबों की सम्पत्ति का नुकसान हो रहा है।

शहरी विकास के लिए सरकार के द्वारा निम्न कल्याणकारी योजनाये क्रियानवित है .

1. शहरी स्वरोजगार योजना
2. राजीव आवास योजना
3. बाल्मीकि आवास योजना
4. जवाहर लाल नेहरु शहरी पुनर्वास योजना
5. राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन
6. भागीदारी में वहनीय आवास योजना
7. राष्ट्रीय शहरी स्वास्थय मिशन
8. जवाहरलाल नेहरु शहरी नवीनीकरण मिशन

नगरीकरण समस्या समाधान हेतु सुझाव

जनपद में बढते नगरीकरण के कारण कई समस्याओं का जन्म हुआ है इन समस्याओं का मुख्य कारण है बढती हुई जनसंख्या। अतः हमे सबसे पहले बढती हुई जनसंख्या को काबू करना होगा तथा ग्रामीण क्षेत्रो से शहरो की ओर होने वाले पलायन को रोकने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने होंगे।

सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रो मे रोजगार के कई अवसर जैसे– मनरेगा योजना,नेहरू रोजगार योजना ट्राईसेम आर.एल.ई.जी.जी इत्यादि प्रदान की है जिसके साथ साथ नगरीय बाह्य क्षेत्रो मे विकास ध्रुवकेन्द्र की स्थापना करनी होगी।

नगरीय क्षेत्रो मे स्थित औधौगिक प्रतिष्ठानों को भी बाह्य क्षेत्रो मे स्थानांतरित कर देना चाहिये जिससे नगरीय क्षेत्रो मे जनसंख्या का दबाव कम होगा तथा प्रदूषण स्तर में गिरावट आयेगी। यह प्रक्रिया दिल्ली से प्रारम्भ कर दी गई है।

गांवों में नगरों के अनुरूप रोजगार एंव विकास के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध करवाकर भी नगरीकरण की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जा सकता है।

निष्कर्ष

जनपद सहारनपुर का नगरीकरण आज एक समस्या बनता जा रहा है। सहारनपुर जनपद की नगरीय जनसंख्या में दिनों–दिन अभूतपूर्व वृद्वि हो रही है।अन्ततः निष्कर्ष रूप मे कहा जा सकता है कि अध्ययन क्षेत्र मे जो समस्या नगरवासियों दवारा उत्पन्न की गई है उसके निराकरण हेतु उपरोक्त सुझाव उपयोगी एवं लाभदायक सिद्ध होगें। अध्ययन क्षेत्र मे नगरीकरण दवारा उत्पन्न पर्यावरणीय समस्याओं पर अधिक जोर दिया है। प्रस्तुत अध्ययन में ऐसी उत्पन्न समस्याओं के सन्दर्भ में भी सुझाव दिये गये हैं जिससे क्षेत्र का संतुलित,समुचित एंव एकीकृत विकास होगा।

❒

सन्दर्भ –

1. हुसैन माजिद मानव भूगोल,रावत पब्लिकेशन, जयपुर पृ. 315–316
2. भारत जनगणना, 2011
3. डॉ एस.सी.बंसल, नगरीय भूगोल प –37
4. रघुवंशी अरुण, चन्द्रलेखा पर्यावरण तथा प्रदुषण, पृ. 217
5. सांख्यिकी पत्रिका जनपद सहारनपुर, 2015
6. डॉ एस.सी.बंसल ,सहारनपुर एक भौगोलिक परिद्रश्य, पृ. 115–135
7. शर्मा जी.एल. सामाजिक मुद्दे ,रावत पब्लिकेशन, जयपुर, पृ. 98–135

पूर्वदेवा– सामाजिक विज्ञान शोध पत्रिका
वर्ष 29, अंक, 114–115, जुलाई–दिसम्बर, 2023 पृ. 99–103

UGC Care Listed Journal
ISSN 0974 -1100

भारतीय ज्ञान परम्परा एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020

डॉ. नेत्रा रावणकर
प्राचार्य, निर्मला कॉलेज ऑफ एजुकेशन, उज्जैन (म.प्र.)–456010
E-mail: netra.ravankar@gmail.com Mob. 9425379084

सारांश

भारत की ज्ञानपरंपरा एवं विचार परंपरा सनातन तथा प्राचीन है। संसार में ज्ञान के समान कुछ भी पवित्र नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ज्ञान आधारित सृजनात्मकता एवं रचनात्मकता के साथ प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्चतर शिक्षा का प्रारूप है। इसमें शिक्षा पद्धति में सुधार, नवाचार एवं अनुसंधान के साथ मनुष्य निर्माण जोड दिया गया है। यह शिक्षा नीति पूर्ण तरह से भारतीय ज्ञानपरंपरा पर आधारित है। इसमें त्रिभाषा सूत्र के साथ मातृभाषा को अध्ययन में अनिवार्य किया गया है। भारत का ज्ञान, दिमाग भारतीय समाज के लिए उत्थान का कार्य करेगा। सही तरीके से राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयण निश्चित ही भविष्य के स्वर्णिम भारत की आधारशीला सिद्ध होकर भारत को विश्व गुरु का दर्जा देने में सहायक होगी।

मुख्य शब्द– ज्ञान परम्परा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति।

प्रस्तावना

21 वी शताब्दी की पहली शिक्षा नीति का दर्जा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को दिया जाता है। यह नीति भारत की परंपरा और सांस्कृतिक मूल्यों के आधार को यथावत रखते हुए वर्तमान शिक्षा के लिए आकांक्षात्मक लक्ष्यों, शिक्षा व्यवस्था, उसके नियमन और गवर्नेस सहित सभी पक्षों के सुधार एवं पुनर्गठन का प्रस्ताव रखती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रत्येक व्यक्ति में रचनात्मक क्षमताओं के विकास पर बल देती है। शिक्षा से केवल साक्षरता का स्तर बढ़ाकर संख्याज्ञान जैसे बुनियादी क्षमता प्राप्त करना है। साथ ही उच्चतर स्तर की तार्किक और समस्या–समाधान संबंधी ज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास करना तथा नैतिक, सामाजिक और भावनात्मक स्तर पर भी व्यक्ति का समग्र विकास करना इस पॉलिसी का लक्ष्य है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 में भारतीय ज्ञान परम्परा को शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर समावेश की अनुशंसा दी गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्रस्तावना में लिखा है, ''प्राचीन और

सनातन भारतीय ज्ञान और सत्य की खोज को भारतीय विचार परम्परा और दर्शन में सदा सर्वोच्च मानवीय लक्ष्य माना जाता था। प्राचीन भारत में शिक्षा का लक्ष्य सांसरिक जीवन अथवा विद्यालय के बाद के जीवन की तैयारी के रूप में ज्ञान अर्जन करना मात्र नहीं बल्कि आत्मज्ञान और मुक्ति के रूप में माना गया था । प्रस्तावना के अंत में नीति के उद्देश्य के संदर्भ में लिखा है,'' नीति का विजन छात्रों में भारतीय होने का गर्व न केवल विचारों में बल्कि व्यवहार, बुद्धि और कार्य में भी, साथ ही ज्ञान, कौशल और मूल्यों में भी होना चाहिए। जो मानव अधिकारों, स्थाई विकास और जीवन यापन तथा वैश्विक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हो ताकि सही स्वरूप में वैश्विक नागरिक बन सके।[1]

भारतीय ज्ञान परंपरा को शिक्षा मे समावेश हेतु कार्य योजना

भारतीय ज्ञान परंपरा को शिक्षा में समावेश हेतु व्यापक सुदृढ़ कार्ययोजना के निर्माण की आवश्यकता है। इसके शिक्षा संस्थानों का दायित्व महत्वपूर्ण है। व्यापक स्तर पर प्रथम चरण भे भारतीय ज्ञान परम्परा की समझ बढ़ाने एवं पाठ्यक्रम में समावेश की पूर्व तैयारी हेतू संगोष्ठी, परिसंवाद, कार्यशाला का आयोजन किया जाए। द्वितीय चरण में विषयों अथवा संकायों के अनुसार विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रम में भारतीय ज्ञान परम्परा का समावेश किया जा सकता है।

जैसे प्रत्येक विषय की पाठ्यचर्या में उस विषय के भारतीय इतिहास को रखा जाए। जिन शास्त्रों और विषयों में भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुरुप अध्ययन सामग्री का उपयोग किया जाये। प्रबंधन के पाठ्यक्रम चाणक्य, गीता, रामायण, शिवाजी आदि के प्रबंधन का समावेश, गणित में वैदिक गणित, श्रीनिवास रामानुजन आदि का समावेश कर सकते है। इससे संबंधित साहित्य के निर्माण की प्रक्रिया भी अपनानी होगी।[2]

भारतीय भाषाओं के संवर्धन हेतु प्रयास

भाषा विचार विनिमय का साधन है। हमारी संस्कृति और परंपरा को बचाए रखने के लिए आज भाषाओं के संवर्धन की आवश्यकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 मातृभाषा के महत्व को विशद करती है। वैश्विक धरातल पर रूस, चीन, जापान, फ्रांस, जर्मनी देशों में प्रमुख रूप से मातृभाषा को शिक्षा को माध्यम मानकर विकास किया गया है। महात्मा गांधी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि, ''विद्यार्थी किसी दूसरी भाषा में शिक्षा ग्रहण करते हुए वह अपने जीवन के छह वर्ष का समय गंवा देता है। यह अतिरिक्त समय मातृभाषा में समझ विकसित करने में लगाना चाहिए। भाषा को लेकर यह मनोवैज्ञानिक सत्य भी है कि किसी भी देश का बच्चा सर्वप्रथम अपनी मातृभाषा में ही कही गई बात को समझ पाता है। अतः नई शिक्षा नीति में प्राथमिक शिक्षा को मातृभाषा में अनिवार्य किया गया है, जिससे जन–जन तक शिक्षा का प्रचार–प्रसार होगा और ग्रामीण क्षेत्र में विद्यार्थी रुचि के साथ शिक्षा ग्रहण करेंगे।[3]

नई शिक्षा नीति के तहत छठी से ही छात्रों में कौशल विकास को बड़ा बढ़ावा दिया जाएगा। हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं के साथ–साथ आठ क्षेत्रीय भाषाओं में भी अनेक पाठ्यक्रम की शुरुआत होगी। वर्तमान में चिकित्सा क्षेत्र और अभियांत्रिकी की पढ़ाई भी मातृभाषा में शुरू की गई है। इस तरह के कई परिवर्तनों के साथ यह शिक्षा नीति कार्य करेगी। वर्षों में शिक्षा नीति के अनुरूप विभिन्न पाठ्यक्रमों की शुरुआत भारत भर में हो चुकी है। इस नीति के तहत

आठवी अनुसूची की सभी 22 भाषाओं में पृथक अकादमी का प्रस्ताव रखा गया है। इन भारतीय भाषाओं में गुणवत्ता पूर्वक पाठ्यक्रमों का निर्माण तथा शोध की संभावनाओं को ध्यान में रखा गया है। देशभर में कुशल भाषा शिक्षकों, अनुवादकों तथा विद्वानों के द्वारा इस कार्य को पूर्ण किया जाएगा। वैदिक गणित, चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व विकास, पर्यावरण, वेदों का अध्ययन, भारतीय कला एवं स्थापत्य, उपनिषद का अध्ययन, योग शिक्षा इनसे संबंधित व कम अवधि के पाठयक्रम प्रारंभ किए जा सकते हैं।

इस शिक्षा नीति के माध्यम से शिक्षकों और अभिभावकों द्वारा प्रत्येक बच्चे की विशेष क्षमताओं को पहचानने, उसे विकसित कर सक्षम बनाने पर जोर दिया है। शैक्षणिक एवं अन्य क्षमताओं के सर्वांगीण विकास पर के साथ तार्किक निर्णय लेने तथा नवाचार को प्रोत्साहित किया है।

ज्ञानपरंपरा के अनुसार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया

भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत उपनिषदों में अनेक शिक्षण पद्धतियों का उद्देश्य है। बृहदारण्यक उपनिषद में ज्ञान प्राप्ति हेतु तीन प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है– श्रवण, मनन, और निदिध्यासन । आजकी व्यवहारिक दृष्टि से श्रवण यानी सुनना । शिक्षक जो पढ़ाता है वह एकचित्त होकर सुनना और ग्रहण करना, मनन अर्थात जो सुना है उस पर सतत एवं सातत्यपूर्ण ढंग से चिंतन करना। निदिध्यासन अर्थात जो सुना है, जिस पर मनन किया है उसको आत्मसात कर जीवन में उतारने की प्रक्रिया है। शिक्षण–अधिगम में इस तरह भारतीय पद्धति का प्रयोग करना होगा। भारतीय ज्ञान परम्परा अनुसार व्यवहारिक अनुभव देकर बाद में सिद्धांत पढ़ा सकते है। इसमे सिद्धांत को समझना बहुत सरल हो जाता है। इसी प्रकार भारतीय ज्ञान–परम्परा के प्रतिमानों के विषय के अनुसार छात्रों को स्टडी टूर का आयोजन किया जा सकता है– जैसे दक्षिण के मन्दीरों की वास्तुकला, मूर्तिकला, साँची के स्तूप, अजंता एलोरा के भित्तीचित्र आदि से परिचित कराया जा सकता है।[4]

परीक्षा एवं मूल्यांकन पद्धति

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 360 डिग्री समग्र मूल्यांकन पर जोर दिया गया है। सैद्धांतिक परीक्षा द्वारा मूल्यांकन वैज्ञानिक पद्धति नहीं है इसलिए सतत एवं समग्र मूल्यांकन की पद्धति को विकसित करने की आवश्यकता है। औपचारिक परीक्षा के साथ छात्रों में व्यवहारिक ज्ञान, जीवन–कौशल, शोध–नवाचार, नैतिक मूल्यों का जागरण, सामाजिक कार्य, खेल–कला आदि में योगदान कर मूल्यांकन प्रक्रिया कर सकते है।

व्यक्तित्व का समग्र विकास एवं चरित्र निर्माण

व्यक्तित्व का समग्र विकास एवं चरित्र निर्माण भारतीय शिक्षा का आधारभूत लक्ष्य है। चरित्रवान, संस्कारवान युवाओं से समृद्ध एवं सशक्त राष्ट्र निर्माण की कल्पना कर सकते है। तैत्तिरीयोपनिषद् में इसके लिए 'पंचकोष' की संकल्पना दी है उसको आधार बनाकर सभी प्रकार के पाठ्यक्रम में जोड़ना चाहिए।

अन्नमय कोष से शारीरिक विकास, प्राणमय कोष से प्राणिक विकास, मनोमय कोष से मानसिक विकास, विज्ञानमय कोष से बौद्धिक विकास एवं आनन्दमय कोष से अध्यात्मिक विकास का आधार हो सकता है।

आज किसी भी राष्ट्र के आर्थिक, बौद्धिक, सामाजिक, पर्यावरणीय एवं प्रोद्योगिकीय विकास के लिए अनुसंधान की आवश्यकता है, इसलिए व्यापक दृष्टि अपनाते हुए भारतीय ज्ञान परम्परा के विभिन्न विषयों पर आवश्यकता अनुरूप शोध को बढ़ावा देना होगा। स्थानीय कला और कारिगरी का कौशल विकास का शिक्षण में समावेश कर रोजगार निर्माण पर भी बल दिया जा सकता है।[5]

ज्ञान परंपरा का प्रचार–प्रसार आवश्यक

भारत की जो ज्ञान परंपरा है। उसका परिचय भारत की नई पीढ़ी को मिले और इसके लिए नई शिक्षा नीति के अंतर्गत बनने वाले पाठ्यक्रम में नई बातों को समाहित किए जाने का प्रयास होना चाहिए। विदेशी आक्रमणों के वजह से हमारी ज्ञान परंपरा खंडित हो गई। नियमित अंतराल पर हुए आक्रमणों की वजह से हमारी व्यवस्थाएँ तहस–नहस हो गई, इसलिए इन ग्रंथों की पारंपरिक ज्ञान की स्वयं एक बार समीक्षा करना आवश्यक है।[6]

जी–20 में भारतीय संस्कृति का बोलबाला

भारत इस वर्ष एक वर्ष के लिए जी–20 अर्थात दुनिया के सबसे ताकतवर 20 देशों के समूह का अध्यक्ष्य है। भारत ने विश्व की सांस्कृतिक संपदा के संरक्षण तथा पुर्नस्थापन की दिशा में काम करने का जो संकल्प दिखाया। वह इस बात का संकेत है कि हम किस तरह विश्व की संस्कृति के संरक्षण को लेकर गंभीर है। मध्य प्रदेश की धरती से यह भी प्रस्ताव रखा गया कि भारत सहित सभी जी–20 देशों में भविष्य के लिए लिविंग हेरिटेज का उपयोग कैसे किया जाए। रचनात्मक उद्योगों व रचनात्मक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में संस्कृति किस तरह सहायक हो तथा डिजिटल तकनीक का संस्कृति व धरोहरों के संरक्षण व संवर्धन में कैसे उपयोग लिया जाए।

भारत की सांस्कृतिक विरासत और सभ्यता इस दुनिया में वर्तमान समय में मौजूदा सभ्यताओं में सबसे प्राचीन और विराट है। हमे जी–20 की अध्यक्षता के अवसर पर हमारी प्राचीनता और वैराट्य का वैश्विक प्रचार–प्रसार करने में उपयोग करना चाहिए। दुनिया में बहुत से देश ऐसे भी है, जिनकी सभ्यताएँ प्राचीन नही किंतु प्रचार–प्रसार इतना है कि वे दुनिया के पसंदीदा पर्यटन स्थल बने हुए हैं। हमे भी ऐसी युक्तियुक्त युक्तियों का उपयोग करनी होगा ।

तकनीक से समृद्ध होगी संस्कृति

बच्चों और किशोरों के लिए नेशनल डिजिटल लायब्रेरी बनाने की घोषणा में वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया है कि इस डिजिटल पुस्तकालय में सभी भाषाओं और विषयों की उत्कृष्ट पुस्तकें होगी। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा कि वो पंचायत और वार्ड स्तर पर पुस्तकालयों की स्थापना करें। ज्ञान के साथ संस्कृति के विकास और उसे मजबूत करने में भी डिजिटल लायब्रेरी उपयोगी हो सकती है। संस्कृति को मजबूत करने के लिए यह आवश्यक है कि नई पीढ़ी के लोग अपनी विरासत के बारे में विस्तार से जाने।[7]

विश्व को राह दिखाता भारत

भारत ने विश्व को राह दिखाने वाला ऐसा तरीका अपनाया है जिसमें सुनिश्चित किया गया है कि समाधान उन लोगों तक पहुँचे जिन्हें उनकी आवश्यकता है। भारत जल्द ही विश्व

में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बनने के करीब है। यहाँ व्यापक स्तर पर समस्याएँ सुलझाएँ बिना अधिकांश समस्याओं को नहीं सुलझा सकते । भारत ने यह सिद्ध किया है कि यह बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकता है। देश ने पोलियो को जड़ से मिटा दिया है। एचआयवी संक्रमण घटा है। गरीबी में कमी आई है। बाल मृत्यु दर घटी है। स्वछता और वित्तीय सेवाओं का दायरा बढ़ा है। यही कभी संभव हुआ जब भारत ने विश्व को राह दिखाने वाला तरीका अपनाया है, जिसमें सुनिश्चित किया गया है कि समाधान उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें उनकी आवश्यकता है।

निष्कर्ष

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इक्कीसवी सदी की पहली शिक्षा नीति है, जिसमें शिक्षक, शिक्षार्थी और शिक्षण की गुणवत्ता के साथ केन्द्र एवं राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा की पहुँच, समानता और उत्तदायित्वपूर्ण शिक्षा तंत्र के साथ ज्ञान परम्परा आधारित शिक्षा का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हमारी भारतीय संस्कृति जैसी विविधता दुनिया की कम ही संस्कृतियों में पाई जाती है। हमारे देश में बोली जाने वालि भाषाओं और बोलियों की संख्या काफी है जो साहित्य को एक महान विविधता प्रदान करती है। विविध धर्मों के लोग यहाँ भाईचारे के साथ निवास करते हैं। यहाँ पर अनेक तरह की वास्तुकला, मूर्तिकला और चित्रकला का निर्माण हुआ है। विभिन्न प्रकार के लोकनृत्य, शास्त्रीय संगीत हमारे देश में विद्यमान है, इसी तरह अनेक त्योहार और प्रथाएँ भी है यही विविधता देश की संस्कृति को समृद्ध और सुन्दर बनाती है। हमारी प्राचीन ज्ञानपरंपरा अबाधित रखकर भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं पुर्नस्थापन करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का अहम् कर्तव्य है।

❐

सन्दर्भ –

1. *कोठारी डॉ. अतुल, (जुलाई–अगस्त 2023), 'शिक्षा उत्थान' पत्रिका : शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास, नई दिल्ली, पृ. 11*
2. *वही, पृ. 12*
3. *शर्मा डॉ. विशाला, (जुलाई–अगस्त 2023), 'शिक्षा उत्थान' पत्रिका : शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास, नई दिल्ली, पृ. 18*
4. *कोठारी डॉ. अतुल, (जुलाई–अगस्त 2023), 'शिक्षा उत्थान' पत्रिका : शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास, नई दिल्ली, पृ. 13*
5. *वही, पृ. 14, 15*
6. *विजय अनंन, (5 मार्च 2023), नई दुनिया समाचार पत्र 'ज्ञान परम्परा का प्रचार–प्रसार आवश्यक', पृ. 08*
7. *वही, पृ. 04*

पूर्वदेवा– *सामाजिक विज्ञान शोध पत्रिका*
वर्ष 29, अंक, 114–115, जुलाई–दिसम्बर, 2023 पृ. 104–109

UGC Care Listed Journal
ISSN 0974 -1100

स्वाधीनता आन्दोलन में हिन्दी साहित्यकारों का योगदान

डॉ. राजेश कुमार
पोस्ट डॉक्टोरल फेलो, (आईसीएसएसआर), इतिहास विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी
Email: rajeshbhumphd@gmail.com Mob. 94151 37951

सारांश

भारत में स्वाधीनता आंदोलन राष्ट्रवादी विचारधारा का अंकुरण सत्रहवी शताब्दी के मध्य से उगने लगा था। किंतु यह विचाराधारा धीरे–धीरे विकसित हो रहा था। हिंदी साहित्य में स्वाधीनता आंदोलन का उदय भारतेंदु युग में हो गया था जिसे इतिहास में 1857 ई.में हुआ। भारतीय स्वाधीनता में राष्ट्रीय आंदोलन ऊन्नसवी शताब्दी का मध्य माना जाना चाहिए। भारत में राष्ट्रवाद जन्म के कारण राष्ट्रीय आंदोलन हुआ। सन् 1885 ई. में ए.ओ.ह्यूम की प्रेरणा से "इंडियन नेशनल कांग्रेस" की स्थापना हुईं। यद्धपि प्रारंभ में कांग्रेस का लक्ष्य भारतवासियों की विभिन्न कठिनाइयों को दूर करना तथा शासन में अधिक आधिकार दिलवाना मात्र था जिसमें दादा भाई नौरोजी, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, फिरोजशाह मेहता, बालगंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, आदि थे। अंतः महात्मा गांधी के नेतृत्व वह 15अगस्त 1947 ई.में भारत को स्वतंत्र कराने में सफल हो गए स्वराज आंदोलन में गांधी के अहिंसावाद के समानांतर एक अन्य क्रांति विचारधारा का जन्म लिया जिसमें खुदीराम बोस ,सावरकर ,महेंद्र प्रताप, भगत सिंह, बटुकेश्वर, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, सुभाषचंद्र बोस आदि नेताओं ने क्रांतिकारी की गुज उनके विचारों को ओत–प्रोत करती है।

मुख्य शब्दः स्वाधीनता आंदोलन, राष्ट्रवादी विचारधारा, हिंदी साहित्यकार, समकालीन वैचारिकी, सांस्कृतिक मूल्य, हिंदी साहित्य।

प्रस्तावना

राष्ट्रीय आंदोलन में हिंदी और अन्य भाषाओं की साहित्यकारों की अहम भूमिका है, राजा लक्ष्मण सिंह ने लिखा है कि "हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी–न्यारी है। हिंदी इस देश के हिंदू बोलते हैं और उर्दू यहां के मुसलमान और फारसी पढ़े हुए हिंदुओं की बोलचाल है। हिंदी में संस्कृत पाठ बहुत आते हैं उर्दू में अरबी फारसी के"।[1]

राजा लक्ष्मण सिंह की "शकुंतला नाटक"की भाषा देखकर अंग्रेज विद्वान "फ्रेडरिक पिनकाट" बहुत प्रसन्न हुए और इस नाटक का परिचय आत्मक एक बहुत सुंदर लेख लिखा पिनकाट साहब हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं के विद्वान थे और भारत का हित हृदय से चाहते थे। राजा लक्ष्मण सिंह, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से पत्र व्यवहार करते थे। इंग्लैंड की अखबारों का परिचय बराबर देते रहते थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि "उस समय की हिंदी लेखकों के घर में पिनकाट साहब की 2–4 पत्र अवश्य मिलेंगे"।

हिंदी के रक्षकों में और स्वाधीनता आंदोलनों में शिवप्रसाद सितारे हिंद के साथ–साथ पंजाब के बाबू नवीन चंद राय भी थे। उर्दू के पक्ष पातियों से बराबर उनका संघर्ष हुआ।

फ्रेंच विद्वान गार्सा द तासी ने सम्वत 1909 के आस पास हिंदी और ऊर्दू दोनों भाषाओं को रहना अच्छा समझा था। दोनों भाषाओं का स्वाधीनता आंदोलन में महत्त्व हैं जो आगे चलकर अनेक साहित्यकारो ने अपनी रचनाओं में देशभक्ति की विचारधारा स्वतः आने लगी थी उन्होने लिखा है कि–"हिंदी में हिंदू धर्म का आभास हैं। वह हिंदू धर्म जिसके मूल में बुतपरस्ती और उसके अनुसांगिक विधान है। इसके विपरीत उर्दू में इसलामी संस्कृति और आचार व्यवहार का संचय है। इसलाम भी सामी मत हैं और एकेश्वरवाद का मूल सिंधांत हैं"।[2]

बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री को सम्वत 1943 के लगभग अपने पत्र में हिन्दी के प्रति कितना प्रेम था उन्होने लिखा हैं कि–"आपका सुखद पत्र मुझे मिला और उससे मुझको परम आनंद हुआ। आपकी समझ में हिंदी भाषा का प्रचलित होना उत्तर पश्चिमवासियों के लिए सबसे भारी बात है। मै सम्पूर्ण से जानता हूं कि जब तक किसी देश में निज भाषा और अक्षर सरकारी और व्यवहार सम्बधित कामों में नहीं प्रवृत्त होते है, तब तक उस देश का परम सौभाग्य हो नही सकता। इसलिए मैंने बार–बार हिंदी भाषा को प्रचलित करने का उद्योग कहा हैं"।[3]

हरि कृष्ण "प्रेमी" नाटकों में स्वदेश प्रेम की पराकाष्ठा हैं जिस देश में जन्म लिया उसी पर निवक्षावार होने के लिए तत्पर है। आचार्य राम चन्द्र शुक्ल लिखते हैं कि– "प्रेमी देसी राजाओं का विलय और अवध प्रदेश का अंग्रेजी राज में समाहार लॉर्ड डलहौजी की नीति की ऐसी महत्त्वपूर्ण घटनाएं थी, जिनसे जनता कि भावना पर कठोर प्रहार हुआ और सम्पूर्ण देश पर अंग्रेजों का शासन हो गया। अंग्रेज अपने अनुसार भारत वर्ष पर तरह–तरह के कर्ज को जनता पर लादने की कोशिश किया और उसमें सफल हुआ। देश की स्वाधीनता की बेडियो से मुक्त कराना चाहते थे भारत माता को देश बेड़ियों का मुक्त कराना युवाओं का सपना था जयशंकर प्रसाद और हरिकृष्ण "प्रेमी" के नाटक यद्यपि ऐतिहासिक हैं, पर उनमें आधुनिक आदर्शो और भावनाओं का आभास इधर–उधर मिलता है। स्कंध गुप्त और चंद्र गुप्त नाटक में स्वदेश प्रेम का झलक मिलता है। यही नहीं हरि कृष्ण प्रेमी के नाटक शिवसाधना नाटक में शिवाजी कहते हैं कि–" मेरे शेष जीवन की एकमात्र साधना होगी भारतवर्ष को स्वतंत्र कराना। दरिद्रता की जड़ खोदना, ऊंच–नीच की भावना और धार्मिक तथा सामाजिक असहिष्णुता का अंत करना, राजनीति और सामाजिक दोनों भावनाओं की व्यंजना जिस काल का वह नाटक हो''।[4]

हिंदी साहित्य में जयशंकर प्रसाद का नाम सर्वो परी हैं। जयशंकर प्रसाद के नाटक में राष्ट्रवाद और स्वाधीनता की गूज सुनाई देती है। उसी प्रकार भारतेंदु जी के कविताओं में समाज

सुधार राष्ट्रीयता आदि का बेजोड़ संगम है। भारतेंदु जी ने निम्न पक्तियों में अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे शोषण का चित्रण किया गया है।

भीतर भीतर सब रस चुसै, हंसी– हंसी के तन मन धन मुसै।
जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखि साजन नही अंग्रेज"।

देश भक्ति और राज भक्ति का अद्भुत समन्वय मिलता है, अंग्रेज कुशल शासन व्यवस्था कर रहे थे पर भीतर–भीतर भारत का आर्थिक शोषण कर रहे थे।

अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चलीं जात यहै अति ख्वारी।

स्वतंत्रता से पूर्व जो राष्ट्रीय नाटक लिखे गए उनका मुख्य उद्देश्य था देश में राष्ट्रीय चेतना को उद्घृत करना। वे राष्ट्रीय आंदोलन को अतीत की पिथिका पर मुखर कर रहे थे। देश के स्वतन्त्र हो जाने पर अनेक समस्याएं उत्पन्न हुई। इनके प्रकाश में चंद्रगुप्त नाटक 1931 का उदय हुआ।

चन्द्रगुप्त नाटक ऐतिहासिक कथाकार, नाटककार जयशंकर प्रसाद द्वारा 1931 ई में लिखित प्रसिद्ध नाटक हैं। जिसकी कथावस्तु भारत पर सिकंदर के आक्रमण 326 ई. पूर्व तथा मगध में नंद बंस के प्रभाव एवम् चन्द्र गुप्त मौर्य के राजा बनने की ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़ी है।

प्रसाद ने इस नाटक की रचना जबकि भारत परतंत्र था और महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध स्वाधीनता आंदोलन चल रहा था। साहित्यकारों का दायित्व का निर्वाह करते हुए प्रसाद जी ने चंद्रगुप्त नाटक में भारतीय इतिहास के उस कालखंड को नाटकीय घटना क्रम के रूप में चर्चित किया है। चाणक्य सम्पूर्ण भारत को एक राष्ट्र के रूप में देखने की अभिलाषी है। वह चाहता है आज के समय में हिंदी साहित्यकारों में ओत–प्रोत है भारतीय नवयुवकों एवम् युवतियों को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की प्रेरणा प्रदान करते है। देश के अलका अपने भाई और पिता को त्याग देती है। चंद्रगुप्त नाटक में सिल्युकस की पुत्री का नेलिया को यह भारत देश अपना लगने लगता है और भारत की महिमा का गुणगान अपनी गीतों के माध्यम से प्रस्तुत करती है–

"अरुण यह मधुमेह देश हमारा,
जहां पहुंचा जा छितिज को मिलता एक सहारा।
सरत तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरु शिखा मनोहर।
छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुंकुम सारा।
लघु सूर धनु से पंख पसारे शीतल मलय समीर सहारे।
उड़ते खग जिसओर मुंह किए समझ नीड निज प्यारा।
बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणा जल।
लहरें टकराती अनंत की पाकर जहां किनारा ।
हे कुंभ ऊसा सबेरे भरती ढूलकाती सुख मेरे।
मंदिर उघते रहते जब जब जग कर रजनी भर तारा।
*अरुण यह मधुमय देश हमारा"।**5***

चन्द्रगुप्त से कारनेलिया कहने लगी कि मुझे भारत भूमि अपनी जन्म भूमि जैसी प्रिय लगने लगी। यहां का प्राकृतिक सौंदर्य यहा के निवासियों का सरल स्वभाव मुझे अपने ओर आकर्षित करने लगे। वह भारत वर्ष के मानवता को अपना जन्मभूमि बताती हैं। अलका भारत के गीतों को समवेत स्वर में गाती हुई कहती हैं कि "हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती।

स्वयं प्रभा समुज्जवला स्वतन्त्रता पुकारती
अमर्त्य विरपुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो
प्रशस्त पुण्य पंथ हैं बड़े चलो बढ़े चलो।
असंख्य कीर्ति रश्मिया विकिर्ण दिव्य दाह सी
सपूत मातृ भूमि के रुके न शूर साहसी।
*अराति सैन्य सिन्धु में सु बड़वाग्नि से चलो।**6***

राजकुमारी अलका विदेशी यवनों के विरुद्ध युद्ध का आह्वान करती हुई अपने देश वासियों के प्रति राष्ट्र प्रेम एवम् देश भक्ति का संचार करती हुई कहती है हे देशवासियों अपनी विशुद्ध सम द्धि से उज्ज्वल बनी हुई देदीब्यमान भारत माता हिमालय की उन्नत चोटियों से रा÷ट्र की स्वतंत्रता के लिए पुकार रही है।

द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ कवि मैथिलीशरण गुप्त का प्रमुख स्थान है। भारत भारती को सर्वश्रेष्ठ साहित्यिक कृति मानी जाती है। भारत भारती छपी सरस्वती में धारावाहिक के रूप में थीं। यह रचना ने धूम मचा दी थी। अतः यह कहना उचित होगा कि गुप्त की इस कृति के इतिहास बोध और रा÷ट्रवाद की संकल्पना पर विचार किया जाए। सुधीर चन्द ने लिखा है कि "गुप्त जी की इस कृति के इतिहास बोध इतिहास कार आरदत्त से प्रभावित थे"।[7]

मैथिलीशरण गुप्त ने भारत भारती १९१२ ई. भूमिका में लिखते हैं कि– आज जन्म अष्टमी हैं, आज का दिन भारत के गौरव का दिन हैं। आज ही हम भारतवासियों को गौरव का दिन है। आज ही हम भारत वासियों को यहां तक कहने का अवसर मिला था।

"जय जय स्वर्गगार सम भारत कारागार
पुरुष पुरातन का जहां हुआ नया अवतार"।[8]

भारत भारती १९१२ में मैथिलीशरण गुप्त लिखते हैं कि–

"मानस भवन में आर्यजन जिसकी उतारे आरती,
भगवान भारत व÷र्ा में गूजे हमारी भारती।
हो भद्र भावो द्भाविनी वह आरती हे भगवते।
सीतापते–सीतापते गीतामते–गीतमते"।[9]

भारतवर्ष की श्रेष्ठता, उसकी महानता को कवि ने बड़े ही सादगी से उद्धृत किया है। भारत वर्ष से कोई पुराना देश नहीं हैं इसी भारत देश पर सर्व प्रथम मनुष्य के सृष्टि का विस्तार हुआ है।

"भू लोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहा?
फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल जहां।

सम्पूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है?
उसका जो ऋषि भूमि हैं, वह कौन? भारत वर्ष हैं?
हा, वृद्ध भारत वर्ष ही संसार का सिरमौर है,
ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और हैं।
भगवान की भव भूतियो का यह प्रथम भंडार हैं,
विधि ने किया नर श्रृष्टि का पहले यहीं विस्तार है" ।[10]

राष्ट्रकवि रामधारी सिंह "दिनकर" हिन्दी साहित्य में महत्त्वपूर्ण हैं। इनकी रचनाएं हिंदी साहित्य में अमर कृति है, रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंदगीत, सामधेनु, धूप और धुआं, इतिहास के आसू, नील कुसुम, आदि का रचनाओ में महत्त्वपूर्ण है। गांधी जी ने नकली भक्तो पर तीखा व्यंग्य किया है।

"गांधी को उल्टा घिसो,और जो धूल झरे
उसके प्रलेख से अपनी कुंठा के मुख पर,
ऐसी नक्कासी गढ़ों की जो देखे बोले
*आखिर बापू भी और बात क्या कहते थे" ।**11***

राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर गांधी जी से अधिक प्रभावित मार्क्सवाद से हैं। उनका क्रान्तिकारी अधिक मार्क्सवाद के अनुकूल है। उन्होंने लिखा है–

"कहो मार्क्स से डरे हुए का, गांधी चौकीदार नहीं है,
सर्वोदय का दूत किसी, संचय का पहरे दार नही है" ।[12]

मार्क्स के अंध अनुयायी में से हैं। और न गांधी के नकली भक्तो में से हैं। आज के सबसे अधिक युग चेतना, राष्ट्रवादी चिंतक, प्रगति शील साहित्यकार के रूप में स्वीकार कर सकते है। सोहनलाल द्विवेदी अपनी गांधीवादी विचारों से उठो एवं राष्ट्रीयता के भाव भरा पड़ा है। वह अपनी आपको हिंदी साहित्य में एक अमर लेखक है एवम् अंग्रेजों की विरोध में कविताएं लिखी थी उनकी कविताओं में फौज प्रमुख हैं उस चादर के प्रति स्थापित करते हैं इसलिए उनके कब्र में महान पुरुषों और उदातत्व का चित्रण मिलता है।

"जो फाँसी के तख्तो पर जाते हैं झूम,
हंसते–हंसते शूली को लेते चूम ,
दीवारों में चुन जाते हैं जो मासूम
टेक न तजते पी जाते हैं विष का धूम।
उन्हें प्रणाम" ।[13]

राष्ट्रीयता एवम् मानवता के उदात्त और कोमल स्वरो को मन को मोहित करने वाली कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान 1904–1948 काव्य संग्रह मुकुल 1931 ई में प्रकाशित हुआ था उन्होंने विभिन्न राष्ट्रीय एवम् अंतरराष्ट्रीय विषयों पर कविताएं लिखीं है। झंडे की इज्जत, स्वदेश के प्रति प्रेम, जलिया वाला बाग, झांसी की रानी, उनकी अमर कृति है।

"रानी रोई रानिवासो में, बेगम गम से थी बेजार।
उनके गहने कपड़े बिकते थे, कलकते के बाजार।।
सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजो के अकबार
नागपुर से जेवर ले लो, लखनऊ के लौ नौ लखहार
यो परदे की इज्जत, परदेशी के हाथ बिकानी।
बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने खूब सुनी कहानी थी
खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी"।[14]

उपर्युक्त विवरण से निष्कर्ष निकलता है कि हिंदी साहित्य में स्वाधीनता आंदोलन के अनेक राष्ट्रभक्त की गाथाएं को देश को स्वतन्त्र कराने में महत्त्व पूर्ण भूमिका निभाई है। आज के समय में हिंदी साहित्यकारो की रचनाओं में देश प्रेम के स्वर सुनाई देती है। देश के युवाओं को राष्ट्र के प्रेम के प्रति निवक्षावर होने के लिए प्रेरित करता है।

❐

सन्दर्भ –

1. *आचार्य रामचंद शुक्ल, हिदी साहित्य का इतिहास, लोक भारती प्रकाशन , इलाहाबाद, चौदहवा संस्करण, 2018, पृ. 303*
2. *वही पृ. 299*
3. *वही पृ. 329–330*
4. *वहीं पृ. 378*
5. *जय शंकर प्रसाद, चन्द्रगुप्त, साहित्य सेवा प्रकाशन, वाराणसी, छात्र संस्करण, पृ. 78*
6. *वही पृ.152*
7. *फ्रेंचस्का ओर सिनी, हिंदी का लोकवृत, राष्ट्रवाद के युग में भाषा और साहित्य, अनु. नीलाभ, बाणी प्रकाशन, नईं दिल्ली, 2011 पृ. 64*
8. *मैथिलीशरण गुप्त, भारत भारती, साहित्य सदन,लोक भारती प्रकाशन, इलाहाबाद, उन्चास संस्करण, 2022 पृ. 7*
9. *वहीं पृ. 11*
10. *वहीं पृ. 13*
11. *गणपति चंद गुप्त, हिन्दी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास ,लोक प्रकाशन इलाहाबाद, द्वितीय खण्ड, चौदहवां संस्करण, 2015 पृ. 111*
12. *वहीं पृ. 111*
13. *वही पृ. 111*
14. *वहीं पृ. 111*

पूर्वदेवा– *सामाजिक विज्ञान शोध पत्रिका*
वर्ष 29, अंक, 114–115, जुलाई–दिसम्बर, 2023 पृ. 110–115

UGC Care Listed Journal
ISSN 0974 -1100

भारतीय भाषाओं की सेतुलिपि देवनागरी

रवीन्द्र कुमार
सहायक आचार्य, हिन्दी, शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय ताला सतना (म0प्र0)
E-mail : ravikum9229@gmail.com Mob. 7460954438

सारांश

यूरोपीय विद्वान कहते आये हैं कि सम्राट अशोक से एक आध शताब्दी पूर्व भारतीय लिपि का विकास हुआ होगा। मैक्समूलर के अनुसार चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व से पहले भारत में कोई लिखना नही जानता था। बर्नेल का कहना है कि भारतीयों ने चौथी या पाँचवी भाती ई.पू. में फिनिक जाति के लोगों से लिखने की कला सीखी थी डॉ.बूहर ने बड़ी खोजबीन के बाद निश्चित किया कि 500 ई.पू. से कुछ ही पहले भारतवासियों ने सामी (सेमोटिक) लिपि के आधार पर ब्राहमी लिपि का निर्माण किया था। प्रसिद्व चीनी यात्री ह्वेनत्सांग (630–644 ई.) यहाँ से 650 पुस्तकें बीस घोड़ों पर लाद कर ले गया था। ये 650 ग्रंथ एक युग में नही लिख डाले गये थे। मेगस्थनीज (चौथी भाती ई.पू.) ने अपनी पुस्तक 'इण्डिका' में जन्मपत्रिया बनाने और प्रस्तर–फलकों पर खोदकर लिखने का उल्लेख किया है। सिकन्दर व नावाधिपति निआर्कस ने अपने इतिवृत्त में लिखा है कि भारतवासी रूई के कपड़े या कागज पर अक्षर योजना करते थे। यूरोपीय विद्वानों को अशोक के पहले कोई शिलालेख प्राप्त नहीं हो सके थे। किन्तु इधर पिपरावाकोट (कपिलवस्तु के पास) बिड़ली (जिला अजमेर) और जरासंध की राजधानी गिरिब्रज से प्राप्त पत्थरों पर फुटकर लेख मिल जाने से सिद्व होता है कि भारतीय लिपि का इतिहास बहुत पुराना है। ये लेख ईस्वी सन् से पाँच–छःसौ वर्ष से भी अधिक पुराने हैं। राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में अनेक ताम्रपत्र और प्रस्तर–खण्ड संग्रहीत हैं जिन पर की लिपि इन से पुरानी है। सिंधुघाटी की सभ्यता की खोज ने तो इन पश्चिमी विद्वानों को चकित कर दिया है। मोहन जोदड़ो (सिंध), हड़प्पा (पश्चिमी पंजाब) और रोपड़ (पूर्वी पंजाब) आदि स्थानों से प्राप्त मोहरों की लिपि आज से पाँच हजार वर्ष पुरानी बतायी जाती है। यह भी ध्यान रहे के सिंधुघाटी की सभ्यता के काल से लेकर पिपरावाकोट अथवा अशोक के शिलालेखों के काल तक भारतवासी अनपढ़ नहीं थे। इतना विशाल वैदिक साहित्य बिना लिपि

के नहीं लिखा गया। ऋग्वेद (6/53/7) में 'आरिख' भाब्द आलिख का ही दूसरा रूप है। रेखाओं से ही लेखन–कार्य हुआ करता था। वेदों में ज्योतिश–सम्बंधी अनेक सूत्र हैं। बिना अकंपात के इतनी कठिन गणना सम्भव नहीं थी।

परिचय

देवनागरी एक भारतीय लिपि है। जिसमें अनेक भारतीय भाषाएं तथा कई विदेशी भाषाएं लिखी जाती हैं। यह बाएं से दाएं लिखी जाती है। इसकी पहचान एक क्षैजित रेखा से है जिसे शिरारेख कहतें हैं। संस्कृत, पालि, हिन्दी, मराठी, कोंकणी, सिन्धी, कश्मीरी, हरियाणवी, बुंदेली भाषा, डोगरी, खस तथा नेपाली भाषाएं, तमांग भाषा, गठवाली बोडो, अंगिका मगही, भोजपुरी, नागपुरी, मैथिली, संथाली, राजस्थानी भाषा, बघेली आदि सैकड़ों भाषाएं और स्थानीय बोलियों में गुजराती, पंजाबी, बिष्णुपुरिया, मणिपुरी रोमानी और उर्दू भाषाएं भी देवनागरी में लिखी जाती हैं। देवनागरी रोमानी और उर्दू भाषाएं भी देवनागरी में लिखी जाती हैं। देवनागरी विश्व में सर्वाधिक प्रयुक्त लिपियों में से एक है। यह दक्षिण एशिया की 175 से अधिक भाषाओं को लिखने के लिए प्रयुक्त हो रही है। देवनगरी का विकास ब्राहमी लिपि से हुआ है। यह एक ध्वन्यात्मक लिपि है जो प्रचलित लिपियों (रोमन, अरबी, चीनी आदि) में सबसे अधिक वैज्ञानिक है। इससे वैज्ञानिक और व्यापक लिपि शायद केवल अध्वव लिपि है। भारत की कई लिपियाँ देवनागरी से बहुत अधिक मिलती–जुलती हैं जैसे– बंग्ला, गुजराती, गुरूमुखी आदि। कम्प्यूटर प्रोग्रामों की सहायता से भारतीय भाषाओं के किसी भी शब्द या ध्वनि को देवनागरी लिपि में ज्यों का त्यों लिखा जा सकता है और फिर लिखे पाठ को लगभग हू–ब–हू उच्चारण किया जा सकता है, जो कि रोमन लिपि और अन्य कई लिपियों में सम्भव नहीं है, जब तक कि उनका विशेष मानकीकरण न किया जाए जैसे आइट्रांस या IASTA।

इसमें कुल 52 अक्षर हैं, जिसमें 14 स्वर और 33 व्यंजन हैं। अक्षरों की क्रम व्यवस्था (विन्यास) भी बहुत ही वैज्ञानिक है। स्वर–व्यंजन, कोमल–कठोर, अल्पप्राण–महाप्राण, अनुनासिक, अन्तस्थ–ऊष्म इत्यादि वर्गीकरण भी वैज्ञानिक है। एक मत के अनुसार देवनगर (काशी) में प्रचलन के कारण इसका नाम देवनागरी पड़ा। भारत तथा एशिया की अनेक लिपियों के संकेत देवनागरी से अलग हैं, परन्तु उच्चारण व वर्ण–क्रम आदि देवनागरी के समान हैं, क्यों कि वे सभी ब्राहमी लिपि से उत्पन्न हुई हैं (उर्दू को छोड़कर) इसलिए इन लिपियों को परस्पर आसानी से लिप्यन्तरित किया जा सकता है। देवनागरी लेखन की दृष्टि से सरल सौन्दर्य की दृष्टि से सुन्दर और वाचन की दृष्टि से सुपाठ्य है।

देवनागरी शब्द की व्युत्पति–:

देवनागरी या नगरी नाम का प्रयोग क्यों आरम्भ हुआ और इसका व्युत्पतिपरक प्रवृति निमित्त क्या था यह अब तक पूर्णतः निश्चित नहीं है।

(क) 'नागर' अपभ्रंश या गुजराती ''नागर'' ब्राहमणों से उसका सम्बन्ध बताया गया है। परन्तु दृढ़ प्रमाणों के अभाव में यह मत संदिग्ध है।

(ख) दक्षिण में इसका प्राचीन नाम ''नंदिनागरी'' था। हो सकता है नंदिनगर कोई स्थान सूचक हो और इस लिपि का उससे कुछ सम्बन्ध रहा हो।

(ग) यह भी हो सकता है कि नागर जन उसमें लिखा करते थे अतः नागरी अभिधान पड़ा और जब संस्कृत के ग्रंथ भी इसमें लिख जाने लगे तब देवनागरी भी कहा गया।

(घ) सांकेतिक चिहनों या देवताओं की उपासना में प्रयुक्त त्रिकोण चक्रआदि संकेत चिह्नों को देवनागर कहते थे। कालान्तर में नाम के प्रथमाक्षरों का उनसे बोध होने लगा और जिस लिपि में उनको स्थान मिला–वह देवनागरी या नागरी कही गई। इन सब पक्षों के मूल्य में कल्पना का प्राधान्य है, निश्चयात्म प्रमाण अनुपलब्ध है।

देव नागरी लिपि का इतिहास

देवनागरी भारत, नेपाल, तिब्बत और दक्षिण पूर्व एशिया की लिपियों के ब्राहमी लिपि परिवार का हिस्सा है। गुजरात से कुछ अभिलेख प्राप्त हुए हैं जिनकी भाषा संस्कृत है और लिपि नागरी लिपि। ये अभिलेख पहली ईसवी से लेकर चौथी ईसवी कालखण्ड के हैं। ध्यातव्य है कि नागरी लिपि देवनागरी से बहुत निकट है और देवनागरी का पूर्वरूप है। अतः ये अभिलेख इस बात के साक्ष्य हैं कि प्रथम भाताब्दी में भी भारत में देवनागरी का उपयोग आरम्भ हो चुका था। नागरी, सिध्दम और शारदा तीनों ही ब्राहमी की वंशज हैं, रूद्रदमन के शिलालेखों का समय प्रथम शताब्दी का समय है और इसकी लिपि की देवनागरी से निकटता पहचानी जा सकती है जबकि देवनागरी का जो वर्तमान मानक स्वरूप है वैसी देवनागरी का उपयोग 1000 ई. के पहले आरम्भ हो चुका था। मध्यकाल के शिलालेखों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि नागरी से सम्बंधित लिपियों का बड़े पैमाने पर प्रसार होने लगा था। कहीं–कहीं स्थानीय लिपि और नागरी लिपि दोनों में सूचनाएँ अंकित मिलती हैं। उदहारण के लिए 8 वीं शताब्दी के पट्टढदकल (कर्नाटक) के स्तम्भ पर सिध्दमात्रिका और तेलुगू–कन्नड़ लिपि के आरम्भिक रूप–दोनों में ही सूचना लिखी हुई है। कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश) के ज्वालामुखी अभिलेख में देवनागरी दोनों में लिखा हुआ है। 7 वीं शताब्दी तक देवनागरी का नियमित रूप से उपयोग होना आरम्भ हो गया था और लगभग 1000 ई. तक देवनागरी का पूर्ण विकास हो गया था।

डॉ. द्वारिका प्रसाद सक्सेना के अनुसार सर्वप्रथम देवनागरी लिपि का प्रयोग गुजरात के नरेश जयभट्ट (700–800 ई.) के शिलालेख में मिलता है। आठवीं शताब्दी में चित्रकूट नवीं में बड़ौदा के ध्रुवराज ने भी अपने राज्यों में इस लिपि का उपयोग किया है। 758 ई. का राष्ट्रकूट राजा दन्तिदुर्ग का सामगढ़ ताम्रपट मिलता है जिस पर देवनागरी अंकित है। शिलाहारवंश के गंडारादित्य प्रथम के उत्कीर्ण लेख भी देवनागरी में है। इसका समय बारहवीं शताब्दी हैं। ग्यारहवीं शताब्दी के चोलराजा राजेन्द्र के सिक्के मिले हैं जिन पर देवनागरी लिपि अंकित है। राष्ट्रकूट राजा इन्द्रराज (दशवीं शताब्दी) के लेख में भी देवनागरी का व्यवहार किया है। प्रतिहार राजा महेन्द्रपाल (891–907) का दानपात्र में भी देवनागरी लिपि में है। कनिंघम की पुस्तक में सबसे प्राचीन मुसलमानों सिक्के के रूप में महमूद गजनवी द्वारा चलाए गये चांदी के सिक्के का वर्णन है जिस पर देवनागरी लिपि में संस्कृत अंकित है। अकबर के सिक्के पर देवनागरी में रामसिया का नाम अंकित है।

भाषा विज्ञान की दृष्टि से देवनागरी

भाषा विज्ञान की दृष्टि से देवनागरी लिपि अक्षरात्मक लिपि मानी जाती है। लिपि के विकास सोपानों की दृष्टि से ''चित्रात्मक'' ''भावात्मक'' और भावचित्रात्मक लिपियों के अनंतर ''अक्षरात्मक'' स्तर की लिपियों का विकास माना जाता है। पाश्चात्य और अनेक भारतीय भाषा विज्ञानविज्ञों के मत से लिपि की अक्षरात्मक अवस्था के बाद वर्णात्मक अवस्था का विकास हुआ। सबसे विकसित अवस्था मानी गई है ध्वन्यात्मक लिपि की। देवनागरी को अक्षरात्मक इसलिए कहा जाता है कि इसके वर्ण–अक्षर हैं– स्वर भी और व्यंजन भी। क ख आदि व्यंजन सस्वर हैं– अकारयुक्त हैं। वे केवल ध्वनियों नहीं हैं अपितु सस्वर अक्षर हैं। अतः ग्रीक, रोमन आदि वर्णमालाएँ हैं। परन्तु यहाँ यह ध्यान रखने की बात है कि भारत की ब्राहमी या भारतीय वर्णमाला की ध्वनियों में व्यंजनों का पाणिनी ने वर्ण सामान्य के 14 सूत्रों में जो स्वरूप परिचय दिया है उसके विषय में पतंजलि (द्वितीय शताब्दी) ई.पू. ने यह स्पष्ट बता दिया है कि व्यंजनों में सुनियोजित अकार स्वर का उपयोग केवल उच्चारण के उद्देश्य से है। वह तत्वतः वर्ण का नही है। इस दृष्टि से विचार करते हुए कहा जा सकता है कि इस लिपि की वर्णमाला तत्वतः ध्वन्यात्मक है, अक्षरात्मक नहीं।

देवनागरी वर्णमाला

स्वर – अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अः

व्यंजन –क ख ग घ ड़ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श ष स ह क्ष त्र ज्ञ

देवनागरी लिपि के गुण–: भारतीय भाषाओं के लिए वर्णों की पूर्णता एवं सम्पन्नता (52 वर्ण न बहुत अधिक न बहुत कम)

- एक ध्वानि के लिए एक सांकेतिक चिह्न जैसा बोले वैसा लिखें।
- लेखन और उच्चारण में एक रूपता जैसा लिखे वैसे पढ़े।
- एक सांकेतिक चिह्न द्वारा केवल एक ध्वनि का निरूपण जैसा लिखे वैसा पढ़े।

उपर्युक्त दोनों गुणों के कारण ब्राहमी लिपि का उपयोग करने वाली सभी भारतीय भाषाएँ स्पेलिंग की समस्या से मुक्त हैं।

- स्वर और व्यंजन में तर्कसंगत एवं वैज्ञानिक क्रम–विन्यास–देवनागरी के वर्णों का क्रम विन्यास उसके उच्चारण के स्थान (ओष्ठ्य, दन्त्य, तालव्य, मूर्धन्य आदि) को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इसके अतिरिक्त वर्ण–क्रम के निर्धारण में भाषा विज्ञान के कई अन्य पहलुओं का भी ध्यान रखा गया है। देवनागरी की वर्णमाला (वास्तव में ब्राहमी से उत्पन्न सभी लिपियों की वर्णमालाएँ) एक अत्यन्त तर्कपूर्ण ध्वन्यात्मक क्रम में व्यस्थित है। यह क्रम इतना तर्कपूर्ण है कि अन्तर्राष्ट्रीय ध्वन्यात्मक संघ में अन्तर्राष्ट्रीय ध्वन्यात्मक वर्णमाला के निर्माण के लिए मामूली परिवर्तनों के साथ इसी क्रम को अंगीकार कर लिया।
- वर्णों का प्रत्याहार रूप में उपयोग महेश्वर सूत्र में देवनागरी वर्णों को एक विशिष्ट क्रम में सजाया गया है। इसमें से किसी वर्ण से आरम्भ करके किसी दूसरे वर्ण तक के वर्णसमूहों

को दो अक्षर का एक छोटा नाम दे दिया जाता है जिसे प्रत्याहार कहते हैं। प्रत्याहार का प्रयोग करते हुए संधि आदि के नियम सरल और संक्षिप्त ढंग से दिये गये हैं (जैसे आद्गुण)

- देवनागरी लिपि के वर्णों का उपयोग संख्याओं को निरूपित करने के लिए किया जाता है।
- मात्राओं की संख्या के आधार पर छंदों का वर्गीकरण–यह भारतीय लिपियों की अद्भुत विशेषता है कि किसी पंद्य के लिखित रूप से मात्राओं और उनके क्रम को गिनकर बताया जा सकता है कि कौन सा छंद है। रोमन ,अरबी, एवं अन्य में यह गुण अप्राप्य है।
- लिपि चिन्हों के नाम और ध्वनियों में कोई अंतर नहीं है जैसे रोमन में अक्षर का नाम बी और ध्वनि ब है।
- लेखन और मुद्रण में एकरूपता (रोमन अरबी और फारसी में हस्तलिखित और मुद्रित रूप अलग–अलग हैं।)
- देवनागरी स्माललेटर और कैपिटल लेटर की अवैज्ञानिक व्यवस्था से मुक्त है।
- अर्द्ध अक्षर के रूप की सुगमता खड़ी पाई को हटाकर दायें से बायें क्रम में लिखकर तथा अर्द्धअक्षर को ऊपर तथा नीचे पूर्ण अक्षर को लिखकर ऊपर नीचे क्रम में संयुक्ताक्षर बनाने की दो प्रकार की रीति प्रचलित है।

देवनागरी पर महापुरूषों के विचार

आचार्य विनोबा भावे संसार की अनेक लिपियों के जानकर थे उनकी स्पष्ट धारणा थी कि देवनागरी लिपि भारत ही नहीं संसार की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि हैं। अगर भारत की सब भाषाओं के लिए इसका व्यवहार चल पड़े तो सारे भारतीय एक–दूसरे के बिल्कुल नजदीक आ जायेंगे। हिन्दुस्तान की एकता में देवनागरी लिपि हिन्दी से अधिक उपयोगी हो सकती है। अनन्तभायनम अयंगार तो दक्षिण भारतीय भाषाओं के लिए भी देवनागरी की संभावना स्वीकार करते थे। सेठ गोविन्ददास इसे राष्ट्रीय लिपि घोषित करने के पक्ष में थे।

1. हिन्दुस्तान की एकता में लिपि हिन्दी भाषा का जितना काम देगी उससे बहुत अधिक काम देवनागरी लिपि दे सकती है– **आचार्य विनोबा भावे**
2. देवनागरी किसी भी लिपि की तुलना में अधिक वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित लिपि है – **सर विलियम जोन्स**
3. मानव मस्तिष्क से निकली हुई वर्णमालाओं में नागरी सबसे अधिक पूर्ण वर्णमाला है – **जान गिलक्राइस्ट**

विश्वलिपि के रूप में देवनागरी

बौद्ध संस्कृति से प्रभावित क्षेत्र नागरी के लिए नया नहीं है। चीन और जापान चित्रलिपि का व्यवहार करते हैं। इन चित्रों की संख्या बहुत अधिक होने के कारण भाषा सीखने में बहुत कठिनाई होती हैं। देववाणी की वाहिका होने के कारण देवनागरी भारत की सीमाओं के बाहर निकलकर चीन और जापान के लिए समुचित विकल्प दे सकती है। भारतीय मूल के लोग संसार में जहाँ–जहाँ भी रहते हैं वे देवनागरी से परिचय रखते हैं विशेषकर मारीशस, सूरीनाम, फिजी,

गुयाना, त्रिनिदाद, टोबैगो आदि के लोग। इस तरह देवनागरी लिपि न केवल भारत के अंदर सारे प्रांतवासियों को प्रेमबंधन में बांधकर सीमोल्लंघन कर दक्षिण–पूर्ण एशिया के पुराने वृहत्तर भारतीय परिवार को भी ''**बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय**'' अनुप्राणित कर सकती है तथा विभिन्न देशों को एक अधिक सुचारु और वैज्ञानिक रूप प्रदान कर विश्व नागरी की पदवी का दावा इक्कीसवीं सदी में कर सकती है। उस पर प्रसार लिपिगत साम्राज्यवाद और शोषण का माध्यम न होकर सत्य, अहिंसा, त्याग संयम जैसे उदात्त मानवमूल्यों का संवाहक होगा। असत से सत तमस से ज्योति तथा मृत्यु से अमरता की दिशा में देवनागरी एक भारतीय लिपि है। जिसमे अनेक भारतीय भाषाएँ तथा कई विदेशी भाषाएँ लिखी जाती हैं।

निष्कर्ष

उपर्युक्त सम्पूर्ण विवेचन के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि देवनागरी लिपि समस्त लिपियों में सम्पूर्ण मानव समाज की अभिव्यक्ति को सरल सहज बनाती है। इस लिपि के माध्यम से हिन्दी ही नहीं अन्य समस्त भारतीय एवं विदेशी भाषाएं पल्लवित तथा पुष्पित हो रही हैं इसका व्याकरणिक ढांचा तथा उच्चारण और लेखन में पारदर्शिता इसे अन्य समस्त लिपियों में श्रेष्ठ बनाती है। इस लिपि की अभिव्यक्ति क्षमता अन्य लिपियों से अधिक उपयुक्त और भाषायी आधार पर भी सटीक है। अतः यह कहना उचित है कि देवनागरी लिपि समस्त भारतीय ही नहीं विदेशी भाषाओं के लिए भी सेतु लिपि के रूप में अपने को उपस्थित करती है।

❐

सन्दर्भ –

1. *हिन्दी उद्भव विकस और रूप, हरदेव बाहरी पृ. 247–263*
2. *हिन्दी भाषा का विकास प्रो रामकिशोर शर्मा पृ. 161–172*
3. *राजभाषा हिन्दी लेखक–भोलानाथ तिवारी पृ. 7–8*
4. *https://www.setumag.com*
5. *https://www.gorbhanal.com*

पूर्वदेवा– *सामाजिक विज्ञान शोध पत्रिका*
वर्ष 29, अंक, 114–115, जुलाई–दिसम्बर, 2023 पृ. 116–124

UGC Care Listed Journal
ISSN 0974 -1100

भारत-चीन संबंध सभ्यतागत एवं सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य के विशेष सन्दर्भ में

करिश्मा
शोधार्थी, समाजशास्त्र एवं राजनीति विज्ञान विभाग, समाज विज्ञान संकाय
दयालबाग एजुकेशनल इन्स्टीट्यूट, (डीम्ड यूनिवर्सिटी), दयालबाग, आगरा
E-mail : Skarishma353@gmail.com, Mob. 7983285728

सारांश

भारत और चीन प्राचीन काल से एशिया में सभ्यतागत एवं सांस्कृतिक आदान–प्रदान के मार्ग का नेतृत्व करने वाले विशाल राष्ट्र हैं। दोनो देश प्राचीन संस्कृतियों के प्रमुख एवं प्रचलित पालन–पोषण कर्ता के रूप में मुखरित हुये। दोनों राष्ट्रो के लोगो ने ऐतिहासिक काल से ही शानदार सांस्कृतिक उपलब्धियॉं सृजित की, जिसने मानव सभ्यता के विकास के इतिहास में एक गौरवशाली अध्याय जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य किया। हालाकिं दोनो राष्ट्रो के मध्य सभ्यतागत और सांस्कृतिक विभिन्नतायें होने के पश्चात भी इन्होने एशिया में एकता की भावना को दर्शाया। उपलब्ध तथ्यों के आधार पर यह लेख इस बात का विश्लेषण करता है, कि विभिन्न प्रकार की सभ्यतागत एवं सांस्कृतिक विशेषताओं के बाद भी विशाल एशियाई राष्ट्रों ने एक दूसरे को प्रभावित किया और सांस्कृतिक आदान–प्रदान की कढ़ी को समय–समय पर मजबूत किया। इस लेख का मुख्य उदेद्श्य भारत और चीन के मध्य सांस्कृतिक सम्बन्धों की गहराई और विविधता को उजागर करना है। प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक के भारत और चीन के बीच सांस्कृतिक संबंधों के विकास का कालानुक्रमिक सर्वेक्षण करना है।

मुख्य–शब्द : भारत–चीन, प्राचीन, सभ्यता, संस्कृति, इतिहास, आदान–प्रदान, एकता

प्रस्तावना

भारत और चीन दोनों कि प्राचीन सभ्यतायें हैं, और यह निकट पड़ोसी राष्ट्र है, जिनके मध्य 2,000 से अधिक वर्षों से लोगों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध और सांस्कृतिक आदान–प्रदान रहा है। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के प्राचीन भारतीय साहित्य एवं महान महाकाव्यों में जैसे महाभारत और रामायण में चीन और भारत के मध्य सांस्कृतिक संपर्क के प्रारम्भ का वर्णन किया गया है। Sin शब्द की उत्पत्ति प्राचीन भारतीय संस्कृत के Cina शब्द से हुई है।[1] इसके अतिरिक्त

भारतीय राजनितिज्ञ कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्व ग्रन्थ अर्थशास्त्र के अर्न्तगत cina (यानी चीन शब्द का एक से अधिक बार प्रयोग किया जाना दोनो राष्ट्रों के मध्य गहन सम्पर्क को दर्शाता है।[2] इस अवधि के दौरान, भारत और चीन के बीच सांस्कृतिक संबंधों का आदान–प्रदान विभिन्न स्तरों के माध्यम से किया जाता था। राजनीतिक, कूटनीतिक एवं लोगों से लोगों के मध्य संपर्क से संबन्धित थे, इसी अनक्रम में आध्यात्मिक आदान–प्रदान स्थापित हुये। यह विश्व में सांस्कृतिक आदान–प्रदान के इतिहास का एक अनूठा उदाहरण है। जिसने भारत–चीन के सांस्कृतिक संपर्कों के आधार पर दोनो राष्ट्रों के मध्य मैत्रिक संम्बन्धों के इतिहास को विकसित किया। दोनो राष्ट्र शैक्षणिक और सांस्कृतिक विरासत से प्रेरित हुऐ। दोनों देशों के बौद्ध भिक्षुओं एवं राजनीतिक दूतों के जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के अनुभवों को साझा किया, और अनेक विद्वानों ने हजारों वर्षों तक दोनों देशों के बीच घटकों को समझने और प्रचार करने के लिए अपना सम्पूर्ण जीवन समर्पित किया। ऐतिहासिक संबंधों के माध्यम से राजनयिक संबंधों की स्थापना से पूर्व व्यापारिक आदान–प्रदान कि प्रक्रिया की स्थापना की ,जिसने दोनो राष्ट्रो को एक निश्चित दिशा प्रदान करने का कार्य किया। जिसके परिणमस्वरूप भारत और चीन एशिया के सबसे प्राचीन मित्र राष्ट्र के रूप मे मुखरित हुये।[3]

भारत–चीन सम्बन्धों के मध्य सभ्यतागत समानतायें

भारत–चीन एशिया कि प्राचीनतम एवं प्रसिद्ध सभ्यताऐं हैं। जिनके मध्य सम्बन्धों की भाुरूआत उनकी विकसित सभ्यता एवं सांस्कृतिक आदान–प्रदान के आधार पर स्थापित हुई हैं। दोनों राष्ट्रो की सभ्यताऐं दक्षिण एशिया के उपमहाद्वीपीय देश होने के साथ विश्व की सबसे प्रसिद्ध व प्राचीन सभ्यतायें है। जो स्वतंन्न रूप से विकसित हुई।[4] दोनो देशों कि सभ्यताओं ने विभिन्न क्षेत्रो में एक दूसरे से ज्ञान के आदान–प्रदान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ऐतिहासिक रूप से भारतीय सिन्धु घाटी सभ्यता एवं प्राचीन चीनी शू सभ्यता ने प्राचीन एशियाई सभ्यता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, हालांकि यह दोनो सभ्यताऐं दूरस्थ स्थनों पर विकसित एवं सभ्यताओं के मध्य विकास अवधि में विभिन्नता होने के फलस्वरूप इनके मध्य विभिन्न प्रकार की असमानताऐं विद्यमान होने के साथ ही साथ समान विशेषताऐं भी पायी जाती है, जैसे उनकी अर्थव्यवस्थाऐं (जो कि खेती पर आधारित थी)। प्राचीन समय में विकसित दोनो सभ्यताओं ने विश्व की प्राचीन कृन्निम सिचांई प्रणाली व्यवस्था का निर्माण किया, इसके अतिरिक्त प्रसिद्ध नगर भी सभ्यताओं की एक समान विशेषता को दर्शाते है।[5] भारतीय सिन्धु घाटी सभ्यता और प्राचीन चीनी शू सभ्यता ने सभ्य समाज की आधारभूत संरचना का प्रतिनिधित्व किया और इसके साथ ही अर्थव्यवस्था का विकास भी किया। नगर की आर्थिक समृद्धि पर बल देते हुऐ विशाल जल संरक्षण परियोजनाओं का निर्माण किया। भारतीय सिन्धु घाटी सभ्यता और चीनी शू सभ्यता के मध्य मानसून सत्र सम्बन्धित समानताऐं विद्यमान थी । इन सभ्यताओं ने मानसून सम्बन्धित परिवर्तनों के कारण होने वाली हानियों से मुक्ति पाने के लिये एक व्यवस्थित सुझाव की आवश्यकता पर बल दिया। भारतीय सिन्धु द्याटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो और प्राचीन चीनी शू सभ्यता में चेंगडू भूमि पर बड़े स्तर पर जल संरक्षण परियोजनाऐं विद्यमान थी। यह बाढ़ को नियन्त्रण करने में सहायक थी। विशेष रूप से चेंगडू की भूमि पर जल संरक्षण परियोजनाओं का निर्माण बाढ़ को नियन्त्रण और सिचांई के लिये किया गया था। इसके अतिरिक्त इन राष्ट्रों

के मध्य आध्यत्मिक एवं सांस्कृतिक सम्बन्धों कि शुरूआत में, दोनो देश एक दूसरे को सभ्यतागत एवं सांस्कृतिक आदान–प्रदान के कारण एवं एशिया में भाक्ति में वृद्धि और एकता के निर्माण के आधार पर वि व में प्रसिद्ध हुऐ।[6]

सांस्कृतिक आधार पर भारत–चीन सम्बन्धों का ऐतिहासिक परिदृश्य

भारत–चीन के मध्य आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक सम्बन्धों की भुरूआत प्रथम ईसा पूर्व से ही प्रारम्भ हुई है। प्राचीन भारतीय महान ग्रन्थ महाभारत के अन्तर्गत चीनाशुंक (रेशम वस्त्र) का वर्णन किया गया है जो दोनो राष्ट्रों के मध्य सम्बन्धों को दर्शाता है। प्रसिद्ध भारतीय हिन्दी साहित्यकार कालिदास के साहित्य में दोनो राष्ट्रों के सम्बन्धों का उल्लेख किया गया है।[7] प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व कांची नरेशो ने चीन के साथ सम्बन्ध स्थपित करने हेतु हांनवंश की राजसभा में अपने राजदूत भेजे, इसी के फलस्वरूप चीनी सम्राट वॉगकिंग ने कांची नरेश के लिये बहुमूल्य उपहार भेजे इसी आदान–प्रदान की प्रक्रिया के आधार पर दोनो राष्ट्रों के सम्बन्ध विकसित हुऐ। द्वितीय शताब्दी के अन्तर्गत चीन और दक्षिण भारत के बीच आध्यत्मिक एंव सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित हुये। 65 ई. में दोनों देशों के मध्य शैक्षणिक सम्बन्ध स्थापित करने में प्राचीन भारतीय नालन्दा विश्व विद्यालय ने अहम भूमिका निभाई, इस शैक्षणिक संस्थान कि शिक्षा पद्धति, पाठन कार्ययशैली एवं अध्ययन विधि से प्रभावित होकर चीनी यात्री मेगस्थनीज, फाह्यान और हवेनसांग भारत शिक्षा ग्रहण करने आये और यहॉ कि शिक्षण पद्धति से प्रभावित होकर उन्होनें दस वर्ष तक स्थाई रूप से शिक्षा ग्रहण की । इत्सिगं नामक चीनी यात्री प्राचीन भारतीय ग्रथों से प्रभावित होकर यहॉ से 400 सांस्कृतिक ग्रथों को चीन ले जाने वाला प्रथम व्यक्ति था। इसी काल में चीनी शिक्षा ग्रहण करने हेतु चीन कि यात्रा करने वाले भारतीय विद्यर्थियों के सन्दर्भ में कश्यप मांतग और धर्मरत्न के नाम प्रमुख है। चीन में 68 ईसवी में लुओयांग की हान राजधानी में पहला बौद्ध मन्दिर दो भारतीय बौद्ध भिक्षुओं कश्यप मांतग और धर्मरन्त के आगमन पर स्थापित किया गया था, जिसका नाम व्हाइट हार्स मन्दिर रखा गया।[8] 136 ईसा पूर्व चीनी पंडित चाङ छियेन द्वारा आर्थिक सम्बन्ध स्थापित हेतु कागज, बाँस, एवं कपड़े इत्यादि वस्तुऐं भारत लाई गयी। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व प्रसिद्ध भारतीय कूटनीतिज्ञ कौटिल्य द्वारा रचित महानतम कृति अर्थशास्त्र के अन्तर्गत चीन पट्ट (रेशमी वस्त्र) का वर्णन किया गया है। इसके माध्यम से भारत–चीन के सम्बन्धों को व्यापारिक सन्दर्भ में वर्णित किया गया है। प्राचीन काल में रेशम का कपड़ा भारत में अत्यधिक बिकने वाली वस्तु मानी जाती थी, इसके अतिरिक्त चीन कच्चा रेशम,रेशम के धागे, और रेशम को भारत में निर्यात करता था।[9] 364–417 ई. में भारत और चीन के मध्य सांस्कृतिक सम्बन्धों को विकसित करने का श्रेय बौद्ध भिक्षू कुमारजीव के जाता है। यह इतिहास का वह काल था जिसमें भारतीय चिकित्सा, कला, स्वरविज्ञान, इत्यादि का चीन में प्रवेश प्ररम्भ हुआ।[10] छटी शताब्दी में चीन एवं भारतवर्ष के मध्य व्यापारिक रूप से प्रति वर्ष प्रचुर मात्रा में मोती, शंख, तथा हाथी के दॉत इत्यादि वस्तुओं को चीन भेजा जाता रहा। सातवीं शताब्दी में कांची नरेश के राजगुरू बृजभूमि ने अपने शिष्य अभोधवर्ष के साथ चीनी यात्रा के दौरान उन्होने चीन मे तन्त्र यान स्थापित किया। 399 ई में फाह्यान नामक चीनी बौद्ध भिक्षु ने भारतीय पश्चिमी क्षेत्रो एवं सिन्धु प्रदेश की यात्रा के दौरान तीन वर्ष तक तत्कालीन भारतीय स्थानीय भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया और बौद्ध ग्रन्थों का

अध्ययन एवं बौद्ध धर्म कि चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला इत्यादि ने इसको प्रभावित किया। 629 ईसवीं में हूवेनाचाङ चीनी यात्री जिसका भारतीय साहित्य में हूवेनसाङ नाम से उल्लेख किया है।[11] यह भारतीय दर्शनशा़स्त्र एवं योगशास्त्र का अध्ययन हेतु भारत आया इसके अतिरिक्त इसने तक्षशिला प्रदेश के स्त्रोतो, धार्मिक ग्रन्थों के साथ ही कश्मीर के फल फूलों का ज्ञान अर्जित किया, इसके तत्पश्चात् पूर्वी पंजाब में स्थित चीन मुक्ति स्थल पर इसने 14 मास तक निवास किया। वहां उसने बौद्ध विद्वानों से धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया। इसके उपरान्त उसने मथुरा, कन्नौज, अयोध्या, प्रयाग, कौशाम्बी, कपिलवस्तु, वाराणसी, वैशाली, मगध आदि भारतीय राज्यों का भ्रमण किया। 641 शताब्दी में दोनों राष्ट्रों के मध्य पहली बार रातनीतिक सम्बन्ध स्थापित हेतु। भारत द्वारा एक सद्भावना प्रतिनिधि दल चीन भेजा गया इसके फलस्वरूप थाङ राजवंश द्वारा एक प्रतिनिधिमण्डल सिन्धु देश आया। इसी आदान–प्रदान की प्रक्रिया ने दोनों देशों के मध्य रणनीतिक सम्बन्धों को विकसित किया। इसके अतिरिक्त चीन ने भारतीय चिकित्सा–विज्ञान, खगोल–विज्ञान, पंचागं–विज्ञान ,भाषा शास्त्र और संगीत–शास्त्र का ज्ञान अर्जित के फलस्वरूप भारतवर्ष को कागज और अनेक उत्पादन कि विधियों का ज्ञान कराया। प्रसिद्ध भारतीय विद्वान धर्मक्षेप से प्रभावित होकर उत्तरी चीन के राजा हुण ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया इस के अतिरिक्त 8 वीं शताब्दी से 12 वीं शताब्दी के अन्तर्गत चोलवंश के शासको ने चीन के साथ व्यापारिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक संबंध बनाये रखे। दोनो राष्ट्रो के मध्य कूटनीतिक सम्बन्धों को पुनः स्थापित करने के लिये भारतीय सम्राट हर्षवधन ने चीन में अपना राजदूत भेजा, इसके पश्चात 720 ईसवीं में पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन ने चीन के साथ कूटनीतिक सम्बन्ध को बनाने रखने के लिये चीन में एक दूत भेजा इस के फलस्वरूप चीनी दूत पल्लव राजसभा में आया।[12] 14वीं शताब्दी में भारत–चीन के मध्य राजनीतिक एवं व्यापारिक आयामों के रूप में निरन्तर सम्बन्ध विकसित हुऐ। 15 वीं ईश्वीं में भारत–चीन सम्बन्धों के इतिहास को महत्वपूर्ण अवधि के रुप में वर्णित किया गया है। इस काल में दोनो देशों के मध्य आयात–निर्यात मुख्यतय भूमिगत आधार पर किया जाता था। इसके अतिरिक्त सम्बन्धों को सुदृढ बनाने हेतु इन राष्ट्रों ने अपनी स्थानीय परिस्थितियों, रीति रिवाजो और घार्मिक संस्कृतियों से सम्बन्धित ज्ञान एवं संवादों का आदान–प्रदान किया।[13] 18 वीं शताब्दी में दोनों राष्ट्रों के मध्य व्यापारिक सम्बन्ध विकसित करने में साम्राज्यवादी अंग्रेजी सरकार कि महत्वपूर्ण भूमिका रही। जिन्होनें भारत में बने सूती कपडे तथा चांदी के बदले में चीन से रबड, चाय, सोयाबीन, चीनी मिट्टी के वर्तन आदि वस्तुयें खरीदते थे। इस काल में भारत–चीन को मध्य बड़ी मात्रा में अफीम एवं तम्बाकू निर्यात करता था। इसी आयात–निर्यात कि प्रक्रिया के आधार पर दोनों राष्ट्रों के मध्य व्यापारिक सम्बन्ध भी स्थापित हुऐ।[14]

भारत–चीन सम्बन्धों के मध्य टैगोरवादी दृष्टिकोण

20 वीं शताब्दी में भारत–चीन के मध्य सांस्कृतिक और सभ्यतागत, शैक्षणिक सम्बन्धों को प्रोत्साहित एवं निरन्तर विकसित करने में नोबेल पुरस्कार विजेता एवं भारतीय साहित्यकार, प्रसिद्ध कवि रविन्द्रनाथ टैगोर का अद्वितीय एवं महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आधुनिक युग में, कवि और दार्शनिक रवीन्द्रनाथ टैगोर का चीन पर सबसे अधिक प्रभाव था। टैगोर को 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसी घटना के पश्चात चीनी

साहित्यिकारों का टैगोर के प्रति आकर्षण विकसित होने लगा। इसके फलस्वरूप चीन में टैगार के साहित्य का चीनी भाषा में अनुवाद भी किया गया। 25 अप्रैल से मई 1924 टैगोर चीन की 50 दिवसीय चीनी यात्रा के लिये गये। प्रसिद्ध चीनी वौद्धिक लियांग किवकों ने प्रसिद्ध साहित्यकार टैगोर की चीन में दार्शनिक दृष्टिकोण की सराहना और प्रशंसा के साथ स्वागत किया गया। इस अवधि के दौरान, उन्होनें हांगकांग, शंघाई, हांग्जो, नानजिंग, जिनान, बीजिंग, ताइयुआन और हाइकोउ अनेको चीनी शहरों का भ्रमण किया। इसके साथ ही भारत–चीन के बीच संस्कृतिक सम्बन्धों को उजागर करते हुऐ लियांग ने दर्शनशास्त्र, साहित्य, संगीत, वस्तुकला, खगोल विज्ञान, और चिकित्सा आदि चीनी संस्कृति के विभिन्न क्षेत्रों से भारत को अवगत कराया।[15] टैगोर की इस यात्रा ने दोनो देशों के मध्य अटूट मित्रता एवं भाईचारे कि भावना को विकसित करने के साथ आपसी तालमेल एवं सहयोग पर बल दिया। इस यात्रा के दौरान चीन ने अनेक भारतीय विद्वानों एवं कलाकारों को आमन्त्रित किया, जिसके आधार पर दोनो राष्ट्रों के लोगों के मध्य पारस्परिक समझ में वृद्धि को विकसित किया। टैगोर की चीनी यात्रा ने एशिया के ऐतिहासिक एवं मनोवैज्ञानिक एकता के विचार को मजबूत किया एवं विश्व के सभी राष्ट्रों को प्रभावित किया।[16] उन्होंने प्रसिद्ध चीनी विचारकों, लेखकों और कलाकारों के साथ गहरी मित्रता विकसित की। विशेष रूप से कवि जू झिमो के साथ, जिन्होंने उनके अनुवादक के रूप में काम किया, टैगोर की इस यात्रा ने दोनो देशों के मध्य एक स्थायी मित्रता को विकसित किया। चीनी बुद्धिजीवियों, लेखकों और कलाकारों का टैगोर पर और चीन के साथ उनकी आत्मीयता की भावना पर गहरा प्रभाव पड़ा।, जिनमें गुओ मोरुओ, झी बिंगक्सिन, झेंग झेंदुओ, वांग तोंगझाओ और जू झिमो शामिल हैं। चीन में टैगोर और उनकी कविता के प्रति रुचि और सराहना आज भी निरतंर जारी है।[17]

टैगोर ने साहित्यकला एवं आधुनिक शिक्षा प्रणाली के माध्यम से चीन को प्रभावित किया और दोनों राष्ट्रों के सम्बन्धों को सुदृढ हेतु अपने प्रसिद्ध उच्च शिक्षण संस्थान एवं विश्व विख्यात विश्वविधालय विश्व भारती के अन्तर्गत वैश्वीकरण और तकनीक के आधार पर आधुनिक शिक्षा में प्रबन्धन शिक्षा एवं वैकल्पिक शिक्षा के निर्माण के साथ चीनी संस्कृति और ज्ञान को एकीकृत के आधार पर चीन के साथ विशेष सम्बन्धों को साझा किया। टैगोर द्वारा स्थापित विश्व भारती ने भारतीय विशिष्टता को परिलक्षित किया और मानवतावाद पर आधारित ,अंतराष्ट्रीय फैलोशिप की स्थापना की। टैगोर ने विश्व भारती के अन्दर चीनी भवन का निर्माण किया,[18] जिसने भारत–चीन के मध्य विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर सांमजस्य एवं सहभागिता कि भावना को बनाये रखा। इसके साथ ही सम्बन्धों को सुदृढ बनाये रखने के लिये मानवतावादी अवधारण एवं शान्ति पर बल दिया।[19] भारत के प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार विजेता रवींद्रनाथ टैगोर ने आधुनिक समय में भारत और चीन के बीच सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान–प्रदान में अग्रणी भूमिका निभाई। टैगोर की महान मित्रता और चीन के लोगों के लिए गहरा प्रेम उनकी 1924 की चीन यात्रा के दौरान देखा गया था। 1937 में शांतिनिकेतन में चीन भवन की स्थापना भारत–चीन सांस्कृतिक और शैक्षिक सहयोग के सफल प्रतिनिधित्व का प्रतीक है।[20]

21 वीं शताब्दी में भारत–चीन के मध्य सांस्कृतिक सम्बन्ध

दोनो राष्ट्रों ने अपनी ऐतिहासिक विरासत से प्राप्त सांस्कृतिक संबंधों को बनाये रखने के लिये सकारात्मक दृष्टिकोण का सहारा लिया। सांस्कृतिक संबंधों के मध्य निरन्तरता को

बनाये रखने हेतु भारत–चीन के द्वारा विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों को आयोजन किया गया, इसी अनुक्रम में सांस्कृतिक संबंधों कि कढ़ी को बनाये रखने हेतु व्हाइट हॉर्स टेम्पल परिसर के अंदर लुओयांग, हेनान प्रांत में एक बौद्ध मंदिर का निर्माण किया, इसे भारतीय भिक्षुओं कश्यप मतंगा और धर्मरत्न के सम्मान में स्थापित किया गया, इस मंदिर का उद्घाटन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने अपनी चीन यात्रा के दौरान किया इस यात्रा ने दोनों देशों के सांस्कृतिक संबंधों को पुनर्जीवित करने का कार्य किया।[21] तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री डॉ.मनमोहन सिंह और चीनी प्रधानमंत्री ली केकियांग की यात्रा को भारत और चीन के बीच मैत्रीपूर्ण आदान–प्रदान के रूप में नामित किया गया है। इसको चिह्नित करने हेतु 2014 में चीन के बारह शहरों में भारतीय प्रदर्शन कलाओं, आधुनिक भारतीय कलाओं की प्रर्दशनियों, दोनों देशों के बीच बौद्ध धर्म संबंधों के चित्रण, भोजन और फिल्म समारोहों का प्रदर्शन करते हुए भारत की झलक महोत्सव का आयोजन किया। भारत सरकार के आयुष विभाग की साझेदारी में जुलाई, 2014 के महीने में बीजिंग, शंघाई में योग महोत्सव आयोजित किए गऐ। दोनो राष्ट्रों के प्रमुखों ने भारत–चीन सांस्कृतिक संपर्कों के विश्वकोश के संकलन से जुड़ी परियोजना पर सहमत व्यक्त की। भूतपूर्व उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी की 30 जून, 2014 की चीनी यात्रा के दौरान भारत–चीन सांस्कृतिक संपर्कों का विश्वकोश अंग्रेजी और चीनी दोनों संस्करणों को जारी किया गया। इस विशाल विश्वकोश की 700 से अधिक प्रविष्टियाँ हैं, जो दोनों देशों के मध्य विभिन्न प्रकार के संपर्कों और आदान–प्रदान के समृद्ध इतिहास को साझा करती हैं। जिसके अर्न्तगत व्यापार, आर्थिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक और दार्शनिक इत्यादि विशयों का संक्षिप्त वर्णन किया गया है।[22] मई 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा के दौरान, स्वर्ग के मंदिर के विश्व धरोहर स्थल में एक योग–ताइची प्रदर्शन प्रीमियर ली केकियांग और प्रधान मंत्री द्वारा देखा गया। इसी यात्रा के अर्न्तगत युन्नान प्रांत के कुनमिंग में एक योग कॉलेज की स्थापना करने हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गये। जून 2017 में, ग्रेट वॉल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विदेश राज्य मंत्री जनरल (डॉ) वीके सिंह (सेवानिवृत्त) के द्वारा भाग लिया गया। योग दिवस समारोह ने चीन के विभिन्न प्रमुख शहरों जैसे वुहान, किंगदाओ, गुइलिन, लुओयांग आदि को प्रभावित किया। अगस्त 2018 में संगीत, नृत्य और योग की साप्ताहिक कक्षाएं संचालित करने हेतु भारतीय दूतावास, बीजिंग के स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र (एसवीसीसी) का उद्घाटन किया गया, इसी अनुक्रम में अप्रैल 2018 में विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज की चीनी यात्रा के उपरान्त बीजिंग में प्रमुख हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया, इस सम्मेलन में चीन के विभिन्न विश्वविद्यालयों के शिक्षकों एवं छात्रों ने भाग लिया। हिंदी भाषा जानने में चीनी युवाओं को शामिल करने के लिए निबंध लेखन, कविता पाठ, भाषण प्रतियोगिता जैसी विभिन्न गतिविधियां का आयोजन किया गया। वर्तमान समय में शिक्षा के क्षेत्र में चीन निम्नलिखित विद्यापीठों का संचालन कर रहा है। भारत और चीन ने 2006 में शिक्षा विनिमय कार्यक्रम (ईईपी) पर हस्ताक्षर किए, जो दोनों देशों के बीच शैक्षिक सहयोग के लिए एक छात्र समझौता है। इन शैक्षणिक समझौतों ने दोनो राष्ट्रों के मध्य शिक्षा संबंधं में एक सकारात्मक भूमिका का निर्वहन किया है।[23] इस समझौते के तहत, एक दूसरे के देश में उच्च शिक्षा के मान्यता प्राप्त संस्थानों में, दोनों पक्षों द्वारा छात्रों को सरकारी छात्रवृत्ति प्रदान करने

का प्रवधान है। इसके अतिरिक्त, चीनी छात्रों को केन्द्रीय हिंदी संस्थान (केएचएस), आगरा में हिंदी का अध्ययन करने हेतु सालाना छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत वर्ष 2020–21 के लिए 6 चीनी छात्रों को आगरा में अध्ययन के लिये चुना गया। दोनों पक्षों के मध्य शिक्षा क्षेत्र में सहयोग के परिणामस्वरूप भारतीय छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई है। सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) द्वारा हिंदी में एक साल का सर्टिफिकेट कोर्स करने के लिए भारत द्वारा सम्मानित भी किया जायेगा है। इस योजना के तहत वर्ष 2014–15 के लिए भी 6 छात्रवृत्तियां प्रदान की गई । भारतीय प्रधानमंत्री मोदी और चीनी प्रधान मंत्री ली ने 15 मई 2015 को बीजिंग में योग–ताइची प्रदर्शन कार्यक्रम में भाग लिया। दोनों पक्षों ने 21 जून 2015 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से संबंधित कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक आयोजित करने हेतु मिलकर काम करने पर सहमती व्यक्त की। दोनो देशों के प्रमुख नेताओं ने भारत के सांस्कृतिक संबंध परिषद और युन्नान राष्ट्रीय विश्वविद्यालय मध्य सहयोग की भावना स्वागत किया। दोनों पक्षों के मध्य शिक्षा संस्थानों के आदान–प्रदान एवं सामाजिक–आर्थिक विकास में सकारात्मक भूमिका को निभाया। दोनों पक्षों ने सांस्कृतिक आदान–प्रदान की पहल में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। इस वर्ष की दूसरी छमाही में दोनों पक्षों के मध्य प्रत्येक पक्ष के 200 युवाओं का वार्षिक आदान–प्रदान किया गया। कर्नाटक और सिचुआन के बीच एक प्रांतीय साझेदारी स्थापित करने और औरंगाबाद–दुनहुआंग, चेन्नई–चोंगकिंग और हैदराबाद–किंगदाओ के बीच शहर संबंधों पर समझौतों का स्वागत किया गया। घनिष्ठ संवाद और आपसी समझ को बढ़ावा देने की दृष्टि से, दोनों पक्षों ने थिंक टैंक फोरम स्थापित करने का निर्णय लिया, जो भारत और चीन में बारी–बारी से वर्षिक बैठकों का आयोजन करायेगा। भारत के विदेश मंत्रालय और चीन के राज्य परिषद सूचना कार्यालय को भारत और चीन में बारी–बारी से वार्षिक आधार पर बुलाने का कार्य भी सौंपा गया है। दोनो राष्ट्रों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उठाये गये सकारात्मक कदमें ने अन्तराष्ट्रीय स्तर पर भारत–चीन संबंन्धो को अहम पहचान दिलाने का कार्य किया।[24]

भारत और चीनी सरकार के मध्य सांस्कृतिक कार्यक्रम 2019 से 2023 तक दोनो राष्ट्रों के प्रमुखों द्वारा 28 मई 1988 के सांस्कृतिक समक्षौते के अनुच्छेद 10 को पुनः ध्यान में रखते हुये निम्नलिखित सांस्कृतिक आदान–प्रदान के कार्यक्रमों पर सहमति व्यक्त कि गयी।

S भारत–चीन के मध्य सांस्कृतिक आदान–प्रदान हेतु मन्त्रिस्तरीय परामर्श तंत्र के आधार पर सांस्कृतिक अधिकारियों के बीच सक्रिय वार्तालाप और सहयोग को प्रोत्साहित करना।

S द्विपक्षीय सांस्कृतिक संबंधों को गति प्रदान करने हेतु सांस्कृतिक संस्थाओं के मध्य सहयोग की भावना को प्रवल करना। कला एवं सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और सुरक्षा करने के लिये सहयोग की भावना को प्रोत्साहित करना

S चीनी राष्ट्रीय कला अकादमी और भारतीय इन्दिरा गांधी कला केन्द्र के मध्य अकादमिक और कार्मिक आदान–प्रदान को बढ़ावा देना।

S दोनों राष्ट्र संग्रहालयों और पुरातत्व अनुसंधान के मध्य भोक्षणिक एवं कार्मिक आदान–प्रदान करने हेतु सहयोगात्मक कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करेगें।

S चीन की राष्ट्रीय चित्रकला अकादमी और भारत की ललीत कला अकादमी के मध्य आदान–प्रदान करने हेतु पहल की जायेगी।

S दोनों राष्ट्रों के प्रमुख वर्षगॉठों, त्योहारों एवं अवसरों को बनाने हेतु व्यापक सांस्कृतिक उत्सवों, समारोहो की प्रस्तुति को प्रोत्साहित करेंगे।[25]

निष्कर्ष

निष्कर्ष के आधार पर कहा जा सकता है, कि प्राचीन काल से चीन और भारत के मध्य सांस्कृतिक एवं राजनीतिक संपर्क विद्यमान रहे है। सांस्कृतिक क्षेत्र में यह अधिकाशं एक तरफा आदान–प्रदान का मार्ग हुआ करता था, परन्तु बौद्ध धार्मिक एवं सांस्कृतिक प्रभाव के परिणमस्वरूप मध्य एशिया के माध्यम से चीन में प्रसारित हुआ। पहली, दूसरी और तीसरी शताब्दी के दौरान कई बौद्ध तीर्थयात्रियों और विद्वानों ने ऐतिहासिक रेशम मार्ग के माध्यम से चीन की यात्रायें की। काश्यप मतंगा और धर्मरत्न ने लुओयांग में व्हाइट हॉर्स मठ को अपना निवास स्थान बनाया। कुमारजीव, बोधिधर्म और धर्मक्षेम जैसे प्राचीन भारतीय भिक्षु–विद्वानों ने चीन में बौद्ध धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसी अनुक्रम में चीनी तीर्थयात्रियों ने भी भारत की अनेकों यात्रायें की, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध फाहियान और जुआन जांग के नाम प्रमुख हैं। वास्तव में, प्राचीन काल से दोनो देशों ने एक–दूसरे के प्रति सांस्कृतिक संबंधों की स्पष्ट धारणा को विकसित किया, जो कई मायनों में न केवल सांस्कृतिक क्षेत्र में बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी सहयोग की भावना को प्रोत्साहित करती, साथ ही, सांस्कृतिक सहयोग की इस रेखा ने अन्य क्षेत्रों में भी दोनों देशों के मध्य उत्पन्न हुए अंतर्विरोधों को कुछ हद तक कम करने कार्य किया। दोनों देशों के नागरिकों के बीच व्यक्तिगत संपर्क और मीडिया क्षेत्र के बढ़ते महत्व के कारण आपसी समझ को अत्यधिक महत्व दे रहे है। विगत वर्षो में भारत–चीन के मध्य सांस्कृतिक संबंधों में तीव्रता का अधिक विस्तार हुआ है। दोनों पक्षों ने लोगों से लोगों के आदान–प्रदान के साथ व्यापक मुद्दों पर सहयोग को अत्यधिक महत्व दिया जा रहा है, जो हमारे द्विपक्षीय सांस्कृतिक संबंधों का एक महत्वपूर्ण पहलू बन कर मुखरित हुआ है। दोनों पक्ष ऐसे संपर्कों के विस्तार के महत्व को स्वीकार करते हैं, जिससे आपसी समझ को विकसित किया जा सके। विश्व के अन्य राष्ट्रों की अपेक्षा भारत और चीन के संबंधं दो हजार से अधिक वर्षों के साझा इतिहास का प्रदर्शन करते है इसी कड़ी को निरन्तर बनाये रखने के लिये दोनो राष्ट्रो ने सांस्कृतिक संपर्कों एवं साहित्य में एक महत्वपूर्ण योगदान होने के कारण विश्वकोश का प्रकाशन किया। यह दोनो देशों के सम्पूर्ण इतिहास को अर्न्तराष्ट्रीय पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण कार्य करेगा।

❒

सन्दर्भ –

1. *Yu, Duan (2016) चीनी सिल्क के पश्चिम प्रसारण का खुलासा, सम्पादक, पारमिता मुखर्जी, भारत और चीन इतिहास, संस्कृतिक, सहयोग और प्रतिस्पर्धा New Delhi: Sage Publicaltions, p.18*
2. *Ministery of External Affairs,(2014): "Encyclopedia of India-China cultural contacts" Available at https://mea.gov.in/images/pdf/India-ChinaEncyclopedia_Vol-1.pdf, pp 3,4,14,37,45*
3. *Shavlay, Ellina (2021): "India-China Relation Cultural Aspect'' available at https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3949510*
4. *Guanxi,(2009): "india china relation" ; berkshine publishing group, p.1143*

5. Brown,Dale (2002)-"Ancient India: Land of Mystery (Lost Civilizations)", Time Life Medical, Beijing, pp.40-44
6. ल्पुपदह र्एवन (2016) सिन्धु सभ्यता और प्राचीन शू सभ्यता एक तुलनात्मक अध्ययन सम्पादक, पारमिता मुखर्जी, भारत और चीन इतिहास, संस्कृतिक, सहयोग और प्रतिस्पर्धा Sage Publicaltions, New Delhi, P.6
7. परूथी,आर के, भण्डारी, दीपा; 2015, चीन का इतिहास, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, पृ. 5
8. जीनी, सी. ई. ;2008, चीन का इतिहास, वाणी प्रकशन, नई दिल्ली, पृ.11,12,13
9. Ibid2p.3
10. Ibid8,p.12
11. Ibid2,p.4
12. Ibid8,p.13
13. Ibid,14
14. Ibid2,p.37-45
15. Bennis and O'toole ,(2005): "How business schools lost their way" Harvard business review 83, p.96.
16. Sen,Tansen , (2018) : ''India-China,and the World a Connected History'' New Delhi; oxford university press, pp.1-4,294
17. Ibid2,p.14
18. Ibid16,p.294
19. Gupta, Das (2011): "Sino-India Studies at Visva-Bharti University ;Story of Cheena Bhavan 1921-1937'.In Tagore and China Eds Tan Chaung , Amiya dev, Wang Bangwei and Wei Liming" New delhi ; sage publication, p.71
20. Chuang ,Tan ,(2011): "Introduction'. In Tagore and China" New Delhi; SAGE Publication.
21. Ministry of External Affairs, (2014): "India-China Relations" Available at https://www.mea.gov.in/Portal/ForeignRelation/China_Jan_2014.pdf, pp 3-5
22. Ministry of External Affairs, (2020): "India–China Bilateral Relation" available at https://mea.gov.in/Portal/ForeignRelation/ind-china-new.pdf
23. Bilateral Brief, Embassy of India,(2021):Available at https://www.eoibeijing.gov.in/eoibejing_pages/MjY,
24. Ministry of External Affairs, (2017): "India-china Bilateral Relations" Available at https://mea.gov.in/Portal/ForeignRelation/ind-china-new.pdf
25. Ministry of cultural,(2019):"Programme of Cultural Exchange Between the Government of the Republic of India and the Government of the people's Republic of China for the Years 2019-2023" Availableat https://www.indiaculture.gov.in/sites/default/files/cultural_rel/China_CEP_2019_2023 10_02_2020.pdf

पूर्वदेवा– सामाजिक विज्ञान शोध पत्रिका
वर्ष 29, अंक, 114–115, जुलाई–दिसम्बर, 2023 पृ. 125–135

UGC Care Listed Journal
ISSN 0974 -1100

स्व-सहायता समूह के माध्यम से बालोदा जिले के डौण्डी लोहारा विकासखण्ड में ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक-सामाजिक सशक्तिकरण का अध्ययन

डॉ.एच.एस.भाटिया
विभागाध्यक्ष, वाणिज्य विभाग, शास. दिग्विजय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजनांदगाँव (छ.ग.)
ऋषि सिंह भाटिया
शोधार्थी, वाणिज्य विभाग, शास. दिग्विजय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजनांदगाँव
E-mail: rs1517773@gmail.com

सारांश

'प्रारंभ में महिलाओं का समूह से जुड़ने का प्रमुख कारण बचत करना था किन्तु अब महिलाएँ इससे कहीं आगे बढ़कर बचत के अलावा ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत् महिलाओं की समस्याओं तथा उनके निराकरण के उपाय से संबंधित मुद्दों एवं विशयों पर मंथन करने लगी हैं।[1] हमारे देश में कुल आबादी का लगभग पचास प्रतिशत महिलाएँ हैं। भारत देश में आबादी का तीन–चौथाई भाग ग्रामीण क्षेत्र में रहता है जिसमें महिलाओं की दशा अत्यन्त दयनीय है। 'स्वतंत्रता पश्चात् संविधान में लिंग भेद–भाव की सभी परंपराओं को दरकिनार करके नारियों को समान सहभागिता एवं समान अधिकार के अवसर प्रदान किये थे लेकिन नारियों द्वारा स्वयं की सामाजिक एवं राजनैतिक जागरूकता के अभाव के कारण अपने अधिकारों का उपयोग जमीनीं स्तर पर नहीं कर पा रही हैं।[2] परन्तु स्व–सहायता समूह से जुड़कर काफी हद तक ग्रामीण महिलाओं के व्यक्तित्व में चहुमुखी विकास संभव हुआ है। जो उन्हें सफलता के नए आयाम तक पहुँचाता है। 'समूहों में भाामिल होकर महिलाओं में साक्षरता एवं जागरूकता बढ़ी है एवं अब पारिवारिक निर्णय निर्माण में वे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।[3] स्व–सहायता समूह में भाामिल होकर ये महिलाएँ अनुभव तथा ज्ञान की धनी बनने के साथ–साथ समायोजन करने की क्षमता से परिपूर्ण बन गई हैं। इन समूहों से जुड़कर महिलाओं में अन्तर्चेतना जागृत हुई है जिसके फलस्वरूप महिला स ाक्तिकरण को पंख मिल गए हैं एवं उनमें स्वयं स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की क्षमता का विकास हुआ है। प्रस्तुत अनुसंधान में बालोद जिले के डौण्डी लोहारा विकासखण्ड में स्व सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण की वस्तुस्थिति को जानने की कोशिश की गई है।

मुख्य शब्दः– स्व–सहायता समूह, ग्रामीण महिलाएँ, महिला सशक्तिकरण

प्रस्तावना

महिलाओं को हाशिए में रखकर विश्व में किसी भी राष्ट्र की आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति संभाव्य नहीं है। महिलाओं का आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण करने के लिए यह अतिशय आवश्यक है कि महिलाओं को प्रगति की मुख्य धारा के साथ जोड़ा जाए। हमारे देश में कुल आबादी की आधी आबादी महिलाओं की है एवं कुल आबादी का 68 प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है। स्व–सहायता समूह से जुड़कर महिलाएँ न केवल आर्थिक, सामाजिक, मानसिक, राजनैतिक, प्रशासनिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से मजबूत बनी हैं बल्कि उनके आत्मविश्वास, गौरव, दक्षता, कौशल एवं स्वाभिमान में भी बढ़ोत्तरी हुई है। महिलाओं द्वारा एकजुट होकर आने वाली विपदाओं का सामना समूहगत एवं सहयोगात्मक क्रियाकलाप करके किया जाता है जिससे इन्हें अप्रत्याशित सफलता प्राप्त हुई है एवं इनका सशक्तिकरण संभव हो सका है।

शोध अध्ययन के उद्देश्य

(1) ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक–सामाजिक सशक्तिकरण में स्व–सहायता समूह की भूमिका का अध्ययन करना।

(2) महिला स्व–सहायता समूह के सदस्यों के आय में वृध्दि एवं आर्थिक अनुशासन में वृध्दि का अध्ययन करना।

(3) महिलाओं में स्वयं निर्णय लेने की क्षमता में वृध्दि का अध्ययन करना।

शोध की परिकल्पना

(1) स्व–सहायता समूह की सदस्य बनने के बाद महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण संभव हुआ है।

(2) स्व–सहायता समूह की सदस्य बनने के बाद महिलाओं का सामाजिक सशक्तिकरण संभव हुआ है।

(3) स्व–सहायता समूह की सदस्य बनने के बाद महिलाओं में आर्थिक अनुशासन बढ़ा है।

(4) स्व–सहायता समूह से जुड़ने के बाद महिलाओं में स्वयं निर्णय लेने की क्षमता में वृध्दि हुई है।

अध्ययन की परिसीमा

(1) अध्ययन के लिए बालोद जिले का चयन किया गया है।

(2) अध्ययन के लिए बालोद जिले के डौण्डी लोहारा विकासखण्ड को चयनित किया गया है।

(3) अध्ययन के लिए डौण्डी लोहारा विकसखण्ड से महिला स्व–सहायता समूह में कार्यरत् कुल 150 महिलाओं का चयन किया गया है।

(4) यह अध्ययन मात्र ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत् स्व–सहायता समूह की महिला सदस्यों तक सीमित है।

शोध अध्ययन का क्षेत्र

'प्रस्तुत अध्ययन का क्षेत्र छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिण में स्थित बालोद जिले के डौण्डी लोहारा विकासखण्ड का ग्रामीण क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के उपरान्त 1 जनवरी 2012 में इसे जिले के रूप में पहचान मिली। बालोद जिले का कुल क्षेत्रफल 3608.83 वर्ग कि.

मी. है एवं डौण्डी लोहारा विकासखण्ड का क्षेत्रफल 882.43 वर्ग कि.मी. है। 2011 की जनगणना के अनुसार डौण्डी लोहारा विकासखण्ड की कुल जनसंख्या 197411 है जिसमें 97098 पुरूष एवं 100313 स्त्रियाँ हैं एवं कुल जनसंख्या 197411 में शहरी जनसंख्या 6045 तथा ग्रामीण जनसंख्या 191366 है। यहाँ 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगाानुपात (प्रति हजार पुरूषों पर स्त्रियों की संख्या) 1033 है।[4]

शोध प्रविधि

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में बालोद जिले के डौण्डी लोहारा विकासखण्ड के ग्रामीण क्षेत्र में संचालित स्व–सहायता समूह की 150 महिला सदस्यों का चयन सरल दैव प्रणाली द्वारा किया गया एवं उनसे अनुसूची के माध्यम से प्राथमिक समंक एकत्रित किए गए हैं एवं निष्कर्ष प्रतिशतता पर आधारित हैं। पूर्व में इस विषय से संबंधित शोध कार्यों के आँकड़ों का द्वितीयक समंक के रूप में प्रयोग किया गया है।

न्यादर्श

इस अनुसंधान अध्ययन के लिए बालोद जिले के डौण्डी लोहारा विकासखण्ड में ग्रामीण स्तर पर कार्यरत् महिला स्व–सहायता समूह की महिलाओं को यादृच्छिक न्यादर्श विधि से चयनित किया गया है। इसके अन्तर्गत अनुसंधानकर्ता ने समस्या के समाधान के लिए 150 ग्रामीण क्षेत्र की महिला स्व–सहायता समूह में कार्यरत् महिलाओं का चयन न्यादर्श हेतु किया है। इससे प्राप्त परिणाम समग्र का पूर्णतः प्रतिनिधित्व करेंगे।

न्यादर्श का चयन

क्र.	चयनित गाँव का नाम	स्व–सहायता समूह में कार्यरत् ग्रामीण महिलाओं की कुल संख्या	चयनित स्व–सहायता समूह में कार्यरत् ग्रामीण महिलाओं की कुल संख्या
1	बटेरा	125	25
2	देवरी	171	40
3	खपरी	128	25
4	नाहन्दा	148	30
5	परसाडीह	140	30
	कुल योग	**712**	**150**

उपकरण

प्रस्तुत शोध अध्ययन में अनुसंधानकर्ता द्वारा स्व–निर्मित उपकरण अनुसूची–साक्षात्कार का प्रयोग किया गया है एवं तथ्यों को अनुसूची–साक्षात्कार के द्वारा एकत्रित किया गया है।

सांख्यिकीय उपचार

अनुसंधान का मूल आधार सांख्यिकी है। शोध प्रक्रिया हेतु चयनित न्यादर्शों के माध्यम से आँकड़ों को संकलित किया गया एवं उनका सांख्यिकीय विश्लेषण किया गया। प्रस्तुत शोध प्रबन्ध के अध्ययन हेतु प्रतिशत विधि का उपयोग समीक्षात्मक अध्ययन हेतु किया गया है। स्व–सहायता समूह के माध्यम से ग्रामीण परिवेश की महिलाओं के आर्थिक–सामाजिक

सशक्तिकरण का अध्ययन करने हेतु शोधकर्ता द्वारा स्व–निर्मित अनुसूची–साक्षात्कार को निर्मित किया गया है जिसमें अधिकांश प्रश्न वस्तुनिष्ठ हैं। इसके लिए एकत्रित आँकड़ों का सारणीयन करके प्रदत्तों से मिले समंकों का प्रतिशत निकाला गया है।

शोध साहित्य का पुनरावलोकन

(1) जायसवाल, एम. एवं शर्मा, (डॉ.) शुचि (2022) :– 'इनके अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के जाँजगीर–चांपा जिले में 50 महिला समूहों की सदस्यों से प्राप्त प्राथमिक समंकों के आधार पर स्व–सहायता समूह से जुड़ने के बाद 98ः महिलाओं में आत्मविश्वास की वृध्दि, 46ः सदस्यों को रोजगार की प्राप्ति, 82ः महिलाओं को अधिकारों की प्राप्ति एवं 100ः महिला सदस्यों की आर्थिक दशा में सुधार होना पाया गया है।'[5]

(2) शुक्ला, (डॉ.) एस.पी. एवं सोनी, जे.(2019) :– 'इसमें मध्यप्रदेश राज्य के उमरिया जिले में 50 उत्तरदाताओं को निदर्शन पध्दति से चयनित कर समंकों के विश्लेषण उपरांत बताया कि महिलाएँ ही समाज की धुरी हैं। धुरी के टूटने से समाज भी टूटकर बिखर जाएगा। इतिहास में सभ्यता के शिखर पर केवल वे ही समाज पहुँचे हैं जहाँ महिलाओं को उत्थान का अवसर प्रदान किया गया । इसके विपरीत जिस समाज द्वारा महिलाओं को दास बनाया गया वे स्वयं भी दास बन गए। अर्थात् नारियाँ समाज में अत्याज्य अंग हैं। आज उनकी आर्थिक. सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक स्तर पर उनकी महत्वपूर्ण भूमिका एवं आवश्यकता है। नारियों को बलशाली एवं सुदृढ़ बनाकर सुदृढ़ समाज की कल्पना की जा सकती है किन्तु इसके लिए नारियों को साक्षर बनाना आवश्यक है ताकि वे अधिकारों की जानकार बनकर समाज और राष्ट्र के विकास हेतु रीढ़ की हड्डी बनकर काम करें।'[6]

(3) जोसन, आर.पी.(2017) :– 'इनके द्वारा आन्ध्रप्रदेश राज्य के गुंटूर जिले से स्व–सहायता समूह की 792 महिला सदस्यों से समंक एकत्रित कर स्व–सहायता समूह के माध्यम से महिला सशक्तिकरण पर शोध अध्ययन किया गया जिसमें इन्होने पाया कि 31.06ः उत्तरदाता खाद्य प्रसंस्करण, 21.33ः सिलाई एवं रंगाई, 18.68ः डेयरी तथा पोल्ट्री, 17.92ः सदस्य विनिर्माण एवं 10.98ः सदस्य व्यापार एवं वाणिज्य से रोजगार प्राप्त कर रहे हैं।'[7]

(4) टाइगर, कैलाशा (2017) :– 'इन्होने राजनांदगांव जिले में 200 उत्तरदाताओं से व्यक्तिगत साक्षात्कार के माध्यम से एकत्रित आँकड़ों के आधार पर पाया कि स्व–सहायता समूह का सदस्य बनने के पूर्व पारिवारिक सदस्यों का ईलाज करवाने में निर्णय लेने की क्षमता 22ः सदस्यों को ही थी जो सदस्यता ग्रहण करने के पश्चात् बढ़कर 51.50ः हो गई। उन्होने यह भी बताया कि समूह से जुड़कर स्त्रियाँ समय का सदुपयोग करके आर्थिक एवं मानसिक स्तर पर आत्मनिर्भर हुई हैं।'[8]

(5) कुमार, आर. (2017) :– 'इन्होने रायपुर जिले में 200 स्व–सहायता समूह के महिला सदस्यों से प्राथमिक समंकों पर आधारित शोध में यह पाया कि ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 60ः आबादी सामाजिक स्तर पर पिछड़ी हुई है। उन्होने प्रमुख समस्या यह बताई कि महिलाएँ शासन की योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रही हैं जिसकी मुख्य वजह उनकी निरक्षरता है। उनकी निरक्षरता का मूल कारण ग्रामीण क्षेत्र में कम उम्र में लड़कियों का विवाह हो जाना है। उन्होने

यह सुझाव दिया कि छत्तीसगढ़ राज्य में सामाजिक कुप्रथाओं से मुक्ति दिलाकर उनकी प्रगति संभव होगी।'[9]

समंकों का विश्लेषण :–

(1) स्व–सहायता समूह के सदस्यों का आयु वर्ग वितरणः–

क्र.	आयु	महिला सदस्यों की संख्या	प्रतिशत
1	25 वर्ष से कम	12	8%
2	25–45 वर्ष	102	68%
3	45 वर्ष से ज्यादा	36	24%

स्त्रोत :– प्राथमिक आँकड़ों द्वारा परिकलित।

(2) जातिवार वितरण :–

क्रं.	जाति	महिला सदस्यों की संख्या	प्रतिशत
1	सामान्य	3	2%
2	अन्य पिछड़ा वर्ग	72	48%
3	अनुसूचित जाति	36	24%
4	अनुसूचित जनजाति	39	26%

स्त्रोत–प्राथमिक आँकड़ों द्वारा परिकलित।

(3) वैवाहिक स्थिति :–

क्रं.	वैवाहिक स्थिति	महिलाओं की संख्या	प्रतिशत
1	विवाहित	138	92%
2	अविवाहित	3	2%
3	विधवा	6	4%
4	तलाकशुदा	3	2%

स्त्रोत– प्राथंमिक आँकड़ों द्वारा परिकलित।

(4) साक्षरता :–

क्र.	साक्षरता	महिलाओं की संख्या	प्रतिशत
1	अशिक्षित	36	24%
2	प्राथमिक	39	26%
3	माध्यमिक	33	22%
4	हाईस्कूल	24	16%
5	हायर सेकेण्डरी	15	10%
6	स्नातक	3	2%

(5) घर में उपलब्ध सुविधाः–

क्रं.	उपलब्ध सुविधाएँ	सदस्यों की संख्या	प्रतिशत
1	टी वी	144	96%
2	रेफ्रीजरेटर	78	52%
3	बिजली	150	100%
4	एल.पी.जी.	147	98%
5	मोटर सायकल	105	70%

स्त्रोत :– प्राथमिक आँकड़ों द्वारा परिकलित।

(6) मासिक आयः–

क्र.	मासिक आय	सदस्यों की संख्या		प्रतिशत	
		पूर्व	पश्चात्	पूर्व	पश्चात्
1	5000 रू. तक	126	66	84%	44%
2	5000 रू.–10000 रू	24	60	16%	40%
3	10000 रू. से अधिक	0	24	0%	16%

स्त्रोत :– प्राथमिक आँकड़ों द्वारा परिकलित।

(7) मासिक व्यय :–

क्रं.	मासिक व्यय	सदस्यों की संख्या		प्रतिशत	
		पूर्व	पश्चात्	पूर्व	पश्चात
(1)	5000 रू. तक	138	60	92%	40%
(2)	5000 रू.–10000 रू.	12	84	8%	56%
(3)	10000 रू. से अधिक	0	6	0%	4%

स्त्रोत :– प्राथमिक आँकड़ों द्वारा परिकलित।

(8) मकान का स्वामित्व :–

क्रं.	स्वामित्व	सदस्य संख्या	प्रतिशत
1	स्वयं का	135	90%
2	किराये का	15	10%

स्त्रोत :– प्राथमिक आँकड़ों द्वारा परिकलित।

स्व–सहायता समूह का आर्थिक सशक्तिकरण पर प्रभाव :–

(1) आय सृजन गतिविधियाँ :–

क्रं.	आय सृजन गतिविधियाँ	सदस्य संख्या	प्रतिशत
1	मध्यान्ह भोजन	48	32%
2	रेडी टू ईट	39	26%

3	कृषि एवं पशुपालन	33	22%
4	उद्यानिकी	18	12%
5	अन्य	12	8%

स्त्रोत :– प्राथमिक आँकड़ों द्वारा परिकलित।

(2) गतिविधि को चुनने का कारण :–

क्रं.	गतिविधि चुनने का कारण	सदस्य संख्या	प्रतिशत
1	पारिवारिक आय बढ़ाने हेतु	27	18%
2	सामाजिक प्रस्थिति के विकास हेतु	33	22%
3	कम ब्याज दर पर ऋण पाने हेतु	54	36%
4	बचत बढ़ाने हेतु	30	20%
5	ज्ञानार्जन हेतु	6	4%

स्त्रोत :– प्राथमिक आँकड़ों द्वारा परिकलित।

(3) लिए गए ऋण का उद्देश्य :–

क्रं.	लिए गए ऋण का उद्देश्य	सदस्य संख्या	प्रतिशत
1	उत्पादक गतिविधियों हेतु	78	52%
2	पारिवारिक आकस्मिक जरूरत हेतु	21	14%
3	पुराने कर्ज को चुकाने हेतु	30	20%
4	अन्य कार्य हेतु	21	14%

स्त्रोत :– प्राथमिक आँकड़ों द्वारा परिकलित।

(4) व्यवसाय हेतु प्रशिक्षण प्राप्ति :–

क्रं.	प्रशिक्षण प्राप्ति	सदस्य संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	93	62%
2	नहीं	57	38%

स्त्रोत :– प्राथमिक आँकड़ों द्वारा परिकलित।

(5) स्व–सहायता समूह की सदस्यता के बाद आर्थिक सशक्तिकरण पर प्रभावः–

क्र.	विवरण	सदस्य संख्या	प्रतिशत
1	महिलाएँ सशक्त हुई हैं।	84	56%
2	महिलाएँ सशक्त नहीं हुई हैं।	24	16%
3	स्थिति सामान्य है।	42	28%

स्त्रोत :– प्राथमिक आँकड़ों द्वारा परिकलित।

(6) **स्व–सहायता समूह की सदस्यता के बाद आर्थिक अनुशासन पर प्रभावः–**

क्रं.	आर्थिक अनुशासन पर प्रभाव	सदस्य संख्या	प्रतिशत
1	आर्थिक अनुशासन बढ़ा है	138	92%
2	आर्थिक अनुशासन नहीं बढ़ा है	12	8%

स्त्रोत :– प्राथमिक आँकड़ों द्वारा परिकलित।

स्व–सहायता समूह का सामाजिक सशक्तिकरण पर प्रभाव :

(1) **स्व–सहायता समूह की सदस्यता उपरान्त महिलाओं की सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी पर प्रभाव**

क्र.	सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी पर प्रभाव	सदस्य संख्या	प्रतिशत
1	सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी बढ़ी है	126	84%
2	सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी नहीं बढ़ी है	24	16%

स्त्रोत :– प्राथमिक आँकड़ों द्वारा परिकलित।

(2) **ऋण राशि पर निर्णय :–**

क्र.	ऋण राशि पर निर्णय	सदस्य संख्या	प्रतिशत
1	स्वयं द्वारा	114	76%
2	पति द्वारा	30	20%
3	अन्य द्वारा	6	4%

स्त्रोत :– प्राथमिक आँकड़ों द्वारा परिकलित।

(3) **स्व–सहायता समूह से जुड़कर शासकीय योजनाओं की जानकारी** :

क्र.	शासकीय योजनाओं की जानकारी	सदस्य संख्या	प्रतिशत
1	हुई है।	84	56%
2	नहीं हुई है।	15	10%
3	सामान्य	51	34%

स्त्रोत :– प्राथमिक आँकड़ों द्वारा परिकलित।

(4) **स्व–सहायता समूह द्वारा सामाजिक बुराई को दूर करने की कोशिशः–**

क्र.	समूह द्वारा सामाजिक बुराई को दूर करने की कोशिश	सदस्य संख्या	प्रतिशत
1	की जाती है।	114	76%
2	नहीं की जाती है।	36	24%

स्त्रोत :– प्राथमिक आँकड़ों द्वारा परिकलित।

(5) **स्व–सहायता समूह से जुड़कर अधिकारों को लेकर जागरूकता पर प्रभाव :–**

क्र.	अधिकारों को लेकर जागरूकता पर प्रभाव	सदस्य संख्या	प्रतिशत
1	जागरूकता बढ़ी है।	135	90%
2	जागरूकता नहीं बढ़ी है।	15	10%

स्त्रोत :– प्राथमिक आँकड़ों द्वारा परिकलित।

(6) **महिलाओं की स्व–सहायता से जुड़ने के बाद स्वयं सामाजिक निर्णय लेने की क्षमता पर प्रभावः–**

क्र.	स्वयं सामाजिक निर्णय लेने की क्षमता पर प्रभाव	सदस्य संख्या	प्रतिशत
1	स्वयं सामाजिक निर्णय लेने की क्षमता बढ़ी है	123	82%
2	स्वयं सामाजिक निर्णय लेने की क्षमता नहीं बढ़ी है	27	18%

स्त्रोत :– प्राथमिक आँकड़ों द्वारा परिकलित।

(7) **स्व–सहायता समूह से जुड़ने के बाद महिलाओं में सामाजिक कुरीतियों के प्रति सजगता पर प्रभाव :–**

क्र.	सामाजिक कुरीतियों के प्रति सजगता पर प्रभाव	सदस्य संख्या	प्रतिशत
1	सामाजिक कुरीतियों के प्रति सजगता बढ़ी है	132	88%
2	सामाजिक कुरीतियों के प्रति सजगता नहीं बढ़ी है	18	12%

स्त्रोत :– प्राथमिक आँकड़ों द्वारा परिकलित।

निष्कर्ष

(1) शोध की प्रथम परिकल्पना स्व–सहायता समूह की सदस्यता के बाद महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण संबंधित उपरोक्त विवरण से ज्ञात होता है कि 90 % महिलाओं का स्वयं का मकान है। 56 % महिलाओं का मानना है कि स्व–सहायता समूह की सदस्यता ग्रहण करने के बाद वे आर्थिक रूप से सशक्त हुई हैं। 96 % महिला सदस्यों के घर में टी.वी., 52 % महिला सदस्यों के घर में रेफ्रीजरेटर, 100 % महिला सदस्यों के घर में बिजली, 98 % महिला सदस्यों के घर में एल.पी.जी. एवं 70 % महिला सदस्यों के घर में मोटर सायकिल की सुविधा उपलब्ध है अर्थात् अधिकांश महिला सदस्यों के घर में आवश्यक भौतिक सुविधाओं की वस्तुएँ उपलब्ध हैं। 52 % महिला सदस्यों का ऋण लेने का उद्देश्य उत्पादक गतिविधियों का संचालन करना है। 62 % सदस्यों ने बताया कि उन्हें व्यवसाय हेतु प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है। अतः परिकल्पना क्रमांक–1 की पुष्टि होती है।

(2) शोध की द्वितीय परिकल्पना स्व–सहायता समूह की सदस्यता के बाद महिलाओं का सामाजिक सशक्तिकरण संबंधित उपरोक्त विवरण से ज्ञात होता है कि स्व–सहायता समूह से जुड़कर 82 % महिलाओं में स्वयं सामाजिक निर्णय लेने की क्षमता विकसित हुई है एवं 84 % महिलाओं का मानना है कि समूह में सदस्यता ग्रहण के उपरान्त उनकी सामाजिक गतिविधियों

में भागीदारी बढ़ी है। 90 % महिलाओं में समूह से जुड़ने के बाद उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ी है। 88 % महिलाओं में सामाजिक कुरीतियों को लेकर सजगता बढ़ना पाया गया है एवं 76 % महिलाओं का मानना है कि समूह इन सामाजिक बुराईयों को दूर करने का प्रयास भी करता है। अतः द्वितीय परिकल्पना की पुष्टि होती है।

(3) तृतीय परिकल्पना के अनुसार समूह का सदस्य बनने के बाद महिलाओं में आर्थिक अनुशासन से संबंधित उपरोक्त विवरण द्वारा ज्ञात होता है कि 92 % महिला उत्तरदाताओं का मानना है कि सदस्यता उपरान्त उनमें आर्थिक अनुशासन बढ़ा है। इस प्रकार महिलाओं में आर्थिक अनुशासन की प्रवृत्ति समूह की सदस्यता उपरान्त बढ़ी है। अतः परिकल्पना क्रमांक–3 की पुष्टि होती है।

(4) चतुर्थ परिकल्पना के अनुसार स्व–सहायता समूह से जुड़ने के बाद उनमें स्वयं निर्णय लेने की क्षमता के संबंध में उपरोक्त विवरण से यह स्पश्ट होता है कि स्व–सहायता समूह से जुड़कर 76 % महिलाएँ ऋण राशि पर स्वयं निर्णय लेने हेतु सक्षम हुई हैं एवं 82 % महिलाओं में स्वयं सामाजिक निर्णय लेने की क्षमता विकसित हुई है। इस प्रकार परिकल्पना क्रमांक–4 की भी पुष्टि होती है।

सुझाव

(1) डौण्डी लोहारा विकासखण्ड में विकास योजनाओं में ग्रामीण परिवेश की महिलाओं की प्रत्यक्ष सहभागिता से ही महिलाओं का तीव्र गति से सशक्तिकरण होगा। इसलिए महिलाओं तक विकास योजनाओं की जानकारी पहुँचाने के लिए योजनाओं का प्रचार–प्रसार बढ़ाना चाहिए क्योंकि योजनाओं की सही जानकारी के अभाव में वे योजना की हितग्राही बनने से वंचित रह जाती हैं।

(2) यहाँ महिलाओं को न केवल समूह पर आधारित ऋण दिया जाए वरन् उन्हें व्यक्तिगत ऋण भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

(3) यहाँ यह अत्यंत आव यक होता है कि सरकारी नीतियों का सदुपयोग हो एवं भाासन द्वारा सीमित संसाधनों का उपयोग करके लाभकारी योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक स्त्रियों तक पहुँचाया जाये न कि एक ही महिला को बार–बार।

(4) यहाँ महिला स्व–सहायता समूह की महिलाओं को कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

(5) यहाँ समूह द्वारा निर्मित उत्पादों को गाँव से भाहरों तक पहुँचाने हेतु यातायात के साधनों का विस्तार करना होगा जिससे उत्पादों के बाजार का विस्तार होने से जहाँ एक ओर समूह द्वारा उत्पादन को बढ़ाया जाएगा वहीं दूसरी ओर समूह को उत्पादों की उचित कीमत मिलने से सदस्य महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण हो सकेगा।

❒

सन्दर्भ –

1. जोशी, (डॉ.) यू. एवं पाण्डेय, के.(2019). स्वयं सहायता समूह और महिला सशक्तिकरण. *JOURNAL OF ADVANCES AND SCHOLARLY RESEARCHES IN ALLIED EDUCATION 16 (9) ISSN 2230-7540, VOLUME-16, ISSUE-09.*
2. सिंह, एम.एन.(2011). महिला सशक्तीकरण का सच, ओमेगा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, पृ. 74.
3. *NARASAIAH,(DR-(M.L.)2007)-WOMEN DEVELOPMENT PROGRAMMES, DISCOVERY PUBLISHING HOUSE, NEW DELHI,PP. 207.*
4. जिला सांख्यिकी पुस्तिका, बालोद 2013–14.
5. जायसवाल, एम. एवं भार्मा, (डॉ.) शुचि (2022). स्व सहायता समूह से जांजगीर चांपा जिले में महिलाओं का सशक्तिकरण. *RESEARCH REVIEW INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISPLINARY 7(5), ISSN 2455-3085, VOLUME-07, ISSUE-05.*
6. शुक्ला, (डॉ.) एस.पी. एवं सोनी, जे. (2019). महिला सशक्तिकरण की वर्तमान स्थितिः राजनैतिक सशक्तिकरण के परिपेक्ष्य में (उमरिया जिले के विशेष सन्दर्भ में). *IJRRSS 7(1) VOLUME-07, ISSUE-01.*
7. *JOSPHEN, R.P(2017)-EMPOWERMENT OF WOMEN THROUGH SHGs-A CASE STUDY IN GUNTUR DISTRICT OF ANDHRA PRADESH.PP. 207.*
8. टाइगर, कैलाशा (2017).छत्तीसगढ़ राज्य में ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण में महिला स्व सहायता समूहों के योगदान का अध्ययनः राजनांदगाँव जिले के विशेष सन्दर्भ में. पृ. 139–150.
9. कुमार, आर.(2017).महिलाओं के आर्थिक विकास में महिला स्व–सहायता समूह का योगदान (रायपुर जिले के विशेष सन्दर्भ में) पृ. 268–273.
10. अन्य वेबसाइट–*http://shodhganga.inflibnet.ac.in ; http://www.censusindia.co.in ; http://nrlm.gov.in*

पूर्वदेवा– *सामाजिक विज्ञान शोध पत्रिका*
वर्ष 29, अंक, 114–115, जुलाई–दिसम्बर, 2023 पृ. 136–146

UGC Care Listed Journal
ISSN 0974 -1100

भारतीय राजनीति में दलित चेतना एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

राजबीर सिंह
सहायक प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान, एफ.जी.एम. राजकीय महाविद्यालय, आदमपुर (हिसार) हरियाणा
E-mail : rajbirsingh387@gmail.com Mob. 9466361448

सारांश

हजारों वर्षों से दलित समाज उपेक्षा, घृणा एवं शोषण का शिकार रहा। समय–समय पर अनेक संतों, महात्माओं एवं विद्वान पुरूषों ने समाज के इन समुदायों को समानता, स्वतंत्रता एवं न्याय प्रदान करने के लिए मानव धर्म की व्याख्या की। डॉ. अम्बेडकर ने स्वतंत्रता पूर्व ही ब्रिटिश सरकार के माध्यम से दलितों को अलग पहचान दी। स्वतंत्रता के पश्चात् डॉ. अम्बेडकर ने दलितों को संविधान के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक अधिकार उपलब्ध करवाये। लेकिन इतने लम्बे समय के बाद, आधुनिक काल में भी, दलित समाज सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक पिछड़ेपन का सामना कर रहा है। भारतीय राजनीति में दलितों की अलग पहचान को समाप्त करने के लिए अनेक अनेक लुभावनी घोषणाएं एवं योजनाएं गई। जहाँ तक दलित राजनीति और उभार का प्रश्न है, निश्चित रूप से कांशीराम ने महात्मा फुले और अम्बेडकर के चिन्तन और कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। शोध–पत्र का मुख्य उद्देश्य 21वीं सदी में देश के सभी समुदायों को संविधान की प्रस्तावना के द्वारा सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय प्रदान किया गया, लेकिन दलित समाज, संविधान क्रियान्वयन के 73 वर्षों के बाद भी सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक अन्याय का शिकार क्यों हैं ? दलित राजनीतिक चेतना के उभार में मुख्य कमी है कि दलित राजनेता अपनी राजनीति को ऊँचा उठाने में लग गए हैं। सत्ता प्रधान अवसरवादी राजनीति से ऊपर उठ कर दलित समाज के सम्पूर्ण शैक्षिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक विकास के लिए प्रयास करना होगा।

मुख्य शब्द–दलित समाज, अधिकार, समानता, स्वतंत्रता, न्याय, पिछड़ेपन, अलग पहचान, अन्याय, महात्मा फुले, अम्बेडकर, भारतीय राजनीति, प्रस्तावना, चेतना, अवसरवादी राजनीति, संविधान क्रियान्वयन।

प्रस्तावना

भारत में दलित राजनीति का इतिहास काफी पुराना है। हजारों वर्षों से दलित समाज उपेक्षा, घृणा एवं शोषण का शिकार रहा। समय–समय पर अनेक संतों, महात्माओं एवं विद्वान पुरूषों ने समाज के इन समुदायों को समानता, स्वतंत्रता एवं न्याय प्रदान करने के लिए मानव धर्म की व्याख्या की। स्वतंत्रता से काफी समय पहले ही दलितों ने अपनी मुक्ति एवं कल्याण के लामबंद होना शुरू कर दिया। गोलमेज सम्मेलन के दौरान ही अम्बेडकर ने हिंदू वर्ण व्यवस्था के दोषों को उजागर करना शुरू कर दिया। स्वतंत्रता के पश्चात् डॉ. अम्बेडकर ने दलितों को संविधान के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं राजनीतिक अधिकार उपलब्ध करवाए। नेहरू काल के बाद भारतीय राजनीति में दलित नेताओं ने अपनी पहचान बनानी आरम्भ कर दी। केंद्रीय राजनीति में बाबू जगजीवन ने दलित समाज को कांग्रेस के नेतृत्व में लामबंद बनाए रखा। हालांकि कांग्रेस ने उन्हे जानबूझ कर प्रधानमंत्री पद से वंचित किया। महाराष्ट्र में आर.पी.आई के माध्यम से दलितों का नेतृत्व किया। दलितों का अपने–अपने क्षेत्रों के आधार पर संघर्ष करने से उनमें राष्ट्रीय नेतृत्व का अभाव रहा।

कांशीराम ने 1973 से 1984 तक राष्ट्रीय स्तर दलित समाज में राजनीतिक आंदोलन के लिए प्रयास किया। पहले बामसेफ (BAMCEF) और फिर DS-4 *दलित शोषित समाज संघर्ष समिति* का गठन करके दलित कर्मचारियों एवं आम जनता में राजनीतिक चेतना पैदा की। 1984 में बी.एस.पी का गठन कर के राष्ट्रीय स्तर पर दलित समाज को राजनीतिक विकल्प प्रदान किया। दक्षिण भारत में उदित राज ने दलित राजनीति को एक नई दिशा दी। पासवान ने बिहार में लोकजन शक्ति पार्टी के माध्यम से उत्तर भारत के लोगों को नई राजनीतिक दिशा दी। लेकिन पासवान ने दलितों की राजनीतिक सक्रियता को बिहार तक सीमित कर दिया।

1997 में बी.एस.पी के राष्ट्रीय दल के रूप में पहचान मिलने के बाद उत्तर प्रदेश में राजनीतिक प्रभाव निरंतर बढने लगा। 2007 से 2012 तक उत्तर प्रदेश में कुमारी मायावती के नेतृत्व में लगभग एक दशक से ज्यादा समय के बाद स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी। 2012 के बाद धीरे–धीरे ब.स.पा. का राष्ट्रीय स्तर पर जनाधार खिसकने लगा। बसपा के वोट बैंक में भारतीय जनता पार्टी ने सेंध लगाकर लगातार दो बार केंद्र में (2014 और 2019) सरकार बनाई।

इस दौरान राष्ट्रीय स्तर पर भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने दलितों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर न्याय के सामाजिक आंदोलन का नेतृत्व किया। चंद्रशेखर आजाद ने भीम आर्मी के माध्यम से दलितों में सामाजिक सुरक्षा एवं आत्म–स्वाभिमान को जिंदा बनाये रखने का साहस पैदा किया। इसके बाद चंद्रशेखर आजाद ने *आजाद समाज पार्टी (कांशीराम)* का गठन करके 2022 में उत्तरप्रदेश विधानसभा में भाग लिया लेकिन पार्टी को कोई विशेष राजनीतिक उपलब्धि प्राप्त नहीं हुई। वर्तमान समय में प्रायः सभी राजनीतिक दल 2024 के सम्भावित लोकसभा चुनाव मध्यनजर केंद्र सरकार बनाने या बनाए रखने में अपनी भागेदारी को सुनिश्चित करने के लिए दलित समाज के स्वयंभू एवं सौदेबाज नेताओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए प्रयासरत है। सभी दलों के नेताओं का राजनीतिक उद्देश्य चुनावी घोषणाओं के आधार पर दलित नेताओं को आगे करके 5 वर्ष के लिए उनका राजनीतिक समर्थन प्राप्त करना है। संविधान क्रियान्वयन के 73 वर्षों के बाद भी दलित नेता समस्त दलित समाज को आर्थिक एवं राजनीतिक लाभ उपलब्ध करवाने में असफल रहे।

दलित राजनीति का उद्‌भव और विकास

भारत के विभिन्न क्षेत्रों में कुछ लोग उन्हें बहिष्कृत, अछूत, परिया या अतिशूद्र कहते थे, तो कुछ उन्हें अत्यंज, अवर्ण पुकारते थे। अस्पृश्यता की भयंकर रूढ़ि से उनका जीवन शापित एवं कलंकित बन गया था। स्वर्ण हिन्दू कुत्ता, बिल्ली, गाय आदि पालतू जानवरों को छूते थे।[1]

मद्रास में 'द्रविड़ आन्दोलन' बिहार में 'अर्जक संघ' और 'त्रिवेणी संघ' के मंच पर दलित–पिछड़े ब्राह्मणवाद के खिलाफ एकजुट हुए। अन्य राज्यों में दलितों ने अपनी मुक्ति की लड़ाई स्वयं लड़ी। पंजाब में आदि धर्मी आन्दोलन, बंगाल में 'नमोशूद्रा आन्दोलन' मध्य प्रांत में रामनामी सतनामी आन्दोलन, आन्ध्र प्रदेश में अतिशूद्र आन्दोलन, केरल में 'पोलाया– इजावा' राजस्थान में रेगर आन्दोलन' तथा उत्तर प्रदेश में अछूत आंदोलनों द्वारा दलित चेतना के स्वर उभरे। केरल में आयंकाली, उत्तर प्रदेश में भाग्य रेड्डी वर्मा, महाराष्ट्र में ज्योतिराव फुले, मद्रास में रामा स्वामी पेरियार, उत्तर प्रदेश में स्वामी अछूतानंद दलित आन्दोलन के प्रमुख हस्ताक्षर रहे हैं।[2]

देश में स्वतंत्रता आन्दोलन जिस ढंग से आगे बढ़ रहा था, ठीक वैसे ही दलित–पिछड़ों का आन्दोलन भी गति पकड़ रहा था। स्वर्ण हुक्मरान थे, पर बाद में गोरों के गुलाम बन गये थे। इसलिए वे गोरों से मुक्ति का आन्दोलन कर रहे थे। लेकिन दलित गुलामों के गुलाम थे इसलिए वे सनातनियों से मुक्ति का आन्दोलन कर रहे थे। हालांकि देश प्रेम की भावना स्वर्णों की अपेक्षा दलितों में कम नहीं थी। वे स्वर्णों के इशारे पर एक नहीं हजारों पग पीछे हो जाते। कांग्रेस पार्टी सत्ता में होने के कारण दलित कांग्रेस से जुड़े रहे। पश्चिमी बंगाल में कम्युनिष्टों को स्वीकार करके दलित अपने विकास का रास्ता तय करते रहे हैं। कुछ दलित राम मनोहर लोहिया को अपना नेता मान लेते हैं। बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर के सानिध्य में रहे दलित अपना राजनीतिक दल (भारतीय रिपब्लिकन पार्टी) बना कर सत्ता में दबाव बनाते हैं। कांग्रेस आदि पार्टियां दलित नेताओं को पद आदि देकर उनकी आवाज को दबाती है। परिणाम यह होता है कि भारतीय रिपब्लिकन पार्टी का अस्तित्व धीरे–धीरे समाप्त होने लगता है। राजनीतिक आरक्षण तो पूरा हो जाता है, पर सरकारी जमीन का बंटवारा नहीं होता। जैसे–जैसे दलित अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होते हैं, ठीक वैसे–वैसे दलित उत्पीड़न बढ़ता जाता है। सरकारी निकायों में आरक्षण आटे में नमक के बराबर दिखाई देता है। जातीय उत्पीड़न का ग्राफ दिन–रात बढ़ता गया। ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र से दलित पैंथर का जन्म होता है।[3]

डॉ. अम्बेडकर की मृत्यु के बाद दलित राजनीति के उतार–चढाव को मुख्यतया तीन चरणों में बांटा जा सकता है–रिपब्लिकन पार्टी का उद्‌भव एवं अस्त, दलित पैंथर का उद्‌भव, केवल मात्र शिक्षा और नौकरी के अवसरों के संतुष्टि को छोड़कर राजनैतिक शक्ति के लिए दलितों का प्रभाव बढना। बहुजन समाज पार्टी के नेता के रूप में कांशीराम का राष्ट्रीय राजनीति में बढता प्रभाव तीसरा चरण रहा। महाराष्ट्र में अम्बेडकर दलित आंदोलन के बाद, सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन एवं दलित राजनीति का अभिमुखीकरण हुआ। तीसरे चरण में इसकी लाभकारी भूमिका बढी। बहुजन समाज पार्टी ने देश के विभिन्न प्रांतों में इसी तरह का उत्साह पैदा किया।[4]

आजादी के बाद भारतीय राजनीति में सरकारी जमीन का बंटवारा, सरकारी निकायों में आरक्षण, दलित उत्पीड़न एवं जाति के प्रश्न विशेष रूप से उभरे। दलित बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर को आदर्श मान कर भारतीय संविधान द्वारा निहित अधिकारों के प्रति सचेत होते हैं। गैर– दलित राजनीतिक दल दलितों की जागरूकता को देख कर अपने–अपने राजनीतिक

दलों में दलितों को रिझाने के नये–नये उपाय सोचते हैं। दलित आन्दोलन में उग्रता आती है, दलित साहित्यकारों के राजनीतिक सरोकार बढ़ते दिखाई देते हैं। 1987 में आपातकालीन के समय श्रीमती इन्दिरा गांधी का तख्ता पलटता है। बाबू जगजीवन राम के नाम से जनता का कांग्रेस से विश्वास टूटता है। खुले तौर पर जनता बाबू जी को सफलता का प्रमाण–पत्र दे देती है। लेकिन बड़ी चालाकी से बाबू जी को प्रधानमंत्री न बनाकर पहले मोरारजी देसाई को और बाद में चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। बाबू जी का मनोबल क्षीण हुआ। भारतीय राजनीति में वी.पी. मौर्य, जोगेन्द्र कबाड़े, रामदास अठावले, प्रकाश अम्बेडकर चमके। *भारतीय रिपब्लिकन पार्टी* के माध्यम से आर. एस. गवई सांस लेने लगे।[5]

इस समय मान्यवर कांशीराम दलित–पिछड़ों के इतिहास का अध्ययन कर रहे थे। राजनीतिक सत्ता प्राप्ति के लिए जगह–जगह आन्दोलन कर रहे थे। दलित–पिछड़ों को जागरूक करने के बाद मान्यवर कांशीराम ने 14 अप्रैल, 1984 को *बहुजन समाज पार्टी* की स्थापना करके दलित–पिछड़ों को राजनीति के सूत्र बताए। जैसे–जैसे मान्यवर कांशीराम का कारवां आगे बढ़ा ठीक वैसे–वैसे राजनीतिक दल दलितों को लुभाने के नये नये रास्ते खोजने लगे, मान्यवर कांशीराम का मनोबल दिन–प्रतिदिन बढ़ता गया। चुनाव आते गये बसपा चुनाव लड़ती रही। कुछ उम्मीदवार जीते तो कुछ हारे भी।[6]

रामविलास पासवान दलित नेता के रूप में उभर कर सामने आए। दलितों का नया राजनीतिक दल दलित सेना अस्तित्व में आया। कुर्सी की खातिर रामविलास पासवान, गुजराल, देवगौड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉ. मनमोहन सिंह से हाथ मिलाते रहे। समाज ने इन्हें लटकाऊ व भटकाऊ नेता घोषित कर दिया। आखिरकार दलित सेना का अस्तित्व ज्यादा दिन तक टिक न सका। बसपा की राजनीति ने इनके अस्तित्व को बौना बना दिया। दलित विचार से न होकर कम्युनिष्ट विचार से ही, डी. राजा की पहचान भारतीय राजनीति में बनी, दलित मुद्दों को उठाने के कारण डी. राजा की गिनती दलित राजनीति से जुड़ गई। कांग्रेस में भी ए. राजा दलित नेता के रूप में उभरे। हालांकि कांग्रेस में दलित नेताओं की लम्बी सूची तैयार हो जाती है। दिल्ली से चालीस साल का राजनीतिक सफर करने वाले दलित नेता चौधरी प्रेम सिंह को कांग्रेस ने पाल में लगा दिया। इतने अनुभवी व्यक्ति को कांग्रेस ने दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं बनाया हमेशा बन्धुआ मजदूर बनाकर रखा। दिल्ली से कृष्णा तीरथ, महाराष्ट्र से सुशील कुमार शिंदे, मुकुल वासनिक, मध्य प्रदेश से अविन्तका प्रसाद मरमट, योगेन्द्र मकवाना, हरियाणा से चौधरी चांदराम व कुमारी शैलजा, पंजाब से बूटा सिंह, उत्तर प्रदेश से माता प्रसाद रामधन दलित नेता के रूप में उभरे। लक्ष्मण बंगारू, डॉ. सत्यनारायण जटिया आदि दलित नेता के रूप में उभरे पर ये भी बंधुआ मजदूर बनकर रह गये।[7]

जहाँ तक दलित राजनीति और उभार का प्रश्न है निश्चित रूप से कांशीराम ने महात्मा फुले और अम्बेडकर के चिन्तन और कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। उनकी आक्रामक शैली ने दलित चेतना का विस्तार किया है, जिसके फलस्वरूप आज कांग्रेस और भाजपा जैसे ब्राह्मणवादी दल भी दलितों के प्रति अपार प्रेम से सराबोर हैं। संगठन से लेकर सरकार तक में बहुजन समाज को प्रतिनिधित्व देने की होड़ है। जनता दल के नेता भले ही इसे अपनी मंडल राजनीति का उभार बतायें, लेकिन वास्तविकता यह है कि उनकी मण्डल राजनीति भी उसी सामाजिक दबाव का परिणाम है जो विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा मण्डल आयोग की सिफारिश

लागू करने से काफी पहले अम्बेडकर, लोहिया, चरण सिंह और कांशीराम की राजनीति ने भारतीय समाज में पैदा कर दिया था, इसलिए निश्चित रूप से जबकि डा. अम्बेडकर की रिपब्लिकन पार्टी निस्तेज हो गई थी, राष्ट्रीय स्तर पर दलित चेतना के उभार का श्रेय कांशीराम को ही देना होगा। इस नाते उन्होने एक ऐतिहासिक काम किया।

उपकल्पना

शोध पत्र में यह शोध करने का प्रयास किया गया है कि 73 वर्षों के बाद भी दलित समाज को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय उपलब्ध न होने के कारण नीति क्रियान्वित करने वाले नेताओं, अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने निष्पक्षता एवं पारदर्शिता का अनुकरण नहीं किया।

शोध पत्र का दूसरा प्रश्न है कि संविधान क्रियान्यन के 73 वर्षों के बाद भी किसी राष्ट्रीय या राज्य दल ने देश के लगभग एक चौथाई मतदाताओं को केन्द्र एवं राज्य सरकारों का नेतृत्व प्रदान इसलिए नहीं किया क्योंकि प्रायः सभी राजनीतिक दल दलित कल्याण योजनाओं के आधार पर दलित समाज के मतों को प्राप्त करना चाहते हैं। प्रायः सभी राष्ट्रीय राजनीतिक दल (बसपा को छोड़कर) एवं राज्य दलों का नेतृत्व या कार्यकारी शक्तियाँ गैर–दलित समाज के हाथों में रही।

शोध पत्र का तीसरा प्रश्न है कि संविधान क्रियान्वयन के 73 वर्षों के बाद भी दलित समाज जीवन के हर क्षेत्र में शोषित, पीड़ित एवं लाचार है। दलित समाज व अगड़े समाज के नेताओं ने राजनैतिक व आर्थिक लाभ को अपने परिवार एवं निर्वाचन क्षेत्र तक सीमित रखा।

शोध–पद्धति

प्रस्तुत शोध–पत्र में उपकल्पना को प्रमाणिक करने के लिए ऐतिहासिक विधि, तुलनात्मक विधि एवं विश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग किया है। इस शोध–पत्र में स्वतंत्रता से पूर्व एवं स्वतंत्रता के पश्चात् भारतीय राजनीति में दलित चेतना का ऐतिहासिक अध्ययन किया गया है। राज्यों एवं राजनीतिक दलों के आधार पर दलित नेताओं के राजनीतिक नेतृत्व का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। दलित राजनीति की दशा एवं दिशा का स्वतंत्रता पूर्व एवं पश्चात् राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है।

शोध–पत्र का उद्देश्य

प्रस्तुत शोध–पत्र के कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य इस प्रकार हैं–

1. संविधान क्रियान्वयन के 73 वर्षों के बाद आज भी दलित समाज संविधान की प्रस्तावना में अंकित सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय को प्राप्त करने के लिए क्यों संघर्षशील है?
2. संविधान क्रियान्वयन के 73 वर्षों के बाद भी दलित समाज को केद्र व राज्य सरकारों के नेतृत्व की जिम्मेदारी क्यों नहीं दी गई?
3. संविधान क्रियान्वयन के 73 वर्षों के बाद भी दलित समाज शोषित, पीड़ित एवं लाचार क्यों है?

साहित्यिक समीक्षा

संविधान क्रियान्वयन के 73 वर्षों के दौरान अनेक राजनीतिक वैज्ञानिकों, बुद्धिजीवियों, समाज वैज्ञानिकों एवं विशेषज्ञों के अपने–अपने शोध–पत्रों एवं शोध ग्रंथों में दलित समाज की राजनीतिक चेतनाओं पर शोध एवं अनुभव से प्रकाश डाला। प्रस्तुत शोध–पत्र के उद्देश्यों एवं महत्व के संदर्भ में कुछ प्रमुख लेखकों, पत्रकारों, राजनीतिक विश्लेषकों, दलित चिंतकों एवं शोधकर्ताओं के दलित राजनीतिक चेतना से सम्बंधित साहित्य की समीक्षा करना आवश्यक है।

महात्मा ज्योतिबा फूले, पेरियार, स्वामी विवेकानन्द, महात्मा गाँधी एवं दलित तथा गैर–दलित वर्ग के विचारकों ने दलित चेतना को जागृत करते हुए जिस मानववादी, एकत्ववादी और समग्रता या नास्तिकता से सम्बन्धित दृष्टि को अपनाते हुए समाज के सभी वर्गों को प्रभावित किया था। उसी परम्परा को डॉ. अम्बेडकर, लोहिया आदि जैसे व्यक्तियों ने राजनीति मिश्रित आन्दोलन का रूप देते हुए आगे भी जारी रखा। उनकी ऐसी आन्दोलनात्मक गतिविधियों पर पाश्चात्य एवं स्वतंत्रता संग्राम तथा पूर्वकाल के भारतीय राजनीतिक पुर्नजागरण के क्रम में विकसित जीवन मूल्यों आदि का प्रभाव पड़ना भी स्वाभाविक था। इन सबसे दलित वर्ग के तत्कालीन शिक्षित अभिजात्य वर्ग में भी एक प्रकार का जागरण पैदा हुआ जिसका राजनीतिक लाभ उठाने को यह वर्ग सभी दृष्टियों से सक्षम हो चुका था।सामाजिक और राष्ट्रीय एकता की अपेक्षा को स्वतंत्रता संग्राम में गाँधी जी के द्वारा अनुभव करते हुए उसके एक पक्ष को अछुतोद्वार आन्दोलन के रूप में सतत् क्रियाशील रखा गया।[8]

बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भिक दशकों में अनुसूचित (दलित) जातियों में बढ़ रही राजनीतिक चेतना एवं एकता ने राजनीतिक दलों तथा अन्य संस्थाओं को भी सकारात्मक रूप में प्रभावित करना शुरू कर दिया। इसी चेतना का लाभ उठाने के लिए गाँधी जी की अगुवाई में कांग्रेस ने अस्पृश्यता उन्मूलन कार्यक्रम क्रियाशील किया। इसी प्रकार सन् 1928 के *'ऑल पार्टीज कांफ्रेन्स*, लखनऊ में दलितों को सुविधाएँ देने के प्रस्ताव पारित किये। सन् 1928 में *साइमन कमीशन* के लखनऊ पहुँचने पर दलित जातियों के प्रतिनिधि मण्डलों ने अपनी जाति पर हो रहे अत्याचार एवं उत्पीड़न की घटनाओं से सम्बद्ध शिकायतें कमीशन के समक्ष रखी। अपने इस प्रयास क्रम में दलित जातियाँ सम्भवतः पहली बार एक इकाई के रूप में सामने आयी थी । एकता की इस नवीन प्रवृत्ति का भारतीय राजनीति पर दूरगामी प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। नेहरू रिपोर्ट तथा साइमन कमीशन रिपोर्ट दोनों ही इसके प्रभाव को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त होते देखा जा सकता हैं।[9]

25 नवम्बर 1949 को संविधान सभा में बोलते हुए डॉ. अम्बेडकर ने कहा, इसका कोई खण्डन नहीं कर सकता कि इस देश में राजनीति पर काफी दिनों तक बहुत ही गिने–चुने व्यक्तियों का एकाधिकार रहा जबकि अधिकांश लोगों ने भार ढोने वाले जानवर की तरह अपना जीवन व्यतीत किया है। इस एकाधिकार ने जनसाधारण को न सिर्फ उन्नत्ति से रोका बल्कि उन्हें सार्थक जीवन के प्रति दुर्बल बनाने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। ये दलित वर्ग शासित होकर थक चुके हैं, इसलिए अपना शासन चलाने के लिए स्वयं अधीर है। यह दलितों में आत्मबोध का संकेत है।[10]

14 अक्टूबर, 1971 को पूना के नेहरू मेमोरियल हाल में इस संस्था की एक विशाल बैठक बुलायी गयी। जिसमे लगभग एक हजार कर्मचारी सम्मिलित हुये । कांशीराम जी स्वंय इस पंजीकृत संस्था के अध्यक्ष थे। इसके बाद कांशीराम जी ने 1972 में ही *सिवल एम्प्लॉईज प्रॉब्लम एण्ड देयर सोल्यूशन"* विषय पर उन्होंने एक सेमिनार का आयोजन भी किया।[11]

कांशीराम और उनके सहयोगी चाहते थे कि कर्मचारियों का राष्ट्रीय स्तर पर एक संगठन बनाया जाये। अतः सोच विचार करके *बैकवर्ड एवं मायनांरिटी कम्यूनिटीज एम्प्लाईज फेडरेशन* का गठन किया। और इसमें प्रमुख उद्देश्य, शिक्षित बनों, संगठित रहो, संघर्ष करो, इस संगठन का राष्ट्रीय स्वरूप देने के लिए काशीराम जी निकल पड़े। इस संगठन के आधार पर अनेक लोग इसमें जुड़ने लगे। धीरे–धीरे यह संगठन अच्छी सफलता प्राप्त करने लगा। इसके आधार पर दिल्ली की लेवर मिनिस्ट्री में सेक्शन आफिसर पद पर कार्यरत श्री दौलतराव बांगरक निवास में बामसेफ का अस्थायी कार्यालय खोला गया। कांशीराम जी स्वयं अपने बारे में कहते हैं, ''साल के 365 दिन भी पूरे समय के लिए मैं व्यस्त रहता हूँ। इतने काम मेरे सामने पड़े है, मेरे पास तो बीमार होने के लिए भी समय नहीं है और फिर अपना वाक्य दोहराते है, *''दिल में अगर सही तमन्ना है, तो रास्ते निकल आते है, तमन्ना अगर सही नहीं है तो, हजारों बहाने निकल आते है।''*[12]

काशीराम जी ने 6 दिस. 1978 को दिल्ली में बामसेफ की विधिवत् स्थापना की। इस दिन इस संगठन में लगभग दो लाख से भी अधिक कर्मचारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। बामसेफ को एक मिशन की संज्ञा दी गयी। इस संगठन में मौजूद सभी लोगों को काशीराम ने कहा ''भारतीय लोकशाही कुछ और नहीं बल्कि अमीर लोगों के नोटों द्वारा गरीब लोगों के वोट हथियाना है। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मोर्चा को मजबूती प्रदान करने के लिए हमें कुछ विद्यमान शक्तियों से सहयोग भी करना पड़ेगा जिससे हमें गतिशीलता प्राप्त हो सकें। अतः इस संगठन का मुख्य उद्देश्य था कि पहले बहुजन के लोगों को शिक्षित करना और इसके बाद उनको संगठित करना और अंत में संघर्ष करने की नीति पर अधिक ध्यान देते हुए इस संगठन की स्थापना की।''[13]

दलित राजनीतिक पार्टी के रूप में *भारतीय रिपब्लिकन पार्टी* असफल होने के बाद 1970 और 1980 के दशक में दलित राजनीतिक आंदोलन में कई कठिनाईयाँ आई। 1984 में कांशीराम ने बी.एस.पी की स्थापना करके नारा दिया– *15 का राज 85 पर नहीं चलेगा* । कांशीराम के इस राजनीतिक नारे ने दलितों के लिए प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को विकसित किया। उन्होंने दलितों में राजनीतिक चेतना को विकसित करने के लिए एक अन्य नारा– जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी भागेदारी का प्रचार प्रसार किया। कांशीराम ने दलितों में राजनीतिक गुलामी को समाप्त करने के लिए चुनावी नारा दिया– *वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा–नहीं चलेगा।* [14]

अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़े वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदायों को मिला कर काशीराम जी ने एक नाम दिया ''*बहुजन*, इस वर्ग की आबादी देश की कुल आबादी का 85 प्रतिशत है। यह देश का मेहनती और कमजोर वर्ग है तथा शोषित भी है। दूसरी तरफ ब्राहाम्ण, क्षत्रिय तथा वैश्य ये तीन जातिया है। अतः इनकी संख्या 15 प्रतिशत है और ये ''*अल्पजन*' है देश के सारे संसाधनों पर इनका कब्जा है। बहुजन वर्ग जो दिन रात टूट–टूट कर कमा रहा है तथा देश को खुशहाल बना रहा है। इस हाथी रूपी विशाल बहुजन समाज के सिर पर 15

प्रतिशत (ब्राहाम्ण, क्षत्रिय व वैश्य) मनुवादी सवर्ण समाज की महावत की तरह बैठा है जो यातनाओं अत्याचारों के अंकुश चुभो–चुभो कर उसे लहू–लुहान करके रात–दिन काम ले रहा है। जिस 85 प्रतिशत बहुजन समाज को ''शासक होना चाहिए था, वह याचक है। यही देश की बिडम्बना है सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक हर क्षेत्र में इस बहुजन समाज की अनदेखी होती है। इसके अतिरिक्त हाथी कमजोर समाज (श्रमण संस्कृति) का भी प्रतीक है। तभी बिना थके भारी–भारी लकड़ियों के लट्ठों का घने जंगलों से निकलकर उनका गाडियों में लदान करने का काम, घास–पात खाकर ही कर देता है। अतः ऐसा ही कमजोर समाज है–बहुजन समाज, यह समाज भी हाथी की तरह घासपात खाकर संतुष्ट रहता है। जबकि अल्पजनों का 15 प्रतिशत समाज गुलछररें उठाता है। जाति के निर्माण के कारण केवल मुट्ठी भर सवर्ण जातियों को ही फायदा हुआ।[15]

प्रथा चौटर्जी के अनुसार, दलित राजनीति का अध्ययन 1980 में बी.पी.मंडल के नेतृत्व में गठित *मंडल आयोग* की सिफारिशों को लागू करने के कारण सम्भव हुआ। 1990 के दशक में दलित राजनीति की स्वायतता और क्षेत्रीय राजनीतिक संगठनों का निर्माण हुआ जिसने कांग्रेस पार्टी की जगह ली जिसका 1990 के दशक तक दलित राजनीति तक पकड़ रही। दक्षिण भारत में दलित सक्रियता का उद्भव हुआ। बहुजन समाज पार्टी के रुप में नए राजनीतिक दलों का प्रभाव बढा। 2001 में डर्बन (दक्षिण अफ्रीका) में नस्लवाद, नस्लीय भेदभाव, जाति, नस्ल एवं सामाजिक बहिस्कार पर विश्व सम्मेलन आयोजित हुआ । रजनी कोठारी का कहना है कि 1990 में सैद्धांतिक एवं राजनीतिक चिंतन में वाद–विवाद का विषय जाति एवं इसकी सामाजिक परिवर्तन में भूमिका रहा। इसने शिक्षा, रोजगार और विशेष अधिकारों के द्वारा अन्याय पर आधारित सामाजिक सरंचना एवं पदसोपानात्मक व्यवस्था को चुनौती दी।[16]

दलित प्रश्न जो कि भेदभाव को दूर करना, सामाजिक–आर्थिक सुधार करना और राजनीतिक शक्ति में हिस्सेदारी करना, ने भारतीय राजनीति में केन्द्रीय स्तर पर जगह बना ली। औपनिवेशिक काल से ही राजनीतिक नेताओं ने समाज के इन वर्गों को ऊंचा उठाने और इनका समर्थन प्राप्त करने के लिए भिन्न–भिन्न तरीके अपनाए, यह महात्मा गाँधी एवं डॉ. अम्बेडकर के बीच नाराजगी का एक मुद्दा था, जिसने बाद के राजनीतिक वाद–विवाद में अपनी छाप छोड़ी। हाल ही के वर्षों में, उँची जातियों का भेदभाव और दलितों की राजनीतिक गतिशीलता, राज्यों की राजनीति में एक महत्वपूर्ण कारक रहा। सभी राजनीतिक दलों ने इस सामाजिक समूह का समर्थन प्राप्त करने के लिए प्रयास किए। जो कुछ राज्यों में तीसरी शक्ति के रुप में उभरा जिसने विधानसभा और राष्ट्रीय चुनाव में अखिल भारतीय दलों के बीच राजनीतिक संतुलन स्थापित किया।[17]

बुहजन समाज पार्टी का दलित उत्थान *आत्मस्वाभिमान की धारणा* पर आधारित है। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि भौतिक लाभों की तुलना में दलितों के लिए आत्म सम्मान ज्यादा महत्वपूर्ण है। सामाजिक न्याय के रुप में दलित उत्थान एक अवधारणा बन चुकी है। 1990 के बाद दलित चेतना में तेजी से उछाल आया है, और बसपा के नेतृत्व में दलित गतिशीलता बढी है। इससे भारतीय राजनीति में दलितों की राजनीतिक शक्ति में वृद्धि हुई है।[18] कांशीराम का मानना है कि दलितों में गरीबी एवं पिछड़ेपन का कारण, सामाजिक एवं राजनीतिक शक्तिहीनता है, जिसकी जड़ें ब्राहमणवादी व्यवस्था में है। उनका विचार है कि आर्थिक असमानताएं जैसे

भूमि एवं आय का अनुचित वितरण, असमान जाति व्यवस्था का परिणाम है। ऊँची जातियों के भूपतियों द्वारा भूमिहीन श्रमिकों के साथ दुर्व्यवहार, भूमि पर असमान संबंधों की जड़ें हैं। उनका कहना है कि जब तक राजनीतिक शक्ति उत्पीड़कों के हाथ में है, तब तक मजदूरी और कार्य दशाओं में सुधार नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि आर्थिक शक्ति, राजनीतिक शक्ति एवं राजनीतिक समानता पर आधारित है।[19]

2007 में बी.एस.पी. ने दलित बहुजन को दलित सर्वजन राजनीति में बदलकर उत्तरप्रदेश (सबसे बड़े प्रदेश) में राजनीतिक सत्ता प्राप्त की। बी.एस.पी ने दलित आंदोलन में *सर्वजन की राजनीति* का नया प्रयोग किया।

दलित राजनीति चेतना के उभार की दिशा में एक बड़ी कमजोरी यह है कि दलितों की विचारधारा में आर्थिक चिन्तन का अभाव है। वे भारत के मौजूदा सामाजिक–आर्थिक ढाँचे के विरुद्ध तो है लेकिन उनकी अपनी आर्थिक नीति क्या होगी, इस विषय पर बसपा ने अपनी कोई रूपरेखा प्रस्तुत नहीं की है। देश की आर्थिक विषमताओं को कांशीराम भी जातीय आधार पर देखते हैं । उनके अनुसार जमीन और उद्योगों के स्वामित्व पर स्वर्णों का नियन्त्रण है जो दलितों, पिछड़ों के श्रम से मुनाफा कमाते हैं। लेकिन वह स्वर्णों की भूमि के अधिग्रहण और उसे भूमिहीन दलितों पर बाँटने और उद्योगों पर दलित श्रमिकों के नियन्त्रण की बात नहीं करते बल्कि भूमि के वितरण और खाली पड़ी भूमि के अधिग्रहण पर ज्यादा जोर देते हैं।[20]

दलित राजनीतिक चेतना के उभार में दूसरी कमी यह है कि दलित राजनेता अपनी राजनीति को ऊँचा उठाने में लग गये हैं चाहे वह कांशीराम हों, मायावती हों या कोई दूसरा, अपनी सत्ता लोलुपता के कारण ये किसी भी पार्टी के साथ साठ–गाँठ करते रहते हैं। अतएव दलित राजनीति को अधिक उदार और सर्वग्राही बनाना होगा। अन्यथा दलित उभार जातीय संघर्ष में उलझकर रह जायेगा और जाति विहीन समाज का उसका लक्ष्य पूरा होने के स्थान पर समाज मे जातिवाद और भी मजबूत हो जायेगा।

सत्ता प्रधान अवसरवादी राजनीति से ऊपर उठ कर दलित समाज के सम्पूर्ण शैक्षिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, सामजिक एवं राजनीतिक विकास के प्रयास करना होगा। दरअसल ''सामाजिक शक्तिकरण औद्योगीकरण का विस्तार, शिक्षा का विस्तार, राजनीतिकरण के विकास का न्यायसंगत बंटवारा इत्यादि से अभिन्न रूप से जुड़ा है । अतः दलितों का उत्थान तभी सम्भव है जब दलित नेतृत्व एक साथ सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्रान्ति के लिए प्रतिबद्धता प्रदर्शित करें और यह तभी सम्भव है जब वह अम्बेडकर के मानववादी मूल्यों, त्याग, शिक्षा, संगठन, संघर्ष, दायित्व, कर्तव्य, निष्ठा, संयम और साहस को अपनाकर एक सशक्त वैचारिक नेतृत्व प्रदान करते हुए सतत् आन्दोलन की दिशा का मार्ग प्रशस्त करें।[21]

उपलब्धियां केवल रिकॉर्ड के लिए गिन सकते हैं। जैसे मायावती चार बार मुख्यमंत्री रही, दूसरे दलित नेता भी मंत्री रहे। इसे मैं कोई उपलब्धि नहीं मानता। मूल चीज यह है कि समाज में परिवर्तन आया कि नहीं। दलित राजनीति का विकास जातिवादी समाज में संभव नहीं है, इसलिए आज रिजर्वेशन को खत्म करने तक की मांग हर पार्टी में उठाई जा रही है। सामाजिक आंदोलन मजबूत होता तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि वह रिजर्वेशन या दलित कल्याण का विरोध करता। दलित जिस पॉलिटिकल पार्टी में काम कर रहे हैं, वे उस पार्टी के उसूलों को मानते हैं। नहीं मानते तो भी वे चुप रहते हैं। पार्लियामेंट के रिकॉर्ड को देखा जाए

तो दो–चार को छोड़ कर, पांच साल बीत जाता है, एक भी दलित उत्पीड़न के खिलाफ नहीं बोलता। दूसरे लोग ही यह मुद्दा उठाते हैं, दलित कभी नहीं उठाते। अब तो दलित गेरुआ साफा गले में बांध के घूम रहे हैं। दलित राजनीति का डिजेनरेशन बड़े पैमाने पर हुआ है।[22]

शोध निष्कर्ष

निष्कर्ष के रुप में कहा जा सकता है कि संविधान क्रियान्वयन के 73 वर्षों के बाद भी दलितों की राजनीतिक चेतना सामाजिक समरसता में क्यों नहीं परिवर्तित हुई। दलित समाज को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक अधिकार उपलब्ध होने के बाद भी मुठ्ठी भर दलितों को इसका लाभ मिला। दलित समाज का एक बहुत बड़ा भाग आज भी अज्ञानता, गरीबी, अंधविश्वास, भय एवं उत्पीड़न के कारण जीवन के हर क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। दलित समाज के कुछ शिक्षित, जागरुक, चतुर, सौदेबाज एवं चापलूस नेताओं ने पूरे दलित समाज को राजनीतिक एवं आर्थिक सुविधाओं का लालच देकर शोषण किया है। न केवल कुछ दलित नेताओं बल्कि अगड़े समाज के प्रभावशाली नेताओं ने भी दलित समाज को उनके अधीनस्थ प्रतिनिधियों का चयन दिखाकर उनका राजनीतिक शोषण किया। देश में प्रायः सभी राजनीतिक दलों ने चंद दलित नेताओं के आधार पर उन्हें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय से वंचित रखा।

सभी दलों ने दलितों को राष्ट्रीय, राज्य एवं स्थानीय स्तर पर नेतृत्व की जिम्मेदारी दी, लेकिन व्यवहार में उनका मुख्य कार्य दल की सम्पूर्ण जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि दलित समाज को चुनाव के समय बांध कर रखना है। दलित नेताओं ने दलित समाज की मांगों को गम्भीर रूप से कभी नहीं उठाया, क्योंकि वे व्यक्तिगत लाभ तक सीमित रहे और शेष दलित समाज इसी तरह सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक शोषण का शिकार रहा। राष्ट्रीय दलों ने कुछ दलित नेताओं जैसे कांग्रेस ने बाबू जगजीवन राम को संगठन की जिम्मेदारी देकर प्रधानमंत्री पद से वंचित रखा। कांग्रेस पार्टी में 40 वर्ष सेवा करने के बाद भी चौधरी प्रेम सिंह को दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं बनाया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता बूटा सिंह को भी पंजाब के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं दी गई। महाराष्ट्र से सुशील कुमार शिंदे को केंद्रीय मंत्री तक सीमित रखा, उन्हें महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। 2004 में हरियाणा से वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री कुमारी शैलजा को मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं दी गई, बल्कि उनकी जगह भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाया गया । 2022 में कॉंग्रेस ने पंजाब में दलित समाज के मतों को प्राप्त करने के लिए विधानसभा चुनाव से कुछ समय पहले चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया।

राष्ट्रीय दलों में दूसरे बड़े दल भारतीय जनता पार्टी ने दलित नेता बंगारू लक्ष्मण को संगठन की राष्ट्रीय जिम्मेदारी दी, लेकिन व्यवहार में उनको देश के भावी प्रधानमंत्री या किसी राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर प्रस्तुत नहीं किया गया। राष्ट्रीय दलों में भारतीय साम्यवादी पार्टी एवं मार्क्सवादी साम्यवादी पार्टी ने भी दलित समाज के मतों को प्राप्त करने के लिए कुछ दलित नेताओं को सीमित जिम्मेदारी दी। राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टी ने भी दलित समाज के मतों को प्राप्त करने के लिए दलित नेताओं को संगठन में बनाए रखा। बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर दलित राजनीतिक चेतना के अपवाद के रुप में चर्चित रही क्योंकि इस दल का नेतृत्व एक दलित व्यक्ति के हाथों में रहा। कुमारी मायावती ने उत्तरप्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री बनकर दलितों में राजनीतिक चेतना को विकसित किया। वर्तमान समय में, पार्टी का जनाधार उत्तरप्रदेश समेत राष्ट्रीय स्तर पर कमजोर होने से दलित समाज का राजनीतिक निर्णय निर्माण परिवर्तित हुआ है।

प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य है कि कैसे दलित समाज में राजनीतिक चेतना राष्ट्रीय स्तर पर विकसित नहीं हुई और उन्हें राज्य या राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए जिम्मेदारी नहीं दी गई। प्रस्तुत शोध पत्र की साहित्यिक समीक्षा से यह स्पष्ट है कि डॉ. अम्बेडकर से लेकर कांशीराम या मायावती तक एवं रामविलास पासवान से लेकर वर्तमान में आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) प्रमुख चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण तक दलित समाज में राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक चेतना विकसित करने में क्यों असफल रहे। लगभग सभी राष्ट्रीय एवं राज्य दलों के दलित नेताओं ने राष्ट्रीय स्तर पर दलितों की मांगों को मुखर रुप से न उठाकर, राजनीतिक लाभ को अपने परिवार एवं निर्वाचन क्षेत्र तक सीमित रखा। विभिन्न लेखकों, पत्रकारों, प्राध्यापकों, शोधार्थियों एवं राजनीतिक वैज्ञानिकों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि अगड़े समाज के साथ–साथ दलित समाज के नेताओं ने भी राजनीतिक एवं आर्थिक लाभों को अपने परिवार एवं निर्वाचन क्षेत्र तक सीमित रखा जिससे अधिकांश दलित समाज आज भी जीवन के हर क्षेत्र में पिछड़ा, शोषित एवं पीड़ित है।

❐

***सन्दर्भ* –**

1. डॉ. रुपचंद गौतम, दलित राजनीति– उद्भव एवं विकास, श्री नटराज प्रकाशन, दिल्ली, 2012, पृ.11
2. वहीं, पृ.16
3. वहीं, पृ.16
4. मेनस्ट्रीम, दिसम्बर 27, 2003, पृ. 68, 69
5. डॉ. रुपचंद गौतम, दलित राजनीति– उद्भव एवं विकास, श्री नटराज प्रकाशन, दिल्ली , 2012, पृ.16
6. वहीं, पृ. 17
7. वहीं, पृ. 17
8. मंगला प्रसाद सिंह, दलित चेतना एवं डॉ. भीमराव अम्बेडकर, (शोधग्रन्थ), राजनीति विज्ञान विभाग, वीबीएस पूर्वांचल विश्वविद्यालय, उत्तरप्रदेश, 2011, अध्याय–5, पृ. 6,7
9. वहीं, पृ. 6, 7
10. भगवानदास (लेख), डॉ. अम्बेडकर और भारतीय संविधान, प्रतिपक्ष, (अप्रैल 1991), पृ. 25
11. सिकंदर कुमार डलगच, भारतीय राजनीति में दलित चेतना उन्यन में बसपा की भूमिका, (शोध ग्रंथ), राजनीति विज्ञान विभाग, डॉ. हरिसिंह गौड विश्वविद्यालय , मध्यप्रदेश, 2013, पृ. 151
12. वहीं, पृ. 152
13. वहीं, पृ. 152
14. श्याम सिंह, दलित मूवमेंट एंड एमरजेंस ऑफ बी.एस.पी इन उत्तरप्रदेश, द इंस्टीट्यूट फॉर सोशल एंड इकॉनॉमिक्स चेंज (शोध–पत्र), बैंगलोर, 2010, पृ. 6
15. वहीं, पृ. 7
16. रामनारायण एस.रावत एवं के. सत्यनारायण, दलित अध्ययन, ड्यूक यूनिवर्सिटी, प्रैस, 2016, पृ.17
17. इकॉनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, मार्च 13, 2004, पृ.1141
18. कुमारी मायावती, बहुजन समाज और उसकी राजनीति, बीएसपी केंद्रीय कार्यालय, दिल्ली, 2001, पृ.15
19. आर.के.सिंह, कांशीराम और बीएसपी, कुशवाहा पब्लिकेशन, इलाहाबाद, 1996, पृ.37
20. निमिषा शुक्ल, दलित राजनीति के विविध पक्ष – वर्तमान संदर्भ में, (शोधग्रंथ), राजनीति विज्ञान विभाग, बुण्देलखण्ड यूनिवर्सिटी, उत्तरप्रदेश, 2013, अध्याय –7, पृ.144
21. वहीं, अध्याय –8, पृ. 206
22. तुलसीराम से एस.के.गौतम का संवाद, नवभारत टाईम्स (ऑनलाईन), हिंदी माध्यम, 19 अप्रैल 2014

पूर्वदेवा– सामाजिक विज्ञान शोध पत्रिका
वर्ष 29, अंक, 114–115, जुलाई–दिसम्बर, 2023 पृ. 147–156

UGC Care Listed Journal
ISSN 0974 -1100

WOMEN SANITARY WORKERS
A CASE STUDY OF MANGALURU CITY OF KARNATAKA

Alwyn Stephen Misquith
Assistant Professor, Department of Economics,
St. Aloysius College (Autonomous), Mangaluru-575003
Email: alwynstephen@gmail.com Mob:9538189529

Dr Jayavantha Nayak
Professor & Head, Department of Economics, University College, Mangaluru-575001

ABSTRACT:

Women are an integral part of the society. As a daughter, wife and mother they play a key role in the family. Women also play a vital role in socio-economic morals and ethics in the society. Women constitute half of the world's population. In India, as per 2011 census, women constitute of 586.46 million which is 48.46 percent are females. 57.3 percent of the women aged 15-59 work in agriculture sector in 2021-22(Dhruvika & Akshi).[1] Women work in different sectors like agriculture, industries, business houses and service sector. A large number of poor women belonging to the lower section of the society are found toiling in the urban sanitation sector. Sanitation being the important need in the society, so as women are the backbone of the society. Women are seen in more number than men in sanitation works like public toilets, streets, parks, public spaces, sewers etc. The present study is undertaken to study the role and problems of women sanitation workers of Mangaluru city of Karnataka. The study is based on the primary data which is collected from 60 women sanitation workers working in Mangaluru city limits, through direct interview with the help of structured questionnaire. The study is based on the objectives, that is to study the socio-economic conditions, issues, challenges of women sanitation workers in Mangaluru city and to suggest innovative policy interventions that help to mitigate the challenges faced by women sanitation workers.

Keywords : Urban waste management, Informal sector, Women sanitation workers.

INTRODUCTION:

Women are a significant part of Indian society. All round development of any country is possible only when women are treated equally with men. Women work for a number of reasons; to support the spouse, to look after the education of

children, to cater the needs of the family etc. As per 2011 census female literary rate in India was 65.46 percent (Census 2011).[2] Majority of the illiterate unskilled women get an easy job opportunity in the informal sector. About 90 percent of the women work in informal sector of which 20 percent work in the urban areas (Geetika et al 2011).[3] Fast development of cities and growing needs for waste management provides plenty job opportunities for illiterate and unskilled women labourers. In India women make up more than 80 percent of waste pickers and 50 percent of urban sanitation workers (Nazir Tashafi 2021).[4]

In the urban informal sector women are engaged in various economic activities such as domestic workers, construction workers, sanitary workers, industrial workers, self-enterprises, street vendors, rag pickers etc. Waste management sector is a key segment of the fast-developing cities in the country. As demand for infrastructure rises in the urban areas, demand for sanitary workers is also seen increasing along these years. In India sanitation workers provide an invaluable service to the public everyday by risking their lives to ensure that our cities are clean so that people have a safe and healthy living (Gupta Anvesh 2022).[5]

Mangaluru the heart of Dakshina Kannada district of Karnataka is a fast developing smart city. As the demand for infrastructure and housing is on a rise, there is a greater need for sanitation workers. That is where waste management segment plays a key role in the city of Mangaluru. Both men and women workers are found toiling in the waste management sector in Mangaluru city who are called as Pourakarmikas. Under Mangaluru city corporation Anthony waste management cell Pvt Ltd has been taking a lead in managing the waste with more than 2,000 men and women employees. The sanitation workers are migrants from other districts of Karnataka state. They manage to stay in shared rented houses by sharing the rent along with their fellow workers. Women workers often face health issues while engaged in sanitation jobs as a result of bacterial infections. They have no provision for clean drinking water, toilet facilities and changing rooms when on duty. Therefore, the present study explores all the possible avenues which can be explored in order to provide conducive work environment with enough safety and necessary facilities to enable women sanitation workers to lead a decent life.

REVIEW OF LITERATURE:

Female sanitation workers are one of the most vulnerable groups in society. Women suffer further vulnerability due to lower compensation with no benefits. Employers give least importance towards their physical and mental health. They are not aware about their rights and various schemes meant for their empowerment (Participatory research in Asia 2019).[6]

On a daily basis more than five million sanitation workers in India put their lives at risk and ensure people have access to fully functioning sanitation services. But their constant efforts remain unrecognized. Women make up more than 80% of waste pickers and 50% of urban sanitation workers. The women sanitation workers are vulnerable because of their gender (Nazir Tashafi 2021).[4]

India has taken significant strides to improve access to sanitation. However, critical stakeholders engaged in sanitation work still face numerous challenges around safety, health, dignity and rehabilitation. The work, often in appalling conditions, is reserved for Scheduled Castes. Their lives remain substantially unchanged despite India's overall economic, social and technical advancement (Olwe Sudharak 2019).[7]

Estimates suggest that by 2025 the world's cities will produce 2.2 billion tonnes of waste every year which is more than three times the waste produced in 2019. Gender inequality in waste management sector justifies gender inequality in the society at large. Changing attitude about gender norms through awareness camps, training and research to collect sex and gender disaggregated data are crucial in addressing gender inequality in waste management sector (UNEP 2022).[8]

Women make up 90 percent of the labourers who work as recycling waste pickers. A considerable number of them being widow and single mother work to support their family and look after the education of their children. Women mostly do base level unskilled jobs such as sweeping the streets, collection of mixed waste and helping their partners in carrying the waste. But women on an average earn half that of men in the sector and their issues and concerns are seldom heard or amplified (R. Lavanya 2021).[9]

STATEMENT OF THE RESEARCH PROBLEM:

Women are involved in almost all categories of work in the informal sector. They come across lot of challenges as they perform their dual task as home maker and working women. The existing studies explore the problems and challenges faced by women sanitation workers in different cities in India. In Karnataka urban bodies there are 54,000 sanitation workers out which 17,000 are government workers and rest 26,349 are on contract base. As Mangaluru city is fast developing smart city, everyday more than 2,000 sanitation workers both men and women strive hard to keep the city clean. In Mangaluru 111 workers were made permanent in 2022. Still 800 workers are contract based (Dsouza Alfie 2023).[10] Inspired by the existing studies the present study is an attempt in this region of the country to study the role and problems of women sanitation workers in Managaluru city of Karnataka with the following objectives.

OBJECTIVES:

1. To study the socio-economic status of women sanitation workers of Mangaluru city.
2. To understand the problems faced by women sanitation workers of Mangaluru city.
3. To suggest policy measures for the empowerment of women sanitation workers.

METHADOLOGY:

The study is based on both primary and secondary data.

A. Primary data: primary data has been collected from 60 women sanitation

workers of Mangaluru city who are selected through random sampling. As it is pre-decided that all the respondents are not able to read and write, the data is collected through direct personal interview method with the help of well-structured questionnaire.

B. Secondary data: the secondary data has been collected from various research papers, books, district statistics, magazines, newspapers, journal articles, thesis, and reports published by government of Karnataka, government of India and from website of different government agencies.

FINDINGS AND ANALYSIS:

1. Age of the respondents: Table No. 1

Age group	No. of respondents	Percentage
18-25	14	23.3%
26-35	38	63.4%
36 and above	8	13.3%
Total	60	100%

Source: Field survey.

Interpretation:

As age of the respondent is one of the significant factor of the demographic profile, it is found that among the 60 respondents a majority 38 respondents belong to the age group of 26-35 years, followed by 14 respondents in the age group of 26-35 years and just 8 respondents are of 36 years and above. It clearly explores that young women work in the waste management sector in Mangaluru city.

2. Educational status of the respondents: Table No. 2

Educational level	No of respondents	Percentage
Illiterate	3	3.33%
Primary	34	56.6%
High school	20	18.3%
SSLC	13	21.6%
Total	60	100%

Source: Field survey.

Interpretation:

The choice of the occupation also depends upon the educational status. Among the respondents a majority 34 respondents have studied up to primary, followed by 20 respondents who have competed high school, 13 respondents studied up to SSLC, 13 respondents have studied up to SSLC and just 3 respondents are illiterate.

3. Marital status of the respondents: Table No. 3

Marital status	No of respondents	Percentage
Married	53	88.3%
Unmarried	7	11.7%
Total	60	100%

Source: Field survey.

Interpretation:

Among the 60 respondents, a majority 53 respondents are married and the rest 7 are unmarried. The unmarried women workers belong to the age group of 18-25 years. They work to support their parents for the financial stability of the family.

4. Number of children of the respondents: Table No. 4

Number of children	No of respondents	Percentage
1-2	11	18.3%
3-4	34	56.6%
5 and above	4	6.7%
No children	2	3.3%
Does not apply (unmarried)	7	11.7%
Total	60	100%

Source: Field survey.

Interpretation:

Among the 53 respondents who are married, 51 of the respondents have children. When it comes to the number of children, it is found that a majority 34 respondents have average 3 to 4 children, followed by 11 respondents who have 1 to 2 children and just 4 respondents shave a large number of children hat is 5 and above. It is also observed that just 2 respondents had no children.

5. Employment status of spouse of the respondent: Table No. 5

Employment status of spouse	No of respondents	Percentage
Working	45	75%
Not working	15	25%
Total	60	100%

Source: Field survey.

Interpretation:

Women work to support their spouse and family. In situations where their spouse is unemployed, women shoulder the extra burden of looking after the family. Among the respondents 45 of their spouses are working and 15 respondents spouses are unemployed.

6. District of the respondents: Table No. 6

District of the respondents	No of respondents	Percentage
Mandya	16	26.6%
Bijapur	32	53.3%
Raichur	9	15%
Hubli	3	5%
Total	60	100%

Source: Field survey.

Interpretation:

It is found that all the 60 respondents are migrants from various districts of Karnataka. The Karnataka state has 30 districts. But the respondents come from only 4 districts. A majority 32 respondents belong to Bijapur district, 16 belong to Mandya district, 9 respondents belong to Raichur district and just 3 of them belong to Hubli district.

7. Monthly Income of the respondents: Table No. 7

Monthly income	No of respondents	Percentage
>10,000,<15,000	46	76.6%
>25,000,<30,000	14	23.3%
Total	60	100%

Source: Field survey.

Interpretation:

It is found that among the respondents just 14 are permanent in service and their salary is above Rs. 25,000. But a majority 46 respondents are contract based who are paid a salary between Rs. 13,000 to Rs. 15,000.

8. Social security measures available for the respondents: Table No. 8

Social security measures	No of respondents	Percentage
Available	60	100%

Source: Field survey.

Interpretation:

Social security is a necessity for labour welfare. It is the need of the hour to secure the workers financially. In the study area it is found that, all the 60 respondents who work as sanitation workers had provident fund benefit. It can be noticed that even the contract-based workers are also given social security measures in Mangaluru city which is an exemplary situation and a point to be noted.

9. Financial status of the respondents: Table No. 9

Savings habit & Debt status	No of respondents	Percentage
Savers	27	45%
Debtors	46	76.7%

Source: Field survey.

Interpretation:

The economic status of the individual can be better learnt by the pattern of their savings and debt status. Women workers save for many reasons. Basically, they save for transaction and precautionary motives, that is to look after education of their children, to repay the debt and to acquire few assets. Among the 60 respondents just 27 have savings in the post office and banks. Among the respondents a majority 46 respondents have incurred a debt from money lenders, contractors, land lords, friends, relatives and banks. The debt amounts ranges between Rs. 10,000 to Rs. 50,000. Low asset base is the prime reason for the small amount of debt incurred.

10. Working hours and place of stay and rent of the respondents: Table No. 10

Number of working hours	No of respondents	Percentage
8-9	60	100%
Place of stay:	No of respondents	Percentage
Rented house/ room	60	100%
Rent amount	No of respondents	Percentage
Rs. 4,000	60	100%

Source: Field survey.

Interpretation:

When it comes to working hours per day, all the respondents opined that they work for 8-9 hours per day. Food, clothing and shelter are the three prime needs of an individual. It is observed that among the respondents all the 60 respondents stay in rented houses or rooms which are usually shared rooms and all of them pay Rs. 4,000 as monthly rent.

11. Health issues faced by the respondents: Table No 11

Health issues faced	No of respondents	Percentage
Respiratory problems	38	63.3%
Common cold	21	35%
Skin infection	34	56.6%
Back pain	18	30%

Source: Field survey.

Interpretation:

Working in the waste management sector could be highly risky in terms of health conditions. It is found that in the study area among the 60 respondents a majority 38 suffer from respiratory problems due to gasses produced by the waste, 34 respondents also face issues like skin infection due to non-covering of hands with hand gloves, 21 respondents suffer from common cold and 18 respondents have pack pain due to consistent bending to pick up the waste.

12. Annual Health Expenditure of the respondents: Table No. 12

Annual health expenditure	No of respondents	Percentage
Below Rs 15,000	44	73.3%
Rs.15,000 to 25,000	16	26.7%
Total	60	100%

Source: Field survey.

Interpretation:

Health expenditure of the respondents indicates their financial capacity and preference of healthcare. In the study it is found that among the respondents a majority that is 44 respondents had an annual health expenditure of below Rs. 15,000 and just 16 of them spent Rs. 15,000 to Rs. 25,000 on health care. This also reveals that they approach public health care services often to treat all kind of health issues and occasionally go to the private hospitals.

13. Work experience of the respondents: Table No. 13

Years of work experience	No of respondents	Percentage
0-1 year	3	5%
1-5 years	47	78.3%
6-10 years	10	16.6%
Total	60	100%

Source: Field survey.

Interpretation :

Fast development of Mangaluru city has witnessed increasing work opportunities in waste management sector. A large number of people migrate to Mangaluru city for better job opportunities. Among the respondents a majority 47 have a work experience of 1-5 years in the waste management sector in Mangaluru city, followed by 10 respondents who have worked in the sector for 6-10 years in Mangaluru and just 3 have just joined this sector.

14. Religion and Category of the respondents Table No. 14

Religion of the respondents	No of respondents	Percentage
Hindu	60	100%
Category of the respondents		
Scheduled Caste	38	63.4%
Scheduled Tribe	20	33.3%
Others	2	3.3%
Total	60	100%

Source: Field survey.

Interpretation:

The study explores that all the 60 respondents belong to Hindu religion. When it comes to the category a majority 38 respondents come under Scheduled Caste category, followed by 20 respondents who belong to Scheduled Tribe category and the just 2 respondents belong to other categories.

15. Level of job satisfaction: Table No. 15

Job Satisfaction level	No of respondents	Percentage
Highly satisfied	19	31.6%
Satisfied	24	40%
Less satisfied	6	10%
Least satisfied	11	18.3%
Total	60	100%

Source: Field survey.

Interpretation:

Job satisfaction of the workers reveals the working conditions of the sector. Among the 60 respondents a majority 24 are satisfied with the job, followed by 19 respondents who are highly satisfied with the job opportunities, 11 are least satisfied with the job and just 6 are less satisfied with the job opportunities. The overall opinion sounds to be women workers are satisfied with working conditions in the waste management sector in Mangaluru city of Karnataka State.

SUGGESTIONS :

The study comes across the women sanitation workers who do not receive various facilities promised by the government such as Rs 2,000 monthly risk allowance announced by the chief minister, hand gloves, gumboots, changing room for women, toilet and drinking water facility etc. Therefore, efforts must be made for the effective implementation of various government schemes.

· The study comes across the women sanitation workers who face various health issues. Hence, reminding the women sanitation workers to ensure food and nutritional needs and to give first priority to their health and hygiene is a must.

· The study reveals that a major share of the earnings of women sanitation workers is paid as rent as majority of the respondents are living in rented houses. Hence, it is strongly suggested that government can provide housing facilities for these poor migrant women workers at a concessional rate.

CONCLUSION:

All round development of a country is possible only when women are treated equally with men in all dimensions of the society. All the works have their own role and significance in the economy. Sanitation is a challenging work which is not taken up by only few. Many illiterate, ignorant and poor women belonging to the backward category take up this occupation and help to keep the city clean. Since women are vulnerable sections of the society, helping the women sanitation workers in easing their work, making them aware about their rights and effective implementation of various government schemes which are meant for their welfare would definitely result in empowerment of women sanitation workers all over the world.

❒

BIBLIOGRAPHY:

1. *Dhruvika & Akshi (2023). Growth in female labour force participation in India now seems to be stagnating. Retrieved from thewire.in, 20-03-2023.*
2. *Census 2011 report- Government of India.*
3. *Goel Geetika, Singh Tripti & Gupta Anivta (2011). Women working in informal sector in India: A saga of Lopsided Utilisation of Human Capital, International Conference on Economics and Finance research at LACSIT Press, Singapore at Hong Kong. Volume: 4.*
4. *Nazir Tashafi (2021). Invisible and discriminated: the plight of women sanitation workers making bharat swachh. Retrieved from thelogicindian.com, 27-6-2021.*
5. *Gupta Anveshi (2022). The reality of sanitation workers in India. Retrieved from Haq Darshak Empowerment Solutions, 18-2-2022.*
6. *Participatory research in ASIA (2019). Lived realities of women sanitation workers in India. Retrieved from the sanitation learning hub, June 2019.*
7. *Olwe Sudharak (2019). World sanitation day: the lives of Indian sanitation workers. Retrieved from BBC News, 19-11-2019.*
8. *UNEP (2022). Why gender dynamics matter in waste management. Retrieved from United Nations Environmental Programme, 13-10-2022.*
9. *R. Lavanya (2021). Waste management: how women do all the work yet remain undervalued. Retrieved from feminisminindia.com, 09-07-2021.*
10. *Dsouza Alfie (2023). With Purakarmikas strike reaching 7th day heaps of garbage seen everywhere in city. Retrieved from mangalorean.com, 20-03-2023.*

पूर्वदेवा– सामाजिक विज्ञान शोध पत्रिका
वर्ष 29, अंक, 114–115, जुलाई–दिसम्बर, 2023 पृ. 157–163

UGC Care Listed Journal
ISSN 0974 -1100

An Exploration of humanism in Khushwant Singh's *Train to Pakistan*

Dr. Pramod Kumar
Asst. Professor, Department of English, H.V.M. (P.G.) College, Raisi
Haridwar, Uttrakhand, India
E-mail- pramodharidwar@gmail.com

Abstract

This article intends candidly to explore and evaluate humanism in Khushwant Singh's *Train to Pakistan* in relation to partition literature. The literary depiction of the partition literature initiates the relative majority of human backgrounds, actions and experiences. It opposes openly the arbitrariness of a nation. It explores explicitly several burning problems of caste, class, gender and religion and introduces largely a focus of public attention. This paper explores vividly how the novelist succeeds in reflecting the victory of humanism over communalism. Singh's humanism is a literary perspective of views of visions adding chief significance to human beings rather than religious fanaticism and hidden hatred. His humanism is wholly reflected in his novel, *Train to Pakistan* through a few realistic interactions and conversations of characters. It was heroic Jagga who justified himself to be a real humanist. Singh's literary treatment of realism and humanism seems to be much useful and relevant to current national and societal solutions of the challenges and problems of the world masses.

Keywords: Humanism, realism, love, violence, hatred, communalism

Train to Pakistan is eminently a socio-historical novel written by a renowned journalist, Khashwant Singh. Singh's literary creativity includes both fiction and non-fiction. He mostly authored several books in English language. His novel, *Train to Pakistan* was firstly published in 1956. There are fully four parts in Singh's novel, *Train to Pakistan* namely Dacoity, Kalyug, Mano majra and Karma. The first part of the novel is 'Dacoity' that consists of five chapters, whereas the second part 'Kalyug' also contains five chapters. The third part belongs 'Mano majra' that is a tiny village where the events of the novel happen, it has two chapters. The last part of the novel is "Karma" that consists of seven chapters. On the whole, Singh's novel, *Train to Pakistan* consists of nineteen chapters. The first part of the novel,

'Dacoity' shows an action of burglary and religious hatred in Mano Majra, it is a metaphor too for the existence of wickedness in human conduct. It is the burglary of human morals. It is the language and conduct of morality that always promotes humanism. On the contrary the novelist narrates in detail an account of the destruction of the valuable construction of human development, advancement and culture in the name of too much fanaticism. This novel focuses on the partition of India in 1947. It narrates how partition of India affected badly a tiny village, Mano Majra where people from all religions and faiths once lived happily in amity and unity. The literary significance of *Train to Pakistan* lies in the delineation of reality, humanity, love and sex and through the real understanding of partition literature the novelist shows powerfully the real situations and real events of India and Pakistan in terms of various religions that are the eminent traits of Indian culture. In this regard, in *Partition Literature, and Cinema,* Jaydip and Rupayan Mukherjee state:

While the standard historiography of Partition points to Jinnah and Muslim League as solely responsible for the partition of India and the creation of Pakistan, there is a growing oppositional view that Punjabi and Bengali Hindus were equally complicit in demanding Partition when it became clear that they would be reduced to minorities in the newly created nations.**1** (p.02)

Indeed, partition literature presents a division not only of political and geographical description but also of historical & cultural backgrounds. It gives vividly a narration of various languages and memories among the people of several communities. The literary delineation of the partition of India focuses on the plurality of human experiences. It shows effectively the arbitrariness of a nation and explore carefully several issues of class, gender, religion along with communal feelings and riots. In the book, *Partion Literature*, Debjani Sengupta comments:

Millions of people, Hindus, Sikhs and muslims, crossed the freshly defined boundaries; in West Bengal alone an estimated 30 lakh Hindu refugees entered by 1960 while 7 Lakh muslims left for East Pakistan. Over a million people died in various communal encounters that involved the major communities. For more than 80 thousand women, in India and Pakistan,independence came accompanied with abduction and Sexual assault.**2**(p.x)

Indeed, most of the people based on religious and cultural differences transferred from one country to another country in unplanned way. Many people were brutally killed in the name of religion. Thousand of people who managed to cross the border remained in refugee camps. Thousand of women were sexually abducted and raped. Singh is a distinctive novelist who is famous for his sense of social realism and humanism. His novel, *Train to Pakistan,* is a partition novel that is a delightful combination of the facts and fantasies. The partition of India in 1947 brought an anarchy which resulted in brutality. There are a few partition novels that are based on partition literature like Manohar Malgonkar's *A Bend in the Ganges*, Chaman Nahal's ***Azadi,*** Bhisham Sahni's *Tamas*, and Bapsi Sidhwa's *Ice - Candy – Man*, where we find a strong balance of the facts and fantasies. It is an interesting

fact to see that the novelist has presented the concerned train symbolically. People of Mano Majra have different point of views on the arrival of a train at the station. It can be traced by the following lines –

One morning, a train from Pakistan halted at Mano Majra railway station. At first glance, it had the look of the trains in the days of peace. No one sat on the roof. No one clung between the bogies. No one was balanced on the footboards. But Somehow it was different.**3**(p.82)

The people of Mano Majra were uneducated enough to know and understand the meaning of partition. They were engaged in their own works. Hindus and Muslims would live together harmoniously. The arrival of train from Pakistan generated gap among people of Mano Majra. The train carried almost fifteen hundred dead bodies. It was bitterly the agony of genesis of partition which was jointly seen by the people of Mano Majra. People started to distrust on one another. The distrust was largely caused by the rumours in Mano Majra where it was insignificantly thought that Muslims were responsible for such horrible events. Therefore there were extremely stress between two communities. The community of the Sikhs and the Hindus were separated from the community of the Muslims after such events. In this growing gap even women and children were not afraid. But all people of Mano Majra afraid of horror, terror and Killing. The novelist narrates:

But a train load of Dead was too much for even Hukum chand's fatalism. He could not square a massacre with a philosophical belief in the inevitability of death. It bewildered and frightened him by its violence and its magnitude. The picture of his aunt biting her tongue and bleeding at the mouth, her eyes staring at space, came back to him in all its vivid horror.**3** (p.92)

In fact, common people of Mano Majra have nothing to do with the politics behind.The partition of the nation. They were made to trust that the people of Muslims community can never be your companions. This is one of the potent causes that the property of the Muslims people were either robbed or ruined by the common villagers. Muslims of Mano Majra were forced to run to the close by refugee camps. In this novel, Singh tries to throw light on how people were driven for fanatic madness. It appears to be justified what Bacon said in his essay, "OF Revenge". Bacon comments "Revenge is a wild justice; which the nature runs to more man's the more ought lave to weed it out. (Lall p.80) Of course,This type of revenge is associated with another revenge which makes a chain. This is a never ending action and even after the division of the nation politicians after talk of such matters. It is a matter of conversation because Singh had already discussed such issues. His views and visions were different because he was intellectually a man of letters. It appears distinctly in his social realism and humanism.

As literature is thoroughly a mirror of societal lives, several events and experiences are reflected in literature. Not all are acceptable, and profitable. It is the performance of a writer to look at reflection of lives objectively. In writing such

situations he may paint a few bad pictures. Like Mulk Raj Anand, R.K Narayan and Raja Rao, Singh traces social realism and humanism of contemporary societal lives. He has set up himself as an eminent author of reality and humanity with the publication of his first novel, *Train to Pakistan*. Realism applies to the manner and way of describing life as it really is. The rise of realistic novel in Indian fiction in English is due to feelings and emotions of nationalism. Several novelists tried their best to make the people socially and politically awakened. Love, Sex and brutality are not the only realities of Singh's novel but also these are the comprehensive matter of whole humanity. He describes humanism impartially in terms of societal issues. The novelist states:

The girl came and sat down on the edge of the bed, looking away. Hukum Chand put his arm round her waist. He stroked her thighs and belly and played with her little unformed breasts. She sat impassive and rigid. Hukum Chand shuffled further away and mumbled drowsily, 'Come and lie down ' the girl stretched herself beside the magistrate.**3**(p.95)

Indeed, it is a story of love between Hukum Chand and the girl that reflected in partition of sub-continent two nations, India and Pakistan in 1947. *Train to and Pakistan* is a realistic and humanistic novel. Realism and humanism are found in its plot, setting, style, conflict characterization and dialogues. Singh's imaginary society shows utterly the richness and profoundness of his sense of realism. He relates to several directions of realism. He himself is the man of historical reality and is the keen observer of pre- partition, national activities, post- partition, liberation and the modern complicated societies and communities. Following a humanistic perspective he is highly interested in human relationships. His East- west, culture and learning human and rural- urban experiences help his imaginary society to record societal challenges. Therefore he gives a panoramic viewpoint of social and communal life. Unlike the other novelists, Singh chooses matters and figures from several varieties and realities of humanistic lives. His creativity is significantly global.

Singh depicts skillfully a true picture of Indian national life and religious conduct of the people. We discover the original and real circumstances of the village, Mano Majra before and after division, the love affair of Nooran and Jugga, the avaricious people, death and brutality. The novelist portrays the peaceful co - existence of Hindu, Muslim, Sikh in a multi religious society. The novelist, Singh states:

Mano Majra is a tiny place. It has only three brick buildings, one of which is the home of money lender Lala Ram Lal. The other two are the Sikh temple and the mosque. The three brick buildings enclose a triangular common with a large peepul tree in the middle. The rest of the village is a cluster of flat - roofed mud huts and low walled en courtyards, which front on narrow lanes that radiate from the centre.**3** (p.02)

Indeed, the lives of the people are governed by the trains which rattle across the close by river bridge. Lala Ram Lal is murdered by Malli and his gang. Doubt

falls Jugga Singh, the village gangster, who is keeping on a secret and illegal affair with Muslim girl Nooran. Singh laughs at Iqbal, educated, westernized and sophisticated Indian. Iqbal is a social activist. He takes care of the poor and the needy people and creates the consciousness among the people of Mano Majra. Here the novelist shows the manners Iqbal how he looks a Babu of westernized virtues and vices. Iqbal has sophisticated accent, careful style, a dress gown, a tin of sardines and a bottle of whisky. He is thoroughly a man of communism who talks about the equality of all people and inspire masses to work for the sufferings of the poor and needy. But in this novel, *Train to Pakistan*, as a communist Iqbal fails to assist the needy and the poor. His learning on communism remains largely theoretical instead of being utilized as practical issues. The novelist adds:

Iqbal lay down once more and gazed, at the stars. The wail of the engine in the still vast plain made him feed lonely and depressed. What could be - one little man - do in this enormous impersonal land of four hundred million? Could he stop the killing? obviously not. Everyone Hindu, Muslim, Sikh, Congressite, League Akali or communist was deep in it. It was fatuous to suggest that the bourgeois revolution could be turned into a proletarian one.**3** (p.54)

Undoubtedly, Iqbal has an ambition to be a political leader, but he is not longing to bear any type of hardships. He is truly a socialist who has come to village, Mano Majra to mobilize the masses and save them from horror, terror and troubles. He comes to know that Sikh people wanted to blast the train carrying Muslims from Hindu India. He unables to do anything and gives them up to their destiny as he was usually in the habit of drinking and falling asleep.The novelist wants to show how he preaches one thing and practises the other which is ironical issue. Through the character of Iqbal, Singh wants to expose the follies and foibles of the political leaders so called representatives of the people in the parliament and constituent assembly who speak big words and do nothing for the sake of people as in the story, "*The Voice of God.*" We can say that the novelist makes beautifully satirical and ironical criticism on the corrupt, foolish and sex hungry longings of those who conceal their immoral conduct under the disguise of morality with the help of their approach to powerful authorities and wealth.

Singh as a novelist could be known as an exploring spirit of human consciousness. He selects only those literary fields and facets of life which he knows best and presents skillfully them with perfect satire and exact wit. His novels not only narrate the Indian conditions and surroundings but they bring out different aspects of humanity. The plot construction of *Train to Pakistan* focuses a small village, Mano Majra on the Indo - Pakistan border. The tiny village is largely dominated by the community of Sikhs, but it has Muslim and Hindu inhabitants. He shows with creativity of how this village and its people in Punjab get affected. The novel begins with the action of dacoity led by Malli who murdered Ram Lal. Juggat Singh who is widely known as 'Budmas' falls in love with Nooran, the daughter Muslim weaver. Muslims and Sikhs were commonly rivals from the early periods. Jugga is ready to

lay down his life for the Muslim girl due to love-making. He spends the night with her sexually but has been taken into custody by the police on doubt. Iqbal, a western educated social activist too, has been taken into custody by the police for Ram Lal's murder matter.

As the Magistrate Hukum Chand frees Jugga and Iqbal to make peace in Mano Majra. To be on the protection, the Muslims begin to moving out of unsafe village. Muslims quit all their possessions. Ironically, Malli is assigned to look after their possessions. Nooran who is sustaining Jugga's child gets no heartening from Jugga's mother. She realizes very well that if she goes to Pakistan, they will murder the child, when they realize it has a sikh father. Hukum Chand's girlfriend, Haseena too quits. In the same time, a few Sikh fanatics came together near the Gurdwara and intend to blow off the train which carries Muslim refugees. In a disciplinary mood their will is to send it as a "*Gift to Pakistan* ". Meet Singh, the preacher could only pray. Jugga understands this evil plan. He cuts courageously off the rope tied across the steels span and the religious fanatics shoot at him. The train goes over him to Pakistan. The novelist refers:

Somebody fired another shot. The man's body slid off the rope, but he clung to it with his hands and Chin. He pulled himself up, caught the rope under his left armpit, and again started hacking up, caught the rope under his left armpit, again started hacking with his right hand. The rope had been cut in shreds. Only a thin tough strand remained. He went at it with the knife, and then with his teeth. The engine was almost on him. There was a volley of shots. The man shivered and collapsed. The rope snapped in the centre as he fell. The train went over him and went on to Pakistan.**3** (p.190)

Of course, Here Singh shows the humanistic attitude of Jugga who became martyr for the sake of saving the lives of people who were in the train. Singh portrays a real faith in the humanistic perspective in this novel *Train to Pakistan*. He makes character like Jugga who lays down his life for the woman whom he likes and loves. A few novelists depict generally the sordid realities of human lives, Singh goes deeper and deeper in highlighting humanism. Singh's *Train to Pakiston* is not only a story of real humanism but also a record of real incidents, people and places. It restates trust in humanism and his commitment to the humanistic point of views. Hukum chand is humanistic bureaucrat and protector. Iqbal is the communist who believes in the equality of all human beings. Jugga performs a dual performance of maker and ruiner. He ruins only to make again and therefore it symbolizes the victory of good over bad. *Train to Pakistan* is a symbol of expectation and ambition representing barbarous world of ignorance and darkness. Jugga represents an important facet of the novelist's vision of human being hopelessly divided between good and bad, moral and immoral, sacred and cursed. Singh introduces Jugga as a man of humanism in his last action of sacrifice. In this novel, the social surroundings reveal that Sikhs, Hindus and Muslims created the traditional culture and construction of partition literature.

We find that Singh is judiciously objective in his point of view in presenting his novel, *Train to Pakistan*. Literature commonly communicates views, emotions and perspectives towards human lives and society. Singh brings out beautifully observation, attentiveness, the destruction and construction of humanism at the greater extent in *Train to Pakistan*. It analyses carefully how the novelist narrates artistically the several sources of heroism, tolerance and feelings of love from which humanity achieves lovingly encouragement at the time of troubles to reshape their human lives. Though being a literary work of fiction yet Singh's profound, moral and social realism and humanism lead his delineation of the real and actual. It examines judiciously a real faith and trust in humanistic perfection of the character of Jagga who laid down his life to save several blameless and sinless human lives and even his sweetheart, Nooran. Singh presents powerfully the heroism, courageousness and martyrdom of Jagga who was declared by the police as Budmas number ten. Undoubtedly, he is endowed with the ability and capacity of awaring the sentiments of pity and pathos through a realistic delineation. In a nutshell, it can be justified and acclaimed that Singh's *Train to Pakistan* is a humanistic masterpiece of literary excellence in a real sense.

❐

References :

1. *Mukherjee, Rupayan, Jaydip. Partition literature and Cinema. London and New York Routledge Taylor and Francis Group, 2020.*
2. *Sengupta, Debjani. Partition literature. Delhi: worldview Publications An Imprint of Book Land Publishing Co., 2018.*
3. *Singh, Khushwant. Train to Pakistan. New Delhi: Penguin Books, Ravi Dayal Publisher, 2009.*
4. *Lall, Ramji. Francis Bacon: Selected Essays. New Delhi: Rama Brothers India Pvt. LTD, 2013.*

पूर्वदेवा– सामाजिक विज्ञान शोध पत्रिका
वर्ष 29, अंक, 114–115, जुलाई–दिसम्बर, 2023 पृ. 164–171

UGC Care Listed Journal
ISSN 0974 -1100

A Study on the Prospects and Challenges of Eco-tourism in Manipur

Dr. Sukanta Sarkar
Associate Professor, Department of Economics, Gambella University, Ethiopia,
Email: sukantaeco@gmail.com, Ph: 9856321179

Dr. Suman Kalyan Chaudhury
Faculty member, Department of Business Administration, Berhampur University, Odisha,
Email: sumankalyan72@gmail.com, Ph: 8594888293

Dr. Saidur Rahman
Associate Professor, Department of Sociology, Aligarh Muslim University, Aligarh, U.P.
Email: saidur7862@gmail.com, Ph: 09557956766]

Abstract

The paper discussed the prospects and challenges of eco-tourism in Manipur. It has been found that Manipur is blessed with salubrious landscapes and pleasurable climate. The state has bright prospects of eco-tourism. Loktak lake is the main tourist attraction of the state and it is the only floating lake in the world. It is also called as the lifeline for the locals. It has the floating national park named Keibl Lamjao national park. There are four major river basins in Manipur. Manipur is also known as the Land of rivers. Manipur is well-known of the handloom industry. There are many lakes, hills, caves, rivers, and wildlife sanctuary in the state. This is the perfect place for adventure tourism, like as rock climbing, water sports, caving (spelunking), trekking, and hiking. speedboats. There are more opportunities of ecotourism, adventure tourism, cultural tourism, and agri-tourism. Transportation, tourist facilities, hygienic food, accommodation, safety of travellers, ethnic clashes, tourist information system, brand image etc. are the basic challenges before the tourism sector. Therefore, tourism department should implement proper policies for the mitigating the constrains and development of ecotourism in the state.

Keywords: Adventure, Revenue, Tourism, Tourist, and Transport.

Introduction

Tourism is a cultural, social, and economic phenomenon, where people move from one place to another for the business or enjoying purpose. It is short period or temporally movement of people from their native place. Duration of the visit may be just one night, or up to one year. It always includes the domestic tourism,

inbound tourism, and outbound tourism (Singh, 2015). The term tourism was introduced in the 19th century and it is associated with the sustainable tourism. Tourism industry is important for any country, because it increase growth and demand of other industries (Jayanti, 2018). It contributed in revenue, employment, and development of the place. Tourism brings tourist, generates business, generation employment, contribute in gross domestic products, and also boost allied industries (Xalxo, 2022).

Sustainable tourism involved in development of both the present and future generation. It means movement of the people outside own houses and visit various places. Tourism industry is considered as a bigger industry in terms of employment and foreign earnings (Lhouvum, 2016). It improving communications among the peoples and solving various social disputes. It has many benefits, such as infrastructure development, boost in economic activities, source of foreign exchange earnings, improve nations brand image, increase global connectivity, improvement of living standards, cultural growth, introduction of new technologies etc. (Thokchom, 2014).

Ecotourism is natural based activities that increases the interest of people about certain places. Such activities will be economically, ecologically, and socially sustainable and helpful for the wellbeing and conservation of the areas. Local people will be benefited through such tourism without affecting their culture and customs. Sustainable ecotourism benefits both the visitors and the local peoples. It is useful for swelling conservation and economic growth. Travellers can witness the beauty of the natural environment and also learn about the culture of the ethnic peoples. Ecotourism can be useful for promoting the nature and culture of the people (Devi, 2017). The objectives of this paper are: (a) to study the prospects of eco-tourism in Manipur, and (b) to identify the challenges before the tourism sector of Manipur.

Methods and Materials

· **Study area description:** Manipur is a state in north-eastern region of India. Total area of the state is 22,327 km2. The state is bordered by the Indian states (Assam, Mizoram, and Nagaland) and Myanmar to its east. Imphal is the capital of Manipur. The state lies at a latitude of 23°83'N – 25°68'N and a longitude of 93°03'E – 94°78'E.

· **Design and approach:** The present study is based on the secondary data. The data has been collected from reports of the Department of Tourism, Govt. of Manipur, and Manipur Tourism Statistics. Various journals and books have also been referred in the present study.

· **Method of analysis:** To reveal the growth of tourism industry of Manipur in general and the eco-tourism perspectives of the industry in particular, different methods of qualitative analysis comprising of tabulation and text analysis were performed.

Results and Discussion

Manipur is blessed with beautiful landscapes and weather. The natural beautiful sceneries and tribal culture makes the place perfect for eco-tourism. There are 12 districts in the State. There are four major river basins in the state. They are Manipur River Basin, Barak River Basin, Yu River Basin, and Lanye River Basin. Barak River are the largest river. There are the eight major rivers. They are the Khuga. Thoubal, Chakpi, Sekmai, Manipur, Nambul, Iril, and Imphal river. Loktak Lake is the vital part of the central part of Manipur. The total size of the lake is about 600 km2. Meiteis constituted the majority of population. Nagas and Kuki/Zo are the other major tribes. Imphal is the capital of Manipur and mostly inhabited by the Meiteis. Matai Garden, Shree Govindajee Temple, Bir Tikendrajit Park, Andro, Imphal War Cemetery, Ema Keithel, Khonghampat Orchidarium, Tharon Cave, Sekta Archaeological Living Museum, Shaheed Minar, Sirohi National Park, Moirang Village, Three Mothers Art Gallery, Loktak Lake, Manipur State Museum, and Kangla Palace are the best places to visit Imphal (Ursa, & Arunkumar, 2023).

Manipur is also known as the Land of rivers. Some rivers of the state consider as the international border between India, and Myanmar. Tuivai River and Tiau River are the example of such rivers. Rivers are the source of electricity and fishes. Many rivers are the hub of the adventure sports. Manipur River is the major river of the state with its tributaries likeIril River, Imphal River, Kuga Rive, and Thoubal River (Priya, & Dhiren, 2016).

Table 1: Year-wise Tourist Arrival in Manipur

Year	Domestic	Foreign	Total
2003	92923	257	93180
2004	93476	249	93725
2005	94299	316	94615
2009	124229	337	124566
2010	114062	389	114451
2012	134541	749	135290
2013	140679	1908	142587
2014	115499	2769	118268
2017	153454	3497	156951

2018	176109	6391	182500
2019	167560	13608	181168
2020	49669	3138	52807
2021	49371	648	50019

Source: Department of Tourism, Govt. of Manipur.

The above table (1) discussed the year-wise tourist arrivals in Manipur. It has been found that number of tourist ate increasing continuously, but due to covid pandemic it was declined in 2020. Manipur is blessed with salubrious sites and climate. Khoupum Dam, Khuga Dam, Singda Dam, and Thoubal Dam are the major dams. Khuga dam is situated near the Churachandpur town. The height of dam is 38 meters. Singda Dam is situated about 19 km west of Imphal, and is 490m in length. It is the main source of water for Imphal. Mapithel Dam is situated in Ukhrul district. Bishnupur is known as the "cultural and religious capital" of Manipur (Haokip, & Marchang, 2022).

Kaina Hill Station, Longthabal, Phangrei Hills, Maibam Lokpa, Khoriphaba Hill, Shirui Kashung Peak, Kangchup Hill, Mount Kisha, Langol Hill Peak, and Komlakhong Chingthi Hill are the popular hills stations. Kaina Hill station is near the capital city Imphal. It is 921 meter above the sea level. Due to the Hindu mythology this place is spiritually significance for the Vaishnava Hindus. Longthabal hill station is amazing for the unique architecture of houses. Phangrei Hill station is perfect for trekking and adventurous activities. Maibam Lokpa is well-known for the historical significance of World War II. Khoriphaba Hill attracts lot of tourist for the tempting landscapes. Lai Haraoba festival organised in the summer. Shirui Kashung Peak is popular for the Shirui Lilly. Kangchup Hill station is known for Nambol River and its health resorts. Mount Kisha is situated in the Tamenglong region. Zeliangrong tribe is the residents of the placed called the place as 'Kachakhou'. Caves of Mount Kisha are exceptional. Langol Hill station is popular for the adventurous activities. The place has pectacular waterfalls, misty mountains and picturesque views.

Table 2: District-wise Tourist Places in Manipur

District	Tourist Places
Bishnupur	Loukoipat, Moirang Sendra Resort, Red Hill, and INA Memorial Moirang
Chandel	Langol peak garden.
Churachandpur	Tonglon Caves, Tribal Museum, Ngaloi Waterfalls, and Khuga Dam.
Imphal East	Shree-Shree Govindajee Temple, Andro, Kaina, Sekta Archaeological Living Museum, and The City Convention Centre.
Imphal West	Kangla fort, Ima Keithei, Manipur Zoological gardens, Manipur State Museum, Nupi Lai Memorial complex, and Shaheed Minar.
Jinbam	Ningshingkhul Biodiversity Park.

Kakching	Pallel, Kakching, Sugnu, and Kakching Garden.
Kamjong	Liabi waterfall, Khayang waterfall, Kazeiram, and Kazei Kharalung.
Kangpokpi	Taphou waterfalls
Pherzawl	Luipi Waterfall, and Barak River.
Senapati	Megalith Willong Khullen
Tamenglong	Buning, Tharon Cave, Zeiladzang, Kisha Khou, and Barak Waterfall.
Tengnoupal	Moreh, and Tlaang Lhung Bung a.k.a Langol Peak Garden.
Thoubal	Khongjom, and Khongjom War Memorial Complex.
Ukhrul	Phangrei Picnic Spot, Hundung Mova Cave, Khangkhui Mangsor Cave, Longpi (Nungbi) Pottery, Shirui Hill, and Kachai Village.

Source: Websites of districts of Manipur.

The above table (2) discussed the district-wise tourist places in Manipur. It has been found that tourist places are scattered more or less in every districts. Manipur is well-known for handloom industry. Women are the only weavers. There are lots of demand of fabrics and shawls in markets. There are also huge production of cane and bamboo products. Longup, and Tungbol are the fishing equipment's made of cane and bamboo. People of Maring tribe are expert for production of such products. Manipur is popular for music, dances, customary practices and pastimes. Raas Leela, Nupa Pala, Pung Cholom, Maibi Dance, and Khamba Thoibi Dance are well-known among the people. Raas Leela is the celestial and eternal love of Radha and Krishna. Nupa Pala is also known as the Kartal Cholom or Cymbal Dance. Pung Cholom is the vital part of social and devotional ceremonies. Maibi Dance is the part of festival of Lai-Haraoba of Meiteis. Khamba Thoibi Dance is dedication to the sylvan deity.

Loktak lake, Kachou phung lake, Waithou lake, and Lousi lake are the popular lakes in Manipur. Loktak lake is the only floating lake in the world. It is also called as the lifeline for the locals. It has more influence on the socio-economic and cultural life of the locals. It is the source of income for the rural fisherman. The lake is considered as the source of water for the irrigation, drinking water supply, and hydropower generation. The lake has varied ecosystem. It has the floating national park named Keibl Lamjao national park. The lake is the sources of fresh water and fishes for the for the people. The Phubala and Sendra islands are the other destinations in the lake. Boat (locally known as Heenaos) are the basic transport for the local villagers for traveling in the lake. But currently the lake ecosystem is contaminated due to the domestic sewage from Imphal city though the Nambul river. Shifting cultivation and deforestation in the catchment area has been increased the process of soil erosion.

Kachou Phung lake in Ukhrul is beautiful natural lake in Achuwa Magi Hills. It is also known as 'Azoa Jenephiu Magi lake'. Khayang Falls is nearly seven kilometres away from the lake. Travellers can enjoy the colourful fishes, and beautiful

hillock all around. There is more potentiality of scope for pisciculture. The lake is spread over nine acres' land and increase during the rainy season due to excess water from the Nily river. Lake is surrounded by the several hillocks. Waithou lake is the home of various species of fish. Surreal water and natural beauty of surrounding attracts tourist throughout the year. Recreation and entertainment are possible in the lake. It is the beautiful picnic spot of Imphal. Pineapples gardens near the lake are quite renowned. Surrounding garden, Angling, Boating, food stalls etc. make the place unique. Lousi lake is situated in Thoubal district. It is spread over 18 square kilometres. It is popular among the tourist for the surrounding natural beauty. Lake water is the source of drinking water for the local inhabitants.

Table 3: District-wise Forest Cover Assessment-Manipur

District	Area (sq. km.)	Forest Cover Assessment (in sq. km.)				Proportion of Forest Cover to district area*	Proportion of ForestCover to State area*
		(1)	(2)	(3)	(4)		
Churacandpur	4570	37	1683	2555	4275	93.54	19.15
Ukhrul	4544	181	988	2380	3549	78.10	15.90
Tamenglong	4391	279	1784	1839	3902	88.86	17.48
Chandel	3313	0	744	2085	2829	85.39	12.67
Senapati	3271	233	870	1080	2183	66.74	9.78
Imphal East	669	0	53	167	220	32.88	0.99
Imphal West	559	0	24	31	55	9.84	0.25
Thoubal	514	0	4	52	56	10.89	0.25
Bishnupur	496	0	1	20	21	4.23	0.09
Total	22327	730	6151	10209	17090	76.54	76.54

Source: State of Forest Report 2011;

Note: *in percentage, (1) is Very dense forest, (2) is Moderate dense forest, (3) is Open forest, (4) Total.

The above table (3) discussed the district-wise forest cover Assessment-Manipur. The total forest and tree cover areas is 77.20 % of the geographic areas of the state. Nearly 8.42%, and 23.95 % areas are under the reserved forests, and protected forests respectively and rest areas are under the un-classed forests. Keibul-Lamjao (Loktak lake) National park is the only national park in the state. The park has diversified spices of birds, mammals, and flora or vegetation. Hoolock gibbon, monkey, wild cats, and deer are easily available in the park. Sangai deer species are popular among the tourist, which is also called as dancing deer of Manipur.' The large portion of the wet land of Loktak Lake is covered by the park. The park was established in 28th March 1977 and total area is 40 km**2**.

Manipur Zoological Garden, Zeilad Wildlife Sanctuary, Jiri Makru Wildlife Sanctuary, Sirohi National Park, Burning Wildlife Sanctuary, and Yangoupokpi-Lokchao Wildlife Sanctuary are the other popular tourist places. Manipur Zoological Garden situated in district of Imphal was established in 2nd October, 1976. It is spread over 68 hectares of land. Thamin deer, Flying Squirrel, Slow Loris, Hoolock Gibbon, Python, Leopard Cat, Himalayan Bear etc. are available in the garden. Zeilad Wildlife Sanctuary and Jiri Makru Wildlife Sanctuary are situated in Tamenglong district. The sanctuaries are the mixtures of flora and fauna. Sirohi National Park is situated at Ukhrul.district. Endemic ground lily "Lilium mackliniae" are easily available in the park. Yangoupokpi-Lokchao Wildlife Sanctuary is situated near the Moreh town, and it was established in 1989. Tourist can stay in Forest Rest House, Indo-Myanmar Trade Centre Rest House, and Transit Camp at Wildlife Office in Moreh. Burning Wildlife Sanctuary is well-known for the thrilling and adventurous wildlife. Visitors can stay in Tamenglong's Forest Rest House and PWD lodge.

Therefore, there are huge potentiality of eco-tourism in the state. Rich cultural heritage, unexplored geographical features, distinct & rich tribal culture, large number of English speaking population, evergreen forests, diversified biodiversity, wild life sanctuaries, river tributes, national parks, and unique floating lake are prominent factor for the potential growth of the tourism sector. Bur, there are also challenges before the tourism industry. Lack of media & print coverage, lack of alternatives means of transport, insurgencies & ethnic conflicts, boundary issues, poor connectivity, permit period, and abysmal infrastructure are the challenges before the sector.

Conclusion

There is massive scope for ecotourism in Manipur. There are many wildlife sanctuaries and natural parks in the state. Travellers can witness the beauty of the natural environment and also learn about the culture of the ethnic peoples. There are many waterfalls, caves, hills stations, and rivers. Adventurous activities, jungle safari, trekking, pilgrimage tour, mountaineering, tea garden tour, ornithological tour etc. are opened the massive scope for the ecotourism. Khoupum Dam, Khuga Dam, Singda Dam, and Thoubal Dam are the major dams. Kaina Hill Station, Longthabal, Phangrei Hills, Maibam Lokpa, Khoriphaba Hill, Shirui Kashung Peak, Kangchup Hill, Mount Kisha, Langol Hill Peak, and Komlakhong Chingthi Hill are the popular hills stations.

Loktak Lake, Kachou Phung Lake, Waithou Lake, and Lousi Lake are the popular lakes in Manipur. Manipur Zoological Garden, Zeilad Wildlife Sanctuary, Jiri Makru Wildlife Sanctuary, Sirohi National Park, Yangoupokpi-Lokchao Wildlife Sanctuary, and Burning Wildlife Sanctuary are the other popular tourist places. Homestay facilities are available in many places. Transportation, accessibility, tourist facilities, hygienic food, accommodation, tourist information system, system of permit, brand image etc. are the basic challenges before the tourism sector. Proper implementation of tourism polices should be useful for development of eco-tourism in the state

❐

References :

1. *Devi, C. (2021). Remembering Sshirui lily festival in Manipur. International Journal of Creative Research Thoughts, 9 (3), 3946.*
2. *Devi, S. (2017). Loktak lake and ecotourism prospects. International Journal of Development Research, 7 (8), 14577.*
3. *Haokip, T. and Marchang, R. (2022). Impact of Skill Development Infrastructures: A Study of Manipur. ISEC Working Paper No. 537, 3-4.*
4. *Jayanti, N. (2018). An analysis on tourism potentiality in Manipur, IJARIIE, 4 (4), 1347.*
5. *Lhouvum, T. (2016). "Development Possibilities through Tourism Industry in hill areas of Manipur: A Paradigm shift". International Journal of Research and Analytical Reviews, 3 (2), 7-8.*
6. *Priya, M. and Dhiren, K. (2016). An Analytical Study of Ecotourism and its Prospects in Manipur. Indian journal of research, 5 (3), 449.*
7. *Singh, W. (2015). Folklore - A Source to Promote Tourism in Manipur. International Journal of Multidisciplinary Research and Development, 2 (8), 608.*
8. *Thokchom, A. (2014). Community participation in tourism development with special reference to Manipur. Voice of Research Journal, 3 (3), 17.*
9. *Ursa, T. and Arunkumar, M. (2023). Environmental Effects of Loktak Lake Tourism in Manipur (India). International Journal of Research Publication and Reviews, 4 (1), 565.*
10. *Xalxo, M. (2022). Tourism management practices at Loktak lake, Manipur. Perspectives on Business Management & Economics, VII, 60.*

पूर्वदेवा– सामाजिक विज्ञान शोध पत्रिका
वर्ष 29, अंक, 114–115, जुलाई–दिसम्बर, 2023 पृ. 172–186

UGC Care Listed Journal
ISSN 0974 -1100

ELECTION IN THE DIGITAL AGE CHALLENGES IN THE INDIAN SCENARIO

Dr. Sunil Devi Kharb
Assistant Professor, Political Science, MDU-CPAS, Gurugram-122001
E-mail: sunildevi.cpas@mdurohtak.ac.in Mob. 8178632752

Ms. Mukesh
Research Scholar,Department of Political Science,MDU,Rohtak

ABSTRACT

Elections are crucial in delivering democratic governance, which calls for the ultimate authority to be rooted in the people of a state. Because of the simultaneous emergence of new technologies and more significant social trends, the organization and contestation of elections has now entered a new period. The era of cyber-elections is characterized by the new flow of data and information; the commercialization of electoral data; and a rise in the number of players involved in elections. However, it also offers serious risks to the conduct of elections since players' actions and any irregularities in the voting process might jeopardize democratic values like political equality. Using technology in elections opens up the door for rising threats to critical electoral infrastructure, concerns regarding the credibility of electronic voting machines, voter's data and privacy, use of this data by enemy state and non-state actors. Even in the domestic arena, using technology through social media for electoral propaganda, hate speech, spreading fake news creates critical security problems. This paper seeks to observe the impact of digitalization of electoral process on various stakeholders namely voters and political parties. It also seeks to make sense of digitalization processes introduced by election commission of India makes the case that in order to sustain democratic principles; these new technical realities regarding election and campaigning necessitate aggressive interventions into electoral legislation and an overhaul of national norms related to this arena.

KEY WORDS: Information Technology, Elections, Political parties, EVMs, Social media, Democracy

Introduction

Information and communication technology (ICT) has assumed a central role in today's globalizing world since almost everything in policy making can be planned and carried out more successfully with it. New technologies have become more

important to the organization of elections worldwide during the last ten years. In an effort to increase the effectiveness of elections and to increase stakeholder's confidence across the whole political process, a number of nations have turned to adoption of technology solutions. Solutions range from the use of complex databases to maintain voter registers, wireless technology for the dissemination of election results, or electronic voting machines to allow voters to cast their ballots, use of GPS systems to carry out boundary delimitation and determine the location of polling places. Particularly, biometric technology significantly influences several voting processes globally. An increase in voter confidence in the electoral process has also been facilitated by the deployment of biometric technologies to verify voters' identities on Election Day and eliminating the possibility of duplicate voting. Unquestionably, technology has aided electoral management bodies in streamlining their procedures. Even in underdeveloped nations with weak communications infrastructure, increased Internet usage is allowing EMBs to communicate more effectively internally and with all other parties engaged in the process. Ironically, some of the poorest nations and frequently those lacking a long tradition of holding democratic elections have been among the early and most enthusiastic users of new voting technology. In these circumstances, implementing new, occasionally expensive technologies are intended to directly address the lack of trust amongst election players. However, the technology does not solve every issue each time it was designed to tackle or increase confidence in the process.

The election management body, government and other stakeholders including voters and political parties are very much concerned about the anomalies and numerous clashes that results from rigging and electoral malpractices both during and following election and post elections. ICT has been used in electoral processes to solve these issues in industrialized democracies. Despite the utility of ICT and electronic technology in the electoral process, there are other certain drawbacks due to poor and uncertain power supply, malfunctions, untrained employees, widespread illiteracy and electronic voting frauds.

Using technology in elections: The Indian Case :

(1) Digitalization of Indian Elections: Initiatives taken by ECI

Use of EVMs : Digitalization The biggest democracy in the world has considered trying out a brand-new election system. India is constantly trying new and innovative digital methods to hold elections initiative that are fair and free because of technological improvements and simple accessibility. Due to faulty filling of the ballot papers, many votes were previously disregarded in India, where 31% of individuals lack literacy. To resolve the issue of invalid votes due to faulty ballot papers filling EVMs were introduced.. The use of EVMs in India was intended for improvement in the electoral systems along with saving election expenses. In an experiment, EVMs were used initially in assembly by-election in Paravur, Kerala, in 1998. ECI purchased 150,000 computers to employ on a national scale after the first success. The security of the computers, however, was worrisome for the political parties, so followed by a

petition challenging the ECI's legal right to employ EVMs for elections. According to the Supreme Court, there must be a corresponding legal need before voting machines can be utilized. The use of EVMs streamlined voting process with accelerating the results-verification process. Due to the ECI's ability to avoid printing millions of ballots the cost of holding elections also deceased. Paper ballots with improper and excessive stamps that make a voter's choice uncertain would in most of the cases certainly result in the disqualification of her vote. EVMs could only record one response; therefore, the likelihood of invalid votes was eliminated. Over time, using EVMs in elections has cemented citizens' faith that their vote can cast a real impact on election results and democratic government. It is also helpful in preventing past electoral fraud committed by political parties in order to support their candidates. Over the period of time, use of EVMs in elections has cemented citizens' faith that their vote can cast a real impact on election results and democratic government. The recent 2019 Lok Sabha elections witnessed the all-time high voter turnout of 67.47% that was higher than 2014 general elections that was historically the highest ever. The number of voters increased with 57 million voters more than 2014 elections. Digitalization also makes it possible to tally votes more quickly and declare results accurately in a short amount of time.

(2) Electronic Voting Through Smartphones and video analytics :

The majority of the nation is still getting ready for the technological revolution; a small portion of the country Telangana staged the nation's first practice of electronic voting using smart phones. For the trial, Telangana Election Commission used cutting-edge technology like AI and block chain ledger.The Bihar State Election Commission used video analytics for panchayat elections. They want to make sure that no vote is manipulated or subject to mistake in the electronic voting machines. This was the inaugural election in India where video analytics were employed throughout the vote-counting process. To confirm the voters' identities, a fingerprint recognition technology was also put into. The goal was to eliminate any potential for discrepancy while counting without affecting the EVM.

(3) SVEEP Initiative: 'Systematic Voters' Education and Electoral Participation is an initiative of Election Commission of India. It aims at reaching out to voters through various medium and technologies and educate them about the importance of elections and the whole process related to it, making them more aware and to participate in elections enthusiastically. The system is designed keeping in mind the different cultures, social, economic and population profile and past years participation by voters in the elections. The need for SVEEP arose due to gaps in registration of citizen as voters and more and more gap in voter's turnout election after election. It was stagnating only at 50-60% even after decades of independence, thus leaving out large number of voters out of the list. **Now, SVEEP 3** has come with a more robust plan where it aims at integrating electoral education with academic, co-curricular and extracurricular activities, collaborating with partners and conducting micro surveys regarding elections.

(4) Voters Portal: This portal enable users to register, carry out corrections and transfer data within or outside the constituency. Users can search their name in the electoral registry based on the 'Electors Photo Identification Card (EPIC)' number or additional information. There is no need to produce written documentation; voters may submit applications and upload documents using the associated application. The portal shows the application's status. online access of portal requires a user account that can be registered on the website.

(5) C-Vigil App: It refers to Citizen Vigilance is an app for smart phones created by the Indian Election Commission that gives users the chance to report election code infractions immediately. It is widely accessible, simple to use and provides administrators with information that is both legally tenable and prosecutable. The ICT programme is used by Chief Election Officers, Election Officers, Returning Officers, flying squads and Police to quickly handle Model Code, Expenditure Violation cases. The success of c-VIGIL is a result of three things happening at once. Real-time voice, photo and video recording are done by users and a "100-minute" countdown for time-bound complaint resolution is assured. When a user turns on the camera in the c-VIGIL to file a violation, the app immediately activates a geo-tagging feature.

(6) BOOTH App: This app allows for a quicker identification of voters by using an electors' rapid search based on name, serial number, or EPIC number. This shortens the line at the polling place, facilitates quicker voting, and offers a minimally-intervened flawless recording of actual poll voter turnout. Election booth apps use colored images directly pulled from electoral rolls to make it simple to identify voters. Even duplicate electors are prevented from voting by this. Finally, the booth app enables the easy filing of presiding officer diaries. The system constitutes the most crucial component. Even before going to the polling place, voters can observe the line at their polling place.

(7) Bridging the Gender Gap: One major aim of SVEEP initiative was to increase women's participation in electoral process. 2019 general election witnessed this change recording 437 million women participants. In 18 states/ union territories, women electors gained upper hand to male electors. During the elections, women's help desk was there to guide them and ensure their voting. As compared to 65% of the voters in 2014 elections, about 68% of the total female electors voted in this election.

(8) Ensuring that no eligible voter is left out: On National Voters Day in 2018, the theme adopted was 'Accessible Election' for all. The initiative was introducing the Braille EPIC, providing technical and transport facilities and sign language facilities for persons with disabilities. The major areas of focus were the voters residing in hilly and rough terrains, Electronically Transmitted Postal Ballot System (ETPBS) for service voters, tribal groups, marginalized sections and extremism affected areas using the EVMs and VVPAT. The 2019 Lok Sabha Elections have been designated as accessible by the Election Commission. A special effort was made to guarantee

that people with disabilities could use ICT. PwD App was introduced with the main goal of ensuring greater involvement for differently-abled citizens. This application was created with consideration for those who have hearing loss, vision impairment and other limitations.

Use of Digital Media by Political Parties : According to the IMAI there are presently 759 million active internet users in India and by 2025, that number is predicted to reach 900 million. This indicates that more Indians will use social networks in the future It is accepted fact that during elections, political parties and candidates work harder to sway public opinion and voter allegiance in their favour. Therefore, democracies serve as a platform for free expression and public demonstrations as well as a trial run for broad changes. Growth of electronic media in India over past ten years has increased the strain upon government regulations aimed at preventing false information and nasty rumors from spreading during elections. These changes are a reflection of global trends in election processes and digital social media. Concerns about data privacy, micro targeting, using automated systems and algorithms sorting as new tools to undermine open and healthy debate have all been brought up by digital campaigns globally. How far can India's political parties become active participants in the effort to regulate false news and other harmful propaganda available on the internet in a time when election campaigning is largely depending on electronic methods? What kind of oversight procedures could be required to hold political parties accountable? In order to respond to such inquiries, it is necessary to first comprehend the types of individuals operating this digital propaganda apparatus behind the scenes and how its methods allow political parties to avoid responsibility and fly under the radar.

(1) Use of Social Media in 2014 and 2019 General Elections: Looking at the Indian scenario, political parties specially the BJP heavily relied upon the use of technology in elections. When the party came to power in 2014 with 282 of the 543 seats, it had a head start on its political rivals when it came to using social media to connect with the public, especially young people. The party reached voters in rural areas using mobile communication while running campaigns on well-liked platforms. "While the effect could not be quantified, it is estimated that 30–40% of all seats were affected by this type of involvement. With a larger mandate and 303 seats in 2019, the party was able to preserve its hold on the government at the center, again with the aid of a smart social media approach. The party is heavily dependent upon e- sources for the implementation of welfare programmes under the banner of "Sewa Hi Sangathan" right down to the grassroots level. During the Covid times, when physical rallies were banned elections, the party held lots of virtual rallies. According to one BJP social media chief, the party workers are now adapted to changing political and digital environment and use technology for political organization and popular activism. By reviewing previous speeches and finding significant phrases and topics, AI may offer assistance with speech writing. Additionally, it might aid in translating the addresses into the regional language and local dialects. This would

make it easier for politician and party workers to engage with people from different languages and cultures and reach a larger audience.

(2) Grand User Base: India has the third-largest Internet user base in the world, with a substantial proportion of young people. Besides, there are the more than 100 million users who are active on social media sites like Facebook, Twitter and LinkedIn. It makes sense that social media sites, technological companies, e-commerce websites and telecom providers would take advantage of this chance to network and can use the information for their own purpose. Social media platforms have been heavily used by political figures, candidates, journalists and common masses. People use Social media platform to find election-related news, engage in real-time conversation and share their opinions on regular basis. To assist over eight hundred million voters in staying informed and up to date on the elections, another search engine established an Elections Hub for news and information about the elections. It ensures that Indian voters can easily access the required information

(3) Impact on Voting Behavior and Political Mobilization: The two most recent general elections in India have brought about a dramatic change in terms of voter turnout and use of social, online platforms for political parties to campaign for the elections. This is true even though political parties continue employing electronic media for each election campaign to send their rhetoric to voters. Political parties have always depended on candidates and local officials to raise awareness of their electoral programme and build expertise in accordance. They largely employed strategies to understand voters' thoughts and decisions, including opinion surveys, door-to-door outreach, targeted vote banks, caste and religious profiling, community leaders, volunteers and others. Booth-level voter profiling based on caste and religion is a traditional approach used. Community and religious leaders are also targeted to appease followers. Incentives were given in the form of alcohol, cash, etc., and it had a greater emphasis on local themes like ethnicity, identity, places (rural/urban), etc.

(4) Digital Campaigning: Although traditional methods were used earlier, in the past two general elections, digital campaigning was crucial for generating political support. Sending information to individuals about the campaigns' conception, organization, targeting, execution, and communication eased the campaigning. Technology development and data analysis are essential for interpreting the complex demographics, religious, and caste dynamics in a given area. Understanding factors that might be important in the election aids political parties. However, in a democratic nation like India where individuals have the right to express themselves, digital platforms have emerged as a legitimate alternative for discussion and debate on matters that have an influence on people's lives. According to Thomas Jefferson, a well-informed citizenry is the most crucial component for the functioning of democracy, and digital platforms like electronic media and social media are effectively informing people about topics that are relevant to their lives. In the recent general elections in India, electronics or social media played a crucial role throughout the election

campaigns by disseminating information and assessing programmes about the parties, policies, candidates, and their performances. To win over Indian voters, politicians, political parties, and their campaign strategists made considerable use of Twitter, Facebook, WhatsApp, and YouTube. In these two elections, young Indians and those voting for the first time were very influential. This is related to the rise in social media usage and how it affected India's election results in terms of voting behavior.

4. Discussion on Digitization of electoral Politics and its pros and Cons

(1) Watchdog of Democracy: It can serve as a watchdog against political parties and their leaders abusing their positions of authority while making the government accountable. It can give voice to the voiceless while keeping the citizens informed. Democratic principles are centered on freedom of expression and the fairness of political procedures. Emerging technologies have established themselves in such ways that undermine fundamental democratic norms as politics enter in the digital arena. Over the period of time, it has been clear that social media, the internet, and technology present both a huge promise and risk for political systems.

(2) Digitalization and reduction of Electoral Frauds: Booth seizing, whereby party supporters would seize a polling place by force and fill the vote box, was a significant issue regarding the practice of paper ballots in India. By restricting the number of votes cast to five per minute, the EVMs were created to deter such frauds. Although this feature did not fully eliminate booth capture, it lengthened the amount of time needed to cast a fake ballot, increasing the likelihood that security officers would show there. In order to prevent trespassers from seizing control of the polling place, the presiding officer might disable the voting devices by pressing the "close" button on the voting machines. Also, with paper ballots, a voter's thumbprint or signature was recorded on the ballot's counterfoil, which was not accessible until required by a court order. While using electronic voting, thumbprints or signatures are kept in a record that is accessible to the public or anybody wishing to contest election results due to fraudulent voting. Last but not least, paper ballots enable the officials who decide whether a vote was legitimate for a certain candidate. The Election Commission asserted that the machines' ability to register votes is impregnable and that physical tampering with them is simple to spot**.**

5. Challenges of Digitalization:

When left unrestrained, the Internet enables a quicker and more unrestricted interchange of information, which can aid in decision-making at times may against the common good. Nevertheless, particular challenges have also come into focus in recent years. The disparity in information is one difficulty with using social media to promote causes and candidates during elections. Achieving Democratic Ideals in the New Technological environment is another challenge.

(1) Rural Urban Divide: The gap between urban and rural voters the former having more access to internet and technical facilities than the later. Further, there is also disparity between the upper, middle and lower class in both rural and urban

areas. There exists a passive group of voters who after having access to resources and technology show no interest in political activities in general and elections in particular. This can be one of the criticisms of technology and social media that even they have time for discussion and debate, but they prefer to go to social media handles playing the role of moot spectators and arm chair commentators instead of open debate and discussion. However, this group can be sensitized at their workplace, offices or community meetings at least during campaigning. Candidates and their campaigns may specifically target their messaging to certain voter categories through direct targeting, especially on social media.

(2) Issue of authentication of the Information: The information voters get about their candidates has also been changed or distorted in various instances and disseminated via internet and media. One instance is the impersonation of candidate social media accounts, which can then send voters misleading messages or information. For instance, several studies on the effects of internet campaigning have looked at how it affects the involvement of women in campaigns. Thanks to modern technology, there has been an increase in violence against women during elections. A woman's reputation may be quickly damaged, she might feel intimidated, or she might disproportionately come under direct criticism, be silenced, or experience media prejudice. Algorithm setting communities have increased for social media sites, raising fears of an algorithmic government. Since there may not be immediate constraints on deliberation, fresh instances of disparity in the electoral process are thus made possible because the environment in which this deliberation takes place may be systematically biased against certain candidates, weakening the fundamental tenet of political equality.

(3) Threats to the Electoral Process at Global Level in the Digital Age: For at least ten years, several nations, including Estonia, Georgia and the Ukraine, have been subject to cyber security risks to their election systems. But only the strongly debated cyber-related events that are considered to have affected the 2016 US election for president have raised more people's awareness and interest in this subject. Within a few months, this sparked talks throughout the globe about how to combat the growing dangers of cyber-attacks on democratic processes and elections in both new and existing democracies. Elections are conducted using a variety of human and technological processes. A crucial role in election administration is to oversee and reduce the likelihood of manipulation risks using a variety of integrity, audit and control measures because neither totally unhackable technology nor completely tamper-proof manual processes exist. While there are long-established best practices for security measures for manual and paper-based procedures around the world, recent occurrences have brought attention to the necessity to address the dangers associated with the ever-increasing use of electronic systems in elections.

(4) Attacks on election-related technologies: Malicious attacks on election-related technology primarily target the registration of voters, casting ballots, counting of votes, results dissemination and collection technologies. Besides, websites for

result announcement and other digital election-related services, organizational and personal email accounts and network connections and a more varied national infrastructure, such as e-government systems, the electricity grid and communication links are also subjects to such threats. Hacking attempts targeting the electoral process might be general or targeted to a particular election. Therefore, participants in the electoral process might become unintentional targets of assaults or arbitrary victims. Generic assaults, including as Denial of Service (DoS) assaults, website hacking, virus and ransom ware attacks among others, sometimes call for minimal expertise and low resources.

(5) Vulnerabilities of the system: 'Cyber hygiene' deficiency is the vulnerability that is exploited by generic assaults. This phrase refers to the level of user education and awareness regarding how to maintain the system's health and online security; the organization's technology status, including the frequency of testing and maintenance; whether the policies and security principles are sufficient to address new and evolving cyber threats; and whether there is adequate separation between internal as well as online connected systems. Election-related databases and technologies are frequently utilized, reactivated and built up around Election Day due to the recurring nature of elections. As a result, managing and continuously monitoring cyber risks are far more challenging than it is in other fields. The 'single point of failure' for elections technology is Election Day. Many systems, in particular government computer systems, are built to be unavailable as a result of serious assaults for a few days or even hours. The fundamental principles of a democratic society where the people believes that the chosen government will uphold the results of an honest and transparent public debate—are strengthened through free, fair, and open elections. Thus, preserving the integrity of an election becomes of utmost significance for a nation and its people. Election-related threats have grown to worrisome proportions in several nations. Threats that impact and alter voting patterns and voter attitude may be evaluated along two unique dimensions, namely, cyber assaults that target systems and information in order to obstruct the fundamental election process or voting technology. In the first threat scenario, the very potential that such an event is a reality would call into question the authority of various elected governments and governments that are averse to acknowledging its presence, at least in people's eye. However, the possibilities are immense and have sometimes surfaced during America's two previous presidential elections. In addition to being more effective than conventional assault methods, cyber-attacks are cheaper and harder to detect and prosecute. The second threat can be more easily reflected and divided into three additional sub-categories, namely, psychometrically targeted messaging based on extracted user information, such as in the Cambridge Analytica case, hyped-up fabricated news and data and surveys, and targeted hacks and leaks to influence public opinion.

(6) Impact on Social Harmony: The effects of technology on society are wide-ranging in the digital era. They cover topics such as polarization on the basis of

caste, religion, region, intellectual property and copyright issues, integrity of elections, privacy, digital literacy and access to information. Protecting our democracies depends on making sure that its uses and applications are in line with the public interest, thus regulators and policy-makers must be concerned about this difficult task. How can the new technical environment help or hinder the democratic values and voting integrity? What fresh methods or approaches are accessible to actors? What adjustments and modifications to existing laws, customs, and agreements could be required in light of this new environment? For these inquiries, here are some answers:

6. Institutional Measures in place to meet the challenges posed by Digitalization to the Democratic

Ideals in India

The Election Commission of India (ECI) chose a circumspect, albeit forgiving, course of action that let social media businesses to create a "voluntary code of ethics." The voluntary agreement sought to increase openness in sponsored political advertising and put restrictions on objectionable material. Social media platforms like Facebook, WhatsApp, Twitter, Google, Share Chat and Tok-tok agreed to take action on breaches noted under Section 126, Representation of the People Act, 1951, within a few hours of getting complaints from the ECI, with the Internet and Mobile Association of India (IAMAI) serving as the representative body.

? The timetable complied with the Sinha Committee's suggestions. Social media companies also agreed to "provide a mechanism for political advertisers to provide pre-certified advertisements issued by Media Certification and Monitoring Committee" (ECI 2019). IAMAI members agreed to plan voter awareness campaigns in addition to these actions.

? The Election commission-IAMAI agreement served as the initial official regulatory step to persuade internet-based businesses to adopt a voluntary code. The code addressed important facets of internet speech laws and regulations, such as the speedy removal of potentially objectionable content, the openness of political advertisements, the development of nodal officers' reporting capabilities, public education. Facebook, Twitter, WhatsApp and other social media platforms have pledged to abide by this policy in all upcoming elections, which include the Maharashtra and Haryana assembly elections, according to the ECI.

? The Data Protection (Amendment) bill, 2023 concerning privacy of citizens has been cleared in the Parliament, making their consent mandatory by the social media companies keeping their privacy central to this. Also, the provision regarding country with whom the data will be shared is also specified.

? The Indian government has been experimenting with a number of measures recently, including fake news standards. According to Business Today 2019, the Ministry of Information and Broadcasting released what was perceived as a broad directive in 2018 to take action against journalists who were allegedly involved in distribution of false information. Regional administrations have not remained mute.

For instance, the government of West Bengal has tightened current legislation to take action against persons who distribute false information and instill panic in the population.

? Additionally, the government has been actively compiling an inventory of false information disseminated on social media platforms over the last few years and keep archives of past offenders.

? The Indian government has released the #AI for All policy, which tackles a number of concerns, including increasing worries over bias in procedures in addition to the voluntary code of conduct for social media firms. The Ministry of Electronics and Information Technology published proposed amendments last year that would compel messaging applications and internet intermediaries to identify message originators and give this information to designated government organizations.

7. Other Strategies to Reduce Cyber-Risks

(1) Making digital platforms accountable: Governments might impose guidelines for transparency on major technological firms. Industry players in nations with sizable user bases lack fair representation due to the enormous influence that digital platforms have over the information flow. Digital platforms may be required to provide thorough yearly disclosure reports by policymakers. Information on platform activity; content moderation and deletion, financial reporting, data collecting and trading, campaign expenditure and political advertising are a few examples. Additionally, social media sites may release general news statistics, such as data on the quantity of promoted and advertised material, the kinds of content that users receive and the quantity of automated content. Governments should encourage and provide incentives for IT companies to create a code of ethics for the entire industry. The actors in the development process might come from a wide range of sectors, including business, politics and academia. A useful code could have oversight, penalty and enforcement procedures.

(2) Securing the vital electoral infrastructure: Technology security is achieved by routine inspections, audits and upgrades of processes and technology, which are strengthened by redundant and backup systems. These include protecting alternate communication lines for information dissemination, cutting-edge identification and encryption systems, removing critical information as much as possible from the Internet and round-the-clock monitoring of all vital systems.

(3) Catering Digital Divide: To bridge the digital gap, policymakers could think about making investments in internet accessibility. The internet's availability varies greatly by nation and territory. This covers broadband connectivity and internet service speeds in addition to basic internet access. Additionally, it can be recommended that free internet wireless hotspots be set up in major cities. Last but not least, decision-makers might take into account initiatives that improve lower-income residents' access to the internet.

(4) Investment in Human Resources and stakeholders involved: Digital

literacy should be the most important component of modern education. Measures to increase literacy might provide people the skills and knowledge they need to think critically about information they find online, use digital gadgets and big data. The inclusion of big data and artificial intelligence in the curriculum might help students grasp coding language. Additionally, it is necessary to explore literacy initiatives and classes aimed at the general population. Staff education and cyber hygiene, defining duties and their responsibilities, using the "four eyes principle", which means that a particular action or decision is verified by at least two persons. It ensures that crucial procedures are never carried out by a single individual and integrating background checks of important election employees with administrative access are just a few of the measures that should be taken**.** Consultations with a range of stakeholders are helpful for improving the platform's design. As user experience and confidence in the system are crucial factors, it is important to consult not just with other government departments (cyber protection, information providers, designers), as well as with civil society, academia, the media and people in general. The target audience should also be consulted as a significant group of stakeholders. For instance, if an online platform for reporting political funding is being built, political parties need to be engaged and involved. Its growth can be impeded if political parties refuse to use such devices or platforms. Before creating a data repository, open data specialists and academics might be consulted.

(5) Laws for Regulating the Digital Realm of Electoral Politics: In order to regulate digital public life, government needs to introduce rules that are related with use of technology in elections. Similar to those existing in place for printed materials and broadcast, standards and regulations pertaining to campaign funding and information might be created. New regulations may also include emerging strategies for voter mobilization, such as those based on big data, hidden advertising and peer-to-peer messaging. Where infractions have occurred, appropriate penalties and legal penalties must be applied. In India, the election commission prior to 2019 Lok Sabha elections has declared that provisions regarding the mode code of conduct will also be applicable to the content shared by political parties on social media handles.

(6) Intra Agency and Departmental Collaboration: For ensuring the free and fair elections cyber security and intra-departmental collaboration needs to be strengthened in India like advanced democratic nations. For instance, the Cyber security and Infrastructure organization (CISA), the principal federal organization in charge of overseeing national election security, collaborates with vendors, state and local election officials and other parties to ensure the security of electoral technology in the US. The Department of Homeland Security (DHS) has designated the infrastructure employed to conduct national elections as critical infrastructure since 2017. This infrastructure includes, among other things, voter database, IT systems for handling elections, voting systems, archives, polling stations and others. Federal agencies can assist local and state authorities in this situation with issues relating to election security. In its work, CISA engages with various government agencies,

CSOs, academic institutions, media outlets, social media firms and cyber security organizations. Agreements defining the duty, collaboration and coordination between various agencies are reached after establishing a database of contacts and emergency numbers at participating agencies. Agencies should often use channels for interaction among themselves, comprising the formation of task forces, committees and collaborative groups to strengthen these alliances. As vital as substantive collaboration is fostering positive working relationships and fostering trust between participating agencies as well as bridging cultural gaps within institutions. The United States of America has established two forums: first for private sector collaboration and second for agency collaboration. In India, national agencies like CBI, Enforcement Directorate, CERT-IN, Directorate of Revenue Intelligence and Election Commission must collaborate during such occurrences to the election infrastructure.

8. Conclusion

Although the use of modern technology in polls is welcomed for its benefits, such as transparency, more effective procedures and the promotion of citizen participation. However, it also builds concerns due to the built-in security risks or a lack of awareness of the technological process, which might create an open space for disinformation. States are concerned about potential problems with cyber security and the harmony between the both the opportunities and the challenges. Several government studies or testing on particular voting procedures or Elections using technological tools led researchers to believe that introducing new instruments might be too costly or create significant weaknesses. Elections must continue to be one of the mainstays of democracy. The Cambridge Analytica case exposed how online platforms and data analytics businesses impact public life on a global scale. The tendencies, however, are intensifying and taking on new forms, such as statistical manipulation, internet blackouts, and centralization in the dissemination of material in nations like India. In the era of "functionally unbundled" digital communication, when communication functions are dispersed across several platforms by interoperable standards, an efficient regulatory action would have to move beyond election-time remedies and address to underlying concerns of carriage and content**.** Even while the ECI's and the platforms' actions to curb interference with the voting process appear to have flaws, they are a step in the direction for solving a huge issue. But it's a step forward that everyone understands that there are problems and that at least the big platforms have agreed to take action. Research and Innovation in digital technology can ensure data security in the larger interest of democratic governance. Governments can provide funding for research into the emerging technologies like machine learning, data analytics etc. Research on online information dynamics, algorithms and political discourse on social media could lie at the heart of the research**.** Governments may collaborate with academia, industry, universities, colleges and business experts to promote innovation and research in cutting edge technologies. With technical advancements, they can be thrown open in the public

domain which is sometimes made difficult to access by technology corporations. The findings might be presented to the general public in an easy and interesting way. Establishment of Science Engineering Research Board which now will be replaced by National Research Foundation, Computer Emergency Response Team –India, Centre for Development of Advanced Computing are the steps taken by the Indian government to promote research and innovation in this field. There is always room for improvement when it comes to design, transparency, usability and security in electronic tools. When examining a good electoral practice, it is important to focus on the instruments that affected the electoral process in that particular state or region, ensure that excellent level of security and confidence among citizens are properly regulated and compliant with global norms and are created and used in a transparent and all-encompassing manner.

❐

***References**:*

1. *Praia, Cabo Verde, (2017). 'The Use of New Technologies in Electoral Processes' Workshop report, 23 November, 2017, accessed on 24 July, 2023.https://www.google.com/search?q=role+of+technology +in+electoral+processes+workshop+report*
2. *Njoku O. Donatus, Amaefule I. A, Nwandu C. Ikenna,Jibiri Ebere(2018),Janefrances, 'Application of ICT and Electronic Technology in Election Management: Challenges in Rural Areas in South-Eastern Nigeria', International Journal of Advanced Engineering, Management and Science (IJAEMS)Vol4, Issue5, May 2018, accessed on 9May,2023 https://www.researchgate.net/publication/ 325261884_Application_of_ICT_and_Electtps://www.researchgate.net/publication/32526188*
3. *Nath ,J.(2019), Digitalization of Electoral Process and Its Impact on the Voting Behavior of People in India , International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering , Volume-8 ,2019,Retrieved on10 April,2023https://www.ijitee.org/wp-content/uploads/papers/v8i12/ L30001081219.pdf*
4. *Debnath, Sisir; Kapoor, Mudit; Ravi, Shamika,(2017),'The Impact of Electronic Voting Machines on Electoral Frauds, Democracy, and Development', Retrieved on20 June,2023 https:// www.brookings.edu/articles/working-paper-using-technology-to-strengthen-democracy/*
5. *Mehra, Pahi(2021), 'How India is implementing tech for free and fair elections', retrieved on 22 July, 2023 https://content.techgig.com/technology/how-india-is-implementing-tech-for-free-and-fair-elections/articleshow/87367830.cms*
6. *Ibid.*
7. *Udupa,Suhana(2019), 'Digital Disinformation and Election Integrity: Benchmarks for Regulation',Economic and Po litical Weekly, Vol. 54, 2019,retrieved on 29July,2023 https://www.epw.in/ engage/article/digital-disinformation-and-election-integrity*
8. *'ICT innovations of Election Commission of India', retrieved on 16 May,2023 https://vikaspedia.in/e-governance/online-citizen-services/government-to-citizen-services-g2c/ict-innovations-of-election-commission-of-india*
9. *ibid.*
10. *'Innovations and Initiatives', Election Commission of India, retrieved on 13 June, 2023 https:// eci.gov.in/files/file/12003-101-innovations-and-initiatives/*
11. *'ICT innovations of Election Commission of India', retrieved on 10 May, 2023 https://vikaspedia.in/ e-governance/online-citizen-services/government-to-citizen-services-g2c/ict-innovations-of-election-commission-of-india*
12. *Ramachandran,S.K.(2023)'BJP set to refresh social media strategy with new apps ahead of 2024 polls', Hindustan Times, accessed on 7September,2023. https://www.hindustantimes.com/india-news/ bjp-to-launch-new-social-media-apps-for-targeted-outreach-in-2024-elections-focus-on-regional-languages-and-influencers-101692880192677.html*
13. *Ibid.*
14. *Sharma, Amogh Dhar(2019), 'How far can political parties in India be made accountable for their*

digital propaganda?' Accessed on 10 June, 2023 https://scroll.in/article/921340/how-far-can-political-parties-in-india-be-made-accountable-for-their-digital propaganda
15. *Ibid*
16. *Kumar S. Shekhar,(2022). "Assembly elections 2022: How political parties used social media for campaign https://timesofindia.indiatimes.com/india/assembly-elections-2022-how-political-parties-used-social-media-for-campaign/articleshow/89986416.cms,Assessed on 16/08/2023.*
17. *Khare,Yana ,"The Role of AI in Political Campaigns: Revolutionizing the Game", Analytics Vidya, Published on 25 April,2023.*
18. *Narasimhamurthy, N.,' Use and Rise of Social media as Election Campaign medium in India', International Journal of Interdisciplinary and Multidisciplinary Studies (IJIMS), 2014, Vol 1, No.8, 202-209. https://core.ac.uk/download/pdf/72802902.pdf,Assessed on 17/07/2023.*
19. *Ibid.*
20. *Ibid.*
21. *'Cyber Elections in Digital Age', Research Gate, accessed on 5 May, 2023 https://www.researchgate.net/publication/341062434_Cyber_Elections_in_the_Digital_Age_Threats_and_Opportunities_of_Technology_for_Electoral_Integrity*
22. *https://www.idea.int/sites/default/files/publications/cybersecurity-in-elections-models-of-interagency-Collaboration,assessed on20/08/2023*
23. *Ibid.*
24. *Bhattacharya, S.(2021) 'How Can We Ensure Fair Elections In The Digital Age?'Center for National Policy Research, Accessed on February 15, 2021 https://cnpr.in/how-can-we-ensure-fair-elections-in-the-digital-age/*
25. *"Polarisation and the use of technology in political campaigns and communication', European Parliamentary Research Service Scientific Foresight Unit ,issued on March 2019 https://www.google.com/search?client=firefox-polarisation+and+the+use+of+technology+in+elections*
26. *Social Media Platforms present " Voluntary Code of Ethics for the 2019 General Election" to Election Commission of India - Press Releases 2019 - Election Commission of India (eci.gov.in) .by Election Commission of India, issued on 20 March, 2019*
27. *https://www.unido.org/overview/member-states/change-management/faq/what-four-eyes-principle ,Accessed on 12July,2023.*
28. *Staak, Sam van der; Wolf, Peter(2019) 'Cyber security in Elections Models of Interagency Collaboration', International Institute for Democracy and Electoral Assistance, accessed on 26July,2023 ,https://www.idea.int/sites/default/files/publications/cybersecurity-in-elections-models-of-interagency-collaboration.pdf*
29. *Ibid.*
30. *Ibid.*
31. *https://www.idea.int/sites/default/files/publications/cybersecurity-in-elections-models-of-interagency*
32. *Parvu,Septimius(2022) 'Technology in Elections – Best Practices in Using Digital Tools and Platforms in the Community of Democracies', Community of Democracies, retrieved from https://community-democracies.org/app/uploads/2022/09/Report-Technology-in-Elections.pdf*
33. *https://www.livemint.com/elections/lok-sabha-elections/elections-2019-the-digital-challenge-to-ec-s-model code-of-conduct-1552949325081.html*
34. *Ibid*

पूर्वदेवा– सामाजिक विज्ञान शोध पत्रिका
वर्ष 29, अंक, 114–115, जुलाई–दिसम्बर, 2023 पृ. 187–190

UGC Care Listed Journal
ISSN 0974 -1100

Compensatory Jurisprudence under Criminal Justice System in India

Birendra Kumar Tiwari
Research Scholar- Department of Legal Studies & Research, (UTD) BU Bhopal MP
Assistant Professor- School of Legal Studies, LNCT University Bhopal MP
Rishi Bhargava
Assistant Professor- Facutly of Law, Jagran Lakecity University, Bhopal (MP)

Abstract

Now accepting that there is no uniformity in the legal system in the country to address the issue of compensation to the victims of crime, it is expedient to discuss the legal position in respect of compensation to the victims of the offence. Post Independence, the criminal trials were governed by Criminal Procedure Codes 1898 and then by 1973 Code (Cr.P.C.) till the year 2008, there was a provision more or less similar in both codes for compensation to the victims of the offence that is section 545 in the old Code and Section 357 in the new code.

Key Words:- Victim, Justice, Compensation, Punishment

Introduction:-

Compensatory jurisprudence that the money which is given to compensate for loss or injury, whole purpose of compensation is to make good the losses sustained by the victim of crime or by the legal representative of the deceased or who has suffered pecuniary loss or non-pecuniary loss. When we talk about compensation to the victims, it means something given in recompense i.e. equivalent rendered. Generally when we talk about compensation in the present context it is only limits itself to monetary compensation which is calculated on the basis of two head i.e. pecuniary & non-pecuniary loss.

Compensation, is criminal-victim relationships, concerns the counter balancing the victim's loss that result from criminal attack. it means making amends to him; or perhaps it is simply compensation for the damage or injury caused by a crime against him. As commonly understood it carries with it, the idea of making whole, or giving an equivalent, to one party and has no relation to any advantage to the other.[1] it is

counter-balancing of the victims sufferings and loss that results from victimization. It is a sign of responsibility a non-criminal purpose and end.[2]

The Code of Criminal Procedure Code (Amendment) Act, 2009 has brought about many changes in code. Cr.P.C., Section 357A has has been included to prepare a scheme for providing funds for the purpose of compensation to the victim or his dependents who have suffered loss or injury as a result of the crime and who require rehabilitation. Section 357 which is already in Code also provides for the compensation to victims out of fine imposed by the court on the accused.

Compensation under Criminal Law:-

In Indian criminal law, the victim's right is confined to a token compensation (under Cr.P.C) at the end of the trial at the direction of judge. Under Criminal Procedure Code 1973 the provisions of compensation described in following sections.

1. Compensation under Section 357:- This section provides for award compensation to the victim or person affected by the offence irrespective of the fact whether such offence is punishable with fine and fine is actually imposed, but it is necessary that the accused must have been convicted and sentenced. Hari Singh Vs Sukhbir Singh[3] case Supreme Court held " while ordering the award of compensation the court has to take into consideration the nature of injury. the manner it is caused and the capacity of accused to pay the amount etc. Section 357(3) makes procession for compensation even if fine does not form part of punishment.

2 Compensation to the persons groundlessly arrested section 358:- This section empowers the count to order a person to pay compensation to another person for causing a police officer to arrest such other person wrongfully without any sufficient cause. It means, if a person is instrumental in causing a groundless arrest of a person through the police , the court may order such person to pay compensation and the wrongfully arrested person under section 358. In case of Mallappa Vs Veerabasappa[4] (1977 CRLJ. 1856 Kant) court determined in order to invoke the provisions of this section there must be some direct proximate nexus between the enforcement and the arrest that is made on the basis of such information, and there should be sufficient ground to show that the enforcement caused the arrest of accused without any sufficient cause.

If more persons than one are arrested under this section, the Magistrate may in like manner, award to each of them such compensation, not exceeding one hundred rupees, as such Magistrate think fit.

3 Order to pay costs in non - cognizable cases under section 359:- Under the above section, the court may order the accused to pay to the complainant, in whole or in part the costs incurred by him in the prosecution . The payment of costs maybe in addition to the penalty imposed up on the accused by way of sentence the section further refers to payment of costs to the complainant in a complaint case in respect of non-cognizable offence only and the decision in the regard and depends on the discretion of the court.

4 Compensation for accusation without reasonable cause under section 250:- This section prescribed for payment of compensation to those accused against which complaints of accusation were made without any reasonable ground. Before making an order of compensation under this section, the magistrate should afford an the complainant to show cause and he should be heard in reply. The object of Sanction is to avoid frivolous accusations being filled before the court in the name of complainant. The provisions of this section apply to both, Summons as well as warrant cases as provided in sub - section 8.

This section applies only to cases instituted by "Complaint" or information given to a magistrate and it has no application to cases instituted on police report. Sub section empowers a magistrate to award compensation not exceeding the amount of fine which he has power to impose. Sub section (3) further empowers a magistrate to order that the default of payment of compensation, the complainant shall have to undergo imprisonment for period not exceeding thirty days. The appeal against the order of compensation shall be to the Sessions court. The section reserves the power to award compensation only to the magistrate, who has heard the case and has set a side the conviction and sentence against the accused. No other magistrate or the Court of appeal can pass an order of compensation under this section.

5 Procedure in cases instituted under section 199 (2):- The provisions of this section are designed in the public interest. The trial in such cases maybe held in camera if either party so desires or the court thinks it proper . If the case results in its discharge or acquittal of the accused, he may be granted Compensation provided the court is of the opinion that there existed no reasonable cause of making the defamatory accusation or complaint was false or frivolous. The quantum of such compensation shall not exceeding one thousand rupees to be paid to the accused or to each or any of them. This prolusions relating to award compensation do not apply to cases of the president, the president, the Governors of States or the administration of union territories.

6. Power of court to require released offender to pay compensation and cost:-The probation of offender Act, 1958 section 5 empowers the court to direct the offender who is allowed the benefit of release on probation under section 3 & 4 of the probation of offender Act to pay reasonable compensation as also the costs of proceeding to the victims of his crime.

7. Quantum of Compensation:-If the absence of any statutory provision in this issues, it is the will of the court to pay compensation or not. The victim or his heir has no right to claim in Hari Krishan & Anr vs. Sukhbir singh & Others.[5] case the Supreme Court issued some important guidelines regarding quantum of compensation as:-

1. It must be reasonable
2. It may be determined by taking into account the nature of crime, the justness of the claim and ability of the accused.

3. Reasonable time for the payment.
4. Imprisonment in default of the payment.

Thus the quantum of compensation based upon facts, circumstances, and nature of offence amount of compensation sought by victim and financial condition of accused.

Conclusion:-

There is no doubt that victimology is branch of criminology in which relation of victim with crime and criminal is analyzed and psychology of victim at the time of occurrence of crime. Our criminal justice system provides more rights to accused but less rights are provided to victims. But justice phenomena demands that balance between the claims of two parties, who are in front of court. Victimology is a complete study of the psychology of victim before and after occurrence of crime. His experience with police, NGO's, Court, people who come in contact of victim, their behaviour and effect of that treatment on the psychology of victim all are vital parts for consideration. Malimath committee report has provided many suggestion in order to reform in criminal justice system. Many rights are discussed briefly, if these rights are provided in real sense. position of victims can be at strong footing. There is expectation of reforms in criminal justice delivery system and victims can be saved from double victimization in the hands of authorities. Single victimization is a curse but non availability of good remedy providing mechanisms make the situation unbearable for victims of the crime and their relatives. It is urgent need in the light of above mentioned facts, Criminal Justice system should be not only 'offender' oriented rather it should be 'offender –victim' oriented in order to maintain balance with appropriate justice delivered by the court. Rights available to victims of crime are just for the sake of showcase, these rights are not properly given to victims. Reality of the circumstances is that victim's are unaware about their rights, even people who are dealing with the system they are not acquainted with these provisions. Need of hour is to appoint those people who are well conversant with legal provisions of the justice delivery system so that they can guide to ignorant victims about their rights.

❒

***References**:*

1. *Sammaiah Mundrathi, Law of Compensation- To victims of Crime and Abuse of Power Deep & Deep Publications Pvt. Ltd. 2002, p.2*
2. *V.V. Devasia & Leelamma Devasis, Criminology victimology & Corrections Ashish Publishing House, 1992, P..97.*
3. *Hari Singh Vs Sukhbir Singh, AIR 1988 SC 2127*
4. *Mallappa Vs Veerabasappa 1977 CRLJ. 1856 Kant.*
5. *Hari Krishan & Anr vs. Sukhbir singh & Ors, AIR 1988 SC 2127*

मध्यप्रदेश दलित साहित्य अकादमी
❐ संक्षिप्त विवरण ❐

तथागत् बुद्ध के संदेश 'अप्प दीपो भव' तथा डॉ. अम्बेडकर के आव्हान 'संगठित रहो, शिक्षित बनो, संघर्ष करो' से अनुप्राणित प्रदेश के प्रमुख दलित समाजसेवियों, साहित्यकारों एवं बुद्धिजीवियों के सम्मिलित प्रयास से सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक परम्परा से समृद्ध नगर उज्जैन में एक स्वशासी संगठन के रूप में 'मध्यप्रदेश दलित साहित्य अकादमी' की स्थापना की गई। तदुपरान्त म.प्र.सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट,1973 के अन्तर्गत (क्रमांक 19066 दिनांक 18 नवम्बर,1987 पर) संस्था का विधिवत् पंजीकरण कराया गया है। अकादमी का प्रधान कार्यालय उज्जैन स्थित है। अकादमी का लक्ष्य समाज के शोषित–पीड़ित दलितजनों को अपने मानवीय अधिकारों एवं समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से अवगत कर, उनमें नवीन चेतना का संचार करना और शोषण व असमानता के विरूद्ध संघर्ष के लिए सतत् प्रेरित करना है। इस निमित्त दलित साहित्य सृजन एवं शोध–अनुशीलन तथा तदुनुरूप परिवेश का सजृन करना है। साथ ही दलितों के मानवोचित सामान्य अधिकारों की उपलब्धि के लिए उन्हें सशक्त अभिव्यक्ति प्रदान कर अपनी सक्रिय वैचारिक–साहित्यिक पहल द्वारा उनकी सामाजिक–सांस्कृतिक अस्मिता की समाज में पुनसर्थापना का प्रयास करना है।

❐ अकादमी की प्रमुख गतिविधियाँ :

निर्धारित कार्य योजना के अनुसार अकादमी की प्रमुख गतिविधियाँ एवं उल्लेखनीय उपलब्धियाँ एवं संचालित गतिविधियाँ अधोलिखित हैं :

❐ सामाजिक विज्ञान शोध केन्द्र की स्थापना

अनुसूचित जाति के विकास एवं समस्याओं पर केन्द्रित एक उच्चस्तरीय अध्ययन–अनुसंधान केन्द्र स्थापित किया गया है। जिसके अन्तर्गत एक समृद्ध ग्रन्थालय, शोधपत्र–पत्रिकाऐं, शोध–अध्ययन कक्ष, म्यूजियम आदि अन्य आवश्यक अनुसंधान सुविधाएँ उपलब्ध है।

❐ ग्रन्थालय एवं प्रलेखन केन्द्र

अकादमी के ग्रन्थालय में दलित साहित्य, भारतीय समाज व्यवस्था, धर्म.दर्शन, राजनीति, अर्थशास्त्र, इतिहास आदि विषयों पर प्रमुख ग्रंथ संग्रहित हैं। ग्रन्थालय में देश के विभिन्न भागों से प्रकाशित दलित समस्याओं पर केन्द्रित पत्र–पत्रिकाएँ, जर्नल्स आदि संग्रहित किये गये हैं। ग्रन्थालय में शोध–अध्ययन की विशेष सुविधाऐं उपलब्ध कराई जाकर उसे एक समृद्ध प्रलेखन केन्द्र के रूप में विकसित किया जा रहा है ।

❐ राष्ट्रीय सम्मेलनों, प्रान्तीय सम्मेलनों, राष्ट्रीय शोध संगोष्ठियों का आयोजन, कार्यशाला,व्याख्यानमाला, जयंती,स्मृति व्याख्यान कार्यक्रमों का आयोजन स्थानीय, प्रादेशिक एवं राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है।

❐ दलित साहित्य अकादमी पुरस्कार

अकादमी द्वारा दलित साहित्य, इतिहास, कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में सृजित उत्कृष्ट कृतियों शोध ग्रन्थों को पुरस्कृत करने के उद्देश्य से उच्चस्तरीय 'दलित साहित्य अकादमी पुरस्कार' की स्थापना की गई है।

❐ शोध पत्रिका "पूर्वदेवा" का प्रकाशन–वर्ष 1994 से नियमित प्रकाशन किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत माह–सितम्बर, 2023 तक 115 अंकों का नियमित प्रकाशन किया जा चुका है जिसमें 995 से अधिक शोध आलेख प्रकाशित किये जा चुके हैं

❐ पुस्तक प्रकाशन – पुस्तक, पाण्डुलिपि प्रकाशन योजनान्तर्गत अब तक 10 पुस्तकों का प्रकाशन किया जा चुका है। साथ ही राष्ट्रीय सम्मेलन प्रसंग विशेष पर स्मारिकाओं का प्रकाशन भी किया गया है।

❐ अकादमी भवन व परिसर –प्रशासकीय भवन, जिसके अन्तर्गत अकादमी कार्यालय, ग्रन्थालय एवं शोध केन्द्र एवं संत कबीर सभागृह संचालित है। अकादमी प्रधान कार्यालय, बाणभट्ट मार्ग (केन्द्रीय विद्यालय सम्मूख) उज्जैन, मध्यप्रदेश में स्थित 1.672 हेक्टे. क्षेत्रफल के भूखण्ड पर स्थित है।

पी.सी. बैरवा–सचिव **डॉ. हरिमोहन धवन**–अध्यक्ष

लेखकों के लिए अनुदेश

पूर्वदेवा शोध पत्रिका में प्रकाशन हेतु समाज विज्ञान के किसी भी पक्ष पर मौलिक शोध एवं साहित्य की समीक्षा पर आधारित विश्लेषणात्मक शोध आलेख आमंत्रित है।

- आलेख MS-Word में A-4 आकार के पेपर पर डबल स्पेस में KrutiDev010 फॉण्ट में टाईप होना चाहिए।
- आलेख 5000 से 8000 शब्दों के बीच होना चाहिए। शोध आलेख के साथ 150 शब्दों का सांराश भी भेजे।
- शोध आलेख E-mail ID : mpdsaujn@gmail.com पर प्रेषित करें।
- प्रकाशन हेतु प्राप्त प्रत्येक शोध आलेख की दो विषय विशेषज्ञों द्वारा समीक्षा की जायेगी । समसामयिक प्रासंगिकता, स्पष्ट एवं तार्किक विश्लेषण, सरल एवं बोधगम्य भाषा, उचित प्रविधि मौलिकता आदि आलेख के प्रकाशन हेतु स्वीकृति के मानदण्ड होंगे।
- किसी भी आलेख को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार सम्पादक का होगा।
- सभी टिप्पणियाँ एवं सन्दर्भ आलेख के अन्त में दिये जाएँ तथा आलेख में यथास्थन उनका आवश्यक रूप से उल्लेख करें।
- पुस्तकों के लिए सन्दर्भ हेतु निम्न पद्धति का अनुसरण करें:

  उपनाम, नाम, (प्रकाशन वर्ष), पुस्तक का नाम, प्रकाशक, प्रकाशन स्थान, पृष्ठ क्रमांक
- जर्नल के लिए सन्दर्भ हेतु निम्न पद्धति का अनुसरण करें:

  उपनाम, (प्रकाशन वर्ष), आलेख का शीर्षक, जर्नल का नाम, अंक, खण्ड, प्रकाशक, प्रकाशन स्थान, पृष्ठ क्रमांक

किसी भी प्रकार का पत्र व्यवहार का पता है :
सम्पादक– **पूर्वदेवा**
मध्यप्रदेश दलित साहित्य अकादमी
बाणभट्ट मार्ग, सेंट्रल स्कूल के सामने, उज्जैन (म.प्र.) 456010
सम्पर्क : 9752725488

पूर्वदेवा

मध्यप्रदेश दलित साहित्य अकादमी की सामाजिक विज्ञान शोध पत्रिका

'पूर्वदेवा' के प्रकाशन का उद्देश्य मुख्यतः भारतीय समाज व्यवस्था में व्याप्त मानवीय विषमताओं के उन्मूलन, दलितों में मानवीय-अस्मिताबोध एवं अधिकार-चेतना उत्पन्न करने और तद्जनित सामाजिक परिवर्तन की भूमिका तैयार कर मानवीय मूल्यों की स्थापना के निमित्त ऐतिहासिक एवं सामाजिक आधार पर विविधपक्षीय, तथ्यपूर्ण एवं शोधपरक अध्ययन एवं चिंतन को प्रवर्त्त करना है। जिससे कि दलित, सर्वहारा वर्ग का सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक आदि क्षेत्रों में समुचित विकास एवं मानवीय सम्मान का मार्ग प्रशस्त किया जा सके।

अतएव, इस हेतु विद्वान लेखकों, अनुसंधानकर्ताओं से मौलिक लेख, शोध आलेख एवं अनुभवजन्य, तथ्यपरक लेख, पुस्तक समीक्षाएँ प्रकाशनार्थ सादर आमंत्रित हैं।

- लेखको से आग्रह है कि अपने लेख सुवाच्य अक्षरों में टंकित **Word** एवं **Pdf** फार्मेट में ई-मेल द्वारा **E-mail : mpdsaujn@gmail.com** पर भेजें।
- लेख सामान्यतः हिन्दी में लिखे हों। विशेष स्थिति में अंग्रेजी भाषा में लिखे गये लेख भी स्वीकार किये जा सकेंगे। लेख अन्यत्र प्रकाशित नहीं होना चाहिये।
- सम्पादक मंडल कोकिसी भी लेख को प्रकाशन हेतु स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार है।

पूर्वदेवा का सतत् प्रकाशन सुधी पाठकों एवं लेखकों के उदार सहयोग पर निर्भर है।
अतएव विशेष अनुरोध है कि पूर्वदेवा के ग्राहक बनकर, अपना आत्मीय सहयोग प्रदान करें ।

ग्राहक शुल्क की दरें (**Rates of Subscription**) इस प्रकार हैं-

✲	आजीवन शुल्क	संस्थागत रू.7500/-	वैयक्तिक रू.6500/-
✲	वार्षिक शुल्क	संस्थागत रू.350/-	वैयक्तिक रू.300/-

Book Post

प्रति,

_____

_____

_____

क्रयादेश एवं शुल्क सहित सभी प्रकार के पत्र व्यवहार का पता :

मध्यप्रदेश दलित साहित्य अकादमी

बाणभट्ट मार्ग, सेंट्रल स्कूल के सामने, उज्जैन(म.प्र.) 456010

म.प्र.दलित साहित्य अकादमी के लिये पी.सी बैरवा द्वारा
न्यू गुलाब प्रिन्टर्स, उज्जैन-से मुद्रित एवं बाणभट्ट मार्ग, उज्जैन(म.प्र) से प्रकाशित
सम्पादन- डॉ.हरिमोहन धवन

आर.एन.आई.रजिस्टेशन नं. 61954/95 ISSN 0974-1100